अष्टम माला, खंड 4, अंक 25

बुधवार, 17 अप्रैल, 1985
27 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 25, बुधवार, 17 अप्रैल, 1985/ 27 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 465, 466, 473 और 467 से 471	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—186
तारांकित प्रश्न संख्या : 472 और 474 से 485	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3275 से 3379 और 3381 से 3462	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	189—190
कार्य मंत्रणा समिति	190
पांचवां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	190—194
(एक) सातवीं योजना में गोरखपुर में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूध पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता	
श्री मदन पांडे	190
(दो) विशाखापत्तनम का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास	
श्री एस० एम० भट्टम	191
(तीन) वाराणसी और मुगलसराय के बीच स्थानीय रेल सेवा आरंभ करने की मांग	
श्री जैनुल बशर	191

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल 192

(पांच) पटना के निकट जल्ला क्षेत्र में एक रेलवे फाटक तथा संपर्क सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर 193

(छः) गांवों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु सातवीं योजना में राज्यों को विशेष धनराशि देने का प्रावधान

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 193

(सात) विभिन्न भाषाओं को समझने की क्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु एक राष्ट्रीय अनुवाद और मौखिक भाषान्तरण संस्थान बनाने की मांग

श्री चिंतामणि जेना 193

(आठ) कर्नाटक में सूखाराहत कार्यक्रम के लिए और अधिक धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश 194

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1985-86 195—298

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

श्री डी० पी० यादव 195

श्री अजीत कुमार साहा 198

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी 203

श्री वीरेन्द्र सिंह 205

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 209

श्री कादम्बुर जनार्थनन 213

श्रीमती कृष्णा साही 215

श्री अरुण नेहरू 218

श्री आशुतोष लाहा	220
श्री जाफर शरीफ	221
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	223
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	226
श्री टी० बशीर	228
श्रीमती बसव राजेश्वरी	230
श्री विजय कुमार यादव	234
श्री गिरधारी लाल डोगरा	237
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा	239
श्री सोमनाथ रथ	241
श्रीमती डी० के० भंडारी	243
श्री विलास मुत्तेमवार	245
श्री चिंतामणि जेना	249
श्री पीयूष तिरकी	252
श्री केयूर भूषण	254
श्री जी० एस० बसवराज	255
श्री वृद्धिचन्द्र जैन	258
श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव	260
श्री भरत सिंह	265
श्री राम प्यारे पनिका	266
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	268
श्री एस० थंगाराज	271
श्री केशवराव पारधी	274

श्री जगन्नाथ पटनायक	276
श्रीमती जयन्ती पटनायक	279
श्री एस० एम० गुरड्डी	282
श्री रामदेव रॉय	284
श्री वी० कृष्णा राव	286
श्री हरीश रावत	288
श्री सी० जंगा रेड्डी	291
श्री आर० एस० खिरहर	293
श्री सरफराज अहमद	294
श्री रामाश्रय प्रसाद	295
श्री अनन्त प्रसाद सेठी	296
श्री कमला प्रसाद रावत	298

लोक सभा

बुधवार, 17 अप्रैल 1985/27 चैत्र, 1907 (शक)

लोकसभा 11 बजे समावेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्कूलों/कालेजों में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

*465 श्री मूल चन्द डागा : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उन छात्रों को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है जो विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों में खेलकूद में गहरी रूचि लेते हैं, और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये है और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ?

[अनुवाद]

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता उन स्कूल और कालेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को दी जाती है जो खेल में कीर्तिमान प्रदर्शन करते है, ताकि वे अपनी प्रतिभा बढ़ाएं और उन्हें उच्च प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

ऐसी छात्रवृत्तियां छात्रों को उनकी खेलों में प्रतिभा के आधार पर प्रदान की जाती हैं जिसका मूल्यांकन उनके राष्ट्रीय, राज्य स्तर, अन्तर विश्वविद्यालय आदि प्रतियोगिताओं में उनके वास्तविक कार्य निष्पादन सहित उनके इन प्रतियोगिताओं में प्राप्त स्थान को ध्यान में रखकर किया जाता है। छात्रवृत्ति पाने वाला पूर्ण कालिक छात्र होना चाहिए और किसी पूर्णकालिक कार्य पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। उसे कोई अन्य खेल छात्रवृत्ति भी नहीं मिली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसका

अच्छा चरित्र होना चाहिए और उसने अन्तिम वार्षिक परीक्षा पास की हो।

विश्वविद्यालय और कालेज स्तर पर प्रतिवर्ष प्रति 1200/- रुपये के मूल्य की 100 राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष प्रदान की जाती हैं। स्कूल छात्रों के लिए प्रतिवर्ष प्रति 900/- रुपये के मूल्य की 400 राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां और प्रतिवर्ष प्रति 600/- रुपये के मूल्य की 800 राज्य स्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ये उन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त हैं जिनका, यदि छात्र-वृत्तिधारी अपने कार्य निष्पादन को बनाए रखता है या सुधारता है तो अगले वर्षों में नवीकरण किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जो छात्र खेल कूद में मेधावी और प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए विश्वविद्यालय और कालेज स्तर पर 100 राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां, स्कूली छात्रों के लिए 400 राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां और 800 राज्य स्तर की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब लागू की गई थी आज यूनिवर्सिटी लेवल पर और स्टेट लेबल पर राष्ट्रीय लेबल पर कितने-कितने विद्यार्थियों को स्कालरशिप देते हैं?

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : यह योजना वर्ष 1970-71 में शुरू की गई थी। मेरे पास दो वर्षों के आंकड़े हैं। वर्ष 1983-84 में विश्वविद्यालय और कालेज स्तर के छात्रों की संख्या 197 और 1984-85 में 192 थी। वर्ष 1983-84 और 1984-85 में स्कूल स्तर के छात्रों की क्रमश: 1627 और 1733 थी।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : ओलंपिक्स में हमारे देश के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यही है कि 1971 में यह स्कीम लागू होने के बाद आप राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर पूरी स्कालरशिप भी नहीं दे पाए। इतना बड़ा भारतवर्ष है और इतने कम छात्रों को आपने स्कालरशिप दी है इसका क्या कारण है?

दूसरी बात यह है कि जब यह स्कीम लागू हुई थी तब आपने स्कालरशिप की जो धनराशि रखी थी उसके बाद अब चीजों के दाम सौ प्रतिशत बढ़ गए हैं लेकिन आज भी उतनी ही धनराशि दे रहे हैं—ऐसी स्थिति में क्या आप आशा करते हैं कि भारतवर्ष खेल जगत ओलंपिक्स में अच्छी तस्वीर लेकर आ सकेगा?

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : न केवल छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने बल्कि छात्रवृत्तियों की धनराशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है और विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका कहने का यह मतलब है कि आप इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जब आपने केन्द्र और राज्य स्तर पर 400 और 800 निर्धारित किया है तो......

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दोनों बातों का उत्तर दे दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने केन्द्रीय स्तर पर 800 और राज्य स्तर पर 400 निर्धारित किया है। परन्तु हम उस स्तर के 30 प्रतिशत तक ही पहुंच पाए हैं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं समझता हूं कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हम छात्रवृत्तियों की संख्या तथा इनकी धनराशि दोनों को ही बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस काम को जरा जल्दी से करें।

कुमारी ममता बनर्जी : पश्चिम बंगाल में छात्र और युवक अन्तर्राष्ट्रीय युवावर्ष को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय क्लबों में मनाने के इच्छुक हैं। परन्तु धन के अभाव में युवकों के इस वर्ग को अपने कार्य पूरा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने के अत्यन्त इच्छुक पंजीकृत क्लबों और ओलम्पिक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए स्थानीय क्लबों का गठन करने वालों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के लिए हमारी योजना भिन्न है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर अपेक्षित ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : मंत्री महोदय ने हमें छात्रों की संख्या बताई है। मैं जानना चाहती हूं कि इनमें छात्राओं की संख्या कितनी है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1984-85 में विश्वविद्यालय स्तर हर कुल 192 छात्रों में से महिलाओं की संख्या 99 थी और स्कूल स्तर पर लड़कियों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत थी।

श्री शांताराम नायक : चल रही विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार युवकों को स्थायी आधार पर सुविधाएं देने के लिए कोई केन्द्रीय कानून बनाने का है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : आपके विचार को नोट कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राव।

श्री सी० माधव रेड्डी : प्रश्न संख्या 466 के साथ प्रश्न संख्या 473 पर भी विचार किया जाए। उन दोनों का विषय एक ही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई आपत्ति है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमन्।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक नगर स्थापित करना

*466. श्री वी० सोमनाद्रीश्वरा राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए एक नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां वैज्ञानिकों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी; और

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस लाने हेतु प्रयास

*473. श्री प्रियरंजन दास मुंशी
श्री सी० माधव रेड्डी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में कार्य कर रहे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद भारत वापस आने की सोच रहे हैं बशर्ते कि उन्हें यहां कार्य करने की बेहतर सम्भावनाएं और आवास प्राप्त हों;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) हमारे दूतावास के माध्यम से उनके साथ हुई किसी बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कई वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) सरकार ने विदेश में बसे हुए भारतीय वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिकीविदों को इस देश में लौटने के लिए आकर्षित करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें से कुछ ये हैं :—

1. विज्ञान और प्रोद्योगिकी के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है और उपयुक्त सुविधाओं के साथ-साथ फैलोशिप और एसोसिएटशिप प्रदान की गई है ।

2. वैज्ञानिक "पूल" की स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिकीविदों की अस्थायी नौकरियों के लिए व्यवस्था है। कई मामलों में भारतीय संस्थानों में भारतीय वैज्ञानिकों की उनकी अनुपस्थिति में नियुक्तियों के लिए विचार किया जाता है।

3. विदेश से लौटने वाले वैज्ञानिकों को उपस्कर आयात करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

4. प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें उपयुक्त अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई स्कीमें हैं ।

5. नये वैज्ञानिक विभाग/संगठन जैसे—पर्यावरण विभाग, महासागर विकास विभाग, नव ऊर्जा स्त्रोत विभाग, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड आदि स्थापित किए हैं और इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं ।

6. वैज्ञानिक संस्थाओं को वैज्ञानिकों की कार्य की स्थितियों में सुधार करने के लिए वृद्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

(ग) दूतावासों के पास विभिन्न विषय शास्त्रों से सम्बन्धित प्रतिभावान वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के साथ विस्तृत वार्ताएं करने के लिए, तैयारी नहीं है ।

श्री सोमनाथेसवरा राव : हमारे हाल ही के बजट के जरिए उद्यमियों को अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने भी विदेशों में रह रहे लोगों से—चाहे वे भारतीय वैज्ञानिक है या इंजीनियर हैं—अपील की है कि वे भारत में आकर उद्योग स्थापित करें । इस बात पर मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार दिल्ली के निकट एक ऐसा नगर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जिसमें भारत वापस आकर उद्योग स्थापित करने के इच्छुक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें तथा जहां वे डी० आई० सी० जैसा एक संगठन खोल सकें, जिसके माध्यम से एक ही स्रोत से (सिंगल डोर) आधारभूत तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कर सकें ? क्या सरकार इस दिशा में कदम उठाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें अपने वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों और इंजीनियरों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । वास्तव में हमें वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों और इंजीनियरों में अन्तर स्पष्ट करना है । वैज्ञानिक तो सैद्धान्तिक पहलुओं पर काम करते हैं, प्रोद्योगिकों को विज्ञान के बारे में और इंजीनियरों को निर्माण आदि से संबंधित कार्यों पर काम करना है । हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और हम उन प्रस्तावों का अध्ययन कर रहे हैं । हम उनको सहायता दे रहे हैं जो यह चाहते हैं कि ये प्रौद्योगिकी नगर, प्रौद्योगिकी शहर या पार्क बनें । हमने उन्हें विभिन्न विभागों से सम्पर्क स्थापित करने के रूप में सहायता दी है ताकि वे सूचना प्राप्त कर सकें । हम उन राज्य सरकारों को भी कह रहे हैं कि जहां नगर बनाने के प्रस्ताव हैं, वहां उनकी सहायता करें और इस संबंध में अन्य सभी आवश्यक कार्य भी किए जा रहे हैं ।

श्री सोमनाथ्रीसवरा राव : केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनिवासी भारतीयों और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने की इच्छा के बावजूद इस सम्बन्ध में अत्यंत विलंब हो रहा है जिसके कारण भारत आने के इच्छुक लोगों के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अत: क्या भारत सरकार एक पृथक तंत्र बनाएगी जिसे इन लोगों की आवश्यकताओं के बारे में बताया जाएगा—वे अनिवासी भारतीय जो हमारे देश में कुछ करना चाहते हैं—और क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि वे इस मामले में कार्यवाही करें और इस सम्बन्ध में इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें ताकि इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और उद्योगों को मूर्तरूप दिया जा सके ? क्या सरकार ऐसे तंत्र की स्थापना पर विचार करेगी ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : ऐसे नगर विभिन्न राज्यों में—तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यो में भी—स्थापित करने का विचार है । अत: स्थानीय सरकारों को भी उनसे सम्पर्क स्थापित करना है । केन्द्रीय स्तर पर सरकार उन्हें सभी जरूरी सहायता दे रही है । कुछ ऐसी चीजें है जो वे चाहते हैं । वित्तीय संस्थानों को भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी कुछ चीजें जुटानी होंगी ।

नगरों की की स्थापना करने का मतलब है अनेक चीजें उपलब्ध कराना—आधार-भूत ढांचा, सड़कें, भवन, पानी के कनेक्शन बिजली, संचार सुविधाएं और अन्य ऐसी चीजें । अतः हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं परन्तु यह परियोजना ऐसी जिसमें विभिन्न स्तरों पर परस्पर सम्पर्क स्थापित करना होगा और हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि इन सभी समस्याओं को देख रहा है, की ओर से उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं यदि कोई इलेक्ट्रनिाक नगर बनाया जाना है तो इलेक्ट्रानिकी विभाग इन पहलुओं को देखेगा ही और हम उनकी सहायता करेंगे ।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या प्रौद्योगिक नगर की स्थापना करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

क्या भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में विदेशी धन, जो कि हम विगत से प्राप्त करते आ रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए विदेशी इंजीनियरों को आकर्षित करने की अपनी नीति बदली है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक पत्र मिला है और उसका ज्वाब माननीय मुख्य मंत्री को भेजा गया है। उसमें हैदराबाद के निकट प्रोद्योगिकी नगर या प्रौद्योगिकी शहर स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह बताया गया है कि उस नगर की स्थापना करने में 132 करोड़ रूपए की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने जानना चाहा है कि क्या इसके लिए वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार देगी ? हम उन्हें सहायता दे रहे हैं और उनका मार्ग दर्शन कर रहे हैं, उन्हें संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और यह आशा की जाती है कि जो प्रवासी भारतीय वापिस लौट कर आना चाहते हैं, वे इस नगर की स्थापना करने में अपनी प्रतिभा तथा अपना धन लगायेंगे और राज्य सरकारें आवश्यक भूमि दिलाने में उनकी सहायता कर सकती हैं तथा उन्हें बिक्री कर तथा अन्य चीजों में कुछ रिआयतें दे सकती हैं। इसलिए हमने उन्हें लिखा है कि हम उन्हें हर सहायता देंगे जहां तक धन का सम्बन्ध है, यह संस्थाओं से मिलेगा अथवा जो यहां आने के इच्छुक हैं, उनसे मिलेगा तथा राज्य सरकारों से मिलेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक तरफ सरकार का प्रस्ताव है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापिस लाया जाये और दूसरी तरफ इस देश से बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन अभी भी निरन्तर जारी है। विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को वापिस लाने के सरकार के प्रयास को देखते हुए क्या सरकार इस समय देश से प्रतिभा पलायन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने को तैयार है ? क्या सरकार प्रतिभा-पलायन को रोकने हेतु कदम उठाने के लिए तैयार है ताकि कम से कम इस समय विशेष रूप से देश में काम कर रहे वैज्ञानिक इस पर संतोष महसूस कर सकें ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह समस्या प्रायः ही सामने आती रहती है । इसकी सही परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी है। हमें बताया गया है कि हमारे पास भारत में लगभग 26 लाख वैज्ञानिक हैं। हमारे पास जो रिकार्ड है, और विभिन्न देशों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एजेन्सियों द्वारा तैयार किया जाया जो रिकार्ड है उस से पता चलता है कि हमारे लगभग 23,000 वैज्ञानिक विदेशों में हैं। यह संख्या अधिक भी हो सकती है । किन्तु यदि हम विदेशों में कार्यरत वैज्ञानिकों और देश में कार्यरत वैज्ञानिकों की तुलना की प्रतिशतता पर विचार करते हैं तो यह एक बहुत छोटी संख्या बनती है, लेकिन हमने यह सुनिश्चय करने के लिए सभी कदम उठाए हैं कि वैज्ञानिक बाहर न जायें। मैं उन कदमों के बारे में बता चुका हूं, जिन्हें हम पहले ही उठा चुके हैं। एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों से बाहर आने वाले वैज्ञानिकों को छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर उन्हें अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बात को देखने के लिए कि वे विभिन्न देशों से आने वाले वैज्ञानिकों से सम्पर्क स्थापित करें हम उन्हें विदेश जाने हेतु सुविधायें देते हैं और हमने उच्च

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई विभाग आरम्भ किए हैं। उदाहरणार्थ, जीव-प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, इलैक्ट्रानिकी का विकास हो रहा है। अणुनिक प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। ये नए विभाग देश में आरम्भ हो गए हैं। अब यहां दो बातें हैं : (1) कोई ऐसा काम करने की इच्छा जो लोगों के लिए लाभदायक हों; (2) धन तथा अन्य बातों के रूप में सहायता प्राप्त करना। इन दोनों क्षेत्रों में हम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और माननीय प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में काफी कुछ किया है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा और बताना चाहता हूं।

प्रतिभा पलायन को रोकने का वास्तविक तरीका यह है कि उन्हें पर्याप्त सुविधायें दी जायें; और वास्तव में प्रतिभा पलायन का अर्थ यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली किसी विशेष योग्यता और जानकारी वाले अधिक लोगों को तैयार कर रही है जिन्हें उद्योग तथा अनुसंधान विभाग नहीं खपा सकते हैं विकासशील राष्ट्र होने के नाते ऐसा आने वाले कुछ समय तक होता रहेगा लेकिन हमें इसके सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए और इसे प्रतिभा पलायन के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमने इसे रोकने के लिए जो काम किया है वह माननीय मंत्री बता चुके हैं। हमने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं और हाल ही में हमने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों में जान डालने हेतु कई कदम उठाए हैं, ताकि हम इन लोगों को उनमें खपा सकें। लेकिन वास्तव में हमें प्रतिभा पलायन को एक ऐसे बैंक के रूप में देखना चाहिए जिसमें हम लोगों को विदेशों में आगे के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, जिन्हें हम उस समय वापिस बुला सकते हैं जब हमारे देश में उनकी पूरी योग्यता का इस्तेमाल करने की सुविधायें उपलब्ध हो जायें और ज्यों-ज्यों हम अनुभव प्राप्त करेंगे तथा तरक्की करेंगे, तब ऐसा वातावरण बनेगा कि बहुत से लोग वापिस आयेंगे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने किसी को खो दिया है बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम उन्हे और अधिक अनुभव प्राप्त करने हेतु विदेश भेजते हैं ताकि वे हमारी बेहतर सेवा कर सकें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि हम अवश्यकता से अधिक लोगों को तैयार कर रहे हैं। किन्तु अब हम बड़े पैमाने पर उस प्रौद्योगिकी का आयात करते आ रहे हैं जो हमारे पास देश में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उन लोगों को जो बाहर जा रहे हैं देश में खपाने हेतु कोई उचित योजना बना रहे हैं और क्या इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पहले ही बता दिया है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी इसका आयात करना होता है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें इसकी और जरूरत है, यह काफी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वे इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें यहां सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

श्री राजीव गांधी : सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक समयबद्ध कार्यक्रम रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत।

विदेशी कम्पनियों द्वारा इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करना

*467. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान विदेशी कम्पनियों ने स्वयं अथवा भारतीय कम्पनियों के साथ साम्यापूंजी में भागीदारी के साथ इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी कम्पनियों और प्रस्तावित उद्योगों का ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) 40 प्रतिशत अथवा अधिक की विदेशी साम्यापूंजी (इक्विटी) वाली जिन कम्पनियों को वर्ष 1984-85 में अनुमोदन जारी किए गए हैं उनकी सूची नीचे दी गई है।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	स्थापना स्थल
1	2	3
1.	मेसर्स डेटाप्रो कान्सलटेन्सी सर्विसेज	सांताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र, (सीप्ज) बम्बई
2.	मेसर्स कम्प्यूटर ऑटोमेशन (इंडिया) लिमिटेड	सीप्ज, बम्बई
3.	मेसर्स डेटा स्टोरेज टेक्नालाजी	सीप्ज, बम्बई
4.	मेसर्स साफटेक सिस्टम्स	सीप्ज, बम्बई
5.	डॉ० भूपेन्द्र कुमार मोदी	सीप्ज, बम्बई

1	2	3
6.	मेसर्स स्ट्रेटा सर्च साहपुरजी प्राइवेट लिमिटेड	सीप्ज, बम्बई
7.	मेसर्स एसोसिस्टेड साफटवेयर कम्पनी	सीप्ज, बम्बई
8.	श्री जी० के० पिल्ले	मद्रास इलेक्ट्रॉनिकी संसाधन क्षेत्र मद्रास
9.	मैसर्स अमृत जे० पटेल	तहसील वेतवा (जी० आई डी० सी०) (औद्योगिक क्षेत्र) जिला—अहमदाबाद राज्य—गुजरात
10.	श्री बलवीर सिंह बजाज	तहसील वीरासारद्रा जिला—बंगलौर राज्य—कर्नाटक
11.	मेसर्स रिलायन्स सिस्टम्स प्रा० लि०	तहसील—नई दिल्ली जिला—नई दिल्ली राज्य-संघ राज्य क्षेत्र
12.	श्री एम० के० चौधरी	तहसील—नोएडा जिला—गाजियाबाद राज्य—उत्तर प्रदेश
13.	मेसर्स रेलको इंडिया (प्रा०) लिमिटेड	तहसील—ओमालूर जिला—सालेम राज्य—तमिलनाडु
14.	मेसर्स सारेन ट्रोनिक (इ) प्रा० लिमिटेड	तहसील—गांधी नगर जिला—गांधी नगर राज्य—गुजरात
15.	मेसर्स नीलगिरीज टेक्नोलॉजी पार्क	तहसील—कोटागिरी

1	2	3
		जिला—नीलगिरी राज्य—तमिलनाडु
16.	मेसर्स हैदराबाद टेक्नोलॉजी	तहसील—राजेन्द्र नगर जिला—रंगा रेड्डी राज्य—आन्ध्र प्रदेश
17.	मेसर्स सीमेन्स (इंडिया) लि०	नासिक, महाराष्ट्र
18.	मेसर्स टाटा बरोज लिमिटेड	पिविम औद्योगिक क्षेत्र, गोवा संघ राज्य क्षेत्र
19.	मेसर्स जी० के० डब्लू० लिमिटेड	उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र

*आशय पत्र इस शर्त पर जारी किया गया है कि विदेशी साम्य-पूंजी को घटाकर 49 प्रतिशत से कम किया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार और प्रधानमंत्री के प्रयासों से इलैक्ट्रोनिक और इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री के महत्व के विषय में लोगों में काफी जागरुकता आई है और कुछ विदेशी कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिए गए हैं, इनको लेकर अखबारों में जो कुछ टिप्पणियां छपी हैं और दूसरे समाचार छपे हैं उनमें कहा गया है कि जिन कम्पनियों को ये लाइसेंस दिए गए हैं उनमें से अधिकांश कम्पनीज या तो एम० आर० टी० पी० कम्पनीज हैं अथवा ऐसी कम्पनीज है जिन्होंने विदेशी कम्पनीज के सहयोग से यहां पर उद्योग लगाने का प्रयत्न किया है। वे विदेशी कम्पनीज डैवलपिंग कन्ट्रीज में या अपने देश में तो पुरानी पड़ी हुई टैक्नोलोजी को यूज करने के मामले में एकदम चुपचाप बैठी हैं और उन कम्पनीज के विषय में यह भी धारणा प्रकट की गई है कि ये तमाम विदेशी कम्पनियां हैं और उन देशों में जहां ये अपनी टैक्नोलोजी को यूज करती हैं, उन देशों के औद्योगीकरण के अलवा दूसरे मायनों में भी ये इंटरैस्ट लेती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या देश में कुछ एम० आर० टी० पी० अथवा फेरा कम्पनीज को इलैक्ट्रानिक उद्योग लगाने के लाइसेंस दिए गए हैं और विदेशी कम्पनीज के साथ ईक्विटी शेयर्स के बेसिस पर जो लाइसेंस दिए गये हैं, उनमें कितना परसेंट विदेशी कम्पनीज का ईक्विटी शेयर है। इस समय जो कुछ परसेंटेज निर्धारित की गई है, उसको और घटाने का सरकार विचार रखती है और जिन कम्पनीज को ईक्विटी शेयर के आधार पर इण्डियन कम्पनीज के साथ कोलेबोरेट करने दिया गया है, क्या उन कंपनियों की बोनाफाइडी और उनकी पोस्ट हिस्ट्री के विषय

में सरकार ने अच्छी तरह से जानकारी कर ली है ताकि हम आश्वास्त हो सकें कि वह कंपनीज देश में केवल इंडस्ट्री में ही रुचि लेंगी उसके अलावा किसी और क्षेत्र में रुचि नहीं लेंगी ? और

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिये, इस तरह तो सारा लूज कर जायेंगे, न सवाल होगा।

श्री हरीश रावत : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एम० आर० टीं० पी० एक्ट के अन्तर्गत आने वाली कंम्पनीज को भी इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री लगाने के लाइसेंसेज दिये गये हैं, यदि दिये हैं तो उनका बेसिस क्या है ? जब कि इस प्रकार की मांग कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्ज ने भी की है तो उनके क्लेम को ओवर रूल कर के एम० आर० टी० पी० और फैरा एक्ट के अन्तर्गत आने वाली कंम्पनीज को क्यों लाइसेंस दिये गये हैं? और

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर बताना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरीज करने का एक तरीका होता है, वह अध्ययन कर के आइये,उसे सीखिये

[अनुवाद]

मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप स्वंभाषण ही दिये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वी० पाटिल : इनका सवाल यह था...

अध्यक्ष महोदय : आप भी छोटा जवाब दीजिये। इसका भी मुझे शक है कि सवाल था या नहीं।

श्री शिवराज वी पाटिल : कि 1984-85 में फारेन कम्पनीज को कितने लाइसेंस दिये गये हैं? हमने यहां 19 कम्पनींज के नामों की सूची दी है। उनमें से 16 कम्पनीज एक्सपोर्ट परपजेज के लिये और एक्सपोर्ट एरियाज में हैं 100 परसेंट एक्पोर्ट का उनके एक्स्पैक्टेशन है। बाकी की 3 कम्पनीयों को भी 40 परसेंट इक्विटी कम करने के लिये कहा गया है। इसमें एक कम्पनी को एस० आई० ए० की तरफ से कम करने के लिये नहीं कहा गया है क्योंकि कानून में वह जरूरी नहीं है।

हम प्रयास करते हैं कि नई नई टैक्नोलाजी यहां डेवलप हो, या बाहर से जो आवे वह यहां डेवलप हो हम उसका यूज करते हैं।

सवाल यह है कि जो कम्पनियां आती हैं, वह क्या कर रही हैं वह कम्पनीज यहां आकर प्रोडक्शन कर रही हैं, टैक्नोलाजी ला रही हैं और हम ले रहे हैं। वह क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से नजर रखना जरूरी होता है और वह गवर्नमेंट का प्रोसीजर फालो होता रहता है। हमारा प्रयास यह है कि जो नई टैक्नोलाजी बाहर बन रही है, वह

वहां पर हमको भी आसानी से मिले, हम उसका यूज करें और अपने यहां प्रोडक्शन करें

श्री हरीश रावत : सरकार ने इलैक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए जो भी प्रयास किये हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रिमोट, बैकवर्ड और हिली एरियाज हैं और उन क्षेत्रों की क्लाइमेटिक कंडीशन इस प्रकार की है कि वहां सिर्फ इलैक्ट्रानिक उद्योग ही लग सकते हैं और एन्वायर्नमेंट के प्रीजरवेशन के लिए भी उस क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक उद्योग लगाना जरूरी है मैं जानना चाहता हूं कि जो लाइसेंस दिये गये हैं, उसमें से भी और भविष्य में भी, क्या इन पर्वतीय और ट्राइबल एरियाज में इलैक्ट्रानिक उद्योगों के विस्तार की सरकार की कोई योजना है? यदि है, तो किस प्रकार की है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : यह सरकार को ज्ञात है कि ऐसा किया जाता है।

[अनुवाद]

जिस प्रकार शरीर के लिए स्नायु तंत्र होता है उसी प्रकार उद्योगों के अथवा आर्थिक विकास के लिए इलैक्ट्रानिक तन्त्र है

[हिन्दी]

यह ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से, खासतौर से प्रधान मंत्री जी की तरफ से नई पालिसीज यहां रखी गई हैं, इसके साथ-साथ यह ध्यान किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर पहुंचे और जो नई पैकेज ऑफ पालिसी दी गई है, उसके अन्दर यह बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ले जाने के लिये खास कदम उठाये जायें और उसके पश्चात इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो नई पालिसी हाल में ही दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि सबसिडी का सीलिंग है, पर्वतीय क्षेत्रों में दूसरी इंडस्ट्री के लिए वह 25 लाख टर्न का है, मगर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए यह सीलिंग बढ़ाकर 50 लाख का बनाया गया है। इतनी बड़ी सुविधा देने की वजह से इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पर्वतीय क्षेत्र और ट्राइबल एरियाज में जायेगी, ऐसा हम समझते हैं।

दूसरी जो सुविधायें हैं, इसके सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट की मदद से और हमारी मदद से हम धन का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य हमेशा यह सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए उसका ध्यान करके ही यह पालिसी बनायी है।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौर : पत्रिकाओं के माध्यम से सी॰ आई॰ ए॰ के कार्य के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, उससे पता चलता है कि सी॰ आई॰ ए॰ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से

सभी विकासशील देशों में अपना जाल फैलाती जा रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार यह पता लगाने हेतु सावधानी बरत रही है कि क्या इन विदेशी एजेन्सियों की हमारे देश में भी ऐसी दिलचस्पी है अर्थात् क्या वे सी० आई० ए० एजेन्ट के रूप में कार्य कर रही हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे लिये इलेक्ट्रानिकी विभाग अथवा वैज्ञानिक विभाग के मार्फत यह बताना बहुत कठिन होगा कि कौन सी कम्पनी बाहरी देशों के किस अवांछित संगठन से संबंधित है। जहां तक संभव हो हम तो देखने की कोशिश करते हैं कि केवल वही काम हो जो अधिक विकास के लिए सहायक हों हमें यह देखना होगा कि हम अपने दरवाजे उन नई बातों के लिये पूर्णतः बन्द नहीं कर सकते हैं जो विश्व में हो रही हैं। हमें लेना भी लेना भी होगा और देना भी होगा। ऐसा होता रहेगा। हमें नए क्षेत्रों में विकास के हितों तथा साथ-साथ देश के हितों को संतुलित रखना होगा।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं उसमें यह कहना चाहूंगा कि हम इस प्रकार की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखते हैं और भारत में इस प्रकार की किसी गतिविधि की अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों, जैसे कर्नाटक के कोलार और बीदार जिले तथा देश के अन्य भागों में इलैक्ट्रानिक पर आधरित उद्योग लगाने का विचार बनाया है।

अध्यक्ष महोदय : इस उद्योग का सूखे से क्या सम्बन्ध है ?

डा० वी० वेंकटेश : मैं सूखाप्रवण क्षेत्रों में एक इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित किये जाने के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार का उद्देश्य इस बात की ओर ध्यान देने का है कि उद्योग का प्रसार पूरे देश में एक समान हो। उद्योग मन्त्रालय ने एक नीति बनाई है जिससे उद्योग रहित क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो उद्योग का कर्नाटक के बीदार या कोलार जिले में पहुंचना सम्भव हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री महाजन आज बहुत ही उत्सुक दिखाई पड़ते हैं।

श्री वाई० एस० महाजन : महोदय, सोवियत संघ ने इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास में रुचि दिखाई है और वर्ष 1982 में उनके साथ हमारा तीन वर्ष के लिए समझौता हुआ था। क्या उस समझौते का नवीकरण किया गया है और सोवियत संघ के साथ उक्त सहयोग के क्या परिणाम निकले हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, जिस देश से भी संभव होता है हम सहायता लेते हैं और जिस देश के साथ सम्भव होता है हम सहयोग करते हैं। समझौते के अन्तर्गत हमें कुछ कम्प्यूटर आयात करने थे और हमारे द्वारा आयात किए गए कम्प्यूटरों के बदले में उस देश को हम पुर्जे भेजने के लिए सहमत हुए थे। इस समझौते के बारे में इस समय मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पूरी जानकारी दे दूंगा।

माही सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

***468. श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की परामर्शदात्री समिति ने मध्य प्रदेश में माही सिंचाई परियोजना को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) क्या योजना आयोग पूंजीनिवेश के दृष्टिकोण से इस योजना पर अग्रेत्तर विचार कर रहा है; और

(ग) क्या योजना आयोग का विचार राज्य योजना के अंतर्गत इस परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) योजना आयोग ने राज्य सरकार को स्कीम की मन्जूरी की सूचना 1 जनवरी, 1985 को भेज दी है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह योजना जो 27 करोड़ की थी अब 61 करोड़ की हो गई है, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह योजना कब तक चालू हो जायेगी और कब तक पूरी कर दी जायेगी तथा उसके लिए धन कहां से उपलब्ध करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई खास पूछने वाली बात नहीं है। योजना मन्जूर हो गई है तो चालू भी हो जायेगी और धन भी सरकार देगी ही।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। यदि इस योजना के लिए धन नहीं मिला तो वह वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी।

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : परियोजना की कुल अनुमानित लागत 61.52 करोड़ रुपये थी। यद्यपि योजना आयोग ने इस परियोजना को मन्जूरी प्रदान कर दी है परन्तु योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच बातचीत के जरिए अन्तिम अभी अन्तिम रूप से सहमति होनी बाकी है क्योंकि यह मन्जूरी इस शर्त पर दी गई हैं कि राज्य सरकार को इस परियोजना के निष्पादन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करना होगा।

दूसरी बात यह है कि इस योजना के पूरा होने में 8 से 10 वर्ष लगेंगे। यह आरम्भ में निर्धारित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या इस योजना के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक के पास भेजा गया है? मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है? क्या भारत सरकार इस योजना के लिए पैसा देगी या वर्ल्ड बैंक से पैसा आयेगा तब इस योजना को चालू किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री आर० के० नारायणन : अनेक योजनाओं में से यह भी एक योजना है जिसके लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई गई है, वास्तव में मूल्यांकन समिति विश्व बैंक को सिफारिश करने के लिए सहमत हो गई है और हम इसका पूर्ण विवरण विश्व बैंक को पहले ही भेज चुके हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कितनी मध्य और बड़ी सिंचाई योजनाएं योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी हैं?

श्री के० आर० नारायणन : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई है उनकी संख्या काफी अधिक हैं और इनमें से अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो पूरी सूची मैं बाद में भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माही सिंचाई परियोजना में राजस्थानन का भी हिस्सा है—इसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने राजस्थान का शेयर तय कर दिया है और उसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से बातचीत करके इस स्कीम को

चलाने की कोशिश की है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : माननीय सदस्य जानते हैं कि इसके लिये अलग से प्रश्न पूछने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस परियोजना में हमारा भी हिस्सा है। मैं यह बात इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि कल आपने केवल एक स्टेट का ही नाम लिया था।

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि उनके राज्य के प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : व्यास जी आपका हिस्सा कटने नहीं देंगे।

दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लिए गश्ती दल

*469. श्री शांति धारीवाल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं में अधिकतम दुर्घटनाएं चौराहों पर होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लिए कोई गश्ती दल का गठन किया है;

(घ) यदि इस समय कोई दस्ता मौजूद नहीं है तो क्या सरकार ऐसे गश्ती दस्तों का गठन करेगी; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान माह-वार ऐसे कितने चालकों का चालान किया गया है ?

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) और (घ) यातायात विनियमों को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने चलते-फिरते यातायात गश्ती दल तैयार किए हैं, जिनमें 138 मोटर साइकिलें और 6 जीपें हैं । हाल में रिंग रोड पर, यातायात गश्ती ड्यूटी के लिए 6 हाई पावर मोटर साइकिलें लगाई गई हैं ।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यातायात अपराधों के लिए जिन व्यक्तियों का चालान किया गया, उनके महीने-वार आंकड़े इस प्रकार है:—

महीना	1982 कुल चालान	1983 कुल चालान	1984 कुल चालान
जनवरी	18413	15083	30173
फरवरी	26453	23279	31359
मार्च	36019	25618	35691
अप्रैल	29684	31047	30488
मई	31846	31443	32737
जून	33135	47282	31760
जुलाई	30411	30215	34211
अगस्त	24408	31096	32791
सितम्बर	20794	29425	30359
अक्तूबर	16548	30285	30618
नवम्बर	11952	20193	20262
दिसम्बर	12354	27495	31998

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़कों पर जेबरा क्रासिंग हैं जिनके 30-40 फुट की दूरी पर रेड लाइट वाले पोल लगे हुए हैं। लेकिन जो वाहन चालक हैं वे इन जेबरा क्रासिंग से रेड लाइट होने पर भी गुजर जाते हैं और रेड लाइट के पोल तक पहुंच जाते हैं। उसी समय पर ग्रीन लाईट हो जाती है। इससे सड़कों पर सब से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनको रोकने के क्या उपाय किए गए हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसके लिए पेट्रोलिंग की जाती है और ट्रेफिक के लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि जो ट्रेफिक रूल्स को वायोलेट करते हैं

उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। जो चालान के नम्बर आपको दिए हैं उनसे आप इसका अन्दाजा कर सकते हैं।

श्री शांति धारीवाल : चालान के नम्बर तो आपने दिए हैं लेकिन इनसे यह पता नहीं चलता कि जेबरा क्रासिंग की दुर्घटना के लिए कितने आदमियों का चालान किया गया।

श्री एस० बी० चव्हाण : अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जेबरा क्रासिंग पर रूल्स के वायोलेशन के लिए कितने लोगों को प्रोसीक्यूट किया गया तो इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

श्री शांति धारीवाल : ये हैवी ट्रक वाले अपनी सीमा से भी तेज रफ्तार पर वाहन चलाते हैं। इनकी स्पीड को रोकने का या कम करने का सरकार की ओर से क्या कोई उपाय नहीं किया जा रहा है? दिल्ली में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां बच्चों के स्कूल हैं और उन पर अक्सर बच्चे सड़क पार करते दिखाई देते हैं—जैसे कि मन्दिर मार्ग है। वहां पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से वाहन चलते हैं। विलिंग्डन, नार्थ एवेन्यू, गोल डाकखाना के पीछे बहुत तेजी से वाहन चला करते हैं और ऐसी जगहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या सरकार का कोई इरादा है कि ऐसी जगहों पर अण्डरग्राऊंड लेन या ओवरब्रिज बनाएं जाएं?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक ओवर स्पीडिंग का सवाल है, तो अलग-अलग प्वाइन्ट पर रडार लगाए गए हैं। दिल्ली की तरफ एक नई चीज की गई है कि उसने रडार गैस भी इसमें शामिल कर लिये जिससे कि ऐसे केसिज डिटेक्ट हो सकें और जो भी स्पीडिंग के लिए काम करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की जाएगी।

दूसरा सवाल आपने पूछा है कि जहां पर स्कूल हैं और वहां पर ट्रैफिक चलता है, ऐसी जगहों पर हमने स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। जहां पर इस बात की आवश्यकता लगेगी कि वहां पर तहखाने में से कोई रास्ता निकाला जाए तो उस पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सोचेगा। उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, इन यातायात नियमों का उल्लंघन सबसे अधिक डी० टी० सी० बसों के ड्राइवर करते हैं। इन बसों के जो ड्राइवर एक दूसरे से ही नहीं बल्कि कारों से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष कदम उठाने चाहिएं, उन्हें अनुदेश दिए जाने चाहिए तथा इनको दण्डित किया जाना चाहिए। डी. टी. सी. की बसें एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करती हैं और इस प्रकार वे यात्रियों तथा पैदल यात्रियों के लिए संकट उत्पन्न करती हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत

हूं और इसी वजह से डी. टी. सी. बस ड्राइवरों के इतनी अधिक संख्या में चालान काटे गए हैं। अत: हम सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने के प्रयास कर रहे हैं। परन्तु उल्लंघन होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री नारायण चौबे : महोदय, जो पहला अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था वह यह है हम यह सुनिश्चित क्यों नहीं करते कि जेबरा क्रासिंग से पहले लाल बत्ती लगी हो ताकि लोगों को पता लग सके और बसें जेबरा क्रासिंग से पहले रुके। होता यह है कि लालबत्ती आगे होती है और मान लो कि हरी बत्ती भी है तो बसें अनिवार्य रूप से जेबरा में प्रवेश करती हैं और लोगों को असुविधा होती है। प्रशासन के लिए यह सम्भव क्यों नहीं है कि लाल बत्ती और हरी बत्ती जेबरा लाइन से पहले ही लगादी जायें।

श्री एस० बी० चह्वाण : इस बात को छोड़कर कि जेबरा क्रासिंग लाइन लाल बत्ती और हरी बत्ती से आगे हैं या पीछे, यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियमों का पालन अत्यन्त आवश्यक है। कई बार पैदल यात्री भी बहुत जल्दी में होते हैं और वे यह जानते हुए भी कि यातायात के लिए हरी बत्ती हो गई, जेबरा क्रासिंग को पार करने की कोशिश करते हैं। अत: अनेक बातें होती हैं। अत: कड़ी निगरानी की जानी चाहिए ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चह्वाण साहब, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन ड्राइवरों को जब लाइसेंस दिया जाता है तो उनको रूल्स का पता होता है क्या ?

[अनुवाद]

सबसे कमजोर बात यही है।

[हिन्दी]

इसका बंदोबस्त करिए, उनको बिल्कुल पता नहीं होता, कब आना है, कब जाना है।

श्री विजय एन० पाटिल : मेरे ख्याल से चालान करने वाले भी थोड़ा घबराते हैं। जो फिगर्स दिए गए हैं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा चालान दिल्ली में हो सकते हैं और जो रैड लाइट की बात की गई है, लोग रैड लाइट को आब्जर्व नहीं करते और रैड-लाइटलगी होती है, फिर भी लोग क्रास कर जाते हैं। दूसरा जो आईलैण्ड्स हैं, आईलैण्ड्स की जगह लाइट सिग्नल्स लगाए जाएं तो अच्छा रहेगा। विलिंगडन क्रिसेंट में अगर आप देखेंगे, विलिंगडन हास्पीटल के पास शाम को चार बजे से 6 बजे तक 4-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं, इससे पुलिस का खर्चा भी ज्यादा आता है और ट्रैफिक कंट्रोल भी ठीक से नहीं हो पाता। क्या मंत्री जी आईलैण्ड्स निकलवाकर वहां पर लाइट सिग्नलस लगवाने का प्रावधान करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, कार्यवाही के लिए एक सुझाव है, जिसकी उचित ढंग से जांच करनी पड़ेगी।

17 अप्रैल, 1985 को होने वाली सदन की बैठक के लिए इंडियन रेयर अर्थ्स फैक्टरी का विस्तार

*470. श्री एन० डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी जिले के मानावालाकुरिची में कुछ अतिरिक्त फैक्टरियां लगा कर इंडियन रेयर अर्थ्स फैक्टरी का विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एन० डेनिस : महोदय, इस फैक्टरी के आवश्यक मूल आधारभूत कच्चा माल इल्मेनाइट कन्याकुमारी जिले के समुद्र तटीय क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। 75 हजार टन इल्मेनाइट का प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात किया जाता है जहां इसको प्रोसेस करके इसे बहुमूल्य टीटेनियम डायोक्साइड, टीटेनियम धातु और अन्य उत्पादों में बदला जाता है। इन परिष्कृत उत्पादों का पुनः भारत में आयात किया जाता है।

आधारभूत सुविधाओं, प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता और हमारे देश में परिष्कृत माल की अधिक मांग को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए कन्याकुमारी जिले में प्रोसेसिंग टीटेनियम डायोक्साइड टीटेनियम धातु और अन्य उप-उत्पादों के निर्माण के लिए एक टीटेनियम फैक्ट्री स्थापित की जाएगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मुझे बताया गया है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक रेत उस क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमने खनन कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया है, फिर भी कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस बाधा के कारण उस क्षेत्र में कार्य का विस्तार नहीं किया जा सकता। इस सामग्री के लिए हम अन्य स्थानों पर कदम उठा रहे हैं।

श्री एन० डेनिस : उपलब्धता के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि कन्याकुमारी में सबसे अधिक 57 मिलियन टन इल्मेनाइट का भण्डार उपलब्ध है जबकि उड़ीसा और केरल में केवल 33 मिलियन टन भण्डार उपलब्ध है। केरल और उड़ीसा में ये फैक्टरियां स्थापित की गई हैं।

इससे पहले दो बार इस सदन में यह उत्तर दिया गया था कि इस क्षेत्र में टीटेनियम फैक्टरी की स्थापना के लिए गैर सरकारी उद्योगपतियों को अनुमति दी गई है।

अतः सरकार ने कन्याकुमारी जिले में टीटेनियम का कारखाना स्थापित करने की

आवश्यकता को समझ लिया है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार कन्याकुमारी जिले में टिटेनियम का कारखाना स्थापित करने के लिए आगे आएगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : पिछली लोकसभा में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने इसका काफी विस्तार पूर्वक उत्तर दिया था। अब वह रिपोर्ट, जो इस समय मेरे पास उपलब्ध है और जो विशेषज्ञों ने दी है, यह दिखाती है कि उस क्षेत्र में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमने इस प्रयोजन के लिए कारखाना अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : केरल राज्य के क्विलोन जिले में चावरा के समुद्र तट पर मोनाजायट और इल्मेनाइट रेत संभवत: विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं । सबसे पहले लगाए गए आई० आर० ई० कारखानों में से एक यहां स्थापित किया गया था। इस कारखाने का विस्तार करने और इस क्षेत्र में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के अनेक प्रस्ताव थे। लेकिन दुर्भाग्य से, मौजूदा कारखाने के कुछ अधिकारियों और श्रमिक यूनियनों की गुटबंदी में अंतग्रस्त कुछ विपक्षी राजनीतिज्ञों के बीच साठ गांठ के कारण केरल ऐसे कुछ कारखानों से वंचित हो रहा है और वे उड़ीसा तथा तमिल नाडु जैसे उन राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं । जहां पर्याप्त अयस्क नहीं है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं और पूछता हूं कि क्या मंत्रालय को क्विलोन जिले में आई० आर० ई० कारखाने में हो रही घटनाओं की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह अनुरोध है तो उसे स्वीकार किया जाता है ; और यदि यह प्रश्न है तो मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह कारखाना स्थापित करने के बारे में है । जहां तक प्रशासन की खामियों का सम्बन्ध है, मैं स्वयं इनकी छानबीन करूंगा और यदि मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं निश्चय ही उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री जगन्नाथ राव : मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर, उड़ीसा में इलमेनायट का एक कारखाना है। क्या वहां टिटेनियम का कारखाना स्थापित करने अथवा उस स्थान से कंसट्रेंट का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपको इस के लिए मुझे सूचना देनी पड़ेगी।

श्री ए० चार्ल्स : त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी के सर्वाधिक निकटवर्ती स्थान है । हमारे पास वहां टिटेनियम का कारखाना है जो स्वाधीनता प्राप्ति से पहले प्रारंभ किया गया था। यह बड़े दु:ख की बात है कि गत पचास वर्षों से उस उद्योग में कोई विकास नहीं किया गया है। वहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वहां उस उद्योग के विकास के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस प्रकार का उद्योग कुछ विशेष प्रकार का उद्योग होता है। मैं ठीक से यह नहीं कह सकता कि क्या हम इस प्रकार के उद्योग स्थापित करके उद्योग रहित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की अवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। निःसन्देह, यदि यह संभव होगा, तो यह किया जाएगा। यदि यह संभव नहीं है तो इसे नहीं किया जा सकता।

कम्प्यूटरों का निर्यात

*471. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा अन्य देशों को कम्प्यूटरों का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किए जाने वाले कम्प्यूटरों का ब्यौरा क्या है और निर्यात करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) देश में कम्प्यूटरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इसे देश में जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचाया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी, हां।

(ख) सूक्ष्म एंव जटिल किस्म के चौथे सोपान की कम्प्यूटर प्रणाली के डिजाइन तथा विकास के लिए किए गए अनुबंध के अन्तर्गत मैसर्स प्रोसेसर सिस्टम्स (इ) लिमिटेड कम्प्यूटरों का डिजाइन तैयार करेगा उनका विकास-कार्य करेगा तथा जापानी फर्म को कम्प्यूटर के के प्रोटोटाइप (आदिप्ररूप) का निर्यात करेगा। इस कार्य में यंत्रसामग्री (हार्डवेयर) तथा यंत्रेतर सामग्री (सॉफ्टवेयर) दोनों का ही विकास कार्य शामिल है। डिजाइन तथा विकास कार्य के क्षेत्र तथा इन कम्प्यूटर प्रणालियों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं।

(1) कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षा प्रणाली के लिए 32 बिट के दो मुख्य पोषक कम्प्यूटर तथा 80 टर्मिनल जिनमें स्मृति (मेमोरी) माड्यूल डिस्क नियंत्रक माडयूल एल० ए० एन० मडायूल, टर्मिनल मडायूल, ध्वनि संश्लेषक माडयूल, आदि की व्यवस्था होगी।

(2) प्रचालन प्रणाली साफ्टवेयर

(3) कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षा प्रणाली के लिए साफ्टवेयर मेसर्स हिन्दूस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड नोएडा ने सिंगापुर को कम्प्यूरों को निर्यात किया है। यह कम्प्यूटर

स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर आधारित प्रणाली है जिसमें स्थानीय रूप से विकसित नेटवर्क साफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है।

(ग) भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा 19 नवम्बर, 1984 को घोषित नई कम्प्यूटर नीति तथा 21 मार्च, 1985 को घोषित एकीकृत नीति का उद्देश्य देश में कम्प्यूटर उद्योग को बढ़ावा देना है तथा कम लागत वाले कम्प्यूटरों का उत्पादन बढ़ाना है।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या हमारा देश टैक्नोलाजी की दुनिया में एडवान्स देश माना जाता है। यू० एस० और यू० एस० एस० आर० के बाद ही हमारे देश के साइन्टिस्ट्स भी दुनिया में माने गए हैं। यहां पर लेबर कास्ट भी बहुत कम है। कम्प्यूटर जो यहां पर बनाए जा रहे हैं या कोई भी यांत्रिकी को हम स्वीकार कर रहे हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स हमारे देश में बनाए जाएं। उसके मूल्य, क्वालिटी और क्वान्टीटी के लिए एक अच्छी नीति अपनाने के लिये क्या हम गवर्नमेंट की एजेंसी को ज्यादा प्रावधान देंगे ताकि हमारे देश में ही सभी पार्टस बनाए जाएं। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह बात सही है कि इलैक्ट्रोनिक्स टैक्नोलाजी देश में और संसार के अन्दर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। हमारे देश के लिए भी यह जरूरी है कि हम उसके साथ-साथ चलें। हाल ही में हमने गवर्नमेंट में की तरफ इसके सम्बन्ध में बहुत सारे कदम उठाये हैं ताकि में देश में इलैक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। पिछले साल नवम्बर महीने में कम्प्यूटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न किये गए और हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरे देशों में कम्प्यूटर भेजने के लिए भी हमने एक नई पौलिसी बनाई और इस साल भी हमने एक पैकेज आफ पौलिसी देश को दी है। उसकी मदद से हम इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक मैनपावर का सम्बन्ध है, उसकी हमारे पास कमी नहीं है। इलैक्ट्रानिक मैनपावर हमारे पास है और जिनको कम्प्यूटर के बारे में ज्ञान है उनको भी हम इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो मैटीरियल इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, उसको देश में ही निर्माण करने के लिए भी हम नीति बना रहे हैं, कुछ पौलिसी स्टैप्स ले रहे हैं। उसके बाद कम्पोनैन्टस बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे, कदम उठायेंगे। जहां से भी हमें नई टैक्नौलोजी मिलती है, वहां से लाकर अथवा अपने ही देश में बनाकर, इस इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री का विस्तार करने की हम कोशिश करेंगे और इसमें कम्प्यूटर भी शामिल है। जो बात माननीय सदस्य ने यहां रखी है, उसको ध्यान में रखते हुए, बहुत इलैबोरेट और पैकेज आफ पौलिसी स्टेटमैंट हमने उनको दिया है, यदि इसके अतिरिक्त किसी और कापी की आवश्यकता होगी तो वह भी दिए जा सकते हैं।

श्रीमती उषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरी सप्लीमेंटरी यह पूछना चाहती हूं कि हमारे लोगों के दिल में आज एक भावना पनपती जा रही है और मैं माननीय मंत्री

को और खासकर राजीव जी के सामने उसको रखना चाहती हूं कि कम्प्यूटर प्रणाली को स्वीकार करके जहां हमने एक नये युग में पदार्पण किया है और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमने कोई नई यंत्रीकरण पौलिसी अपनाई या कोई दूसरा विचार ग्रहण किया तो धीरे धीरे आगे चलकर हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। वैसे तो मैं नई पौलिसी अपनाने के लिए, देश में औद्योगीकरण की बढ़ने की दिशा में उठाये गये कदमों की प्रशंसा करती हूं और उनके लिये मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को बधाई देती हूं क्योंकि लोगों ने उनका स्वागत किया है यह बात सच है कि प्रशासन में कुशलता और क्रियाशीलता बढ़ने में इससे हमें काफी मदद मिली है लेकिन इसके साथ-साथ यह बात भी है कि हमारे देश में अनएम्प्लायमेंट का का सवाल थोड़ा बढ़ा है। यदि सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का उपयोग किया जाने लगा, हमने ज्यादा हद तक उसको अपनाया, स्वीकार किया तो कल जा कर कहीं ऐसा न हो कि हमारे सामने एक नई समस्या उठ खड़ी हो। इसलिए मैं मंत्री जी से, खास कर प्रधान मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि भविष्य में कम्प्यूटर प्रणाली को अपनाने से हमारे समाज पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, क्या इसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक श्रीमन् माननीय सदस्या के सवाल के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहमत हूं परन्तु दूसरे हिस्से के सम्बन्ध में इतना कहना चाहूंगा कि कम्प्यूटर के उपयोग से, जैसी उनकी धारणा है कि एम्प्लायमेंट पोटेंश्यल में कुछ कमी हो जाएगी, मैं उनसे बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि वैसा नहीं होगा। हम ऐसा मानते हैं और यह हमारी धारणा है कि यदि हम कम्प्यूटर का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ाते हैं तो उससे हमारा काम बढ़ेगा, काम अच्छा होगा और अपनाने से जो कुछ भी निर्माण होगा, वह पहले से बेहतर होगा। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं एक मिनट में बतला दूं कि खेती में ट्रैक्टर को इस्तेमाल करने की वजह से जहां पहले हम फसल हर वर्ष लेते थे, अब हमें तीन फसलें एक वर्ष में मिलने लगी हैं क्योंकि अब हम वक्त पर बीज बोते हैं और फसल की कटाई होती है। उसी तरह से कम्प्यूटर को लाने से हमारी इरीगेशन फैसिलिटीज बढ़ेंगी, हमारी इंडस्ट्रीज में उत्पादन बढ़ेगा और जो भी काम हम कार्यालयों में करते हैं वह काम वक्त पर पूरा होगा हम उसको आसानी से कर सकेंगे। इसलिए कम्प्यूटर के प्रयोग से हमारा काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा क्योंकि नई टैक्नौलोजी अपनाने से कार्यकुशलता बढ़ती है, घटती नहीं है। सारे मुद्दों पर विचार करके ही हमारी सरकार और हमारे नेता ने इसके लिए कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ट्रैक्टर के खेती में प्रयोग से कैसे घट जाएगी, अब 60 की जगह हमारे यहां 50 रुपये मजदूरी है।

श्रीमती प्रमेलाबाई चव्हाण : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारे देश में कम्प्यूटर बनाने के लिये कितनी फैक्टरीज हैं, क्या उसकी सूची उनके पास है। यह भी स्पष्ट करें कि उन फैक्टरीज को सरकार की ओर से क्या प्रोत्साहन मिल रहा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक सूची का प्रश्न है, मैं पूरी और करेंट सूची सम्माननीय सदस्या के हाथ में दे दूंगा मगर कम्प्यूटर बनाने के लिये बहुत बड़े पैमाने पर इतने दूरगामी निर्णय लिये हैं, गये साल भी लिये हैं जो कि सदन के सामने रखे गये हैं और इस साल भी लिये हैं।

टेक्नोलाजी यहां लाने के लिये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, कम्पोनेन्ट्स पर कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी गई है और अपर-लिमिट भी कम कर गई है। बहुत सारी सहूलियतें और दी गई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम के रेस्तरां

[अनुवाद]

*472. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका तथा खाड़ी देशों में रेस्तरां श्रृंखला स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो क्या यह लाभकारी होगा;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मार्किट सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण किसके द्वारा किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम का फिलहाल फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका और खाड़ी के देशों में रैस्तराओं की एक श्रृंखला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने अक्तूबर, 1984 में लन्दन में "फ्रन्टियर आफ इण्डिया लिमिटेड" (एफ० आई० एल०) द्वारा एक स्पेशिएलिटी इण्डियन रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए फीस-आधार पर परामर्शी और प्रबन्धकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए 'फ्रन्टियर आफ इण्डिया लिमिटेड, (एफ० आई० एल०) के साथ करार किया है।

(ख) और (ग) कोई मार्किट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैलीकाप्टर कारपोरेशन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

*474. श्री आर० अन्नानम्बी
श्री चित्त महाता } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक "हेलीकोप्टर कारपोरेशन" की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति से तत्सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने शुरू में पेट्रोलियम क्षेत्रक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आगे चलकर पर्वतीय क्षेत्रों, सहायता प्रचालनों, अन्तः शहर परिवहन और पर्यटक चार्टरों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी मांगों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद एक हेलीकाप्टर निगम स्थापित करने की सिफारिश की है।

इण्डियन रेअर अर्थ्स, उद्योगमण्डल, केरल में घातक विकिरणों के कारण हुई मौतें

*475. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो-धर्मिता वाले पदार्थों के सम्पर्क में आने से इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड उद्योग मण्डल, केरल के श्रमिकों पर उन घातक विकिरणों का प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या वहां इन विकिरणों के कारण कैंसर से किसी की मृत्यु हुई है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्षों में इस प्रकार कितने श्रमिक कैंसर से मरे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स में क्षमता का उपयोग

*476. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री विजय कुमार यादव } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान" में एयरलाइन्स

नाट यूजिंग फुल कैपेसिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा गत वर्ष अपनी क्षमता उपयोग के बारे में तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार का विचार एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स की क्षमता का पूर्ण उपयोग कराने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1984-85 में एयर इंडिया में विमान के प्रकार के अनुसार विमानों का उपयोग इस प्रकार था :—

बोइंग 747	3792 घंटे
ए-300 बी-4	3117 घंटे
बोइंग 707	2088 घंटे

उसी अवधि में इंडियन एयरलाइन्स में उपयोग इस प्रकार था :

एयरबस	2627 घंटे
बोइंग 737	2699 घंटे
एफ-27	2232 घंटे
एच० एस० 748	2007 घंटे

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में विमान का औसत उपयोग इस उद्योग औसत के साथ तुलना की दृष्टि से अनुकूल रहा है। तथापि इन दोनों एयरलाइनों का अपने विमानों के उपयोग को इष्टतम करने का लगातार प्रयत्न रहता है।

पश्चिमी घाट विकास योजना

*477. **श्री के० मोहन दास** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाट विकास योजना को लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) संबद्ध राज्य सरकारों ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए कौन-सी विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम 1974-75 से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के लिए अभी तक किया गया कुल आवंटन 103.83 करोड़ रु० है। इसके मुकाबले इस पर 102.03 करोड़ रु० खर्च होने की संभावना है।

सम्बन्धित राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और संघ राज्य क्षेत्र गोवा द्वारा कार्यान्वित की गई अधिकांश स्कीमें कृषि, बागवानी, वन उद्योग, भू-संरक्षण, लघु सिंचाई और सड़क क्षेत्रों से सम्बन्धित है। खादी और ग्रामोद्योग विकास (मुख्यतः मधु मक्खी पालन) रेशम के कीड़े पालने और पशुपालन जिसमें डेरी विकास शामिल है, से सम्बन्धित कुछ स्कीमें भी कार्यान्वित की गई हैं। परिस्थिति की-संरक्षण और परिस्थति की-विकास की नीति के अनुरूप जिसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्र के विकास की स्कीमें कार्यान्वित की जाएंगी, छठी योजना के अन्तिम 2 वर्षों में कुछ राज्यों ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में जल संभर (वाटर शेड) का स्वीकृत विकास भी शुरू किया है।

ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों से आय

*478. श्री एच० ए० डोरा : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजमहल आने वाले पर्यटकों से 1983-84 और 1984-85 में कितनी आय हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ताजमहल के रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या ताजमहल का रख-रखाव खराब हालत में है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जो पर्यटन ताजमहल देखने आए उनसे विभाग को हुई आय इस प्रकार है :

1983-84	5,50,492.50 रु०
1984-85	5,64,615.00 रु०

(ख) इसी अवधि के दौराम ताजमहल के रखरखाव पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

1983-84	10,40,316.00 रु०
1984-85	10,49, 407.00 रु०

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेलुगु-गंगा परियोजना

*479. श्री के० राममूर्ति
श्री चिन्ता मोहन } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 600 करोड़ रुपए की तेलुगु-गंगा परियोजना के स्थल का दौरा करने वाले पर्यावरण विभाग के छः सदस्यीय विशेषज्ञ दल के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) उक्त निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधानमन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) आंध्र प्रदेश में तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में पर्यावरण विभाग के विशेषज्ञ दल के निष्कर्षों में ये शामिल हैं;

(1) प्रत्येक 3 संतोलन जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में संकटपूर्ण निम्नीकृत क्षेत्रों का एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उपचारी योजना तैयार की जा सके जिसे इंजीनियरिंग परियोजना के साथ-साथ कार्यान्वित किया जा सके;

(2) कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई संभाव्यता का अधिकतम उपयोग हो और जललग्नता और खारापन को रोका जा सके;

(3) प्रतिपूरक वनरोपण जिसमें जहां संभव हो, लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से सिंचित पौधरोपण, अधिकांश शुष्क अस्थाई वनों के लगभग 10,000 हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया जाना चाहिए ।

(4) मामूली आर्थिक मुआवजा के भुगतान करने के बजाय एक समग्र मास्टर प्लान के अनुसार 26 प्रभावित गांवों का पुनर्वास कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए ।

(5) जल से होने वाली महामारियों के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए कलाहस्ती या नेल्लोर में एक रोगवाहक नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए ; और

(6) बूचड़खानों आदि जैसे प्रदूषक इकाइयों के स्थान निर्धारण पर रोक लगाने हेतु मद्रास में पुण्डी जलाशय के जल-ग्रहण क्षेत्र में भूमि प्रयोग प्रतिमान को कड़ाई से नियन्त्रित किए जाने की आवश्यकता है ।

(ख) ऊपर बताये गये विभिन्न पहलुओं के बारे में अतिरिक्त ब्योरे मंगाने के लिए परियोजना प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है तथा इस आधार पर परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए ।

बम्बई में विद्युत इकाई की स्थापना के लिए टाटा-बन्धुओं को अनुमति

*480. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के चेम्बूर में विद्युत इकाई की स्थापना के लिए टाटा-बन्धुओं को स्वीकृति प्रदान करने से पहले विभाग द्वारा उनकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह इकाई अनिश्चित काल तक गैस पर आधारित रहेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या मल्टी-फ्यूल बोइलर्स की स्थापना के लिए उन्हें अनुमति दी जाएगी;

(घ) क्या बम्बई राज्य बिजली बोर्ड बसर्फ्रेन में, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड उरोन में और रेलवे विभाग चोला में एक-एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और यदि हां, तो टाटा-बन्धुओं को अपने संयंत्र की स्थापना अत्याधिक प्रदूषित चेम्बूर क्षेत्र से दूर करने के लिए अनुरोध न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या किसी बड़े पर्यावरण ग्रुप ने इस स्थान के चयन पर आपत्तियां की थीं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) से (ग) इस इकाई की स्थापना की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई है कि एल०एस०एच०एस०/फ्यूल आयल/गैस जैसे गैर-प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग किया जायेगा तथा किसी भी चरण में कोयले का ईंधन के रूप में फिर से प्रयोग तथा अधिक गंधक की मात्रा का निवेश-भण्डारण (फीडस्टोक) नहीं होगा ।

(घ) जी हां । अन्य क्षेत्रों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना की योजनाएं हैं । टाटा-बन्धुओं के प्रस्ताव पर विचार करते समय, वैकल्पिक स्थलों के मुकाबले में अवसंरचनात्मक एवं पर्यावरणीय पहलुओं से सम्बन्धित मामलों पर भी गौर किया गया ।

(ङ) जी हां । इस स्थल पर कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाने के खिलाफ अपात्तियां थी ।

क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर केन्द्र

*481. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसा एक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में उक्त परियोजना के कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महानगर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क (निकनेट) लगाने की प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जी, हां । उड़ीसा में इस प्रकार की एक इकाई स्थापित करने का विचार है ।

(ग) 1986 के प्रथमार्द्ध में उड़ीसा में इस इकाई के स्थापित हो जाने की आशा है ।

बंगलौर और मैसूर के बीच हवाई यात्रा सुविधा

*482. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से मैसूर तक हवाई यात्रा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक कठिनाई का अनुभव करते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मैसूर के वर्तमान हवाई अड्डे को बेहतर बनाने तथा बंगलौर से मैसूर और वापस मैसूर से बंगलौर के लिए घरेलू उड़ानें शुरू करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) मैसूर बंगलौर से 139 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दोनों शहर रेल और सड़क से भली-प्रकार जुड़े हैं । मैसूर और बंगलौर के बीच शटल विमान सेवा के न होने पर यात्रा करने वाली जनता जो इन दोनों के बीच यात्रा करने में कोई असुविधा नहीं अनुभव होनी चाहिए । तथापि वायुदूत ने 8 अप्रैल, 1985 में हैदराबाद/तिरूपति/बंगलौर मार्ग पर मैसूर और बंगलौर को सप्ताह में तीन बार की डोनियर विमान सेवा से जोड़ दिया है ।

श्रीलंका से आने वाले लोगों को राहत का प्रस्ताव

*483. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने पिछले तीन-चार महीनों के दौरान श्रीलंका से आए व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को अब तक दिए गए चावल और अन्य खाद्यान्नों की मात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। इस सम्बन्ध में पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। परन्तु गृह मन्त्रालय अथवा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पारपत्र के लिए आवेदन

*484. श्री थम्पन थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए पांच हजार से अधिक आवेदन लम्बित पड़े हैं। (जनवरी, 1985 से)

(ख) पारपत्र जारी करने में इतने अधिक बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार की नीति सात दिन के भीतर पासपोर्ट के आवेदनों पर विचार करने और पासपोर्ट उपलब्ध कराने की है; और

(घ) यदि हां, तो कोचीन के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से सात दिन के भीतर पासपोर्ट जारी हो सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) राज्य पुलिस प्रधिकरणों से सत्यापन रिपोर्ट समय पर प्राप्त न होने की वजह से ही यह देर होती है।

(ग) जी, नहीं। पासपोर्ट जारी करने वाले प्रधिकरणों को ये अनुदेश हैं कि वे पुलिस से ठीक रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से सात दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दें न कि पासपोर्ट आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से।

(घ) कोचीन स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर जारी किए जाते हैं।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पेशेवर विमान चालक

*485. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1982 से कुल कितने बेरोजगार

व्यवसायी विमान चालकों को हवाई अड्डा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या नियुक्त किए गए कुछ अधिकारी भारतीय वायुसेना और थल सेना के भूतपूर्व कर्मचारी हैं;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1982 में विमानक्षेत्र अधिकारी (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किए गए बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों की कुल संख्या 19 है।

(ख) से (घ) इनमें से केवल एक अधिकारी भारतीय वायु सेना का भूतपूर्व कर्मचारी है। उसकी सेवाएं परिवीक्षा की अवधि में असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण दिनांक 16.11.1984 से समाप्त कर दी गई थीं। इस समय किसी अन्य अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने का कोई विचार नहीं है।

अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए जारी किए निदेशों की क्रियान्वितित के बारे में राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदन

[अनुवाद]

3275. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा 11 मई, 1983 को राज्यों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में भेजे गये पत्र में विनिर्दिष्ट निदेशों/दिशा निर्देशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में राज्यों और संघ क्षेत्रों से कोई त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा उक्त कल्याण के निदेशों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं।

(ग) केन्द्र से संबंधित मामलों में उन देशों की क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वर्गीय प्रधान मंत्री के उपरोक्त पत्र में विनिर्दिष्ट सुझावों की पूर्ण क्रियान्विति को कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से नियमित आधार पर सूचनायें प्राप्त होती हैं। हालांकि, देश के उत्तर

पूर्वी भाग के कुछ राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने संकेत दिया है कि उनकी अल्पसंख्यकों की कोई समस्या नहीं है जैसे कि उनकी जनसंख्या मुख्यतः आदिवासियों की है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने संकेत दिया है कि उनके राज्य में कोई साम्प्रदायिक समस्या नहीं है लेकिन 15 सूत्री दिशा निर्देश उन राज्यों के लिए लाभदायक होंगे जो साम्प्रदायिक तनाव के प्रति संवेदनशील हैं। पश्चिम बंगाल ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

15 सूत्री निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा शुरू की गयी कुछ महत्वपूर्ण योजनायें इस प्रकार हैं :—

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चुने गए विश्वविद्यालयों तथा स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में कमजोर वर्गों के शिक्षण की योजना

(ii) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में समुदाय पोलीटैक्नीकों के विस्तार केन्द्र खोलने की योजना।

सत्त रूप से राज्यों, संघ शासित क्षेत्र तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करके गृह मंत्रालय के अल्पसंख्यक एकक द्वारा दिवंगत प्रधानमंत्री के 15 सूत्री निदेशों को लागू किया जा रहा है और आवश्यक संशोधन हेतु त्रुटियां बताई जा रही हैं। विस्तृत विचार विमर्श तथा 15 सूत्री निदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अल्पसंख्यक एकक के अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं।

आल इंडिया तपरीवाज एण्ड विमुक्त जातियां फैडरेशन, चण्डीगढ़ के अध्यक्ष से प्राप्त ज्ञापन

3276. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय तपरीवाज एण्ड विमुक्त जातियां फैडरेशन, चण्डीगढ़ के अध्यक्ष से दिनांक 15 जनवरी, 1985 का ज्ञापन संख्या 75-275/ पी-1 प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो उनकी मांग क्या है और क्या यह न्यायोचित है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांग को स्वीकृत न करने अथवा स्वीकृत करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया था ;

(ङ) यदि हां, तो न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार संसद के चालू बजट सत्र में इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने तथा उपर्युक्त विधान पुन: स्थापित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अखिल भारतीय तपरीवाज और विमुक्त जाति फैडरेशन, चण्डीगढ़ के अध्यक्ष से प्रधान मंत्री को सम्बोधित तारीख 15.1.1985 का ज्ञापन सं० 575/पी-1 प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति, गृह मंत्री को पृष्ठांकित की गयी थी।

(ख) और (ग) ज्ञापन में मुख्य मांग, विमुक्त जातियों को पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में सम्मिलित करने के विषय में है। इन समुदायों को, पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में ही सम्मिलित करने से पहले, पंजाब, और हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के तारीख 8-11-1982 के निर्णय के अनुसार इन्हें अनुसूचित जातियों की सूची से हटाना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधन केवल संसद में अधिनियम के माध्यम से ही हो सकता है। पंजाब के संबंध में इस समय कोई अनुसूचित जनजाति की सूची नहीं है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 342 इस राज्य पर अभी लागू नहीं है।

(घ) माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया था कि, विमुक्त जातियों को, जिनमें याचिकाकर्ता संबंधित हैं, गलती से अनुसूचित जाति की सूची में दिखाया गया है।

(ड.) और (च) माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णय पर पंजाब सरकार, भारत के महापंजीयक और विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के परामर्श से विचार किया जा रहा है। चूंकि समुदाय के सदस्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ के पड़ोसी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, अत: इन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में भी विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है। इन सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त होने और भारत के महापंजीयक के साथ विचार-विमर्श करके जांच करने के बाद संसद में विधेयक प्रस्तुत करने के विषय में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

गुजरात में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम

3277. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में संशोधित क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अब तक कितने क्षेत्रों (पाकेटों) के विकास हेतु स्वीकृति दी गई है; और

(ख) इन क्षेत्रों के विकास के लिए कौन-सा कार्यक्रम सोचा गया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गुजरात में ऐसे 14 क्षेत्र हैं, जिनका संशोधित क्षेत्र विकास योजना के अधीन अब पता लगाया गया है ।

(ख) इन क्षेत्रों के विकास के लिए परिकल्पित कार्यक्रम कृषि, लघु सिंचाई, सामाजिक कल्याण, सहकारिता, घरेलू तथा लघु उद्योग, डेरी विकास, बन तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रों के अधीन मुख्य रूप से पारिवारोंन्मुख विकास कार्यक्रम हैं । इसके अतिरिक्त भूसंरक्षण, ग्रामीण विद्युतिकरण सड़क विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के अन्तर्गत भी अधिकांश मूल संरचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ।

उड़ीसा में पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित लोगों के लिए मुआवजा

3278. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आये अनेक पोटेरू सिंचाई क्षेत्र में पूर्वी बंगाल में विस्थापित लोगों/परिवारों को तीन एकड़ भूमि देकर फिर बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है और उनको कब से बसाया गया है ;

(ग) तीन एकड़ भूमि पाने वाले इन परिवारों में से कितने परिवारों को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं और कब से प्राप्त नहीं हुई हैं;

(घ) यदि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नही होती है, तो क्या सरकार इन विस्थापित लोगों/परिवारों के लिए नकद राशि अथवा अन्य रूप में मुआवजा देने पर विचार करेगी जैसा कि लखनऊ के नजदीक 15 परिवारों के लिए देना स्वीकार किया गया है ; और

(ङ.) यदि नहीं तो उसका क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है ।

नालन्दा (बिहार) में ह्वेन सांग स्मारक

3279. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा में ह्वेन सांग स्मारक पूरा हो चुका है और बिहार सरकार को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर कुल कितनी लागत आयी और इस स्मारक के पूरा होने में कितना समय लगा तथा यह किस तारीख को पूरा हुआ ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है और बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्यमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) स्मारक अब पूरा हो चुका है। इसे बिहार राज्य सरकार को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कुल खर्च, जिसके लिये स्वीकृति प्रदान की गई है, 46.42 लाख रुपये है। निर्माण कार्य 1961 में आरम्भ किया गया था और वर्ष 1984 में पूरा हो गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन

3280. **श्री जैनुल बशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में सेवाओं का गठन किया जाएगा ; और

(ग) क्या प्रस्तावित सेवाएं अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सहायक सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा की पद्धति पर गठित की जाएगी अथवा किसी अन्य पद्धति पर ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन

संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61 वां) में खण्ड 2 (क) जोड़कर संशोधन कर दिया है। खण्ड 2 (क) निम्नानुसार है :

"2-क, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन-उस तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, निम्नलिखित अखिल

भारतीय सेवायें गठित की जाएंगी और विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, अर्थात् :—

1. भारतीय इंजीनियर सेवा (सिंचाई, शक्ति, निर्माण तथा मार्ग) (सड़कें) ;

2. भारतीय वन सेवा

3. भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा ।

2. अधिनियम के उपर्युक्त संशोधन के अनुसरण में 1·7·1966 से भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था और सभी राज्य इसमें शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पहली फरवरी, 1969 से गठित की गयी थी। इससे पहले कि विभिन्न राज्यों में सेवा के संवर्ग का गठन किया जाता और सेवा की प्रारम्भिक भर्ती का कार्य हाथ में लिया जाता, कुछ राज्य सरकारों ने इस सेवा में सम्मिलित होने की अपनी पहली सहमति वापिस ले ली थी । भारतीय इंजीनियर सेवा का अभी गठन किया जाना है। तत्कालीन सरकार ने मार्च, 1978 में यह निर्णय लिया था कि भारतीय इंजीनियर सेवा और भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के संवर्गों के गठित किए जाने से संबंधित प्रश्न पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और इस मामले में राज्य सरकारों से अनौपचारिक रूप से परामर्श किया जा रहा है। भारतीय इंजीनियर सेवा का गठन और भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन के बारे में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

3. कृषि और ग्रामीण विकास (कृषि और सहकारिता विभाग), शिक्षा मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ने यह सूचित किया है कि क्रमशः अखिल भारतीय कृषि सेवा, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से संबधित प्रश्न की जांच कर रहे हैं।

4. सरकार ने, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन और उसके ढांचे के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

वर्ष 1985-2000 के दौरान परमाणु ऊर्जा सृजन

3281. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा सृजन के लिये आधारभूत आदान उपलब्ध कराने के लिये नई यूरेनियम खानों को प्रारम्भ करने तथा ईंधन निर्माण सुविधाओं की संवृद्धि सहित वर्ष 1985-2000 के दौरान कार्यान्वयन हेतु कुछ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की प्रमुख रूपरेखा क्या है और इस पर कितनी पूंजी व्यय होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी 15 वर्षीय कार्यक्रम की एक विस्तृत रूप रेखा तैयार की है। इस रूपरेखा में यूरेनियम के भण्डारों का पता लगाने और उनसे खनिज निकालने तथा ईंधन तैयार करने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। लक्ष्य यह है कि अगले पन्द्रह वर्षों में 235 मेगावाट क्षमता वाले 12 यूनिट और 500 मेगावाट क्षमता वाले 10 यूनिट लगाकर परमाणु बिजली पैदा करने की स्थापित क्षमता 10,000 मेगावाट कर दी जाए। इसके लिए अगले पन्द्रह वर्षों में सन् 1983 के मूल्य-स्तर पर 13,900 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश आवश्यक होगा।

समुद्र में प्रदूषण

3282. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का समुद्र-जल किस हद तक प्रदूषित है; और

(ख) उक्त प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर स्थानीकृत समस्याएं अवश्य पेश आती हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण समुद्री जीवन को किसी गंभीर खतरे की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) समुद्री प्रदूषण के बारे में कार्यरत विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा खाद्य समुद्री जीवों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के स्तरों की जांच करने के लिए मानीटरी अध्ययन किए जा रहे हैं। तेल प्रदूषण का सामना करने के लिए तट रक्षक लगाए जाते हैं। समुद्री प्रदूषण रोकने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कानून भी अधिनियमित किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को लाइसेंस

3283. **श्री अनंत प्रसाद सेठी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नए इलेक्ट्रॉनिक यूनिटों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस प्रकार का कोई विशिष्ट सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साम्प्रदायिक दंगे

3284. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1984 और 1985 में आज की तारीख तक, राज्यवार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ;

(ख) इन दंगों में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए ;

(ग) इन दंगों में कुल कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ; और

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्थान/राज्य का नाम	माह	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति की कुल क्षति	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
			1984			
बंगलौर (कर्नाटक)	मार्च	7	6	शून्य	101	उ० न०
किडडरपोर (पश्चिम बंगाल)	मार्च	4	शून्य	शून्य	30	2 मामले दर्ज किये गए।
धारवाड़ (कर्नाटक)	मई	8	20	60 लाख रुपये	उ० न०	उ० न०
भिवन्डी, थाना, कल्याण और बम्बई (महाराष्ट्र)	मई-जून	278	1025	7.66 करोड़ रु०	12,521	1307 मामले दर्ज किये गए।
धारवाड़ (कर्नाटक)	जून	7	शून्य	2,000 रुपये	301	27 मामले दर्ज किये गए।
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	जुलाई और सितम्बर	40	412	24.66 लाख रुपये	541	उ० न०

मोनाथ भंजन (उत्तर प्रदेश)	अक्तूबर	7	15	97.830 रुपये	405	405 व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाया गया।
		1985 (31.3.1986 तक)				
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	मार्च	6	18	37,4000 रुपये	उ० न०	उ० न०
अहमदाबाद (गुजरात)	30.3.1985 को	12	18	175 लाख रुपये	1173	137 मामले दर्ज किए गए

उ० न०=उपलब्ध नहीं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3285. श्री टी० बाला गौड़ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मुद्रा अर्जित की

(ख) सरकार का विचार पर्यटन के महत्व के विभिन्न स्थानों पर आगामी पांच वर्षों के दौरान बड़े होटलों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कम बजट वाले देशी यात्रियों के लिए आवास सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है ।

वर्ष		प्रत्यक्ष रूप से अर्जित विदेशी मुद्रा लाख रुपयों में
1982-83	—	994.94
1983-84	—	1204.59
1984-85	—	1400.00 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम को सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) 1978 में पर्यटन विभाग ने विभिन्न तीर्थाटन-रूचि के स्थानों में नई धर्मशालाओं सरायों/मुसाफिरखानों की स्थापना के लिए भारतीय यात्री आवास विकास समिति, एक स्वायत्त संस्था को पंजीकृत किया । सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी यात्रियों के लिए बजट-होटलों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी । पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे ऐसे प्रस्ताव तैयार करें; इन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप प्रदान किया जाएगा ।

एयरबस इन्डस्ट्रीज की इंडियन एयरलाइन्स को ठेके पर बोइंग विमान देने की पेशकश

3286. श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस इन्डस्ट्रीज ने इंडियन एयरलाइन्स को ठेके पर बोइंग विमान देने की पेशकश की है यदि उन्हें एयरबस-320 के बेड़े के नवीनकरण का 700 करोड़ रुपए का ठेका दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो पेश-कश का ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरयलाइन्स की आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन अन्य विमानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें खरीदने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) विमान निर्माण करने वालो अन्य कम्पनियों से यदि कोई पेशकश मिली है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एयरबस उद्योग के प्रस्ताव में 1988-89 में सुपुर्दगी के लिए ए-320 विमान की बिक्री और इस बीच की अवधि में कुछ विमान पट्टे पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए अपनी भावी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर और 5 पुराने बोइंग-737 विमानों को क्रमिक रूप में हटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के विमानों का आकलन करने के बाद सरकार के अनुमोदन से विमानों की खरीद के लिए बोइंग कम्पनी को आशय पत्र दिया है जिनकी सुपुर्दगी की अनुसूची इस प्रकार है :—

1985-86	—	5 बोइंग (757-200) विमान
1986-87	—	4 बोइंग (757-200) विमान
1987-88	—	3 बोइंग (757-500) विमान

(घ) और (ङ) किसी अन्य विमान विनिर्माता कम्पनी से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बम्बई और कलकत्ता में पर्यावरण में गिरावट

3287. **श्री भोलानाथ सेन**
श्री सी० माधव रेड्डी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व संसद के पर्यावरण आयोग की अध्यक्ष डा० रश्मि मयूर द्वारा (दिनांक 21 मार्च, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित) व्यक्त इन आशंकाओं की ओर दिलाया गया है कि यदि वनों को काटने, धरती की ऊपरी परत के नष्ट होने, वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड के फैलने, बिगड़ते मौसम और नदियों तथा महासागरों के प्रदूषण की यही प्रवृत्ति

जारी रही तो 2020 तक बम्बई और कलकत्ता शहर महासागर में डूब जाएंगे जिस का स्तर ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण 6 से 8 फुट तक ऊंचा उठ जाएगा;

(ख) बंबई और कलकत्ता को बचाने के लिए पर्यावरण में गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने हैं; और

(ग) डा० रश्मि मयूर के सुझाव के अनुसार विश्व पर्यावरण एजेंसी की स्थापना के मामले में यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्रीन हाऊस इफेक्ट जिसका कि डा० रश्मि मयूर ने उल्लेख किया है तथा जिसको, वे कलकत्ता एवं बम्बई के समुद्र में संभावित आप्लावन का कारण मानते हैं, वह सिर्फ एक परिकल्पना है तथा यह निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं है । अत: इस स्थिति में, मात्र परिकल्पना पर कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है ।

(ग) विश्व पर्यावरणीय एजेंसी की स्थापना, भारत सरकार के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है । अत: इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुलिस के सहायक कमान्डेंट/पुलिस उपअधीक्षक के पदों हेतु लिखित परीक्षा

3288. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी० ओ० एस० में पुलिस सहायक कमान्डेंटों/पुलिस उप अधीक्षक के पदों हेतु अक्टूबर, 1983 में लिखित परीक्षा और तत्पश्चात नवम्बर, 1983 में साक्षात्कार आयोजित किए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण हेतु कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है?

(ग) क्या चुने गए सभी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है; और

(घ) यदि नहीं। तो सरकार का विचार शेष उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु कब बुलाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान । अंतिम साक्षात्कार नवम्बर व दिसम्बर, 1983 में आयोजित किये गये थे ।

(ख) 131 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया था ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु नियम

3289. **श्री राम समुझावन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में गठित किए गए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्य और अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नियम बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति लिपि सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) 1984 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में गठित किए गए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार की गई थी और उनकी सेवा शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या इन सभी नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति ली जानी आवश्यक है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्या 13) के उपबन्धों के अनुसार, केन्द्र और राज्यों के लिए अभी तक प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना नहीं की गई है। फिर भी, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की विभिन्न न्यायपीठें स्थापित करने से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अनुसरण में केन्द्र और राज्यों में स्थापित किए जाने वाले प्रशासनिक अधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी अर्हताएं उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित की गई हैं। प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में इस अधिनियम के प्राधिकार में तैयार किए जाने वाले किन्हीं नियमों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ही एकमात्र ऐसा राज्य प्रशासनिक अधिकरण है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 371-घ के अधीन राष्ट्रपति के एक आदेश (आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश, 1975) के अधीन स्थापित किया गया है। अन्य राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के अधीन नहीं की गई है और इस कारण यह एक राज्य का

विषय है। आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों और अध्यक्ष का चयन, नियुक्ति और कार्यकाल, उपर्युक्त संदर्भित आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश 1975 के उपबन्धों से शासित होते हैं।

आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के पारिश्रमिक, भत्ते और सेवा शर्तें, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये शर्तें सामान्यतः उच्च न्यायालय के न्यायधीशों पर लागू होने वाली शर्तों की ही तरह हैं बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर उच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अन्य व्यक्ति आमतौर पर आंध्र प्रदेश सरकार के उच्चतम स्तर के अधिकारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान सेवा शर्तों सहित 3,000/- रुपये नियत प्रति मास के वेतन के हकदार होते हैं।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिंयमावली, 1958 के विनयम 2 के साथ पठित अनुसूची के मद 2 के अनुसार किसी संविधि के उपबन्धों द्वारा अथवा उनके अधीन प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के जिन पदों का सृजन किया जाता है, वे आयोग किसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते है।

(ङ.) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान की कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

[हिन्दी]

3290, श्री विष्णु मोदी
श्री शांति धारीवाल } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान की एरावल और लश्करी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कारंवाई की गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) राजस्थान में एरावल को अनुसूचित जातियों की सूची में और लसकरी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रस्ताव पर इस प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ, सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करके और इस विषय में अपनाये जाने वाले तत्सम्बन्धी मानदण्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं। सभी राज्य सरकारों से पूरी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इस विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखकर संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

हम्पी को भारत पर्यटन विकास निगम की योजनाओं में शामिल करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

3291. श्री एच० जी० रामुलू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का, भूतपूर्व विजय-नगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को जिसकी महान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा पर्यटन महत्व है, भारत पर्यटन विकास निगम की योजनाओं में शामिल करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इस स्थान को विकसित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) आई० टी० डी० सी० के स्वामित्व में हम्पी में एक पर्यटक रेस्तरां है, जिसका परिचालन कर्नाटक पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग ने राज्य, केन्द्र और प्राइवेट सेक्टर के मिले जुले संसाधनों के साथ अवस्थाबद्ध विकास के लिए हम्पी को पर्यटक अभिरूचि के केन्द्रों की सूची में शामिल किया है। 15.59 लाख रु० की स्वीकृत राशि के मुकाबले पर्यटन विभाग ने एक रेस्तरां परिसर के निर्माण के लिए 1983 में राज्य सरकार को 7.5 लाख रुपये की एक राशि रिलीज की है।

पर्यटन विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल सुविधाओं के साथ 10 राष्ट्रीय विरासत केन्द्रों की जो व्यवस्था की जानी है, उनमें हम्पी को भी चुना गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा हिन्दी में लिखे गए पत्र

3292. श्री राम भगत पासवान : क्या संस्कृति मंत्री संगीत नाटक अकादमी में हिन्दी के प्रयोग के बारे में 26 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8920 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 1984 से आज तक कितनी संख्या में ज्ञापन, आदेश, सूचनायें, आमन्त्रण पत्र और परिपत्र अंग्रेजी में जारी किए गए;

(ख) अप्रैल, 1984 से लेकर आज तक कुल कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया;

(ग) अप्रैल, 1984 से लेकर आज तक हिन्दी भाषी राज्यों को कितने पत्र अंग्रेजी में भेजे गये और उन्हें अंग्रेजी में भेजने के क्या कारण थे; और

(घ) विभिन्न समितियों की कार्यसूची और कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) अप्रैल, 1984 से संगीत नाटक अकादमी द्वारा जारी किए गए ज्ञापनों, आदेशों, सूचनाओं/परिपत्रों और निमंत्रण-पत्रों की संख्या निम्न प्रकार से है :

ज्ञापनों की संख्या		कार्यालय-आदेशों की संख्या		सूचनाओं/परिपत्रों की संख्या		निमंत्रण पत्रों की संख्या	
अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
21	1	154	1	16	—	12	—

(ख) अप्रैल, 1984 से अब तक विभिन्न पदों के लिय 229 आवेदन-पत्रों सहित 700 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे, जिनमें से 179 पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गए थे।

(ग) अकादमी द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर सामान्यतः हिन्दी में ही दिए जाते हैं। तथापि, कोई अलग से राज्यवार सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(घ) अकादमी में केवल एक हिन्दी अनुवादक और एक हिन्दी टंकक है और महत्वपूर्ण बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त दोनों भाषाओं में तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कुछ आदिवासी जातियों को आदिम जातियों के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव

3293. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ आदिवासी जातियों को आदिम जातियों के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उन आदिवासी जातियों के नाम क्या हैं जिनको उड़ीसा सरकार ने आदिमजातियों के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है;

(ग) उनमें से उन आदिवासी जातियों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र ने आदिम जातियों के रूप में मान्यता दे दी है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 9 आदिवासी जातियों को आदिवासी जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है । राज्य सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 8 और आदिवासी समुदायों नामतः (1) दिदायी, (2) लोटा, (3) बिरहोर, (4) लम्पटापुर खंड के गदाबास, (5) झड़िया कांधा, (6) इरिगा कोल्हा, (7) मलकान गिरी के कोयास और (8) सालिया पाराजास को आदिवासी जनजातियों के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(ग) और (घ) अब तक आदिवासी जाति के रूप के मान्यता दी गई जनजातियों के नाम सभापटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

आदिवासी जाति के रूप में मान्यता दी गई अनुसूचित जाति समुदायों के नाम

क्रम सं०	आदिवासी जाति के रूप में मान्यता दिए गए समुदाय
1	2
1.	बोन्डों (पोरोजा)
2.	डोंगरिया कोंध
3.	कुटिया कोंध

1	2
4.	जुआंग्स
5.	खारियास (पहाड़ी)
6.	लान्जिया सौरस
7.	मनकिदिआज
8.	पोडी भुयान्स
9.	जारा सौरा
10.	बीरहोर
11.	दिदायी
12.	लोधा

1985-86 में आदिवासी उप-योजना के लिए धन

3294. श्री गिरधर गोमांगों : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ योजनायें और कार्यक्रम तैयार करने तथा आदिवासी उप-योजना और संगठन योजना के लिए धन आवंटित करने के लिए वर्ष 1985-86 के लिए विचार विमर्श हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए केन्द्र का अंशदान क्या है;

(ग) राज्यों द्वारा आदिवासी उपयोजना और संगटक योज्मा के लिए कितना धन दिए जाने पर सहमति हुई है और क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच तथा आदिम जनजाति माइक्रो परियोजनाओं सहित जनजातीय उप-योजना के लिए कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी जानी है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) (1) वर्ष 1985-86 के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा 9 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों के मामले में राज्यों से आदिवासी उपयोजना से सम्बन्धित विचार विमर्श पूरा कर लिया गया है। आठ राज्यों से विचार-विमर्श पूरा करना शेष है।

(2) 11 राज्यों में विशेष संगठन योजना से सम्बन्धित विचार-विमर्श पूरा हो चुका है और 13 राज्यों के बारे में पूरा होना शेष है।

(ख) से (घ) वर्ष 1985-86 के लिए भारत सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान 140 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए 165 करोड़ रुपये होगा। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में वर्ष 1985-86 के लिए कुल प्रावधान 45 करोड़ रुपये का है।

मध्य प्रदेश में केन्द्र संरक्षित स्मारक

3295. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्र संरक्षित स्मारकों में रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) इन स्मारकों की देखभाल कौन-कौन से पुरातत्व मण्डल कर रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्र संरक्षित स्मारकों के रखरखाव पर खर्च की गई राशि 18,54,395/- रु० है।

(ग) स्मारकों की देखभाल आंशिक रूप से भोपाल मंडल और आंशिक रूप से भुवनेश्वर मंडल द्वारा की जाती है।

अमरीका के अवर विदेश सचिव की भारत यात्रा

3296. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के अवर विदेश सचिव 14 मार्च, 1985 को भारत के दौरे पर आये थे और विदेश सचिव तथा कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उनका ध्यान, पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों की सप्लाई से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने, दस्तावेजीय साक्ष्य के प्रकाश में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों सम्बन्धी कार्यक्रम के मामले को भी उठाया था;

(घ) अमरीका के अवर विदेश सचिव इस सम्बन्ध में भारत की चिंता से किस सीमा तक सहमत थे; और

(ङ) अन्य किन मामलों पर विचार किया गया और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। विदेश विभाग के

अण्डर सेक्रेटरी श्री माइकल एच० आर्माकोस्ट 13 से 16 मार्च, 1985 तक भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने विदेश सचिव तथा सरकारी अधिकारियों से बातचीत की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेश विभाग के अण्डर सेक्रेटरी ने अमरीकी प्रशासन की इस स्थिति को दोहराया कि पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक हथियारों और उपस्करों की सप्लाई इसलिए की जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान में सोयवित सैनिकों की उपस्थिति के कारण उस देश की सुरक्षा को खतरा है और इसलिए भी कि पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाओं को आधुनिक बनाया जा सके। पाकिस्तान के नाभकीय कार्यक्रम के बारे में अमरीकी प्रशासन की स्थिति यह है कि पाकिस्तान को दी जा रही अमरीकी सुरक्षा सहायता का उद्देश्य यह कि उस देश का अपनी सुरक्षा में विश्वास मजबूत हो और उनके द्वारा इसके नेताओं को इस बात से संतुष्ट कराना है कि नाभिकीय विकल्प न तो आवश्यक है और न ही पाकिस्तान के व्यापक हित में। अमरीकी सरकार ने कहा है कि इसने पाकिस्तान को यह बात स्पष्ट कर दी है कि नाभिकीय क्षेत्र में संयम के अभाव से आर्थिक और सैनिक सहायता के उस कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो 1981 में शुरू हुआ था।

(ङ) दोनों पक्षों ने दक्षिण एशिया से सम्बन्धित द्विपक्षीय मामलों, क्षेत्रीय मसलों तथा पारस्परिक हित के अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया।

जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आए शरणार्थी

3297. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अभी तक उनके दावों की अदायगी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके दावों को निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आए हुए व्यक्तियों और जो अब जम्मू और कश्मीर में बस गए हैं, उनके द्वारा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए किए गए दावों पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि समस्त जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र केवल गैरकानूनी कब्जे के अन्तर्गत है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैटरी वैन

[हिन्दी]

3298. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 में संसद् सत्र के दौरान दो "बैटरी वैन" चलाई जाती थी, जिनको संसद् सदस्यों को लाने-ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता था;

(ख) यदि हां, तो उक्त वैनों को अब न चलाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस "बैटरी वैन" को वाणिज्यिक बिक्री हेतु बाजार में कब तक उपलब्ध कराने की सम्भावना है; और

(घ) क्या बैटरी द्वारा चालित रिक्शा, कार और स्कूटरों का भी निर्माण किया गया है और क्या उनका परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उनका वाणिज्यिक बिक्री मूल्य क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) दो प्रयोगात्मक बैटरी वैन, जिनका प्रयोग लोक सभा सदस्यों की यात्रा के लिए किया जाता था, उन्हें कम दूरी की यात्रा के लिए संतोषजनक पाया गया। उन्हें गहन जांच और क्षेत्रीय परीक्षण के लिए अल्पकाल के लिए हटा लिया गया था। यह अधिकांशतः कर लिया गया है तथा दो वैन लोक सभा सेवा के लिए शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगी।

(ग) अब तक किए परीक्षणों से प्राप्त अनुभव बताते हैं कि स्वदेशी कर्षण बैटरियां बैटरी वैन के वाणिज्यीकरण में रुकावट डाल सकती हैं फिर भी तकनीकी दृष्टि से स्वदेश में विकसित उपकरणों से बैटरी वैन ने अच्छा कार्य किया है। उन स्थानों पर बैटरी वैन के उपयोग ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां हवाई अड्डों, डाक सुपुर्दगी, आदि जैसे सुनिश्चित स्थान से स्थान तक वैन चलने का प्रश्न है। बैटरी वैन को अगले 3-5 वर्षों में वाणिज्यि रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(घ) पांच बैटरी चालित रिक्शाओं (3-पहिये वाले) का प्रयोगात्मक आधार पर इलैक्ट्रो-मोबाइल (इण्डिया) लि०, बंगलौर द्वारा निर्माण किया गया है जो कि कर्नाटक सरकार का संयुक्त क्षेत्र उपक्रम है। यद्यपि इन रिक्शाओं का प्रारंभिक कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक था, तो भी अधिकांशतः बैटरियों के अपर्याप्त कार्य-निष्पादन के कारण इन रिक्शाओं ने अनुवर्ती समस्याओं को जन्म दिया। मै० इलैक्ट्रोमोबाइल (इण्डिया) लि० ने 2-पहियों वाले बैटरी चालित वाहनों का निर्माण किया परन्तु फिर उत्पादन बन्द कर दिया। मै० इलैक्ट्रो अनिल प्रा० लि०, बंगलौर 2-पहियों

वाले वाहनों का निर्माण करता है जिसका एक्स-फक्टरी मूल्य 7650/-रुपए है। इस 2- पहियों वाले वाहन का आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इण्डिया, पूना द्वारा परीक्षण किया गया है और सड़क के योग्य घोषित किया गया। देश में इस समय तक बैटरी-चालित कारों का वाणिज्यिक रूप में निर्माण नहीं किया जा रहा है।

बैरनघाट राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की नसबन्दी

3199. **श्री आर० एम० भोये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 19 मार्च, 1985 के नवभारत टाइम्म (बम्बई संस्करण) में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक अमरीकी महिला चिकित्सक, नैन शैफर ने बंगलौर से 20 किलोमीटर दूर बैरनघाट राष्ट्रीय उद्यान में सात शेरों की नसबन्दी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) लिंकन पार्क गार्डन; शिकागो (संयुक्त राष्ट्र अमेरीका) के पशुचिकित्सक डा० नैन शैफर ने मार्च, 1985 में भारत का दौरा किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने मैसूर और बंगलौर की यात्रा की। बंगलौर के निकट बैनरघाट शेर सफारी पार्क में चार शेरों का वैसकटोमी आपरेशन किया। आपरेशन सफल रहे सभी चार शेर ठीक ठाक हैं। इन आपरेशनों का मुख्य उद्देश्य सफारी पार्क में संकर/अमरीकन शेरों की अनियमित तौर बढ़ती हुई संख्या का नियंत्रण करना है।

प्रदूषण फैलाने वाले ताप बिजलीघरों की संख्या

[अनुवाद]

3300. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले पर आधारित ऐसे कितने ताप-बिजली घर काम रहे हैं जो सल्फर डाई-आक्साइड तथा तथा राख छोड़ते हैं;

(ख) क्या ऐसे बिजली घरों से फैलने वाले प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप फेफड़ों का कैंसर हो जाता है;

(ग) क्या इस समय भारत में कोयले पर आधारित बिजलीघरों में उत्सर्जन-नियंत्रण सन्तोषजनक नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) देश में 57 प्रमुख कोयला प्रज्वलित तापीय विद्युत केन्द्र हैं ।

(ख) तापीय संयंत्रों से उत्सर्जनों द्वारा हुये फेफड़े के कैन्सर की घटना पर कोई निष्कर्षात्मक परिणाम नहीं हैं ।

(ग) पुराने विद्युत केन्द्रों में उत्सर्जन नियंत्रण सन्तोषजनक नहीं हैं । फिर भी, नये विद्युत संयंत्र आवश्यक उत्सर्जन नियंत्रण साधनों के युक्त (लैस) हैं ।

(घ) जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए अधिनियमों के अन्तर्गत यंत्रों की स्थापना करने के निदेश दिये गये हैं ।

देश में प्रति व्यक्ति आय

[हिन्दी]

3301. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार इस समय औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(ख) राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में यदि कोई अन्तर है; तो उसके क्या कारण है; तथा जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है वहां इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) देश में तथा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय के अद्यतन उपलब्ध अनुमान संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं ।

(ख) राज्य की प्रति व्यक्ति आय उसके आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करती है और यह आर्थिक विकास अन्य साधनों के साथ-साथ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सकुशल प्रयोग एवं अवस्थापना के विकास से प्रभावित होता है । सरकार क्षेत्रीय असंतुलन/विषमता की समस्या को निम्न विभिन्न उपायों के माध्यम से हल करना चाहती है : (i) संसाधनों का स्थानान्तरण जिसके लिए पिछड़े राज्यों के पक्ष में बल दिया गया है (ii) विशेष पिछड़े/समस्यापूर्ण क्षेत्रों के लिए निर्देशित विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम और (iii) पिछड़े क्षेत्रों में गैर सरकारी निवेश प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन उपाय ।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (पी)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	1314	1537	1607	1878
2. असम	1221	1302	1596	1762
3. बिहार	929	1007	1022	1174
4. गुजरात	1828	2192	2182	—
5. हरियाणा	2331	2601	2858	3147
6. हिमाचल प्रदेश	1515	1806	1914	2230
7. जम्मू तथा कश्मीर	1455	1568	1705	1820
8. कर्नाटक	1312	1538	1549	—
9. केरल	1421	1445	1617	1760
10. मध्य प्रदेश	1149	1240	1357	1636
11. महाराष्ट्र	2261	2496	2525	—
12. मणिपुर	1241	1370	1366	1593
13. मेघालय	1135	1236	1308	1483
14. नागालैंड	1439	—	—	—
15. उड़ीसा	1101	1308	1339	—
16. पंजाब	2760	3169	3502	3801
17. राजस्थान	1238	1441	1574	1881
18. तमिलनाडु	1271	1427	1376	—
19. त्रिपुरा	1206	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश	1272	1296	1443	1567

1	2	3	4	5
21. प० बंगाल	1549	1615	1767	—
22. सिक्किम	—	—	—	1300
23. दिल्ली	2908	3121	3314	—
24. गोआ, दमन तथा दीव	2764	2831	3042	3458
25. पांडिचेरी	3160	3703	3630	3695
26. अरुणाचल	1323	1566		—
अखिल भारतीय	1564	1741	1868	2201

शी : शीघ्र अनुमान

— उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : राज्य आय अर्थात् शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के सरकारी अनुमान तत्संबंधी राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा और राष्ट्रीय आय के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये जाते हैं। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप दादरा तथा नगर हवेली, चण्डीगढ़ और मिजोरम अनुमान तैयार नहीं करते। प्रयुक्त स्रोत सामग्री में अन्तर होने के कारण विभिन्न राज्यों के आंकड़े पूर्णतः तुलनात्मक नहीं है।

दादरा और नगर हवेली में आवश्यक वस्तुओं पर से बिक्री कर समाप्त करना

3302. श्री सी० डी० गामित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघशासी दादर और नगर हवेली क्षेत्र के लोगों ने आवश्यक वस्तुओं पर से बिक्री कर समाप्त करने की जोरदार मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) संघशासी क्षेत्र दादर और नगर हवेली में आवश्यक वस्तुओं पर से कब तक बिक्री-कर समाप्त कर दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दादरा और नगर हवेली के निवासियों से संघ शासित क्षेत्र में बिक्री-कर समाप्त करने के बारे में कुछ

प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रशासन ने भी भिन्न-भिन्न मदों पर बिक्री कर लगाने में परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिए हैं।

(ग) तथा (घ) वित्त मन्त्रालय के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

17 अप्रैल 1985 को होने वाली सदन की बैठक के लिए रत्नागिरि जिले (महाराष्ट्र) में मिले यूरेनियम के भन्डार

[अनुवाद]

3303. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के पश्चिमी तट पर यूरेनियम के भारी भण्डार मिले हैं;

(ख) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में यूरेनियम के खनिज स्रोतों का दोहन करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इससे पूर्व उनका दोहन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरि जिले के पश्चिमी समुद्र-तट पर अथवा अन्य जिलों में अब तक यूरेनियम के कोई भण्डार नहीं मिले हैं।

(ख) महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में यूरेनियम का पता लगाने के लिए अनेक सर्वेक्षण किए गए हैं। इन क्षेत्रों में और आगे विस्तार से काम किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उठता ही नहीं।

वनरोपण पर व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

3304. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के वन-रोपण पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में वनरोपण पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान तथा ऋण के रूप में दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्र० सं०	योजना का नाम	खर्च की गई रकम (लाख रुपए में)
1.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी	164.72
2.	हिमालय में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण (मृदा निगरानी कार्य)	572.23
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	60.55
4.	नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	661.00
5.	बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध	339.00
	योग :	1797.50

उपरोक्त क्रम संख्या 4 तथा 5 में मृदा संरक्षण की योजनाओं से सम्बन्धित व्यय में वन-रोपण भी शामिल है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा

3305. श्री नरसिंह मकवाना : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब जारी किया गया था ।

(ख) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन्होंने दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन की पुन-रीक्षा करना शुरू कर दिया है तथा किन-किन राज्यों ने यह पुनरीक्षा कार्य अब तक पूरा नहीं किया है;

(ग) बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(घ) बीस सूत्री कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन के लिए क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 17 अप्रैल 1982 को

राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे जिनमें बताया गया था कि 20-सूत्री कार्यक्रम कुछ मदों के लिए जिनके लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारिक किए जा सकते हैं, उनकी निगरानी मासिक आधार पर की जाएगी। उन्हें यह भी सूचित किता गया था कि प्रगति रिपोर्ट के अन्तर्गत शामिल की गई मई मदों सहित सभी मदों पर भी त्रैमासिक आधार पर निगरानी रखी जाएगी और यह तिमाही रिपोर्ट मूल्यांकन रिपोर्ट की किस्म भी होगी। राज्यों से विभिन्न स्तरों पर निगरानी और समीक्षा की व्यवस्था करने तथा विहित प्रोफार्मा में रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

(ख) सभी राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम की समीक्षा कर रही हैं।

(ग) संलग्न विवरण में 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (फरवरी, 1985 तक) के लक्ष्य और उपलब्धियां दिखाई गई हैं।

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कोई नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम-वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां :—

सूत्र सं०	मद	इकाई	1982-83		1983-84		1984-85	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (फरवरी, 85 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सिंचाई क्षमता	लाख हैक्टर	23.50	23.40	23.70	22.20	23.10+	उ०न०
2क.	दाल उत्पादन	मिलियन टन	13.50	11.90	13.00	12.81	13.00	उ०न०
2ख.	तिलहन उत्पादन	—वही—	12.00	11.80	12.50	12.63	13-00	उ०न०

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3क.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाख परिवार	31.38	32.60	30.54	36.85	30.30	31.1
3ख.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रमदिवस	3532	3378	3215	3028	3091	2849.3
3ग.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	—वही—	—	—	—	—	3000	1931.8
4.	बेशी भूमि	000 एकड़	530	255	284	191	200	124.3
6.	बंधुआ मजदूर	संख्या	35828	36019	28804	17143	31326	18739
7क.	अनुसूचित जातियों के परिवार	लाख	19.82	21.25	24.98	27.04	25.26	21.4
7ख.	अनुसूचित जनजातियों के परिवार	लाख	5.50	5.20	7.32	9.30	9.60	8.4
8.	ग्रामीण जल	गांवों की संख्या	42342	54526*	48846*	55588*	41530	47511
9क.	मकान बनाने की जगह	लाख	10.43	10.07	8.74	11.78	7.98	8.98
9ख.	निमाण सहायता	—वही—	7.39	3.77	5.56	3.64	4.73	3.3
10क.	गंदी बस्तियों का सुधार	लाख व्यक्ति	18.40	17.17	21.20	23.46	18.30	20.1
10ख	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास	000	186.0	145.0	404.7	148.2	167.8	150.0
11क.	ग्रामीण विद्युतीकरण	सं०	25000	23572	23631	23743	23105	16597

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11ख.	बिजली चालित किए गए पम्प सैट	लाख	4.30	3.02	3.68	3.37	3.86	3.1
12क.	पेड़ लगाना	करोड़	195.54	211.71	225.00	241.76	250.97	259.1
12ख.	बायोगैस संयंत्र	सं०	75000	57800	75000	92590	15041	120335
13.	नसबन्दियां	लाख	45.00	39.81	58.12	45.00	59.57==	=34.0
14क.	स्वीकृत किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	209	110	405	1271	192	242
14ख.	उप-केन्द्र	संख्या	7931	8873	9010	6773	9071	6707
15क.	एकीकृत बाल विकास स्कीम खंड	संख्या	320	320	200	200	183	183
16क.	प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन	000	4092	4070	4702	48.85	5029	उ०न०
16ख.	प्रौढ़ साक्षरता	000	4500	4027	5157	4606	6155	उ०न०

* समस्या रहित गांव शामिल हैं।

— खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा चालित किए जाने वाले 30,000 बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।

+ महाराष्ट्र के सम्बन्ध में आंकड़े अस्थायी हैं।

= तथा रेलवे के लक्ष्य शामिल नहीं हैं।

राज्यों में न्याय पालिका को कार्यपालिका से पृथक करना

[अनुवाद]

3306. श्री लाल डहोमा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं, जहां कार्यपालिका पृथक नहीं है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों में कार्य-पालिका से न्यायापालिका को पृथक न रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का कोई प्रस्ताव है, जहां इन्हें पृथक नहीं रखा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) आपराधिक मामलों के विचारण के संबंध में न्यायपालिका और कार्यपालिका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा अलग होती है। धारा 1 की उप-धारा (2) के अनुसार संहिता जम्मू तथा कश्मीर राज्य जो एक अलग कानून द्वारा शासित होता है पर लागू नहीं है। उप-धारा (2) के परन्तुक के कारण न्यायपालिका से कार्यपालिका के अलग होने के उपबंधों सहित संहिता के कुछ उपबंध नागालैण्ड राज्य और आदिवासी क्षेत्र जो अब असम, मेघालय राज्य और संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में हैं, पर लागू नहीं हैं यदि इनको विशिष्ट तौर पर किसी अधिसूचना द्वारा उन पर लागू न किया जाए। जहां इन क्षेत्रों में आबाद सरल और निष्कपट लोगों के सम्बन्ध में आपराधिक न्याय के प्रशासन से सम्बन्धित कुछ साधारण नियम सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। किन्तु न्यायपालिका से कार्य पालिका को अलग करने से सम्बन्धित संहिता के उपबन्ध इन क्षेत्रों में सम्बन्धित राज्य सरकारें अथवा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को अधिनियमित करने के बाद अभी तक सिक्किम राज्य जो भारत संघ का 22 वां राज्य बना, पर लागू नहीं किया गया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में संहिता लागू करने के लिए अभी तक अपना निर्णय नहीं भेजा है।

बड़े आकार की बहुउद्देशीय समितियों द्वारा खरीदे गए छोटे वन उत्पाद

3307. श्री अरविंद नेताम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी परिवारों के खाद्य और आय बजट में छोटे वन उत्पाद महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बड़े आकार की बहुउद्देशीय समितियों द्वारा इकट्ठा किये गये छोटे वन-उत्पादों का अंश मात्र ही "लैम्पस" द्वारा खरीदा गया है;

(ग) आदिवासियों द्वारा इकट्ठा किए गए कुल छोटे वन उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने की क्या योजनायें हैं;

(घ) क्या मध्यप्रदेश लघु वन उत्पाद संघ को लघु वन उत्पाद वस्तुओं के पुनरुद्धार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो बस्तर जिले के लिए लघु वन उत्पाद पुनरुद्धार कार्यक्रम क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) वन विकास निगमों/राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों/एल० ए० एम० पी० एस० और प्राथमिक विपणन समितियों ने वन उत्पाद इकट्ठा करने, उसकी प्रक्रिया और विपणन के लिए उपाय किए हैं। वन श्रम के सहकारीकरण की गति तेज कर दी गई है और सहकारी समितियों तथा एल० ए० एम० पी० एस० को रियायती दरों पर लघु वन उत्पाद का दीर्घकालीन पट्टा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कानून पास किये गये हैं जिनमें लघु वन उत्पाद की कुछ वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण किया गया है। लघु वन उत्पाद संघ द्वारा लघु वन-उत्पाद इकट्ठा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ.) जी हां, श्रीमान।

सातवीं योजना के दौरान अन्य वृक्षों के साथ रत्नजोत, बांस, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष लगाये जायेंगे। राज्य में निश्चित क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन

3308. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक क्षेत्र, जहां खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वनों से ढके हैं;

(ख) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर-वन उपयोग के लिए किसी वन भूमि का प्रयोग करने से निषेध करता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेने के बाद ही राज्य सरकार वन भूमि को खनन पट्टे देने में असाधारण विलम्ब होता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) वन क्षेत्रों में कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उत्पन्न हुए मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विस्तृत मार्गदर्शी-सिद्धांत तैयार किए हैं। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर असाधारण विलम्ब नहीं होता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोकसभा और विधान सभा चुनावों के दौरान मारे गये लोगों की संख्या

[हिन्दी]

3309. श्री सी० जंगा रेड्डी
श्री ए० के० पाटिल
श्री पीयूष तिरकी
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले लोकसभा और विधान सभा चुनावों के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए;

(ख) इन चुनावों में तथा इनसे पहले हुये चुनावों में मारे गये और घायल होने वाले लोगों के राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या चुनावों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और;

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि चुनाव में उपद्रव न हों ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एयर इण्डिया द्वारा नई उड़ानों के लिए थाईलैंड के साथ वार्ता

[अनुवाद]

3310. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा नयी विमान उड़ानें शुरू करने के बारे में बातचीत करने के लिए हाल ही में एक प्रतिनिधि मंडल थाईलैंड में भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार की बातचीत चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख)

जी, हां। एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल विमान सेवाओं सम्बन्धी वार्ता के लिए दि० 6 मार्च से दि० 8 मार्च, 1985 तक थाईलैंड गया था। कलकत्ता और बैंकाक के बीच सप्ताह में दो बार प्रचालन करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स को भारत के दूसरे नामित वाहक के रूप में आवश्यक अनुमति दिए जाने के लिए थाईलैंड के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था। विमान सेवाओं सम्बन्धी वार्ताओं में इस अनुरोध को मान लिया गया था।

(ग) और (घ) विमान सेवा करारों की समीक्षा करने के लिए जब कभी भी आवश्यक होता है अन्य देशों से आवधिक विचार-विमर्श किया जाता है। केनिया, पाकिस्तान, मालदीव, बल्गारिया और बेल्जियम के साथ विमान सेवा करार सम्बन्धी वार्ताएं करने के लिए प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी का यूनेस्को की सदस्यता से हटना

3311. **श्री एन० बी० रत्नम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी ने एक अल्टीमेटम जारी किया है कि वे एक वर्ष के भीतर यूनेस्को की सदस्यता छोड़ देंगे, यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव को इससे अवगत करा दिया है; और

(ग) इस स्थिति को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कदम उठाये हैं और उस दिशा में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) अमरीका इन कथित आधारों पर 31 दिसम्बर, 1984 को 'यूनेस्को' से हट गया कि वहां पर 'अत्याधिक राजनैतिकीकरण' है, उसका "मुक्त समाज के संस्थानों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया" है तथा यूनेस्को 'अव्यवस्थित' है। यूनाइटेड किंगडम ने भी इस बात का नोटिस दिया है कि यह 31 दिसम्बर, 1985 से 'यूनेस्को' से हट जाएगा। लेकिन यदि वह वर्ष के अन्त तक इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उन सुधार कार्यक्रमों को चलाने में पर्याप्त प्रगति हुई है जो इसने यूनेस्को के लिए सुझाये थे तो वह अपने विषय पर पुनः विचार करेगा। जर्मन संघीय जनगणराज्य ने 'यूनेस्को' से हटने का नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि वे इसके भीतर से ही और विशेषकर 'यूनेस्को' के कार्यकारी मंडल के माध्यम से सुधार के प्रयासों को जारी रखेंगे।

(ख) भारत और अन्य गुट निरपेक्ष देशों को इस बात का दुःख है कि सदस्य देशों द्वारा यूनेस्को से अपना नाम वापस लिया गया है या वापस लेने की धमकी दी गई हैं क्योंकि इससे सार्वभौमता के सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि 'यूनेस्को' के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

'यूनेस्को एक अन्तत: सरकारी संगठन है जिसका अपना संविधान तथा विधायी ढांचा है और यह संयुक्त राष्ट्र के अधीनस्थ संगठन नहीं है। इसलिए यूनेस्को की घटनाओं के सम्बन्ध में सरकारों की स्थितियों से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अवगत कराने की अवश्यकता नहीं है।

(ग) भारत और अन्य गुट निरपेक्ष देशों ने 'यूनेस्को' के प्रति अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त किया है। हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि हम यूनेस्कों के आदर्शों को हासिल करने तथा संयुक्त राष्ट और संयुक्त राष्ट्र परिवार के अन्तत: सरकारी संगठन को मजबूत बनाने के लिए बराबर कार्य करते रहेंगे।

यूनेस्को के कार्यकारी मण्डल तथा यूनेस्को के महासचिव ने यूनेस्को के काम के ढंग और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यूनेस्को के कार्यकारी मण्डल के फरवरी, 1985 में हुए विशेष सत्र में भी इस बात पर विचार किया गया था कि अमेरिका द्वारा अपना नाम वापस लिए जाने से क्या परिणाम निकलेगा। इस विशेष सत्र में यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा कर्मचारी ढांचे का समंजन करने के तौर-तरीकों पर विचार विमर्श किया गया था। भारत यूनेस्को के कार्यकारी मण्डल तथा इसकी अस्थाई समिति के कार्य में सक्रिय भाग ले रहा है जिससे यूनेस्को के काम के ढंग में सुधार लाने के लिए अनेक ठोस कदम तथा रचनात्मक उपायों की सिफारिश की है।

भारत उन 40[illegible],245 अमरीकी डालरों को छोड़ देने के लिए सहमत हो गया है यूनेस्को के लिए हमारे पहले के अंशदानों पर मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण इस पर उपार्जित हो गए थे। यूनेस्को की सहायता करने के लिए अनेक अन्य देशों से भी इसी प्रकार के कदम उठाए हैं ताकि इसकी तात्कालिक वित्तीय समस्याओं से निपटा जा सके।

अन्टार्टिका अभियान की उपलब्धियां

3312. श्री प्रताप भानु शर्मा
श्रीमती किशोरी सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों और मौसम विज्ञानियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाये गये अन्टार्टिका अभियान की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) इस दल द्वारा दक्षिण गंगोत्री पर क्या प्रमुख कार्य किए गये; और

(ग) क्या सरकार को भारतीय वैज्ञानिकों के चौथे दल से, जिसने अभी हाल ही में अपना दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया है, कोई नये सुझाव प्राप्त हुये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अन्टर्कटिका को दो वैज्ञानिक अभियान आयोजित किए गए हैं। जीव विज्ञान और

मौसम विज्ञान के क्षेत्र में दो कार्यरत प्रयोगशालाओं से पूर्णतया सज्जित एक मानव-चालित स्थायी वैज्ञानिक स्टेशन अण्टार्कटिका में स्थापित किया जा गया है। इसके अलावा, हमारे स्थायी स्टेशन से लगभग 70 कि०मी० की दूरी पर पहाड़ियों में एक क्षेत्रीय स्टेशन भी स्थापित किया गया है। 12 सदस्यों का एक दल जिसमें 3 वैज्ञानिक भी थे, 15 माह अण्टार्कटिका में रहने के पश्चात् अभी हाल ही में लौटा है। इस समय 13 व्यक्तियों का एक दल जिसमें 3 वैज्ञानिक भी शामिल हैं, हमारे स्टेशन पर कार्यरत हैं। मौसम विज्ञान, संचार, जीव विज्ञान और भू-विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

(ग) जी हां, श्रीमान। पांचवां भारतीय अण्टार्कटिका अभियान आयोजित करते समय इन्हें मार्गदर्शन के रूप में माना जायेगा।

बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी उत्पादक कारखानों को प्रोत्साहन

3313. श्री विजय एन० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी उत्पादक कारखानों को उनकी आसवनियों (डिस्टलरीज) के पास बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और उन चीनी उत्पादक कारखानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें ऐसा प्रोत्साहन देने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महानगर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। आसवनी बहिःस्राव (स्पेंट वाश) पर आधारित आसवनियों अथवा चीनी उत्पादक कारखानों व आसवनियों में बायोगैस संयंत्रों के निर्माण को सरकार साहायता देती है। बायोगैस प्रणाली के सम्बन्ध में उपचय सम्बन्धी पूंजी लागत के 33 प्रतिशत तक परन्तु अधिकतम 25 लाख रुपए तक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से सेलुलोस प्रोडक्ट्स (आई) लि०, अंकलेश्वर (गुजरात) और दि प्रावरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, प्रावरनगर (महाराष्ट्र) में दो पूर्ण स्तर के संयंत्रों के प्रतिष्ठापन को सहायता दी गई है। इस वित्तीय सहायता का लाभ उठाने वाले चीनी उत्पादक कारखानों व आसवनियों को शामिल करके कई अन्य आसवनियों द्वारा तकनीकी आर्थिक सम्भावना रिपोर्टें निर्माणाधीन हैं। सहायता प्राप्त कर सकने वाले एककों की संख्या विभाग को प्राप्त वित्तीय आबंटन पर निर्भर करेगी।

वायुदूत की उड़ानों के लिए सफदरजंग हवाई अड्डे को पुनः चालू करना

3314. श्री राजबहादुर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे को वायुदूत की उड़ानों के लिए पुनः खोल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है;

(ग) सफदरजंग हवाई अड्डे को पुनः चालू करने पर कितनी राशि व्यय हुई है; और

(घ) सफदरजंग हवाई अड्डे को पुनः चालू करने के लिए यह धन व्यय करने का औचित्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) वायुदूत ने सफदरजंग हवाई अड्डे से डोनियर विमान के प्रचालन करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा विमान की खरीद

3315. **श्री शान्ताराम पोतदुखे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाईंस और एयर इंडिया द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1985 के अन्त तक कितने विमान खरीदे गये;

(ख) उनकी कीमत क्या है; और

(ग) किन-किन नए मार्गों पर हवाई सेवा शुरू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

इंडियन एयरलाइन्स :

विमान का प्रकार	विमानों की संख्या	प्राप्त करने की तारीख	लागत
ए 300 बी 4	2	2.6.82 (पहला)	42.34 करोड़ रुपए
		?.6.82 (दूसरा)	46.75 करोड़ रुपए
बोइंग-757	4	12.8.82 (पहला)	13.84 करोड़ रुपए
		21.8.82 (दूसरा)	13 86 करोड़ रुपए
		27.8.82 (तीसरा)	13.72 करोड़ रुपए
		22.9.82 (चौथा)	13.88 करोड़ रुपए

एयर इंडिया :

विमान का प्रकार	विमानों की संख्या	प्राप्त करने की तारीख	लागत
एयरबस ए 300 बी 4	3	जुलाई, 1982 (पहला)	44.36 करोड़ रुपए
		अगस्त, 1982 (दूसरा)	46.84 करोड़ रुपए
		नवम्बर, 1982 (तीसरा)	50.08 करोड़ रुपए

(ग) ये विमान 1982 में प्राप्त होने के समय से ही विभिन्न मार्गों पर प्रचलन में है।

नए परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए मानदण्ड

3316. **श्री नवीन रावणी**
श्री शान्ता राम पोतदुखे } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में नया परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का क्या मानदण्ड है; और

(ख) क्या परमाणु विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया वाला इंधन देश में आसानी से उपलब्ध है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) नए परमाणु बिजली घर लगाने के लिए स्थलों का चुनाव करने के वास्ते अपनाए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं:—क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता, जल की उपलब्धता, कोयले की उपलब्धता तथा स्थलों की उपयुक्तता। इसमें स्थल की भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों, सामान्य जल-विज्ञान संबंधी परिस्थितियों, जल की उपलब्धता, आबादी के घनत्व, कृषि तथा पशुधन सम्बंधी आंकड़ों जैसे पर्यावरणीय और स्वास्थ तथा सुरक्षा सम्बंधी पहलुओं, मौसम-विज्ञान संबंधी पहलुओं भूकम्पीय परिस्थितियों, परिवहन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना भी शामिल है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में केन्द्रीय पूंजी-निवेश को संतुलित रखने की आवश्यकता जैसे नीतिगत पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) बिजली संबंधी जो कार्यक्रम सामने रखा गया है उसके वास्ते ईंधन तैयार करने के लिय आवश्यक यूरेनियम उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रोनिक परियोजना की स्थापना

3317. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कोई इलेक्ट्रॉनिक परियोजना स्थापित करने संबंध पर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिक से संबंधित परियोजनाओं की आयोजना तथा उनका क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। उनसे सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अन्टार्कटिक ट्रीटी कान्फ्रेंस शीर्षक से समाचार

3318. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 फरवरी, 1985 के "स्टैट्समैन" (दिल्ली संस्करण) में "अन्टार्कटिक ट्रीटी कान्फ्रेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्टार्कटिक के भविष्य तथा उसकी खनिज सम्पदा के बारे में विचार विमर्श के लिए रिओडि जानेओरो में हुए अन्तर्राष्ट्रीय अन्टार्कटिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम रहा;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी कि जनवरी है 1985 के अन्टार्कटिका के भविष्य पर व्यक्तिगत तौर पर विचार विमर्श करके के लिए 28 देशों के 55 प्रतिनिधियों की अन्टार्कटिक में एक पांच दिवसीय बैठक हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विचार-विमर्श का परिणाम निकला ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवरज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अन्टार्कटिक खनिज संसाधनों के सम्बंध में अनौपचारिक कार्यकारी दल की बैठक रिओडि जानेओरो, ब्राजील में 26-2-85 से 8-3-85 तक हुई थी। एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने इस बैठक में भाग लिया।

(ग) यह बैठक अनिर्णायक रही। अन्टार्कटिका के खनिज संसाधनों के अन्वेषण और विकास

के लिए वैध शासन प्रणाली के ब्यौरों पर संधि के परामर्शी पक्षों द्वारा बातचीत अभी भी चल रही है इस प्रयोजन के लिए और बैठकें करने का इरादा है।

(घ) और (ङ.) अन्टार्कटिक संधि प्रणाली पर एक कार्यशाला अन्टार्कटिका में 5 से 13 जनवरी, 1985 तक हुई थी। भारत ने इस कार्यशाला में भाग नहीं लिया।

छोटा नागपुर में एक संस्थान शुरू करने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

3319. श्री शिव प्रसाद साहू : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटियाला स्थित संस्थान की तरह ही छोटानागपुर (बिहार) क्षेत्र में भी जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है, खेलों में रुचि लेने वाले इस क्षेत्र के आदिमसियों और युवा एथलीटों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के विचार से एक खेल संस्थान शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में पर्यावरण विभागों का गठन

3320. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों से पर्यावरण के लिए स्वतंत्र विभाग गठित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस प्रकार के विभाग गठित किए जा चुके हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राज्य सरकारों से सातवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा बनाने तथा व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम

बंगाल राज्य सरकारों ने पर्यावरण विभाग; बिहार और गुजरात ने वन और पर्यावरण विभाग और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने विज्ञान प्रद्योगिकी और पर्यावरण विभाग स्थापित किए हैं।

दंगों के दौरान विधवा हुई महिलाओं का पुनर्वास

[अनुवाद]

3321. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या बाद हुए दंगों के दौरान कितनी महिलएं विधवा हुई; और

(ख) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इन दंगों के दौरान संघ शासित क्षेत्र में 990 महिलाएं विधवा हुई। निम्नलिखित राज्यों के अतिरिक्त सभी अन्य संघ शासित क्षेत्रों राज्यों के संबंध में सूचना शून्य है :—

क्रम सं०		राज्य
1		2
1.	...	बिहार
2.	...	हरियाणा
3.	...	हिमाचल प्रदेश
4.	...	जम्मू और कश्मीर
5.	...	केरल
6.	...	मध्य प्रदेश
7.	...	महाराष्ट्र
8.	...	नागालैण्ड
9.	...	उड़ीसा
10.	...	तमिलनाडु
11.	...	उत्तर प्रदेश
12.	...	पश्चिम बंगाल

इन राज्यों से सूचना की अभी प्रतीक्षा है और जब प्राप्त होगी तो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) निशुल्क राहत देने के अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने ऐसी विधवाओं के लिए विभिन्न अन्य कदम उठाए हैं जिनमें डी० डी० ए० के स्लम प्लैटों का आवंटन, रोजगार अवसरों की व्यवस्था, विधवाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आंगनवाड़ियां खोलना ताकि विधवाएं अपने कार्य पर ध्यान दे सकें, प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण देना प्रशिक्षण अवधि के दौरान 200 रु० से 250 रु० तक वजीफा देना; कुछ विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन देना आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त राज्यों के संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाएगी।

यात्री निवासों का निर्माण

3322. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम बजट वाले स्वदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न केन्द्रों पर यात्री निवास बनाए जाएंगे ; और

(ख) यदि, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गये हैं।

वन सम्पदा का पता लगाना

3323. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण से समुद्री पौधो के विनाश होने के कारण जीव-मण्डल का नाजुक आक्सीजन कार्बन डाईआक्साईड सन्तुलन बिगड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या सुरक्षोपाय करने और वन सम्पदा का पता लगाने तथा पर्यावरण सम्बन्धी जागरुकता में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां, समुद्री प्लवमान पौधे जमीन पर पैदा होने वाले पौधों से कई गुणा अधिक आक्सीजन पैदा करते हैं। समुद्री जल प्रदूषण का सूक्ष्म पादप प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा उनकी आक्सीजन प्रकाश-संश्लेषण को कम कर सकता है।

(ख) सरकार, भूमि आधारित स्रोत से होने वाले प्रदूषण तथा समुद्र में तेल प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रही है। वनरोपण में 1980-81 में 0.4 मिलियन हेक्टयर से 1984-85 में 1.1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की गई है तथा इसमें सातवीं योजना के दौरान और तेजी लाई जायेगी। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना से इन प्रयासों में जन सहयोग से वृद्धि करने में मदद मिलेगी। विद्यालय पाठ्क्रमों तथा गैर औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में पर्यावरणीय प्रावलों को शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतें

[हिन्दी]

3324. श्री लाला राम केन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त को चालू वर्ष में अब तक अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण से सम्बन्धित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) सोसायटी ऑफ डिप्रेस्ड पीपल फार सोशल जस्टिस से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के ऐसे कार्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए रोस्टर पद्धति लागू नहीं करते ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में 1056 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें 1042 सेवाओं में आरक्षण सहित सेवा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित हैं, 9 शिक्षा के मामलों के बारे में और 5 अन्य मामलों के बारे में है। इन सभी शिकायतों को कार्रवाई के लिए सम्बन्धित विभागों/संगठनों के साथ उठाया गया है।

(ख) एक शिकायत, सोसायटी ऑफ डिप्रेस्ड पीपल्स फार सोशल जस्टिस से प्राप्त हुई है और मामले को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबन्धक के साथ उठाया गया है।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अनुदेशों के अनुसार सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न अनुदेशों/निदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में एक सम्पर्क अधिकारी है।

सम्पर्क अधिकारी के लिए अपने विभागों/संगठनों के प्रति वर्ष रोस्टरों का निरीक्षण करना और सम्बन्धित मंत्रालय/विभागों को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित अन्य आदेशों का कठोरता से पालन करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं और भेदभाव तथा उक्त आदेशों के जानबूझ कर किए गए उल्लंघन के मामलों को उपर्युक्त कार्यवाही के लिए उचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। जहां तक सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण आदेशों का संबंध है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश सार्वजनिक उपक्रमों में स्वतः लागू नहीं होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, वित्त मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के अनुदेशों द्वारा नियमित किये जाते हैं।

दिल्ली में हुए दंगों की जांच

[अनुवाद]

3325. **श्री नारायण चौबे**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए दंगों में पुलिस के आचरण की जांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री वी० पी० मरवाह की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और यदि उस पर कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है तो उसके कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जांच रिपोर्ट अभी आनी है।

परती भूमि का विकास

3326. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के लिए 50 लाख हेक्टेयर परती भूमि को हरा-भरा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि सम्पूर्ण संरक्षण कार्यक्रम हेतु अलग से राशि निर्धारित की गई है;

(ग) 100 हेक्टेयर पर भूमि को हरा-भरा बनाने की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) सरकार को उपलब्ध परती भूमि को हरा-भरा बनाने के सम्पूर्ण कार्यक्रम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) सरकार ने ईंधन तथा चारा वृक्षरोपण के तहत प्रत्येक 50 लाख हेक्टेयर भूमि लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अकृष्य भूमि विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

(ख) सरकार शुरू किए गए संरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष धनराशि का नियतन करती है ।

(ग) वृक्षारोपण (भूमि को हरा भरा बनाने) की लागत, मिट्टी के स्वरूप तथा गहराई, भौगोलिक बनावट, श्रम के उपलब्ध और प्रति हैक्टेयर उगाए गए पौधों की संख्या जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है ।

(घ) उपलब्ध अकृष्य भूमि ईंधन तथा चारे के तहत प्रत्येक वर्ष 50 लाख हैक्टेयर भूमि लाने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कवर की जाएगी ।

गुजरात के सीमावर्ती जिलों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

3327. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) उनमें से कितने मामले तोड़फोड़ से सम्बन्धित हैं और कितने मामले आर्थिक अपराधों के हैं;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है;

(घ) सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कोई नए कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने सम्बन्धी प्रस्ताव

3328. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी अपनाने, क्षमता का बेहतर उपयोग करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उपरोक्त निदेशो, की क्रियान्विति के लिए कोई अध्ययन दल गठित किया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो मंत्रालय द्वारा कब तक प्रस्तावों को पेश किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 5 जनवरी, 1985 के राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा है कि उत्पादकता से सुधार, आधुनिक प्रौद्योगिकी के अवशोषण और क्षमता के पूर्ण उपयोग को आवश्यक रूप से राष्ट्रीय अभियान का स्तर प्रदान किया जाना चाहिए और उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्रालयों के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

(ग) और (घ) प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा है।

"अशोकयंग एक्सप्लोरर्स ट्रैवल प्लान" के अन्तर्गत भारत में आने वाले पर्यटक

3329. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अशोक यंग एक्सप्लोरर्स ट्रैवल प्लान" के अन्तर्गत एक वर्ष में कितने पर्यटको के भारत आने की सम्भावना है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अशोक ग्रुप द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1985 के दौरान लगभग 2,500 विदेशी छात्रों/युवाओं द्वारा 'अशोक यंग एक्सप्लोरर्स ट्रैवल प्लान' का उपयोग किए जाने की संभावना है।

(ख) इस "प्लान" के अधीन अशोक ग्रुप के लगभग 55 लाख रुपये की विदेशी-मुद्रा आय होने का अनुमान है।

बीजापुर, कर्नाटक में हवाई अड्डा

3330. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बीजापुर स्थित प्रतिध्वनित दीर्घा "गोल गुम्बज" का पर्यटन केन्द्र बनाने पर विचार किया है ;

(ख) क्या इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इसके प्रति विदेशी पर्यटकों के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए वहां हवाई पट्टी/हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) बीजापुर को केन्द्र और राज्य दोनों तथा प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों से एक पर्यटक केन्द्र के रूप में अवस्थाबद्ध रूप से विकसित करने पर विचार किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम, बीजापुर में दस बैड्स वाला एक यात्री गृह चला रहा है।

(ग) और (घ) कर्नाटक के अन्तर्गत बीजापुर में एक हवाई पट्टी/हवाई अड्डा निर्मित करने के लिए, फिलहाल कोई प्रस्ताव नागर विमानन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

एयर इण्डिया के लिए एयर बस और इण्डियन एयरलाइन्स के लिए बोइंग की खरीद

3331. श्री कमल नाथ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के लिए एयर बस और इंडियन एयरलाइन्स के लिए बोइंग की खरीद सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या दोनों एयरलाइन्स विमानों और उसके हिस्से-पुर्जों के लिए अलग-अलग आर्डर देने पर विचार कर रही है; और

(ग) धन की बचत करने के लिए दोनों के लिए संयुक्त रूप से सौदा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने सरकार के अनुमोदन से 6 एयरबस ए310-300 विमान खरीदने के लिए मैसर्स

एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार के अनुमोदन से 12 बोइंग 757 विमान खरीदने के लिए मैसर्स बोइंग कम्पनी को एक आशय-पत्र भेजा है। सरकार को उनके विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय करना है।

(ग) दोनों एयरलाइनों के विमानों की आवश्यकताएं उनके द्वारा किये जाने वाले प्रचालनों के प्रकार पर निर्भर करती हैं, इसलिए उनसे क्रय-विक्रय को सम्मिलित करना हमेशा साध्य नहीं होता है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के लिए अतिरिक्त यात्री विमान

3332. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
श्री राम बहादुर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के वर्तमान बेड़े में कुछ और यात्री विमान जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इण्डिया एयरलाइन्स और एयर इंडिया की वर्तमान क्षमता का किस सीमा तक इस्तेमाल किया जा रहा है और क्षमता का वर्तमान उपयोग दो प्रमुख वायु सेवाओं के लिए और अधिक विमान खरीदने को कहां तक उचित ठहराता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया ने 8 अप्रैल 1985 को मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ 541.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 6 एयरबस ए 310-300 विमान खरीदने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये जिनकी सुपुर्दगी अप्रैल 1986 से दिसम्बर 1986 तक क्रमिक रूप में की जानी है। इंडियन एयरलाइन्स ने मैसर्स बोइंग कम्पनी को 12 बोइंग 757 विमान खरीदने के लिए आशय पत्र दिया है जिनकी सुपुर्दगी वर्ष 1985 से 1987 तक क्रमिक रूप में की जानी है।

(ग) इन दोनों एयरलाइनों की वर्तमान क्षमता अनुसूचित विश्वसनीयता के वांछित स्तर बेड़े के आकार और प्रचालन से संरूप के अनुरूप इष्टतम उपयोग किया जा रहा है। तथापि आने वाले वर्षों में अनुमानित यातायात संवृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने और पुराने हो रहे विमानों को बदलने के लिए और अधिक विमान प्राप्त करना आवश्यक है।

सेवा संघों/संगठनों को मान्यता देने संबंधी नियम

3333. **श्री ललित माकन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा संघों/संगठनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो यह नियम कब तक बनाए जाएंगे;

(ग) जिन संघों/संगठनों को अब तक मान्यता दी गई है उन्हें मान्यता प्रदान करने में क्या प्रक्रिया अपनायी गई है; और

(घ) सेवा संघों संगठनों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी कितने आवेदन मंत्रालय के पास लम्बित पड़े हैं तथा उनका ब्योरा क्या है और आवेदन की तारीखें क्या हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1956 किन्हीं कारणों से इस समय निष्क्रिय मानी जाती है ; संयुक्त परामर्शदाता तंत्र और अनिवार्य विवाचन की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के परामर्श से मान्यता संबंधी नए नियम तैयार किए जा रहे हैं ।

(ग) मान्यता सम्बन्धी नए नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक, सेवा एसोसिएशन/संघों को वास्तविक अथवा तदर्थ मान्यता देने के प्रश्न पर इस मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है ।

(घ) किसी विशेष मंत्रालय/विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली/वाले सेवा एसोसिएशनों/संघों को मान्यता देने से सम्बन्धित अलग-अलग आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा विचार किया जाता है । चूंकि कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय मान्यता प्रदान करने के लिए नीति निर्माण करने वाली एजेन्सी है इसलिए इसके पास अन्य मंत्रालयों के अनिर्णीत पड़े ऐसे आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है इसमें कोई भी ऐसा आवेदन पत्र लम्बित नहीं पड़ा है ।

कच्छ और अहमदाबाद के लिए वायुदूत सेवा

3334. **श्रीमती उषा ठाकुर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ और अहमदाबाद अथवा बम्बई, कच्छ और अहमदाबाद को वायुदूत सेवा से जोड़ने के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों, विभिन्न संगठनों और कच्छ अहमदाबाद तथा बम्बई के व्यापार मण्डलों द्वारा समय-समय पर मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उपरोक्त सेवा कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, वहां पर उच्च न्यायालय है और वह एक औद्योगिक शहर है और कच्छ के लोगों को रेल मार्ग में अहमदाबाद जाना पड़ता है जो एक लम्बा रास्ता है;

(ङ.) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान बम्बई काण्डला वायुदूत सेवा को अहमदाबाद तक बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न स्त्रोतों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं । वायुदूत पहले ही इण्डियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिए गए एवरो विमान से कांडला और बम्बई के बीच एक दैनिक सेवा का प्रचालन कर रही है । इण्डिन एयरलाइन्स जामनगर होकर बम्बई और भुज के बीच एक दैनिक सेवा का प्रचालन करती है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ.) वर्तमान बम्बई/कांडला सेवा को अहमदाबाद तक बढ़ाने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यमुना नदी का प्रदूषण

3335. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों से यमुना नदी को निरन्तर प्रदूषित करने वाले स्त्रोतों की ओर दिया गया है;

(ख) क्या इस समस्या के हल करने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या यमुना नदी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व को देखते हुए सरकार का विचार इस योजना का केन्द्रीय गंगा नदी अधिकरण से सम्बद्ध करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां, सरकार को मालूम है कि यमुना के किनारों पर स्थित शहरों से औद्योगिक एवं घरेलू बहिस्त्रावों के विसर्जन के कारण इसके कुछ फैलावों में यह प्रदूषित है ।

(ख) प्रमुख नालों तथा इनके मलजल उपचार संयंत्रों की तरफ दिकपरिवर्तन से अपशिष्ट जल को रोकने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

3336. प्रो० एम० आर० हाल्दर, श्री निर्मल खत्री, श्री एन० डेनिस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानी है, जो पेंशन सुविधा का लाभ उठा रहे है ?

(ख) क्या सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन की दर में वृद्धि करने का विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उनको चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दिनांक 31-3-1985 तक 1,32 859 स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन मन्जूर की जा चुकी है।

(ख) और (ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना लागू करने के बारे में नीति सम्बन्धी मसलों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विचार करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर गठित गैर सरकारी समिति ने दिनांक 21.7.84 को अपनी बैठक में पेंशन बढ़ाकर 500 रु० प्रति माह करने की सिफारिश की थी। सरकार उनकी सिफारिश पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) गृह मंत्रालय के अनुरोध पर अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की है।

त्रिवेन्द्रम और खाड़ी क्षेत्र के बीच कम किराए की मांग

3337. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा त्रिवेन्द्रम और खाड़ी क्षेत्रों के बीच कम विमान किराये की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले की सरकार ने सावधानीपूर्वक जांच की है। भारत खाड़ी क्षेत्रक में विमान किराये अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के फोरम पर बहुपक्षीय आधार पर निर्धारित किए गए हैं और सम्बन्धित सरकारों द्वारा इनका अनुसमर्थन किया गया है तथा इन्हें उचित माना जाता जाता है। एयर इंडिया को इस बात की छूट नहीं है कि वह एक पक्षीय रूप से किराये ले।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची की जांच

3338. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों की सूची की जांच करने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधन करने की गुंजाइश है;

(ग) सरकार द्वारा सूची में कब तक संशोधन करने का विचार है; और

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित सूची के जातियों को सम्मिलित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकारें ही अपनी सहमति से राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु सूची भेजती है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां मांगी गयी हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि चार के अलावा सभी राज्यों ने सूचियों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां भेजी है। शेष चार राज्यों को अपनी टिप्पणियां भेजने हेतु स्मरण कराया जा रहा है। इस मामले में अन्तिम विचार सभी राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त होने पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की वर्तमान सूचियों में संशोधन संसद में अधिनियम प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है।

(घ) किसी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये मान दण्ड तथा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मानदण्ड अलग हैं जो इस प्रकार हैं।

अनुसूचित जाति :

छुआछूत की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजाति :

आदिकालीन लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव समुदाय के साथ व्यापक रूप से सम्पर्क में आने में संकोच तथा पिछड़ापन।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से संविधान के अनुच्छेद 341 (1) तथा 342 (1) को ध्यान में रखते हुए परामर्श आवश्यक है। उक्त मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है।

पंजाब में सैनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए लोग

3339. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सैनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) उनमें से विद्यार्थियों और महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई अभियोग चलाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) 30.6.84 तक सैनिक कार्रवाई के दौरान, युवकों और महिलाओं सहित कुल 4712 व्यक्ति पकड़े गए।

(ग) कानूनी विरोधी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है।

पर्यावरण सम्बन्धी नीति

3340. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण सम्बन्धी कोई नीति तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री वीरसेन) : (क) तथा (ख) तिवारी समिति ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति संकल्प एक प्रारूप अपनाने का सुझाव दिया था। संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1083/85] इसे एक नीति के ढांचे के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसको निकट भविष्य में नीति संकल्प के रूप में परिवर्तित किया जाना है। पर्यावरणीय मुद्दों का व्यापक दृष्टिकोण छठी योजना तथा सातवीं योजना के नीति प्रलेखों में दिया गया है।

संक्षिप्त रूप में, पर्यावरणीय विषयों के मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

प्रदूषण प्रबोधन एवं नियंत्रण,

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन,

जैविकीय विविधता का संरक्षण,

पदावनत पारि-प्रणालियों/क्षेत्रों के पुनर्स्थापन के लिए, तकनीकियों का प्रदर्शन करना,

पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण को प्रोत्साहन,

पर्यावरणीय सूचना प्रणालियों की जागरूकता सृजन,

अनुसंधान तथा विकास अध्ययनों को प्रायोजित करना,

वर्तमान पर्यावरणीय कानूनों का प्रवर्तन, पुनर्अवलोकन करना,

राज्यों को समुचित पर्यावरणीय प्रबन्ध रूपरेखा के सृजन के लिए उत्साहित करना तथा शिक्षा की उच्च संस्थानों की स्थापना करना।

इम्फाल और दीमापुर के बीच वायुदूत सेवाएं

3341. प्रो० कामसन मिजिनलंग : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1985 को इस सभा में दिए गए इस वक्तव्य को देखते हुए कि लाभ-हानि पर विचार किए बिना पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुदूत सेवा को विशेष पोषक सेवा के रूप में चलाया जाता है सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा सामान्य रूप से देश के अन्य भागों में कितनी वायुदूत सेवाएं चल रही हैं;

(ग) क्या इम्फाल और दीमापुर के बीच वायुदूत सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब और सप्ताह में कितनी बार तथा उसका अनुमानित किराया क्या है; और

(ङ) निकट भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी वायुदूत सेवाएं शुरू की जाएगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और

(ख) जी, हां। वायुदूत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रक में निम्नलिखित मार्गों पर सेवाएं प्रचालित कर रही है :-

(1) कलकत्ता/शिलांग/गोहाटी/सिल्चर और वापसी, और (2) कलकत्ता/कूच बिहार/कलकत्ता। यह देश के अन्य भागों में 16 सेवाएं प्रचालित करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) वायुदूत की निकट भविष्य में कैलाशहर, रूपसी और कमालपुर को जोड़ने की योजनाएं हैं। इसका अलांग, दपोरिजो, पासीघाट, जेरो और ऐजवल को भी इन स्टेशनों पर आवश्यक आधार संरचना का विकास हो जाते ही जोड़ने का प्रस्ताव है। इन स्टेशनों को प्रचालन करने के लिए एक डोर्नियर विमान को गोहाटी में रखने का प्रस्ताव है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पी० टी० ओ० अवकाश यात्रा छूट की सुविधाएं

3342. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष में एक बार पी० टी० ओ० सुविधा देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को सरकार के प्रति उनकी इस निष्ठा को विचार में लेते हुए कि उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल सरकार की सेवा में लगा दिया था, एक वर्ष में एक बार अथवा चार वर्ष बाद अवकाश यात्रा छूट आदि के संबंध में वैसी ही सुविधाएं देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों में चीता-उद्यान

3343. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई राज्यों में चीता-उद्यान स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) चीता भारत में समाप्त हो गया है। चीता-उद्यान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में विशेष जांच कक्ष

3344. **श्री राज कुमार राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने महान्यायवादी को दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात् हुए दंगों से संबंध में प्राधिकारियों द्वारा गठित विशेष जांच-कक्ष के कार्यक्षेत्र के बारे में उसे सूचित करने का निदेश दिया है,

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) जांच कार्य किस प्रकार चल रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् । एक मामले की सुनवाई के समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने महान्यायवादी को विशेष जांच कक्ष के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिए थे । यह सूचना न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई थी। संयोगवश न्यायालय ने रिट याचिका को रद्द करते हुए अपना निर्णय 11.3.1985 को दे दिया।

(ख) सतर्कता विभाग का विशेष जांच कक्ष दिल्ली में हाल में हुए दंगों से उत्पन्न होने वाले जटिल मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा गठित किया गया है ।

(ग) दिल्ली में विभिन्न पुलिस जिलों के जटिल पाये गए 51 मामलों को विभिन्न थानों से विशेष जांच कक्ष को भेजा गया था । 51 मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान विशेष जांच कक्ष के अधिकारियों ने अपराधियों का पता लगाने के लिए 1474 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की है । विशेष जांच कक्ष ने इन मामलों की जांच-पड़ताल करते समय 122 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । 20 मामलों में चालान तैयार किए गए हैं और अभियोजन निदेशक के साथ उनकी जांच की जा रही है । शेष मामले कक्ष के पास जांच-पड़ताल के लिए लम्बित हैं ।

दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों में विनिर्णय

3345. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों में दिए गए

फैसलों का कोई अध्ययन किया है जिनमें अभियुक्त तकनीकी आधारों पर सजा से बच गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्हें मालूम है कि भारतीय दंड संहिता में ऐसी बहुत सी खामियां हैं, जिनके कारण अभियुक्त सजा से बच जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इन अभियोगों को प्रभावी और निवारक बनाने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 नवम्बर, 1983 के फैसले का अध्ययन किया है, जिसमें श्रीमती सुधा गोयल के पति, जेठ और सास, जिन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया था, को दोषमुक्त किया गया है ।

(ख) भारतीय दंड संहिता में कोई खामी नहीं है । इसमें सिर्फ अपराधों की व्याख्या की गई है और उनके लिए दंड निर्धारित किए गए हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 306 में हत्या और आत्महत्या अवप्रेरणा के अपराधों के लिए पर्याप्त दंड व्यवस्था की गई है । संहिता की धारा 498क में भी दहेज न लाने अथवा अपर्याप्त दहेज लाने के कारण किसी विवाहित महिला के पति अथवा उसके सम्बन्धियों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने के लिए दंड देने की व्यवस्था है ।

(ग) किसी व्यक्ति की दोष सिद्धी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अभियोजन पक्ष सभी उचित सन्देहों को समाप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध अपने आरोपों को सिद्ध करने में समर्थ रहा है । जब अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर सकेगा, अथवा जब अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य का अभाव होगा, तो अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा विफल हो जायेगा । तथापि, साक्ष्य अधिनियम, 1872 में एक नई धारा 113क जोड़कर उसमें संशोधन किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि जहां कोई विवाहित महिला अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष के अन्दर आत्महत्या करती है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498क की दृष्टि में अपने पति अथवा उसके सम्बन्धियों द्वारा की गई क्रूरता की शिकार हुई है, वहां न्यायालय यह मान सकता है कि पति अथवा ऐसे सम्बन्धियों ने उस महिला को आत्महत्या के लिए अवप्रेरित किया है ।

(घ) भाग (क) में उल्लिखित फैसले के विरूद्ध अपील करने की विशेष अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में दिल्ली प्रशासन की याचिका अभी लम्बित है ।

भारतीय परती भूमि विकास निगम

3346. **श्री एस० बी० थोरात** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित भारतीय परती भूमि विकास निगम स्थापित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और विकास निगम की योजना क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

पटना हवाई अड्डे पर रात में विमान उतरने की सुविधाएं

3447. **श्री ललितेश्वर शाही**
श्री विजय कुमार यादव } क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना हवाई अड्डे को कब रात में विमान उतरने की अच्छी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा;

(ख) दिल्ली से पटना के लिए सायंकालीन विमान सेवा कब शुरू होगी;

(ग) क्या पटना और खुजराहो को बम्बई से विमान सेवा से जोड़ने का सरकार का विचार है; और

(घ) सरकार का धनबाद, जमशेदपुर और पटना को कब तक वायुदूत सेवा से जोड़ने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय पटना हवाई अड्डे पर मध्यम तीव्रता धावनपथ प्रकाश पद्धति और संक्षिप्त दृश्य-उपगमन प्रवणता सूचक पद्धति की व्यवस्था है। वर्तमान पद्धतियों में और अधिक सुधार करने और उनका स्तर उन्नत करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं मंजूर की गई हैं। इन सुविधाओं के पूरा होने की सम्भावित तारीख प्रत्येक के सामने दी गई है—

(i)	मध्यम तीव्रता धावनपथ प्रकाश पद्धति को बदल कर उच्च तीव्रता प्रकाश पद्धति बनाना।	30.9.85
(ii)	25 धावनपथ पर संक्षिप्त दृश्य-उपगमन प्रवणता सूचक पद्धति को बदलकर 3-बार संक्षिप्त दृश्य-उपगमन प्रवणता सूचक पद्धति बनाना और 07 धावनपथ पर 3-बार-संक्षिप्त दृश्य-उपगमन प्रवणता सूचक पद्धति लगाना।	31-8.85

(iii) एप्रन पलड प्रकाश पद्धति में सुधार करना। 1985-86 से कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) फिलहाल दिल्ली और पटना के बीच शाम को कोई सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वायुदूत की वर्ष 1986-87 में कलकत्ता से धनबाद और पटना की सेवा शुरू करने की योजना है।

हैदराबाद और विशाखापत्तनम में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थापित करना

3348. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और विशाखापत्तनम में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थापित करने पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गेहलोत) : (क) से (ग) हैदराबाद और विशाखापत्तनम को अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र घोषित करने का फिलहाल सरकार के विचाराधीन कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि बम्बई विमान क्षेत्र पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कुछ अन्य विमान क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जहां से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को आरम्भ किया जा सके, हाल ही में एक समिति का गठन किया था।

वन नीति का कार्यान्वयन

3349. **श्री बी० एस० विजयाराघवन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की वन नीति को अक्षरश: कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देशों का उल्लघंन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और यह देखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि वनों के सम्बन्ध में केन्द्र की नीति कार्यान्वित की जाए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वन

नीति 1952 में तैयार की गई थी। यह नीति आम सिद्धान्तों की एक घोषणा है जिसके तहत राज्य सरकारों को अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में वन प्रशासन के ब्यौरे नियमित करने का विवेकाधिकार है। यद्यपि नीति को अक्षरश: अमल में लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि अमल में लाने में कुछ कमियां जानकारी में आई हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन जानकारी में आया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

3350. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कितने विद्यालय हैं और इन विद्यालयों के प्रबंध की क्या व्यवस्था है;

(ख) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं ने उक्त प्रयोगशालाओं में 10+2 शिक्षा पद्धति के विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ग) कितनी प्रयोगशालाओं में उनके अपने विद्यालय हैं और प्रयोगशालाएं उन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती हैं; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आइ० आर०) की 17 राष्ट्रीय प्रयोशालाओं/संस्थानों में 26 विद्यालय कार्यरत हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रबंधक समितयों, शिक्षा समितियों, प्रयोगशाला/संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा गठित पंजीकृत शिक्षा समितियों जैसे भी स्थिति हो, के हाथ में विद्यालयों का प्रबन्ध है।

(ख) एक राष्ट्रीय प्रोगशाला से विद्यालय को बढ़ाकर 10+2 शिक्षा पद्धति स्तर का करने और दो अन्य प्रयोगशालाओं से उनके क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव मिले हैं।

(ग) और (घ) प्रयोगशाला/संस्थान अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यालयों को चलाने में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं हैं। जैसा कि प्रश्न के उत्तर भाग के (क) में बताया गया है, विद्यालयों का प्रबन्ध विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता है। विद्यालयों को ठीक ढंग से चलाने के लिये उत्तरदायी प्रबन्धक समितियों में प्रयोशाला/संस्थानों के सदस्य के रूप में प्रयोगशाला/संस्थानों का विद्यालयों पर नियंत्रण रखा जाता है। अधिकांश स्थितियों में प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक या उनके नामित व्यक्ति विद्यालय की प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष हैं।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल भवन निर्माण

3351. **श्री टी० बशीर**
प्रो०पी० जे० कुरियन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ख) इसमें देरी होने के क्या कारण हैं तथा निर्माण कार्य तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त नया भवन भी भारी यातायात और माल की अवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के विकास के लिए अन्य क्या उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) और (ख) : शुरू में की गई कल्पना के अनुसार त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक नए अन्तस्थ भवन के निर्माण की परियोजना मई, 1983 तक पूरी हो जानी थी। यात्री यातायात में प्रत्यशित वृद्धि को पूरा करने की दृष्टि से इस परियोजना के क्षेत्र विस्तार में काफी परिवर्तन करना पड़ा। इस परिजयोना के अब अगस्त, 1985 के अन्त तक पूरे होने की संभावना है ।

(ग) और (घ) नया अंतस्थ भवन केवल अन्तरर्राष्ट्रीय यात्री यातायात की व्यवस्था करने के लिये ही है। इससे यात्री यातायात की आवश्यकतओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति होगी। विमान माल की व्यवस्था अलग विमान-माल परिसर में की जाती है जो इस काम के लिए बनाया गया है।

महाबली-पुरम का विकास

3352. **श्री पी० चिदाम्बरम** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तमिलनाडु में मद्रास के निकट महाबलीपुरम के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार की है;

(ख) क्या उक्त मास्टर-प्लान कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां तो उस पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या "इंटैच" (आई० एन० ए० सी० एच०) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो मास्टर प्लान से काफी भिन्न है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव : (क) जी, हां।

(ख) मास्टर-प्लान को तमिलनाडु सरकार द्वारा चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लगात 5.82 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महिलाओं के लिए आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के पदों का आरक्षण

3353. **श्री वी ० सोभनाद्रीशवर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय सेवा में आशुलिपकों आदि के कम से कम 45 प्रतिशत पद महिलओं के लिए आरक्षित करने का है जैसा कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक कारंवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए कार्य दल

3354. **श्री एन० डेनिस** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए सुझाव देने हेतु एक कार्यदल नियुक्त किया था; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां । सांतवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । इसकी सिफारिशें आयोग के लिए आन्तरिक सुझावों के रूप में हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के बारे में इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गृह स्थलों का आंवटन

3355. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृह स्थलों के आंवटन के बारे में 25 जुलाई, 1984 के आंतरकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1984 तक कितने गृह-स्थल आंवटित किए गए; और

(ख) आंवटित स्थलों का वास्तव में कितने व्यक्तियों को कब्जा दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 5,465

(ख) 4,630

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन क्षमता

3356. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्यटन संबंधी क्षमताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने और द्वीप समूह में आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को इन द्वीपों की ओर आकर्षित करने के लिए हवाई किराए में छूट देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पर वितरण के लिए अंग्रेजी में एक ब्रोशर प्रकाशित किया है। पोर्ट ब्लेयर में एक यूथ होस्टल का निर्माण किया गया है। पर्यटकों के प्रयोग के लिए 10.00 लाख रु० की लागत पर 29 सीटों वाली एक फाइबर ग्लास मोटर-बोट अन्डमान और निकोबार द्वीप को उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त अतिथ्य कार्यक्रम द्वारा यू० के०, यू० एस० ए०, पश्चिम जर्मनी और जापान से बहुत से यात्रा-लेखकों को द्वीपसमूह की यात्रा के लिए प्रायोजित किया गया था। यह आशा की जाती है कि वापस लौटने पर ये मीडियम लेखक द्वीप-समूह पर लेख लिखेंगे, जिनसे उन देशों में पर्यटक संभाव्यता को व्यापक प्रचार मिलेगा। इसके अतिरिक्त विभाग ने अण्डमान द्वीप- समूह में यात्रा- अभिकर्ताओं के दलों को भी प्रायोजित किया है। अन्डमान निकोबार प्रशासन पर्यटकों को द्वीप समूह में पर्यटकों को बजट-आवास सुलभ कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

3357. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना के समय से उनके कार्यकरण की कोई पुनरीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां तो पुनरीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं और क्या उनके कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए इस पुनरीक्षा के पश्चात् कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है, और

(घ) यदि नहीं तो क्या इस प्रकार की कोई पुनरीक्षा की जाएगी और यदि हां, तो कब तक ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) नेहरू युवक केन्द्र की योजना का इसके प्रारम्भ होने से कई बार विभिन्न समूहों/समितियों द्वारा पुनरीक्षण किया गया है । सामान्य मूल्यांकन यह था कि नेहरू युवक केन्द्र ग्रामीण युवकों की भलाई के लिए लाभप्रद थे और इन्हें जारी रखना आवश्यक था। 1985-86 के दौरान केन्द्रों को अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी कर दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समुद्र तट की भूमि को प्रयोग में लाये जाने योग्य बनाया जाना

3358. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984-85 के दौरान भारतीय समुद्र तट के साथ तट की किसी भूमि को प्रयोग में लाये जाने योग्य बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है उसका क्षेत्र फल कितना है और उसके समुचित विकास और उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अरब सागर अथवा बंगाल की खाड़ी से उभरने वाली भूमि के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है और उक्त योजना किस प्रकार की है तथा उसका विस्तार क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महा सागर विकास, परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जासूसी के मामलों के लिए नए संगठन की स्थापना

3359. श्री दिलीप सिंह भूरिया
श्री रामप्यारे पनिका } क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के जासूसी के मामलों के संदर्भ में सरकार का विचार वर्तमान सभी गुप्तचर संगठनों, एजेंसियों और विभागों का विघटन करने और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक नया संगठन बनाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उसका गठन क्या होगा और उसके कृत्य क्या होंगे; और

(ग) इस संगठन के लिए किन-किन विभागों से कर्मचारियों को लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इन्सैट उपग्रह की क्षमता का उपयोग

3360. श्री पीयूष तिरकी : : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट उपग्रह पर किया गया व्यय 200 करोड़ रुपये बैठता है और यह उपग्रह मात्र सात वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा ;

(ख) यदि हां, तो पहले वर्ष में इन्सैट उपग्रह की पूर्ण क्षमता अर्थात् 2000 सर्किटों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण है ; केवल 1600 सर्किटों का ही उपयोग क्यों किया जा रहा है ;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक, डाक और तार विभाग तथा आकाश वाणी और दूरदर्शन ने अपने-अपने सर्किट की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें इन्सैट का सर्किट क्यों नहीं दिया जाता है ;

(ङ) इन्सैट का पूर्ण उपयोग कब तक कर दिया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) प्रथम पीढ़ी के तीन इन्सैट उपग्रहों की प्राप्ति, प्रमोचन, बीमा, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रबन्ध और प्रधान नियंत्रण सुविधा के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय की राशि 225.8 करोड़ रुपये है। उपर्युक्त राशि को पृथक-पृथक

ब्यौरों में तीन उपग्रहों : 1-ए, 1-बी और 1-सी के लिए 119.2 करोड़ रुपये, तीन उपग्रहों के प्रमोचन के लिए 51.6 करोड़ रुपये तीन उपग्रहों के प्रमोचन बीमा के लिए 25.1 करोड़ रुपये, सन में प्रधान नियंत्रण सुविधा, जो सभी इन्सैट उपग्रहों का नियंत्रण करती है, की स्थापना के लिए 19.2 करोड़ रूपये और परियोजना आकस्मिकताओं सहित कार्यक्रम प्रबन्ध के लिए 10.7 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार इन्सैट-1 अन्तरिक्ष खण्ड पर वास्तविक व्यय की राशि 177.6 करोड़ रुपये है, जो कि इन्सैट-1 अन्तरिक्ष खण्ड पर वास्तविक व्यय की राशि 178.6 करोड़ रुपये है, जो कि इन्सैट-1 ए और ने 1-बी. दोनों उपग्रहों और उनके प्रमोचन की लागत, तथा इन्सैट-1 सी. और इसके जून, 1986 में निर्धारित प्रमोचन की बाबत आंशिक भुगतान के सम्बन्ध में है।

इन्सैट-1 ए की क्षति और अन्य वसूलियों के लिए बीमे के दावे की राशि के लगभग 66.86 मिलियन अमरीकी डालर होने के कारण आज तक का कुल व्यय काफी कम है। प्रत्येक इन्सैट उपग्रह का निर्धारित उपयोगी कक्षीय जीवन 7 वर्ष का है।

(ख) योजना बद्ध भू-खण्ड और अन्तर्संबंधों के लिए प्रमुख इन्सैट-1 उपग्रह (इन्सैट-1 बी.) को पूर्ण अधिष्ठापित दूरसंचार क्षमता 3956 द्वि-पथी सर्किटों की है और इसे दो वर्षों की अवधि में प्राप्त किया जाना है। प्रथम वर्ष के लिए 2000 द्वि-पथी सर्किटों का लक्ष्य में दूरसंचार विभाग द्वारा इन्सैट 1-बी. की क्षमता का उपयोग 1989 द्वि-पथी सर्किटों का किया गया।

(ग) और (घ) : दूरसंचार विभाग इन्सैट की दूरसंचार क्षमता का मुख्य प्रयोक्ता है। उच्च शक्ति की एस बैण्ड प्रसारण सेवा क्षमता के मुख्य प्रयोक्ता आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। ये एजेंसियां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई० एम० डी०), जो कि इन्सैट की मौसम-विज्ञान सेवा क्षमताओं के उपयोग के लिए जिम्मेदार है साथ-साथ इन्सैट की क्षमता और सामर्थ्यता का सक्रिय रूप में उपयोग कर रही हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) भी इन्सैट-1 बी. के साथ, दो भू-केन्द्रों, एक तट पर और एक तट से दूर, का प्रचालन कर रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए दूरसंचार विभाग विजयपुर (मध्य प्रदेश) में एक पृथक भू-केन्द्र स्थापित कर रहा है, जिसके मार्च, 1986 तक चालू होने की संभावना है। दूरसंचार विभाग इन्सैट-1 बी. का उपयोग करते हुए समर्पित भू-केन्द्रों/स्थैतिक संचारजाल के लिए कई अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

(ङ) इन्सैट-1 बी. का पूर्ण उपयोग चालू वर्ष के अंत तक होने की आशा है।

उद्योगों के लिए परमाणु अनुसंधान और विकास

3361. श्री भोला नाथ सेन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विकास करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य के अलावा हमारे उद्योगों के तेजी से विकास के लिए अपने अनुसंधान और

विकास प्रयत्नों के परिणाम उपलब्ध कराने अथवा देश के सामान्य तकनीकी विकास में सहायता करने के लिए कदम उठाये हैं और/अथवा उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा पहले से उठाए गए कदमों के क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अनुसंधान और विकास-कार्य सम्बन्धी प्रयास मुख्यतः हमारे परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की सहायता के लिए हैं। इस दिशा में काम करते हुए उस प्रयास के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की ऐसी टैक्नोलॉजी के बारे में तकनीकी जानकारी विकसित हो जाती है जो औद्योगिक विकास के लिए उपयोगी रहती है। कार्यकलाप के क्षेत्र संक्षेप में निम्नलिखित हैं :—

(i) **सामग्री-विज्ञान**

सामग्री के उत्पादन, निर्माण और परीक्षण के क्षेत्र में विकास कार्य किया गया है। ऐसी सामग्री में जरकोनियम तथा बेरिलियम और उनकी मिश्र धातुओं जैसी कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां शामिल हैं।

(ii) **आइसोटोप**

आयुर्विज्ञान, कृषि और उद्योगों में आइसोटोपों के व्यापक उपयोग हैं तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने न केवल प्राथमिक आइसोटोप विकसित किए हैं अपितु इन क्षेत्रों में उन आइसोटोपों को काम में लाने के लिए उपकरण और विधियां भी विकसित किए हैं। ये अस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के लिए उपलब्ध भी हैं।

(iii) **उत्परिवर्ती तैयार करना**

आयनकारी विकिरण की सहायता से अनेक उत्परिवर्ती तैयार किए गए हैं। जिन खास-खास चीजों के उत्परिवर्ती तैयार किए गए हैं वे मूंगफली मूंग, अरहर आदि हैं।

(iv) **यंत्रीकरण**

अनुसंधान-कार्यों में काम में आने वाले बहुत से यंत्र नियंत्रण-अभियांत्रिकी में

काम में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र तथा विश्लेषण-सेवाओं में काम में आने वाले यंत्र विकसित किए गए हैं और सम्बन्धित तकनीकी जानकारी उद्योगों को दी गई है। इस बात का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित तकनीकी जानकारी उद्योगों को उपलब्ध कराई जाए तथा इसके लिए एक औद्योगिकी-अंतरण कक्ष भी स्थापित किया गया है।

हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए बड़ी शक्तियों की ओर से आश्वासन

3362. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को सोशलिस्ट इन्टरनेशनल की निशस्त्रीकरण सलाहकार परिषद द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी है जो बड़ी शक्तियों से यह आश्वासन मांग रही है कि हथियारों का अन्धाधुन्ध निर्माण बन्द किया जायेगा और बाह्य आन्तरिक्ष तक इनका विस्तार नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) बड़ी शक्तियों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त मामले में सरकार का क्या रवैया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सलाहकार परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले महीने मास्को और वाशिंगटन गया था। इस प्रतिनिधिमंडल को व्यक्त उद्देश्य अमरीका और सोवियत संघ के नेताओं से इस बात की अपील करना था कि वे अपनी निरस्त्रीकरण बातचीत में जो 12 मार्च को जेनेवा में शुरू हुई थी, ठोस परिणाम सोचें।

मास्को में प्रतिनिधिमंडल ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महा सचिव श्री मिखैल गोर्बाचोव के साथ बातचीत की थी जबकि वाशिंगटन में प्रतिनिधिमंडल ने अमरीका के उप राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री के साथ बैठकें की।

(ङ) भारत सरकार इस प्रकार की किसी भी रचनात्मक पहल का स्वागत करती है, जो नाभिकीय होड़ को रोकने और इसे विपरीत दिशा में मोड़ने तथा बाहरी अन्तरिक्ष को शांति के क्षेत्र के रूप में बनाए रखने में सहायक होगी।

वीडियो कैसेट रिकार्डरों का उत्पादन

3363. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक टेलीविजन इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि उन्हें वीडियो, कैसेट रिकार्डर और प्लेयर्स जैसे संबद्ध उत्पादों का विपणन और निर्माण करने के अवसर प्रदान किए जाएं, और क्या उन्होंने इन उपकरणों के महत्वपूर्ण पुर्जों आदि की अनुपलब्धता के बारे में कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष, और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) नगर के आस-पास के मुफस्सिल क्षेत्रों में (बंगलौर महानगर क्षेत्र से भिन्न) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के नए विनिर्माताओं को पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति के सम्बन्ध में मुफस्सिल श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन विनिर्माता संघ, जगलूर रोड़ दावनगेरे, कर्नाटक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। संघ को यह सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई० टी० एण्ड टी०) से सम्पर्क करें।

धार्मिक स्थानों पर हथियार एकत्र करने के सम्बन्ध में कानून बनाना

[हिन्दी]

3364. श्री दिलीप सिंह भूरिया
श्री विलास मुत्तेमवार } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक स्थानों पर हथियार के एकत्र करने तथा ऐसे स्थानों को गैर-धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय विधान बनाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार पंजाब की घटनाओं को देखते हुए ऐसा कोई विधान बनाने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) शस्त्र अधिनियम, 1959 भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों में ऐसे प्रतिबन्धों की व्यवस्था है।

(ख) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई नया विधान बनाने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत के बारे में जानकारी देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के लिए विशेष कार्यक्रम

[अनुवाद]

3365. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध लड़ने के बारे में किए जा रहे प्रयासों की विदेशों में रहने वाले भारतीयों को जानकारी देने और उन्हें भी इन प्रयासों में शामिल करने के लिए उनके मंत्रालय में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के लिए क्या विशेष कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) क्या कुछ विदेशी समाचार पत्रों में झूठे प्रचार को रोकने हेतु सांस्कृतिक दल, और संयुक्त खेल-कूद प्रतिनिधि मंडल जल्दी-जल्दी कनाडा, अमरीका ब्रिटेन और जर्मन संघीय गणराज्य का दौरा करते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किए गए इस प्रकार के दौरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेशमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों को खासतौर पर हिदायत दी गई है कि वे भारतीय समुदाय से निकट संपर्क बनाए रखें और जातीय भारतीय समाचार-पत्रों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दें। जून, 1984 के बाद की घटनाओं को देखते हुए अतिवादी विचारों वाले व्यक्तियों के अभिप्रेरित प्रचार का प्रतिकार करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। विदेश स्थित हमारे मिशनों को कुल 123 मास्टर वीडियो कैस्टस और 40 मास्टर आडियो कैसेटस भेजे गए। हमारे मिशनों ने इनके कई केसेटस बनाए और भारत की घटनाओं की सही तस्वीर पेश करने के लिए उनका बड़े पैमाने पर वितरण किया। इस समय हमारे मिशनों को एक साप्ताहिक वीडियो कैसेट भेजा जाता है जिसमें समाचार, विविध सामग्री और सांस्कृतिक स्वरूप की रिपोर्टें होती हैं। जहां भी जातीय टेलीविजन मीडिया हैं, वे इन कैसिटों का व्यापक उपयोग करते हैं। इसके अलावा व्यापक वितरण के लिए मुद्रित सामग्री भी भेजी जाती है।

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने यू० के०, अमरीका और कनाडा के जातीय मीडिया से संबद्ध कुछ व्यक्तियों को आमन्त्रित किया था। अपनी इस यात्रा से उन्होंने भारत की घटनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। भारत की यात्रा पर आए विदेश स्थित भारत मूल के समुदाय के कुछ अन्य प्रतिनिधियों को भी देश के विभिन्न भागों में जाने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात करने की

सुविधा प्रदान की गई। इन प्रयासों का केन्द्र बिन्दु भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना और विद्रोही शक्तियों का अधिकतम प्रतिकार करना था।

(ख) और (ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अमरीका, कनाडा, यू० के० और जर्मन संघीय गणराज्य को भेजे गए मंचीय कलाकारों के प्रतिनिधिमंडलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। खिलाड़ी दलों की यात्राओं के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित अमरीका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और जर्मन संघीय गणराज्य में जाने वाले मंचीय शिष्टमण्डलों के ब्यौरे :—

संयुक्त राज्य अमरीका

1. उस्ताद नासीर जहीरुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर फैयजुद्दीन डागर और उनके दो साथी, दिल्ली (अप्रैल, 1983)

2. निशात खान और श्री इरशाद खान, सितार वादक, कलकत्ता (अप्रैल, 1983)

3. श्री इन्द्रलाल, सारंगी वादक और श्री जमीर अहमद, तबला वादक, नई दिल्ली (सितम्बर, 1983)

4. श्री बी० जी० जोग (वायलिन,) श्रीमती गिरिजा देवी (गायिका) और श्री ब्रज भूषण (कालरा गिटार), कलकत्ता (सितम्बर, 1983)

5. श्री शिव कुमार शर्मा और जाकिर हुसैन, बम्बई (अप्रैल 1984)

6. डा० वेमपती चिन्ना सत्यम द्वारा निर्देशित कुचीपुड़ी कला अकादमी, मद्रास (अप्रैल, 1984)

7. श्रीमती अमला शंकर के नेतृत्व में उदय शंकर, भारत सांस्कृतिक केन्द्र, कलकत्ता (जून, 1984)

8. पंडित जसराज और उनके तीन साथी कलाकार, बम्बई (जुलाई, 1984)

9. असद अली खान, वीणा वादक, नई दिल्ली (अक्तूबर, 1984)

कनाडा

1. श्री पूर्णदास बौल और उनके दो साथी कलाकार, कलाकत्ता (सितम्बर, 1983)

2. श्रीमती कलानिधि नारायणन, अभिनय और भारत नाट्यम के नर्तक और अध्यापक (अप्रैल, 1984)

3. बनारस विश्वविद्यालय रंगमंचीय दल, वाराणसी को 5—1/2 यात्रा अनुदान (मई, 1984)

4. श्री श्रीकान्त देशपांडे, गायक और उनके दो साथी कलाकार, बम्बई (सितम्बर, 1984)

संयुक्त राज्य अमरिका और कनाडा

1. श्रीमती एस० कनक, भारतनाट्यम नर्तकी, नई दिल्ली (अप्रैल, 1983)

2. पद्मश्री नामगिरिपट्टई कृष्णन, नादस्वरम् वादक और उनके चार सहयोगी, मद्रास, (मई, 1983)

3. पर्कशन कर्नाटक का 14 सदस्यीय पर्कशन दल, बंगलौर (जून, 1983)

4. श्री के० वी० नारायणस्वामी, कर्नाटक शैली में गायक और उनके तीन साथी कलाकार, बंगलौर सितम्बर, 1983)

5. केरल कला मंडलम, चेरुथुरुथी की 17-सदस्यीय कत्थकली मंडली, केरल (मई, 1984)

6. श्री एम० चन्द्रशेखरन, वायलिन वादक और उनके तीन सहयोगी, मद्रास (जून, 1984)

7. श्रीमती मीरा प्रसाद, सितार वादक, कलकत्ता और श्री फैयाज खान, तबला वादक, नई दिल्ली (जुलाई, 1984)

8. श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन, भारतनाट्यम नर्तकी और उनके चार साथी कलाकार, नई दिल्ली, (जुलाई, 1984)

9. डॉ० इमानी शंकर शास्त्री, वीणा वादक, नई दिल्ली और श्री येला वेंकटेश्वर राव, मृदंग वादक, मद्रास (सितम्बर, 1984)

10. श्री नरसिम्हाचारी और वसन्ता लक्ष्मी, भरतनाट्यम नर्तक, मद्रास (नवम्बर, 1984)

यूनाइटेड किंगडम

1. 12 सदस्यीय राजस्थानी संगीत मंडली, जोधपुर (अगस्त, 1983)

2. 30 सदस्यीय नया थियेटर मंडली, मध्य प्रदेश (अगस्त, 1983)

3. प्रोफे० देबू चौधरी, सितारवादक, और उनके साथी, नई दिल्ली, (सितम्बर, 1983)

4. श्रीमती सुभ्रा मुखर्जी का गीतांजली दल, ब्रह्मसंगीत की विशेषज्ञता और उनके दो साथी कलाकार, नई दिल्ली, (सितम्बर, 1983)

5. कुमारी माधवी मौदगल्यम, ओडिसी नर्तकी और उनकी तीन साथी कलाकार, नई दिल्ली (सितम्बर, 1983)

6. श्री के० एन० पणिक्कर, केरल के कत्थली विशेषज्ञ और उनके दो सहयोगी (अक्तूबर, 1983)

7. श्रीमती पी० सुन्दरम, श्रीमती नलिनी रघु, श्री पी० कृष्णन और श्रीमती सहिषा साथेस्तिव (अक्तूबर, 1983)

8. श्री आलोक राय की 11 सदस्यीय जागरण मंडल, नई दिल्ली (जनवरी, 1984)

9. पंडित दुर्गालाल, उस्ताद लतीफ अहमद खान और ज्वाला प्रसाद (फरवरी, 1984)

10. श्री इमरान खान, सितार वादक और उनके दो सहयोगी, कलकत्ता (अप्रैल, 1984)

11. श्री जयकिशन महाराज, कत्थक नर्तक, और श्री अशोक चक्रवर्ती, तबला वादक, नई दिल्ली (मार्च, 1984)

12. श्री एन० तेपय्या और उनके पांच साथी कलाकार नादश्वरम् वादक, बंगलौर (मई, 1984)

13. सुश्री जयश्री मुंडकर, भारतनाट्यम और मोहिनीपत्तम नर्तकी और उनकी पांच साथी कलाकार, कलकत्ता (मई, 1984)

14. सुश्री नोर्मा कारनेरो अल्फोन्सो, पियानो वादक और संगीतज्ञ, बम्बई (जून, 1984)

15. डॉ० बी० दोरेस्वामी आयंगरम, वीणा वादक बम्बई।

डॉ० टी० आर० सुब्रामणियम, गायक, नई दिल्ली।

डॉ० ए० वी० आनन्द, मृदंगम वादक, मद्रास।

सुश्री अनुराधा ब्रह्मनन्दम, वायलिन वादक, मद्रास (नवम्बर, 1984)

16. डा० श्रीमती कनक रेले, कत्थकली अध्यापिका, बम्बई, (दिसम्बर, 1984)

17. 12 सदस्यीय राजस्थानी संगीत मंडली और 4 सदस्यीय बाउल गान मंडली (फरवरी, 1984)

18. श्री मुस्ताक हुसैन खान, बम्बई (जनवरी, 1984)

यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी संघीय गणराज्य

1. श्रीमती भारती शिवाजी, भारतनाट्यम और मोहिनीत्म नर्तकी उनके छह साथी कलाकार, नई दिल्ली (जून, 1983)

2. उस्ताद अमजद अलीखान, सरोद वादक, नई दिल्ली (अक्तूबर, 1983)

3. किन्नौर का 18 सदस्यीय किन्नौरी नर्तक-दल, हिमाचल प्रदेश
   5 सदस्यीय सूफियाना कलाम दल, श्रीनगर (जम्मू और काश्मीर)
   सिक्किम के रूमटेक मठ के लामाओं की 12 सदस्यीय मंडली ।
   लद्दाख, लेह की 12 सदस्यीय संगीत एवं नृत्य मंडली (मई, 1984)

4. 28 सदस्यीय सांस्कृतिक मंडली, जिसमें शामिल हैं :

1. उस्ताद मोइनुद्दीन डागर, बम्बई ।

2. उस्ताद करीदुधीन डागर, भोपाल ।

3. श्री विदुर मल्लिक, भोपाल

4. पंडित सियाराम तिवारी और उनके सहयोगी, पटना, (अप्रैल, 1983)

5. कुमारी मल्लिका साराभाई के नेतृत्व, में दर्पण अकादमी मंचीय कला, अहमदाबाद (जून, 1984)

यूनाइटेड किंगटम और संयुक्त राज्य अमरिका

1. श्रीमती सुनयना, कत्थक नर्तकी और उनकी साथी कलाकार, बम्बई (सितम्बर, 1983)

मंत्रियों और उनके वैयक्तिक कर्मचारियों द्वारा सम्पत्ति का संचयन

3366. श्री चित्त महाता : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई तरीका अपनाया है कि क्या मंत्रियों और उनके निजी सचिवों वैयक्तिक कर्मचारियों द्वारा संचयन की गई सम्पत्ति उनकी वास्तविक आय के अनुपात में ठीक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) मंत्रियों के लिए आचार संहिता है । इस संहिता के तहत केन्द्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से

पूर्व व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति और देयताओं के ब्यौरे प्रधानमंत्री को बताने होते हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद और जब तक वह इस पद पर रहता है, केन्द्रीय मंत्री को अपनी सम्पत्ति और देयताओं के विषय में प्रधानमंत्री को वार्षिक रूप से 31 मार्च तक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। उनके ब्यौरों को बताने की प्रथा नहीं है।

मंत्रियों के निजी सचिव/वैयक्तिक कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू समान नियमों द्वारा शासित होते हैं। इन नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं की एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक विनिर्दिष्ट कीमत से अधिक की अचल सम्पत्ति की बिक्री और खरीद तथा चल सम्पत्ति के अर्जन तथा विक्रय के कारोबार के बारे में सरकार को सूचना देते रहना भी अनिवार्य है। इन नियमों के सख्ती से पालन किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा उचित नियंत्रण रखा जाता है।

आदिवासी उप योजना क्षेत्रों हेतु योजनाओं का सुनिश्चय करने के बारे में मंत्रालयों/विभागों को जारी किये गए निर्देश

3367. **श्री गिरिधर गोमांगा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकार के मंत्रालयों और विभागों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी, उपयोजना क्षेत्रों हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों का सुनिश्चय करने और धनराशि निर्धारित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त निर्देशों का पालन किया है;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान भी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के सम्बन्ध में उनके द्वारा ऐसी ही प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने उन मार्ग निर्देशों के आधार पर अनुपालन करना शुरू कर दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिनांक 12 मार्च, 1980 को तत्कालीन प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय मंत्रालयों को लिखे पत्र में उन्हें धनराशि निर्धारित करने तथा आदिवासी उपयोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा था। दिनांक 4 मई, 1981 को गृह सचिव ने चुने हुए केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आदिवासी उपयोजनाओं के लिए परिव्यय की

धनराशि निर्धारित करने के कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया। छठी योजना के दौरान निम्न केन्द्रीय मंत्रालयों ने धनराशि को निर्धारित किया है :—

1. कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय
2. वाणिज्य मंत्रालय
3. संचार मंत्रालय
4. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
5. खाद्य तथा आपूर्ति मंत्रालय (आपूर्ति विभाग)
6. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
7. औद्योगिक विकास मंत्रालय
8. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
9. सिंचाई मंत्रालय
10. श्रम मंत्रालय
11. पुनर्वास विभाग
12. जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय
13. ग्रामीण विकास मंत्रालय
14. समाज कल्याण मंत्रालय
15. खाद्य तथा आपूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग)

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) सभी संबंधित मन्त्रालयों ने आदिवासी उपयोजना के लिए धनराशियों का निर्धारण कार्य शुरू कर दिया है।

"रेड आयल पाम" की खेती के लिए अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में वन भूमि का आबंटन

3368. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी पार्टियों ने संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में "रेड आयल पाम" की खेती के लिए वन-भूमि के आबंटन हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) ऐसी पार्टियों अथवा कम्पनियों के नाम क्या हैं और कितने क्षेत्र की मांग की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) इन अनुरोधों की भूमि की उपलब्धता पर्यावरणात्मक प्रभाव आदि सहित सभी दृष्टियों से जांच की जा रही है।

(ग) जिन दलों/कम्पनियों से इस प्रकार प्राप्त हुए हैं, उनके नाम नीचे दिये गए हैं :—

क्र० सं०	दल/कम्पनी का नाम	मांगा गया क्षेत्र (हैक्टार में)
1.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	5,000
2.	शत्रुघन जीवनानी, बम्बई	10,000
3.	आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायाम, केरल	15,000
4.	शाह वालेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	20,000
5.	टी० जी० एल० ग्रुप, अदोनी, कुरनूल	10,000
6.	आलिमंचद टोपनदास आयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेट, अदोनी, कुरनूल	10,000
7.	एजिस कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि० बम्बई	आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया
8.	राम बहादुर ठाकुर प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन	10,000

कर्नाटक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3369. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त में 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कर्नाटक का 12 वां स्थान था ;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 में यह 15 वें स्थान पर था तथा इसका औसतन कार्यनिष्पादन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 70 से 80 प्रतिशत के बीच था ; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में इसकी क्या स्थिति है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए जानकारी फरवरी, 1985 तक अर्थात् 11 महीनों के लिए उपलब्ध है । इस अवधि में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में सभी राज्यों में कर्नाटक का स्थान छठा है ।

वानिकी के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल

3370. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वानिकी के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम का गठन किया था जिसने वानिकी को नया रूप देने हेतु 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वानिकी के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) योजना आयोग के कार्यदल ने अन्य क्या सिफारिशें की थीं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वानिकी के लिए निर्धारित कुछ परिव्यय 692.49 करोड़ रुपए था ।

(ग) 1983-84 अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष तक 596.13 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं । 1984-85 के लिए जो कि योजना का अंतिम वर्ष है 236.00 करोड़ रुपए का परिव्यय था ।

(घ) योजना आयोग ने अन्तिम राय नहीं दी है ।

कोलार सिंचाई और जल पूर्ति योजना के लिए वन भूमि का हस्तांतरण

3371. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को उसकी कोलार सिंचाई और जलपूर्ति योजना के लिए वन भूमि का हस्तांतरण कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय पर्यावरण विभाग से पर्यावरणात्मक दृष्टि से परियोजना की मंजूरी के साथ एक संशोधित प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 4.12.84 को प्राप्त हुआ था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत इस मंजूरी पर विचार किया जा रहा है ।

फुलबनी जिले (उड़ीसा) में सामाजिक वानिकी योजना

3372. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फुलबनी जिले में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी;

(ख) उस जिले में यह योजना शुरू करने का क्या प्रयोजन है; और

(ग) उस योजना के कार्यान्वयन से अब तक कौन-कौन से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना उड़ीसा राज्य के फुलबनी जिले में नहीं चल रही है ।

फुलबनी जिले में राज्य सामाजिक वानिकी योजनाओं के ब्यौरे उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

टी० वी० सैटों का निर्माण

[हिन्दी]

3373. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से टी० वी० सेटों का निर्माण करने वाले कारखाने स्थापित किए गए हैं ;

(ख) उक्त कारखानों में निर्मित टी० वी० सेटों के मूल्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार रंगीन टी० वी० सेटों के ऊंचे दामों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लघु

उद्योग निगम से कहेगी कि वह लघु उद्यमियों से ही अधिकतम संख्या में टी० वी० सेटों का निर्माण करने हेतु उन्हें अपने कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) किसी भी राज्य में कोई भी दूरदर्शन विनिर्माण इकाइयां अनन्यत: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से स्थापित नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के मूल्य

[अनुवाद]

3374. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर है;

(ख) क्या यह अन्तर जापान और हांगकांग से सस्ती और घटिया किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल घड़ियों की तस्करी होने के कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बड़े पैमाने पर देश में कम कीमत की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के उत्पादन के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा कराने का विचार है ; और

(घ) ऐसी कम कीमत की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों को किस कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्यों में जो अन्तर है उसका मुख्य कारण अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के क्षेत्र में हो रही प्रौद्योगिकीय प्रगति है।

(ग) कम कीमत वाली अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के उत्पादन तथा उनकी बिक्री के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा "इलेक्ट्रॉनिकी से सम्बन्धित नीति पर एकीकृत उपाय" के एक अंग के रूप में दिनांक 21 मार्च, 1985 को संसद में पहले ही कर दी जा चुकी है।

(घ) कम कीमत वाली अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का वास्तविक मूल्य कितना होगा, यह बताना कठिन है। मूल्यों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार आशा करती है कि वह अपने प्रयासों में सफल रहेगी।

राज्यों का पुर्नगठन

3375. श्री मूल चन्द डागा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ए फ्रैश लुक आन स्टैट्स रिआर्गेनाइजेशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में इसका अध्ययन किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या देश को पांच प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटने की योजना के बारे में उनके मंत्रालय में अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने सम्बन्धित समाचार देखा है।

(ख) किसी राज्य के पुर्नगठन का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रशासनिक दृष्टि से देश का क्षेत्रों में विभाजन करने की वांछनीयता या इसे अपनाने पर विचार करना विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों का कार्य है।

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक यूनिटों की स्थापना

3376. श्री अमल दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरवा और गढवाल, हरियाणा में पंचकुला में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगाने का निर्णय किया है और पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगाने की पश्चिम बंगाल सरकार की मांग को ठुकरा दिया है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय रूप से सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जबकि डब्ल्यू० बी० ई० आई० डी० सी० ने अपने आप पश्चिम बंगाल में रीधाम नगर में उपरोक्त एकक की स्थापना करने के लिए पहल की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड की इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार भी शामिल है। किन्तु,

विभिन्न तत्वों पर विचार करने के पश्चात् अंततः हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की एक इकाई कोरवा में तथा भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड की दो नई इकाइयां उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में और हरियाणा के पंचकुला में स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों को सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार की कोई वित्तीय योजना नहीं है।

राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किए गए कोच

[हिन्दी]

3377. **श्री हरीश रावत : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा देश में कितने व्यक्तियों कों अब तक कोचों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न खेल संठगनों द्वारा इन प्रशिक्षित कोचों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) इन प्रशिक्षित कोचों को अच्छा पारिश्रमिक और सुविधाये देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र) : (क) 6,267

(ख) जी, हां।

(ग) आशा है कि नियोक्तता खेल संगठन ऐसे कदम उठाएंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों को पहले से ही अच्छा पारिश्रमिक दिया जाता है और उन्हें सांस्थानिक सुविधाएं भी उपलब्ध करौई जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण का खेलों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्यकरण

[अनुवाद]

3378. **श्री हरीश रावत :** क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण को देश के सभी खेल संगठनों को दिशा-निर्देश देने वाले शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने को कहा है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : भारतीय खेल प्राधिकरण से आवश्यकता पड़ने पर अन्य खेल संगठनों के सहयोग से कार्य करने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों के विकास हेतु केन्द्रीय धनराशि

[हिन्दी]

3379. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं और वहां ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने हेतु, बायो गैस कार्यक्रम, उन्नत प्रकार के चूल्हों के कार्यक्रम और सौर ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों और ग्राम विकास विभाग एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विकास एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इसमें स्वैच्छिक एजेंसियां भी शामिल हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना के लिए अभी हाल ही में 90.00 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों के हिस्से (शेयरों) का निर्धारण, स्रोतों की समस्त उपलब्धता को दृष्टि में रखकर ही वर्ष 1984-85 के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।

जयपुर हवाई अड्डे पर विदेशी पर्यटकों को सामान का वितरण

3381. श्री शांति धारीवाल
श्री विष्णु मोदी } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में देश के अन्य भागों की यात्रा करने के बाद जयपुर हवाई अड्डे पर उतरने वाले विदेशी पर्यटकों को हवाई अड्डे पर उनका अपना सामान समय पर नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो विभाग विदेशी पर्यटकों को उनकी तत्काल आवश्यकताएं पूरी करने हेतु कोई वित्तीय सहायता देता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। तथापि कुछ मामलों में, सामान गलत चला गया था और देर से सुपुर्द किया गया था।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जी, हां । रात्रि किट जैसी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यात्रियों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विरल मृदा (रेयर अर्थ्स) खनिजों से माल तैयार करने वाली फैक्टिरियां

[अनुवाद]

3382. श्री एन० डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रखा गया है, वहां उपलब्ध विरल मृदा (रेयर अर्थ्स) खनिजों से तयार माल बनाने के लिए फैक्टिरियां लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उपलब्ध विरल मृदा खनिजों से तैयार माल के उत्पादन के लिए मौजूदा फैक्टरियों के अलावा कोई और फैक्टरियां लगाने का कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

कलकत्ता में कम्प्यूटर केन्द्र

3383. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के लिए एक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मंत्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां । सरकार ने कलकत्ता के क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र की बी० 6700 कम्प्यूटर प्रणाली के स्थान पर दूसरी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए निर्णय किया है । इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अन्तर्गत सी० एम०

सी० लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इन्डोनेट परियोजना के अन्तर्गत कलकत्ता में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित कर रहा है जिसके वाणिज्यिक एवं औद्योगिक अनुप्रयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क (निकनेट) के एक अभिन्न अंग के रूप में, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र सरकारी कम्प्यूटरीकरण के लिए कलकत्ता में एक मझौले आकार का कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित करेगा।

उपर्युक्त तीनों प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

कलकत्ता में ठहरे एफ-27 विमानों को चलाने के लिए दिल्ली निवासी विमान चालकों पर होने वाला व्यय

3384. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के एफ-27 विमानों का अड्डा कलकत्ता में है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली से विमान चालकों को (कलकत्ता) लाये बिना उन्हें ग्रांड होटल में ठहराये बिना ही, कलकत्ता में सम्पूर्ण उड़ान चलाने हेतु विमान चालकों की कोई कमी है; और

(ग) दिल्ली विमान चालकों को ग्रांड होटल, कलकत्ता में ठहराने पर वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष	व्यय (लाख रुपए)
1982	10.41
1983	7.00
1984	11.29

गायन कला में राष्ट्रीय पुरस्कार

3385. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गायन और संगीत कलाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की भांति ही

राष्ट्रीय पुरस्कार के शुरू करने का विचार कर रहा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत के साहित्य और गौरव के परिरक्षण तथा उनको लोकप्रिय बनाने के लिए साहित्य (सभी भाषाओं में) में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार को टैगोर पुरस्कार, संगीत में उस्ताद "अलाउद्दीन खान पुरस्कार" और गायन में 'उस्ताद तानसेन" का नाम देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?.

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) संगीत नाटक अकादमी केन्द्रीय सरकार से पूर्णरूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है संगीत, वाद्य, तथा वाद्य संगीत सहित निष्पादन कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठता के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। ये पुरस्कार "अकादमी पुरस्कारों" के नाम से जाने जाते हैं, साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य में उत्कृष्टता के लिए, दिये गये "साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कारों के तदनुरूप है"। ये दोनों पुरस्कार जिन्हें वर्ष 1955 में आरम्भ किया गया, प्राप्तकर्ता को प्रदान करने के लिए इन्हें अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त है। इन पुरस्कारों का पुनःनामकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरक, कीटनाशी तथा शाकनाशी दवाओं के कारण प्रदूषण

3386. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकरी है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये उर्वरक, कीटनाशी तथा शाकनाशी दवाओं के अत्याधिक उपयोग के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल तथा खाद्य प्रदूषण समस्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरसेन) : (क) रिपोर्ट मिली है कि कुछ क्षेत्रों में कीटनाशकों एवं शाकनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से खाद्य एवं जल में प्रदूषण हुआ है। बहरहाल खाद के प्रयोग से मिट्टी/थलीय जल में प्रदूषण होने की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कीटनाशकों के विषैले प्रभाव से पर्यावरण सुरक्षा, सभी कीटनाशकों (देश में आयात, उत्पादन, विक्रय अथवा उपयोग हेतु) को कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत करके सुनिश्चित की जाती है। इस अधिनियम के तहत गठित पंजीकरण समिति, खुद की संतुष्टि के बाद ही पंजीकरण की स्वीकृति देती है कि रसायन, मनुष्य, जानवरों तथा पर्यावरण के लिए प्रायः हानिकारक नहीं है। चूंकि, कई वर्षो के उपयोग के बाद, कुछ पर्यावरणीय असर देखें गये हैं, अतः कीटानाशक अधिनियम के तहत एक कीटनाशक पर्यावरण प्रदूषण परामर्शदायी समिति का गठन

किया गया है, जो समय-समय पर प्रदूषण की हालात का पुनरीक्षण करती रहती है। इसके फलस्वरूप देश में कीटनाशी दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ का प्रयोग सीमित कर दिया गया हैं। हाल ही में कृषि मन्त्रालय द्वारा नए विकल्पों अथवा उपलब्ध दृष्टिकोणों के संदर्भ में कुछ स्थाई कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग पुनरीक्षा के लिए समिति गठित की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा पर्यावरण विभाग ने खाद्य, चारा, जल, सब्जियों आदि में विभिन्न कीटनाशियों अवशेषों के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, कृषि तथा गैर कृषि विश्व-विद्यालय, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग तथा पर्यावरण विभाग स्थायी कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षित दृष्टिकोणों या विकल्पों को विकसित करने में लगे हैं।

केरल में वन भूमि में लोगों को बसाने के लिए केन्द्रीय कानून

3387. **श्री के० मोहन दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार को कुछ केन्द्रीय कानूनों के कारण केरल की वन भूमि के कुछ भागों में वहां के निवासियों के वैधानिक के हितों को मान्यता देने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उक्त तथ्य को केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) केरल के वन क्षेत्रों में वैयक्तिक तौर पर बसाने के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं बनाया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने संबंधी आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा पारित किए जाने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। वन भूमि में बसाए जाने के बारे में केरल का कोई मामला केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है।

हिन्द महासागर के तल में धातुओं का सर्वेक्षण और निकासी

3388. **श्री के० मोहन दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के तल में विभिन्न धातुओं की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन धातुओं के सर्वेक्षण और उन्हें निकालने की कोई योजना है;

(घ) क्या भारत में इस संबंध में अपेक्षित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता उपलब्ध है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या अन्य देशों की सहायता मांगी गई है और अब तक की गवेषणा और निष्कर्षण के क्या परिणाम रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान । हिन्द महासागर का समुद्र-तल बहुत विस्तृत है और इसलिए, इसमें विद्यमान विभिन्न खनिजों अथवा धातुओं की मात्रा का सही अनुमान लगाना कठिन है । तथापि, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ और अन्य संस्थाओं द्वारा महाद्वीपीय शेल्फ और समुद्र जैसे चुने हुए क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण के परिणाम अत्यन्त आशाप्रद हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान । कई कच्ची धातुओं के भण्डारों से धातुएं निकाली जा रही हैं। उदाहरणार्थ प्लेसर भण्डारों के रूप में प्राप्त इल्मेनाइट, मोनाजाइट, रूटाइल और जिरकॉन खनिजों से टिटेनियम, जिरकोनियम, वनाडियम, थोरियम आदि निकाले जा रहे हैं।

गहरे समुद्र में सब से आशाजनक भण्डार बहुधात्विक पिण्डों के हैं । पिण्डों में से, तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण धातुएं अर्थात् तांबा, निकल और कोबाल्ट प्रयोगशाला पैमाने पर निकाली गई हैं । इसे प्रयोगिकीय पैमाने पर विकसित करने के प्रयास जारी हैं ।

(घ) जी हां, श्रीमान । भारत में अपेक्षित प्रौद्योगिक विशेषज्ञता उपलब्ध है जिसे और आगे बढ़ाया जा रहा है ।

(ङ) समुद्री सर्वेक्षण और धातुओं के निष्कर्षण के क्षेत्र में अब तक किसी अन्य देश से कोई सहायता नहीं मांगी गई है ।

कार्यालय संबंधी आधुनिक मशीनों और उपकरणों की व्यवहारिता की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

3389. **श्री के० राममूर्ति**
श्री बी० सोमना ब्रीसवराव राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों/विभागों में कार्यालय सम्बन्धी आधुनिक मशीनों और उपकरणों का प्रयोग शुरू करने की व्यवहारिता की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) समिति ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। समिति के कहने पर उपयोग में लाए जा रहे कार्यालयी उपस्करों और मशीनों का पता लगाने तथा और आगे आधुनिकीरण की सम्भाव्यता की जांच करने के लिए चुनिन्दा मंत्रालयों/विभागों में अध्ययन किए जा रहे हैं।

प्रबन्धकीय अध्ययनों की सिफारिशों की क्रियान्विति

3390. **श्री के० राममूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान शुरू किए गए 27 प्रबन्धकीय अध्ययन पूरे हो गये है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रबन्धकीय अध्ययनों में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 1983-84 में पूरे किए गये 18 प्रबंधकीय अध्यनों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को विभिन्न संबंधित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) प्रत्येक अध्ययन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण एक सभा पटल पर रख दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1084/85]

(ग) और (घ) अध्ययन रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अधिकार प्राप्त समितियों का गठन करना होता है और की गई कारंवाई पर निगाह रखने का काम प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का होता है। रिपोर्टों में की गई सिफारिशों से सम्बन्धित कार्रवाई और कार्यान्वयन में हुई प्रगति, उपलब्ध सूचना के अनुसार विवरण-दो में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1084/85]

अखिल भारतीय/केन्द्रीय ग्रुप "क" सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व

3391. **श्री के० राममूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय/केन्द्रीय ग्रुप "क" सेवाओं में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अध्ययन और केन्द्रीय सरकार के विभागों, सरकारी उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संगठनों में वैज्ञानिकों के स्थानान्तरण को सुचारू बनाने सम्बन्धी उपायों के बारे में किया जाने वाला अध्ययन पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इन अध्ययनों से क्या बातें सामने आई ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्यमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोणार्क मंदिर के इर्द-गिर्द स्थल को सुन्दर बनाना

3392. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा आरम्भ किए गए कोणार्क मन्दिर के इर्द-गिर्द स्थल को सुन्दर बनाने और प्राकृतिक भू-छटा का सृजन करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : कोणार्क मन्दिर परिसर की 7 एकड़ भूमि में घास के मैदान, फूलों की क्यारियां और झाड़ियों के पौधे लगाकर उसे सुन्दर बनाया जा रहा है। मन्दिर के इर्द-गिर्द की 26 एकड़ भूमि में प्राकृतिक भू-छटा का सृजन करने का कार्य शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

संरक्षित स्मारक

3393. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में उन स्मारकों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्र का संरक्षण प्राप्त है;

(ख) उन पुरातत्व मण्डलों के नाम क्या हैं जो इन स्मारकों की देखभाल कर रहे हैं; और

(ग) इन स्मारकों के उचित संरक्षण के लिए विभिन्न पुरातत्व मंडलों को क्या मार्ग-निर्देश दिये गये हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक, सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों की कुल संख्या 3,517 है।

(ख) पुरातत्व मण्डलों के नाम इस प्रकार है :—

1. आगरा मण्डल, आगरा
2. औरंगाबाद मण्डल, औरंगाबाद
3. बंगलौर मण्डल, बंगलौर
4. भोपाल मण्डल, भोपाल
5. भुवनेश्वर मण्डल, भुवनेश्वर
6. कलकत्ता मण्डल, कलकत्ता
7. चण्डीगढ़ मण्डल, चण्डीगढ़
8. दिल्ली मण्डल, नई दिल्ली
9. गोहाटी मण्डल, गोहाटी
10. हैदराबाद मण्डल, हैदराबाद
11. जयपुर मण्डल, जयपुर
12. मद्रास मण्डल, मद्रास
13. पटना मण्डल, पटना
14. श्रीनगर मण्डल, श्रीनगर
15. बड़ोदरा मण्डल, बड़ोदरा

(ग) स्मारकों का परिरक्षण और रखरखाव, संरक्षण नियम-पुस्तिका में उल्लिखित पुरातत्व सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जाता है।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

3394. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि नई सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए वनों को हटाने सम्बन्धी प्रस्तावों की मंजूरी में विलम्ब होने के कारण उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है;

(ख) उड़ीसा से इस आशय के अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और केन्द्रीय सरकार ने कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) सिंचाई, बिजली तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों को निपटाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रयास किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं। आमतौर पर, केन्द्रीय स्तर पर विलम्ब नहीं होता है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार से सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं से सम्बन्धित ...तक प्राप्त सभी 14 प्रस्ताव निपटा दिए गए हैं।

भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर में केन्द्रीय सहायता

3395. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौतिक संस्थान, भुवनेश्वर को अनुसंधान कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 में इस प्रयोजन के लिए संस्थान को कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) उपरोक्त वर्ष में कितनी अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, हां। विभाग ने 1984-85 में भौतिकी संस्थान; भुवनेश्वर के कार्य के लिए 26 लाख रुपये का तथा उस संस्थान के भवन सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान दिया है।

(ग) तथा (घ) यह अनुदान पूरे संस्थान के काम के लिए दिया गया है न कि किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिए।

नेपाली उपग्रह भू केन्द्र को इन्सैट एक बी० से जोड़ना

3396. **श्री प्रतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली उपग्रह भू केन्द्र को भारतीय उपग्रह इनसैट एक बी० से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

योजना आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के सलाहकार

[हिन्दी]

3397. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने पदाधिकारी उपसलाहकार और संयुक्त सलाहकार और सलाहकार के रूप में हैं;

(ख) क्या उनकी संख्या निर्धारित कोटे के अनुसार हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कमी को कब तक पूरा किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) योजना आयोग में (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपसलाहकारों, संयुक्त सलाहकारों और सलाहकारों की संख्या नीचे दी गई है :—

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	उप सलाहकार	7	2
2.	संयुक्त सलाहकार	3	—
3.	सलाहकार	—	—

(ख) उप सलाहकार, संयुक्त सलाहकार और सलाहकार के ग्रेड में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

'टाक्स विद लालडेंगा रन इन्‌ ; ट्रबल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[अनुवाद]

3398. श्री सनत कुमार मंडल
श्री राम बहादर सिंह
श्री सी० माधव रेड्डी
श्री जैनुल बशर
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और श्री लालडेंगा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मिजो नेशनल फ्रन्ट के शिष्ट मंडल के बीच होने वाली वर्तमान वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है जैसा कि टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 21 मार्च, 1985 में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्री लाल डेंगा के साथ बातचीत अभी जारी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोल्लीमेटालिक नाड्यूल की वाणिज्यिक स्तर पर खोज और प्रोसेसिंग

3399. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महासागर से पोल्लीमेटालिक नाड्यूल की वाणिज्यिक स्तर पर खोज और प्रोसेसिंग की सम्भावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में पिछले तीन वर्षों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में सरकार ने उपयुक्त तकनीकी जानकारी के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों से बातचीत की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) महासागर विकास विभाग ने बहुधात्विक पिंडों (पोल्लीमेटालिक नाड्यूल) से सम्बन्धित एक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत को अग्रगामी निवेशक के रूप में मान्यता दी गई है

और मध्य हिन्द महासागर के 30 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडों के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बाद दो खान स्थलों का पता चला है जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 150,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत ने खनन के लिए हिन्द महासागर में एक अग्रगामी क्षेत्र आबंटित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग को पहले ही आवेदन-पत्र दे रखा है। पिंडों के खनन से सम्बन्धित अनुसन्धान और विकास कार्य, जिसमें पर्यावरण आंकड़ों के एकत्रीकरण से सम्बन्धित कार्य भी शामिल हैं; भारत को प्रारम्भिक आयोग द्वारा एक खनन स्थल आवंटित किए जाने के बाद शुरू किया जायेगा। बहुधात्विक पिंडों से प्रयोगशाला पैमाने पर धातुएं (तांबा, निकल और कोबाल्ट) निकालना भी सम्भव हो गया है और इस प्रक्रिया को अर्ध-प्रायोगिक पैमाने पर प्रोन्नत किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान, भारत के पास अपेक्षित प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता उपलब्ध है जिसे और आगे बढ़ाया जा रहा है।

राज्यों में जिला स्तर के योजना बोर्ड

3400. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिला स्तर के योजना बोर्डों और जिला स्तर के जनरल आयोजना केन्द्रों का गठन करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों ने जिला स्तर पर इन बोर्डों का गठन कर लिया है; और

(ग) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राज्य सरकारों को जिला योजना बोर्ड/परिषदें और जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित करने की सलाह दी गई थी।

(ख) और (ग) हरियाणा और त्रिपुरा को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों ने जिला योजना बोर्ड स्थापित किए हैं जो जिला योजना बोर्ड/परिषद, जिला विकास बोर्ड/समिति/परिषद, जिला योजना विकास परिषद, जिला योजना और निगरानी समिति और जिला समन्वय समिति जैसे भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं।

विभिन्न राज्यों में जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित करने के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1085/85]

समुद्र तटों (सी बीचिस) का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास

3401. श्री विजय एन० पाटिल : : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुछ समुद्र तटों (सी-बीचीस) को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सी बीचिस के नाम क्या हैं और उन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना की विहित रूप-रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सातवीं योजना के अंतर्गत विभाग ने अपनी सातवीं योजना कार्यनीति के एक भाग के रूप में भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा साथ ही साथ स्वदेशी पर्यटन का संवर्द्धन करने के लिए समुद्र-तट विकास-पर्यटन के विकास करने का निर्णय किया है। पहले मुख्य समुद्र-तट विहार-स्थलों यथा गोवा, त्रिवेन्द्रम, महाबलीपुरम और पुरी-कोणार्क क्षेत्र का विकास करने पर प्रयास केन्द्रित किए जाएंगे। यद्यपि समुद्र-तट पर्यटन को विविधात्मक रूप से नए समुद्र-तट केन्द्रों तक लाने के प्रयास भी किए जाएंगे।

समुद्र-विहारों के विकास का कार्य राज्य सरकारों तथा प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सम्पन्न और मध्यम आयवर्ग समूहों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए, किया जाएगा जिसके अन्तर्गत सस्ता काटेज-टाइप आवास शामिल है। इस उद्देश्य के लिए विभाग ने 198.-86 की वार्षिक योजना में 25.00 लाख रुपए का आवंटन किया है। विस्तृत ब्यौरे, राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए तैयार किए जाएंगे।

ईरान और इराक में काम कर रहे भारतीयों की संख्या

3402. श्री राम बहादुर सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान और इराक में कितने भारतीय काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन दोनों में बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन दो देशों से भारतीयों को निकालने के लिए कोई प्रयास किये हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या ईरान और इराक की सरकारों से यह आश्वासन लिया गया है कि भारतीय दल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इन दोनों देशों में कार्य-

रत भारतीयों की संख्या सर्वोत्तम प्राक्कलन के अनुसार इस प्रकार है :

ईरान—लगभग 3,000

इराक—लगभग 40,000

(ख) जी हां। इस बात की कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय राष्ट्रिकों को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां युद्ध का खतरा कम हो। कुछ भारतीय भारत चले आए हैं और कुछ पड़ोसी देशों में भी चले गए हैं।

(ग) हमारे मिशनों ने मेजबान सरकारों से अनुरोध किया है कि वे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हुए या तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजें अथवा उन्हें वहां से चले जाने की अनुमति दें। बगदाद और तेहरान स्थित हमारे मिशनों को ये स्थायी अनुदेश हैं कि वे उसकी सहायता करें जो परिस्थितियों की मजबूरी में वापस लौटना चाहते हैं।

महाराष्ट्र में पर्यटक रुचि के स्थानों का चयन

3403. **श्री शांता राम पोटदुखे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने महाराष्ट्र में पर्यटक रुचि के किन-किन स्थानों का चयन किया है; और

(ख) वहां पर्यटकों और विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने अभी तक महाराष्ट्र के अन्तर्गत केवल बम्बई और औरंगाबाद में ही सुविधाएं प्रदान की हैं ;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन दो स्थानों पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है ;

बम्बई—बम्बई हवाई अड्डे के आगमन एवं प्रस्थान विश्राम-कक्षों (लाउंजेज) में शुल्क-मुक्त दुकानें और एक परिवहन एकक।

औरंगाबाद—औरंगाबाद हवाई अड्डे पर 88 कमरे वाला एक 3-स्टार होटल, परिवहन एकक और एक रेस्तरां।

पनबिजली बांधों के कारण-महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में वनों की हानि

3404. **श्री शांता राम पोटदुखे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रस्तावित इंचेम्पल्ली और भोपालपत्लम पन-बिजली बांधों के कारण राज्य-वार कितने हेक्टेयर वन भूमि की हानि हुई है; और

(ख) इसके फलस्वरूप राज्यवार जनजातियों को कुल कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई है;

(ग) जनजातियों के लोगों के पुनर्वास के लिये किये जाने वाले प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कारण वन्य जीवों को कितनी हानि होगी; और

(ङ) उक्त हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विचार करने के लिए अब तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

निर्धारित समय सीमा के भीतर बनकर तैयार न होने वाले होटलों को दण्डित करने अथवा उनका अधिग्रहण करने की योजनाएं

3405. **श्री आनन्द पाठक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री सरकारी सहायता से होटलों के निर्माण के बारे में 10 अगस्त 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2880 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मंजूर शुदा योजना के अन्तर्गत ऐसे कुछ नियम हैं जिनके माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर बनकर तैयार न होंने वाले होटलों को दण्डित किया जा सके, अथवा उनका अधिग्रहण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही की जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ) विभाग, होटलों का अनुमोदन, उनके द्वारा कुछ विनियामक शर्तों का अनुपालन करने पर, परियोजना-स्तर पर करता है। इन शर्तों के अनुपालन में असफल होने पर अनुमोदन को वापिस किया जा सकता है। शर्तों का पालन न करने वाले होटलों के अधिग्रहण का अनुमोदन की शर्तों में कोई प्रावधान नहीं है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा

3406. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों और बैंकों आदि की सेवाओं में भर्ती की अधिकतम सीमा पृथक-पृथक है जिसके परिणाम-स्वरूप रोजगार के अवसरों में असमानता उत्पन्न होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं और अनुभव की प्रकृति तथा सीमा को देखते हुए नियत की जाती है। राज्य सरकारें, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और बैंक अपनी आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने नियंत्रणाधीन पदों में भर्ती करने के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तदनुसार इस मामले में कोई एकरूपता लाए जाने की आशा नहीं की जा सकती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा का प्रदूषण

3407. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दु धार्मिक प्रथा के अनुसार हिन्दुओं द्वारा मृतकों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना, इस नदी के प्रदूषण का एक कारण है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में गठित गंगा प्राधिकरण ने हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की जांच की थी और नदी में मृतकों की अस्थियों को प्रवाहित करने से रोकने के लिए मार्ग और साधन सुझाये थे जिससे कि प्रदूषण न हो ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) मृतकों की अस्थियों के प्रवाह के कारण होने वाले प्रदूषण की मात्रा तथा स्वरुप का वैज्ञानिक ढंग से जांच नहीं की गई है।

(ख) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

सागर तल से खनिज पिंड

3408. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र अभिसमय कानून के अन्तर्गत भारत को अग्रणी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार अपने जलपोत "गवेषणी" से सागर तल से प्रायोगिक आधार पर खनिज पिंड प्राप्त कर सकी थी;

(ग) किस क्षेत्र में ऐसा किया गया था और किस प्रकार के और कितनी मात्रा में खनिज एकत्र किए गए; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रोद्योगिकी में आगे कोई प्रगति प्राप्त की है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 30 अप्रैल, 1982 को अपनाए गए समुद्र अभिसमय कानून के अन्तर्गत भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में मान्यता दी गई है ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) जनवरी, 1981 में राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान के अनुसंधान जलयान "गवेषणी" ने अरब सागर के समुद्र तल से 20 किलोग्राम से अधिक के और मध्य हिन्द महासागर के समुद्र तल से 30 किलोग्रा से भी अधिक के बहुधात्विक पिंडों के नमूने प्रायोगिक आधार पर एकत्र किए थे । इन पिंडों में लोहे और मैंगनीज के अलावा तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण धातुएं विद्यमान हैं ।

(घ) जी हां, श्रीमान । "आर० वी० गवेषणी" के सीमित आकार और क्षमता तथा बहुधात्विक पिंडों से सम्बन्धित कार्यक्रम में तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए, महासागर

विकास विभाग ने एक परिष्कृत समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान "सागर कन्या" का उपयोग किया और वर्ष 1982-84 के दौरान दो अतिरिक्त जलयान भी किराए पर लिए । इन जलयानों में गहरे समुद्र-तल से पिंडों के नमूने एकत्र करने की उन्नत प्रौद्योगिकी होने के कारण, 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र से और 1334 स्टेशनों पर पिंड प्राप्त किए गए हैं । अब तक एकत्रित किए गए पिंडों के बड़े नमूनों की कुल मात्रा ग्यारह टन से भी अधिक है ।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

[हिन्दी]

3409. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई;

(ख) इन बैठकों में पारित संकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1984 में योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

"फ्लोरिशिंग ट्रेड इन ए० यू० इम्पोर्ट लाइसेंसिज" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

3410. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ए० यू० आयात लाइसेंसों के कथित दुरुपयोग के बारे में दिनांक 20 जनवरी, 1985 के इलेक्ट्रोनिक्स रिव्यू, बम्बई में "फ्लोरिशिंग ट्रेड इन ए० यू० इम्पोर्ट लासेंइसिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने लाइसेंसों को जारी करने में खामियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की ताकि लाइसेंसों का उपयोग वास्तविक एवं पात्र लोगों द्वारा और उन लोगों द्वारा किया जाये जिनके पास तकनीकी क्षमता हो ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात में अनेक जाली इकाइयों को आयात लाइसेंस दिए जाने के आरोप से सम्बन्धित प्रेस रिपोर्टों के आधार पर इस मामले में जांच-पड़ताल शुरु कर दी गई है । जांच-पड़ताल के बाद यदि किसी को दोषी पाया गया तो आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा/अथवा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

ऐसे दुरुपयोग के मामले अन्य स्रोतों से जब कभी सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं, तब कार्रवाई शुरु की जाती है । अधिक मूल्य के लाइसेंसों के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए स्वयमेव जांच करने की भी व्यवस्था है ।

पिछले दो वर्षों में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उपायों से सम्बन्धित अनेक नीतियां घोषित की हैं, जिनके कारण यदि ए० यू० आयात लाइसेंसों का कोई दुरुपयोग होता हो तो उसमें काफी कमी आ जाएगी ।

राजस्थान में पर्यटन की सूची के स्थान का विकास

[हिन्दी]

3411. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विदेशी पर्यटकों को देश में आकर्षित करने के लिए विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) राजस्थान में सर्वाधिक आकर्षक रेगिस्तानी स्थान-जैसलमेर, झीलों का शहर उदयपुर, बहादुरी और स्वमिभक्ति का ऐतिहासिक नगर चितौड़ गढ़ जैसे पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) : पर्यटन विभाग ने राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से परामर्श करते हुए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और प्राइवेट सैक्टर के मिले-जुले संसाधनों से 441 केन्द्रों (61 यात्रा परिपथों में समूह बद्ध) को अवस्थाबद्ध विकास के लिए अभि निर्धारित किया है । राजस्थान में अवस्थाबद्ध विकास के लिए निम्नलिखित तीन यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित किया गया है :

1. जयपुर-जोधपुर-ओसयां-पोखरण-जैसमलेर-बीकानेर-जयपुर ।

2. (आगरा)-भरतपुर-जयपुर-टोंक-सवाईमाधोपुर-जयपुर-सरिसका-अलवर-(दिल्ली)

3. जयपुर-अजमेर-पुष्कर-चित्तौड़-उदयपुर-ऋषभदेव-एकलिंगजी-नाथद्वार-रकनपुर - माउन्ट आबू जयपुर-(अहमदाबाद) ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन का विकास और संवर्धन करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करते हुए जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौडगढ़ आदि जैसे पर्यटक अभिरुचि के स्थानों को समाहित (कवर) करते हुए काफी स्कीमों के प्रारम्भ किए जाने की संभावना है।

सौर ताप ऊर्जा केन्द्र स्थापित करना

3412. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सौर ताप ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना पर आने वाली लागत और प्राप्त होने वाली क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सौर ताप ऊर्जा उपकरणों के निर्माताओं और प्रयोक्ताओं को आर्थिक प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सामग्री (मैटीरियल) के विकास, आदि रूप (प्रोटोटाइप), सौर ऊर्जा युक्तियों की जांच और मानकीकरण के लिए हरियाणा के गुड़गांव जिले की ग्वाल पहाड़ी में एक सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की जा रही है और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा उद्योगों के मध्य आवश्यक सम्पर्क उपलब्ध किया जा रहा है। केन्द्र के लिए भूमि हरियाणा सरकार ने दे दी है। इस केन्द्र के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग द्वारा 3.25 करोड़ रुपए की राशि और विदेशी मुद्रा में 3.73 मलियन डालर का अनुमोदन किया गया है।

(ग) जी, हां।

उड़ीसा में पर्यटक रुचि के स्थान

[अनुवाद]

3413. श्री सोमनाथ रथ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गंजम जिले में पर्यटकों की रुचि में कौन-कौन से स्थान हैं;

(ख) क्या सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के गंजम जिले में एक

पर्यटक परिसर की स्थापना का विचार है; और

(ग) गंजम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) विभाग ने राज्य सरकार से परामर्श करते हुए केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टरों में अवस्थाबद्ध विकास के लिए उड़ीसा के गंजम ज़िले में चिल्का झील, तप्तपानी और गोपालपुर समुद्र-तट को पर्यटक अभिरुचि के स्थानों के रूप में अभिनिर्धारित किया है। फिलहाल, गंजम जिले में एक पर्यटक कॉम्पलैक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि विभाग द्वारा नगर व ग्राम आयोजना संगठन से चिल्का झील का विकास करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है । राज्य का पर्यटन विभाग भी उड़ीसा के गंजम जिले के विभिन्न स्थानों के प्रचार हेतु ब्रोशर्ज प्रकाशित कर रहा है । राज्य के पर्यटन विभाग ने राम्भा और बरहामपुर में एक-एक पर्यटक कार्यालय खोला है। उन्होंने राम्भा और तप्तपानी में एक-एक पर्यटक बंगले का भी निर्माण किया है । चिल्का झील के निकट राम्भा में तीन नौकाएं परि-चालन-रत हैं जिनमें एक नौका की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई थी । सातवीं योजना में संसाधनों पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार का गंजम जिले में पर्यटक अभिरुचि के अन्य स्थानों के विकास का कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

कच्छ में लैण्ड सैलिंग स्पोर्ट को बढ़ावा

3414. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "लैण्ड सैलिंग" (तीन पहिए वाली पाल नौका में क्रीड़ा के रूप में तैरना) की बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता की जानकारी है ;

(ख) क्या इस खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्व का सर्वोत्तम क्षेत्र गुजरात में कच्छ की खाड़ी का है;

(ग) क्या पर्यटन मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय नौका दौड़ के लिए इस खेल को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है; और

(घ) भारत में इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार को जानकारी है कि ऐसे खेल का विदेशों में अभ्यास होता है ।

(ख) इस विषय पर सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) ये देश में खेल की लोकप्रियता पर निर्भर होगा।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का उचित रखरखाव

3415. श्री चित्त महाता : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रायः विमान दुर्घटनाएं हो जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो विमान दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का रखरखाव अनुमोदित अनुरक्षण अनुसूची के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स में विमान इंजन के खराब हो जाने के कारण दुर्घटनाओं का प्रतिशत बहुत कम है। अधिकतर दुर्घटनों का कारण मुख्य रूप में मौसमी खराबी और मानवीय गलती है।

संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों में बदलना

3416. श्री चित्त महाता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों में बदलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अन्तर्गत दर्ज किए गए दहेज सम्बन्धी मौतों के मामले

3417. श्री राम भगत पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1984 से 15 फरवरी, 1984 के दौरान दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र

में सामान्य रूप से तथा नन्द नगरी पुलिस थाने में विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अन्तर्गत दर्ज किये गये प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है और उनकी जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि उक्त अवधि में यमुनापार क्षेत्र के कुछ पुलिस थानों में और विशेष रूप से नन्द नगरी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अन्तर्गत दहेज सम्बन्धी मौतों के कुछ मामले दर्ज किए गये थे और उन्हें बिना किसी कार्रवाई के बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) नन्द नगरी पुलिस स्टेशन सहित दिल्ली के यमुना पार के क्षेत्र में भा० दं० सं० की धारा 364 के तहत 15-1-84 से 15-2-84 तक की अवधि के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

3418. **श्री राम भगत पासवान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में कितने नैमित्तक मजदूरों को नियमित किया गया (कार्यालय-वार और वर्ष-वार);

(ख) ऐसे कितने नैमित्तिक मजदूर हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और नियमित नहीं किए गये हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में विदेशी नौकाओं का पकड़ा जाना

3419. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जल क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के

दौरान कितनी विदेशी नौकाएं पकड़ी गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या बहुत समय पहले वुंग वू नामक एक जहाज पकड़ा गया था जो अब मत्स्य पालन घाट, पोर्ट ब्लेयर में लगभग डूबने वाला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1982 के बाद पकड़ी गयी नावों/जहाजों की संख्या नीचे दी गई है :—

1982	4
1983	4
1984	6
1985	8 (11 अप्रैल, 1985 तक).

ब्यौरे और की गई कार्रवाई का विवरण संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) दिनांक 27 मार्च, 1983 को एक नौसैनिक जहाज द्वारा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ताइवान के एक जल पोत को घेरा गया और अगले दिन काफी पीछा करने के बाद पकड़ा लिया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर में एक मामला दायर किया गया, जिन्होंने 50,000 रु० की राशि मछलियों के लिए तथा 50,000 रु० की राशि जुर्माने के रूप में अदा करने के बाद जहाज को मालिक को सौंप देने का आदेश दिया । मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पोर्ट ब्लेयर के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की गई जिसने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पोर्ट ब्लेयर के निर्णय की कार्रवाई को स्थगित कर दिया परन्तु जहाज़ के मालिक के आवेदन करने पर सर्वेक्षण और मुरम्मत के लिए अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जहाज को इसके सर्वेक्षण तथा मरम्मत के अतिरिक्त उसके वर्तमान स्थान से न हटाया जाये। दिनांक 27 मार्च, 1985 को सर्वेक्षण किया गया था और जहाज की मरम्मत की जा रही है। यह सच नहीं है कि जहाज डूब रहा है।

विवरण

क्र० सं०	संख्या और पोतों का प्रकार	ब्यौरा
1	2	3
		1982
1.	एक नाव	एक थाई राष्ट्रिक पकड़ा गया। अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया और नाव जब्त कर ली गई

1	2	3
2.	एक नाव	8 थाई राष्ट्रिक और 4 बर्मी राष्ट्रिक पकड़े गये । अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और नाव जब्त की गई ।
3.	एक नाव	10 बर्मी राष्ट्रिक पकड़े गये लेकिन मामला नहीं बना ।
4.	एक नाव	10 बर्मी राष्ट्रिक पकड़े गये । सभी अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और नाव जब्त की गई ।
		1983
5.	एक बांस बेड़ा	6 बर्मी राष्ट्रिक पकड़े गये । अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और बेड़े को जब्त किया गया ।
6.	एक बांस बेड़ा	5 बर्मी राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये । अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और बेड़ा जब्त किया गया ।
7.	मछली पकड़ने का एक पोत	एम० एस० यूंग यू और 25 ताईवान राष्ट्रिक पकड़े गये । पोर्ट ब्लेयर के मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जहाज के मास्टर पर मुकदमा चलाया गया लेकिन अन्यों के विरुद्ध कोई मामला नहीं बन सका । तटरक्षक दल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की ।
8.	एक नाव	11 थाई राष्ट्रिक पकड़े गये । अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और नाव जब्त की गई.
		1984
9	एक नौका	दो पश्चिमी जर्मनी राष्ट्रिक, एक फ्रांसीसी, एक आस्ट्रेलियन और एक ब्रिटिश राष्ट्रिक पकड़ा गया । अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया लेकिन न्यायालय द्वारा नौका वापिस कर दी गई ।
10.	एक नौका	पाच सिलपनिर और चार पश्चिमी जर्मनी राष्ट्रिक पकड़े गये थे । अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था लेकिन न्यायालय ने नौका को जब्त करने के आदेश नहीं दिए ।
11.	एक मोटर टग	दो डच और 11 फिलिपाइनस राष्ट्रिकों के साथ पकड़ा गया । अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और टग को

1	2	3
		उस व्यक्ति को लौटा दिया गया जिससे यह जब्त की गई थी।
12.	दो डोंगी	14 बर्मी राष्ट्रिकों के साथ पकड़ी गयी। मामला नहीं बना और डोंगियों को वापिस लौटा दिया गया।
		1985
13.	दो नाव	दो छोड़ी हुई नाव पकड़ी गई।
14.	एक बेड़ा	दो बर्मी राष्ट्रिकों के साथ पकड़ा गया। मामला नहीं बना।
15.	दो नाव	24 थाई राष्ट्रिकों और बर्मा मूल के चार व्यक्तियों के साथ पकड़ी गई। मामला विचारण के लिए लम्बित है।
16.	एक नौका	संयुक्त राज्य के दो राष्ट्रिकों के साथ पकड़ी गई। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
17.	दो नाव	बिना नाविक के पकड़ी गई। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

आर्थिक विकास तथा वनों के संरक्षण हेतु कृतिक बल

3420. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक विकास तथा वनों के संरक्षण हेतु कोई कृतिक बल स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और उनके गठन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश में विशेषत: हिमालय क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये ऐसा कोई कृतिक बल स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में 1983 से पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए भूतपूर्व सैनिकों के दो कृतिक बल वनरोपण, भू संरक्षण, चरागाह विकास तथा बालू-रेत स्थिरीकरण, जलसंसाधन विकास से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान

कृतिक बलों में क्रमश: 243 तथा 643 पुरुष हैं जिनमें से प्रत्येक में से 43 कार्मिक मुख्यालयों में हैं। भविष्य में अन्य राज्यों में और कृतिक बलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय आसूचना विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा भरना

3421. श्री अनादि चरणदास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1982 तथा 1 मार्च, 1985 में केन्द्रीय आसूचना विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है और उस प्रयोजन हेतु रोस्टर बनाए जाते है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कमी यदि कोई है तो उसके क्या कारण हैं तथा इन समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस अवधि के दौरान कितने आरक्षित पद व्यपगत हुए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आसूचना ब्यूरो, जो एक संवेदनशील सुरक्षा संगठन है, में कर्मचारियो की संख्या से सम्बन्धित ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा। परन्तु 1 मार्च, 1982 को और 1 मार्च, 1985 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	प्रतिशत	
1 मार्च, 1982 को	8 प्रतिशत	6.31 प्रतिशत
1 मार्च, 1985	9.83 प्रतिशत	6.28 प्रतिशत

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) कमी मुख्यत: पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनतातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को इन समुदायों के उम्मीदवारों से भरने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

(ड.) इस अवधि के दौरान जो आरक्षित रिक्तियां व्यपगत हुई, उनकी संख्या अनुसूचित जातियों के बारे में 4 और अनुसूचित जनजातियों के बारे में 13 थी।

केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये प्रत्याशियों का प्रति सत्यापन

3422. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सेवाओं में प्रत्याशियों की भर्ती के लिए पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल की सामान्य प्रक्रिया सम्बन्धित राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरी की जाती है;

(ख) क्या केरल सहित कुछ राज्यों के प्रत्याशियों के सम्बन्ध में राज्य की पुलिस के बाद केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों द्वारा भी उक्त जांच-पड़ताल कराई जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की पुन:पुष्टि कराने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन कराने की पद्धति को एक ऐसी सामान्य परिपाटी के रूप में अपनाया गया है जिससे कि सरकारी सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के उद्देश्य से उनकी जांच की जा सके। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित साक्ष्यांकन प्रपत्र को राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन जिला प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है। फिर भी जहां व्यक्तियों की उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए प्राप्त सूचना अपर्याप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त सामग्री अथवा सूचना प्राप्त करनी पड़ती है। तदनुसार, नियोक्ता प्राधिकारियों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि वे केरल सहित कुछेक राज्यों के उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्तों को आसूचना ब्यूरो के माध्यम से भी सत्यापित करवायें।

तूफान के कारण शार परियोजना को हुआ नुकसान

3423. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1984 में आए तूफान के कारण श्रीहरिकोटा की शार परियोजना को कोई नुकसान पहुंचा है ;

(ख) इस नुकसान को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या श्रीहरिकोटा 'इस्ट्रेक' एकक को कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) नवम्बर 1984 में आए तूफान के कारण शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में नुकसान हुआ है। मूल्यांकनानुसार तूफान के कारण शार में हुए नुकसान का विवरण इस प्रकार है :—

	(लाख रु० में)
1. भवनों और सेवाओं को हुआ नुकसान।	121.90
2. बकिंघम नहर के आरपार आर० सी० सी० पुल सहित सुल्लुरपेट श्रीहरिकोटा मार्ग की मरम्मत और पुनर्निर्माण।	102.28
3. उपस्कर/साज-सामान/प्रतिष्ठानों को हुआ नुकसान।	135.34
	कुल 359.52

विभिन्न क्षेत्रों में पुन: स्थापन का कार्य चल रहा है और केन्द्र में सभी परियोजना कार्य और गतिविधियां हाल ही में पुन: प्रारम्भ हो गई हैं।

(ग) और (घ) शार केन्द्र श्रीहरकोटा से 'इस्ट्रेक' सहित, किसी भी यूनिट को कहीं दूसरी जगह ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस० सी० सी०) के लिए नया अन्तरिक्ष यान नियन्त्रण केन्द्र और इस्ट्रेक मुख्यालय पूरी तरह तकनीकी आधार पर बंगलौर में स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें शार केन्द्र से किसी भी सुविधा का स्थानान्तरण शामिल नहीं है।

दिल्ली-मद्रास मार्ग पर बोइंग सेवा

3424. श्री चिंता मोहन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महत्व के तीर्थ स्थल तिरुपति हवाई अड्डे से होते हुए दिल्ली मद्रास मार्ग पर बोइंग सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मणिपुर में एक युवा होस्टल की स्थापना

3425. **प्रो० कामसन मिजिनलंग :** क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निकट भविष्य में युवाओं के लिये कुल कितने होस्टल बनाने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रकार युवाओं के लिये प्रस्तावित होस्टलों में से कम से कम एक मणिपुर राज्य में भी बनाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उसके लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) पहले से ही कार्य कर रहे 18 युवा छात्रावासों के अतिरिक्त निकट भविष्य में ऐसे 10 और छात्रावास निर्मित करने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) जी हां। इम्फाल में 26.29 लाख रु० की लागत से निर्मित किए जाने वाले एक युवा छात्रावास की पहले ही स्वीकृति दी गई है।

भारत पर्यटन विकास निगम के ओडेनर होटल के साथ सहयोग की मंजूरी

3426. **प्रो० राम कृष्ण मोरे :**
श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : } क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के ओडेनर होटल समूह के साथ सहयोग के प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने योरुप स्थित एक प्रमुख एजेंसी के साथ इसी प्रकार के समझौते के लिये भी कोई अन्य प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) : जी हां । समझौते के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) : सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के मैसर्स ट्रस्ट हाउस फोर्टी ग्रुप आफ होटल्ज (टी० एच० एफ०) लन्दन के साथ दिल्ली, बंगलौर और कलकत्ता स्थित अपनी छह होटल सम्पत्तियों के बारे में "होटल प्रबंध में सहयोजन" करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा टी० एच० एफ० के साथ करार को अभी अन्तिम रूप दिया जाता है ।

के. एल. एम. के साथ विपणन और आरक्षण करार करने सम्बन्धी भारत पर्यटन विकास निगम का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

आई. टी. डी. सी. द्वारा मैसर्स ओडेनर होटल रिप्रजेंटटेटिव्स लिमिटेड हांगकांग के साथ किए जाने वाले विपणन और आरक्षण करार के ब्यौरे

(1) 25 होटलों के सम्बन्ध में, जिनमें ग्रेट इण्डियन रोवर ट्रेन प्रोजेक्ट और अशोक ट्रेवल्स एण्ड टुअर्स शामिल हैं, अपने क्षेत्र में पूर्णरूपेण "जी. एस. ए. कवरेज" करने के लिए 5000.00 यू. एस. डालर की मासिक फीस की अदायगी;

(2) समझौते के अन्तर्गत बाद में प्रत्येक अतिरिक्त होटल के शामिल किए जाने पर प्रति होटल 100.00 यू. एस. डालर की अनुपूरक फीस की प्रतिमास अदायगी की जाए;

(3) मात्र "ओ. एच. आर. सिस्टम" द्वारा किए गए आरक्षणों के सम्बन्ध में "एफ. आई. टी. बुकिंग्स" (केवल कमरे) पर 9 प्रतिशत और ग्रुप बुकिंग्स पर 4 प्रतिशत की अधिभावी (ओवर राइडिंग) छूट की अनुमति दी जाएगी;

(4) उक्त फीस में प्रतिमास 500 कक्ष रात्रि तक की बुकिंग्स के सम्बन्ध में टेलेक्स खर्च शामिल होंगे। 500 कक्ष रात्रि से अधिक की बुकिंग्स के लिए मैसर्स यू. एच. आर. को प्रत्येक तिमाही (क्वार्टर) में 500.00 यू. एस. डालर की अतिरिक्त अदायगी की जाएगी।

तीन वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी हो जाने पर करार की वैधता का प्रतिवर्ष नवीकरण किया जाएगा।

पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका त्वरित कार्यवाही बल के लिए उतरने की सुविधाएं

3427. श्री बी० बी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के निर्वासित प्रमुख नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के त्वरित कार्यवाही बल को पाकिस्तान की धरती पर उतरने की सुविधाएं दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका को पेशावर और सिन्ध के परिपाथों के स्थान पर भी कुछ सुविधायें दी गयी हैं और इन क्षेत्रों में उनका (अमेरिका का) नियन्त्रण है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अमेरिका ने बलूचिस्तान के तट पर ग्वादार में रेडार प्रणाली भी स्थापित कर ली है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन समाचारों की जांच की है; और

(ङ) उक्त समाचार कहां तक सच है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) (ख) और (ग) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबार में देखी हैं।

(घ) और (ङ) : सरकार किसी भी देश में सैनिक अड्डे/सुविधाएं स्थापित करने के विरुद्ध है। पाकिस्तान की सरकार ने औपचारिक तौर पर इस बात से इंकार किया है कि उसने संयुक्त राज्य अमरीका को अड्डे दिए हैं।

राज्यपालों की शक्तियों को नियंत्रित करना

3428. श्री बी० बी० देसाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने राज्यपालों की शक्तियों को नियंत्रित करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री ने कुछ दिशा-निर्देशों की जांच करने और शीघ्र ही एक रिपोर्ट तैयार करने का काम अपने विधि विशेषज्ञों को सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) क्या राज्यपालों की शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु कोई कानून पुरःस्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तदर्थ अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति

3429. श्री राजकुमार राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रेड एक, दो और तीन के पदों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के काडर को अन्तिम रूप देते समय नियुक्ति की मूल तिथि पर विचार किया जाता है और तदनुसार पदोन्नति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रेड चार और पांच के पदों के लिये उपरोक्त काडर में वरिष्ठता निर्धारित करते समय यही मानदण्ड अपनाये गये थे और तदनुसार पदोन्नतियां की गयी थीं;

(ग) क्या 19 सितम्बर 1981 से पहले नियुक्त किए गये कुछ कनिष्ठ/वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में लगाया गया था, उन अनुवादकों से बहुत कनिष्ठ हो गए जिन्हें बाद में उन्हीं आधारों पर तदर्थ अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था और उपरोक्त तारीख से पहले उनके अपने मूल मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्रवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय राज-

भाषा सेवा (समूह क तथा समूह ख पद) में समाहृत किये जाने वाले विभागीय अभ्यर्थियों की वरीयता भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड—3, उपखण्ड (1) में सा. का. नि. 696 के अन्तर्गत 24 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह क तथा ख पद) नियम, 1983 के नियम 6 (1) से नियम 6 (4)में किये गये प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जानी अपेक्षित है। इसके अनुसार सेवा की श्रेणी—1 और श्रेणी—2 में (समूह के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त विभागीय अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त विभागीय अभ्यर्थियों से वरिष्ठ माने गये हैं। परन्तु श्रेणी—3 (समूह ख) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त विभागीय अभ्यर्थी तथा तदर्थ/प्रतिनियुक्ति के आधार पर उस तिथि तक नियुक्त ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जिस तिथि को अन्तिम विभागीय अभ्यर्थी नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, वरीयता निर्धारण के सम्बन्ध में एक समान माने जाने अपेक्षित है।

(ख) जी हां।

(ग) तदर्थ/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से नियमानुसार कनिष्ठ माने गये हैं।

(घ) सेवा की श्रेणी—4 और श्रेणी—5 में शामिल विभागीय अभ्यार्थियों की वरीयता भारत के राजपत्र के भाग—1 खण्ड—3, उपखण्ड (1) में सा. का. नि. 842 के अन्तर्गत 19.9.81 को प्रकाशित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह ग पद) नियम, 1981 के नियम 6 में किये गये प्रावधान के अनुसार निर्धारित की गई है। इसके अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त विभागीय अभ्यर्थी, प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर नियुक्त विभागीय अभ्यर्थियों से वरिष्ठ माने जाने अपेक्षित हैं। इसमें कोई असंगति नहीं है।

भारत में आणविक विद्युत संयंत्र के लिए सोवियत संघ की पेशकश

3430. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आणविक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए रूस द्वारा की गई पेशकश के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) इस पेशकश के बारे में सोवियत प्राधिकारियों के साथ बातचीत भारत-सोवियत सहकार की सीमाओं में रहते हुए चल रही है।

इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में रोजगार का विस्तार

3431. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उम्मीद है कि नई इलेक्ट्रोनिक्स नीति के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या संभावनाएं हैं ; और

(ग) क्या उक्त कार्य के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विचार किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 तक प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति 2 लाख रु० की अनुमानित उत्पादकता के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) में लगभग 10,000 करोड़ रु० के अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उक्त अवधि तक 3 से 4 लाख अतिरिक्त जनशक्ति जुटाई जा सकेगी।

(ग) जनशक्ति विकास के क्षेत्र में जो विभिन्न पहल की गई है तथा कदम उठाए जा रहे हैं और कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं उनकी घोषणा इलेट्रानिकी नीति से सम्बन्धित एकीकृत उपायों के अंग के रूप में दिनांक 21 मार्च, 1985 को संसद में की गई है।

प्राचीन बौद्ध केन्द्रों का विकास

3432. श्री ललितेश्वर शाही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया, राजगीर, नालन्दा, वैशाली, लोरिया, सारनाथ इत्यादि जैसे अनेक स्थानों की विदेशों से विशेषतः दक्षिण पूर्व तथा दूरस्थ पूर्वी देशों से, बुद्ध धर्म के अनुयायी पर्यटकों को आकर्षित करने की अत्याधिक क्षमता है और इसके परिणामस्वरूप उन देशों से हमारे सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध भी मजबूत होने की अत्याधिक सम्भावना है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त स्थानों तथा अन्य पर्यटन स्थलों को अच्छी सड़कों से

जोड़कर तथा होटल सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके विकास करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्व एशिया तथा दूरस्थ पूर्व से मुख्यतः बुद्ध धर्म के अनुयायी-पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, विभाग ने राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए बोधगया, राजगीर, वैशाली, नालन्दा, कौरिया तथा बनारस के समीप सारनाथ को, केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों से अवस्थाबद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित किया है। विभाग ने, बोधगया, राजगीर, नालन्दा, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती की मास्टर योजनाएं पहले से ही तैयार कर ली हैं। छठी योजना के दौरान विभाग ने इन क्षेत्रों में बहुत सी स्कीमें प्रारम्भ की हैं। ये निम्नलिखित हैं :—

1. बोधगया में एक ध्यान-स्थल पार्क (गौतम वन) का विकास और भारत पर्यटन विकास निगम के यात्री-गृह का विस्तार।

2. राजगीर में एक कैफेटेरिया का निर्माण।

3. भारतीय होटल निगम और होके क्लब ऑफ जापान के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में राजगीर में होटल।

4. होके क्लब और भारतीय होटल निगम द्वारा कुशीनगर में संयुक्त सेक्टर होटल के लिए प्रस्ताव।

5. उत्तर-प्रदेश के अन्तर्गत श्रावस्ती में एक पर्यटक कम्पलैक्स का निर्माण।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभाग कुशीनगर में एक पर्यटक कम्पलैक्स के निर्माण और भारत में अन्य बौद्ध स्थलों के विकास की स्कीमें भी आरम्भ करेगा।

राष्ट्रीय पर्यटक परामर्शदात्री बोर्ड की स्थापना

3433. श्री दिग्विजय सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय पर्यटक परामर्शदात्री बोर्ड स्थापित किया गया था;

(ख) इसकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस बोर्ड को सक्रिय बनाना आवश्यक नहीं था; और

(घ) नए बोर्ड का पुनर्गठन कब किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) 3 फरवरी, 1984 को एक बार इसकी बैठक हुई थी।

(ग) और (घ) इसकी अगली बैठक शीघ्र ही बुलाए जाने की सम्भावना है और कार्य-सूची (एजेन्डा) तैयार की जा रही है। फिलहाल बोर्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये हवाई अड्डे स्थापित करना

3434. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नए हवाई अड्डे स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना अवधि के दौरान कितने नऐ हवाई अड्डे स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) इन नये हवाई अड्डों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (घ) सातवीं योजना के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है। इसलिए उक्त योजना की अवधि में विकसित किए जाने वाले हवाई अड्डों की अवस्थितियों/स्थानों की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं होगा।

दिल्ली में अपराधों के मामले

3435. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित प्रदेश दिल्ली में वर्ष 1983, 1984 और आज तक अपराधों की कितनी घटनायें हुई;

(ख) उनमें से कितने मामलों में न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किये गये और कितने मामलों में निर्णय हुआ और कितने मामले अभी लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा गलत प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण कुछ मामलों को खारिज कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन प्राधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) ब्यौरे इस प्रकार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	वे मामले जिनमें आरोप पत्र दायर किए गए	निर्णित मामले	न्यायालय में लम्बित मामले
1983	34593	17470	5019	12451
1984	37941	15843	2895	12948
1985 [?1-3-85 तक]	9596	1255	331	924

(ग) और (घ) सड़क दुर्घटनाओं के कुछ मामलों में जिनमें छः महीने के अन्दर आरोप पत्र दायर नहीं किए गए थे, अपराधी तकनीकी आधारों पर दोष मुक्त हो गए हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है ।

उड़ान संख्या 409 और 410 में विलम्ब

[हिन्दी]

3436. श्री शिव प्रसाद साहू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और दिल्ली के बीच पटना होकर चलने वाली उड़ान संख्या 410 और कलकत्ता और दिल्ली के बीच लखनऊ, पटना और रांची होकर चलने वाली उड़ान संख्या 409 हमेशा विलम्ब से चलती है और कभी-कभी तो इन उड़ानों में सात घंटे का विलम्ब हो जाता है जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उड़ानों के समय में कब तक सुधार होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

तथापि सर्दियों में मुख्य रूप से प्रतिकूल मौसम के कारण कभी-कभी इन उड़ानों में देर हो जाती है।

(ख) इस सेवा के समय पर निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स ने दिनांक 11.2.1985 से आई० सी० 410 कलकत्ता से प्रस्थान करने के समय को पुन: निर्धारित किया गया है।

रांची हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधा

3437. श्री शिव प्रसाद साहू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची हवाई अड्डे पर रात में विमानों के उतारने और एक नये भवन के निर्माण को कई वर्ष पहले मंजूरी दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उपरोक्त बकाया काम कब तक पूरे हो जायेंगे।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) रांची पर नए अन्तस्थ भवन के निर्माण कार्य और रात्रि अवतरण सुविधाओं के सम्बन्ध में दी गई मंजूरी की तारीखें अब तक हुई प्रगति, और जिन तारीखों तक इनके पूरे होने की आशा है वे नीचे बताई गई हैं :—

कार्य	मंजूरी की तारीख	हुई प्रगति	पूरा होने की लक्षित तारीख
1	2	3	4
अंतस्थ भवन	4-6-79	निर्माण कार्य चल रहा है।	30-9-85
फ्लश पलड प्रकाश व्यवस्था	8-12-81	भूमिगत तार प्राप्त किया जा चुका है। फिटिंग के लिए कोटेशन मंगवाए गए हैं। तोरणों के डिजाइन का	30-9-85

1	2	3	4
		कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन चल रहा है।	
उच्च तीव्रता धावनपथ प्रकाश व्यवस्था	12-4-84	धावनपथ 13/31 के किनारे 13 पर तार बिछाने का कार्य और टैक्सी पथ पर निर्माण कार्य चल रहा है। वस्तुगत प्रगति 55 प्रतिशत।	30-10-85
3-बार(वारिस) दृश्य उपगमन प्रवणता संसूचक	15-4-82	"वासी" के लिए तार प्राप्त हो गई हैं। वस्तुगत प्रगति 35 प्रतिशत।	31-8-85
साधारण उप-गमन प्रकाश प्रणाली	10-11-83	सामग्री के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को मांग पत्र भेज दिया गया है। तारों के लिए आदेश को अन्तिम रूप दे दिया गया है।	*31-12-85

* पूरा होने की लक्षित तारीख अस्थाई है और भूमि अधिग्रहण से सम्बद्ध है जो काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है।

राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना

3438. श्री नरसिंह मकवाना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है और किन-किन राज्यों में परिपूर्ण बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कितने निदेश जारी किए गए हैं और राज्य-वार कितने निदेशों का पालन किया गया है ; और

(ग) निदेशों का पालन न करने पर न्यायालय में कितने मामले दर्ज कराए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) अभी तक 18 राज्य सरकारों ने प्रदूषण बोर्ड स्थापित किए हैं। ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल हैं

(ख) 4109 उद्योगों को बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के निदेश जारी किए गए थे। अभी तक, 1966 इकाइयों ने निदेशों का अनुपालन किया है। राज्य वार स्थिति विवरण एक से दर्शायी गयी है।

(ग) देश के विभिन्न न्यायालयों में 516 मुकदमे दायर किए थे। इनमें से 105 मामले बोर्ड के पक्ष में तथा 10 विपक्ष में निर्णित किए गए। 400 मामले न्यायालय में लम्बित हैं। 37 मामलों में निषेधादेश प्राप्त किए गए हैं। (विवरण-दो तथा तीन)

विवरण-एक

राज्यवार-औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदूषक उद्योगों की संख्या (बड़े तथा मझौले)	बहिस्राव उपचार सुविधा वाले उद्योगों की संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	352	112
2. असम	13	12
3. बिहार	106	21
4. गुजरात	419	366
5. हरियाणा	302	49
6. हिमाचल प्रदेश	30	30
7. कर्नाटक	281	274
8. केरल	134	60
9. मध्य प्रदेश	238	53

1	2	3
10. महाराष्ट्र	835	673
11. उड़ीसा	113	20
12. पंजाब	129	37
13. राजस्थान	133	41
14. तमिलनाडू	307	50
15. उत्तर प्रदेश	246	103
16. पश्चिमी बंगाल	361	22
संघ शासित क्षेत्र		
17. चंडीगढ़	14	5
18. दिल्ली	61	16
19. गोवा	20	14
20. पांडिचेरी	15	8
	4109	1966

विवरण-दो

विभिन्न प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की स्थिति

(31-12-84 को)

क्र० सं०	राज्य बोर्ड का नाम	उठाये गये मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या		लम्बित मामलों की संख्या
			बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विपक्ष में	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20	5	2	13
2.	असम	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	6	—	—	6
4.	गुजरात	52	6	—	46
5.	हरियाणा	109	24	—	85
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7.	केरल	7	1	1	5
8.	कर्नाटक	3	2	—	1
9.	मध्य प्रदेश	21	—	—	21
10.	महाराष्ट्र	12	—	—	12
11.	पंजाब	78	2	—	76
12.	राजस्थान	109	6	7	96
13.	तमिलनाडु	1	—	—	1
14.	उत्तर प्रदेश	31	10	—	21
15.	पश्चिम बंगाल	6	—	—	6
16.	केन्द्रीय बोर्ड	60	49	—	11
	योग	515	105	10	400

विवरण-तीन

प्रदूषण निरोधक कानूनों के उल्लंघन न करने के फलस्वरूप बन्द की गई औद्योगिक इकाईयां

क्रम० सं०	राज्य बोर्ड का नाम	मामलों की संख्या जिसके विरुद्ध निषेधादेश प्राप्त किया गया।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कुछ नहीं
2.	असम	कुछ नहीं
3.	बिहार	कुछ नहीं

1	2	3
4.	गुजरात	8
5.	हरियाणा	कुछ नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं
7.	केरल	2
8.	कर्नाटक	1
9.	मध्य प्रदेश	कुछ नहीं
10.	महाराष्ट्र	7
11.	पंजाब	कुछ नहीं
12.	राजस्थान	2
13.	तमिलनाडु	1
14.	उत्तर प्रदेश	9
15.	पश्चिमी बंगाल	कुछ नहीं
16.	केन्द्रीय बोर्ड	7
	योग	37

गोपनीय पंजीकाओं के रखरखाव का कार्य संभालने वाले गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को विशेष वेतन

[अनुवाद]

5439. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या गृह मंत्री गोपनीय पंजिकाओं के रखरखाव का कार्य सम्भालने वाले को विशेष वेतन के बारे में 25 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक गोपनीय पंजिकाओं के रखरखाव का कार्य सम्भालने वाले गृह मंत्रालय

के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को विशेष वेतन दिया गया है और कितने कर्मचारियों के मामले में तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए भुगतान किया गया विशेष वेतन कर्मचारियों की अग्रेतर पदोन्नति में वेतन निर्धारण करते समय हिसाब लगाया गया;

(ख) क्या संबद्ध अधिकारियों की पदोन्नति के समय उक्त विशेष वेतन को विलय करना न्यायोचित था;

(ग) यदि नहीं, तो कितने मामले विलय किए गए विशेष वेतन को उनके वेतन से अलग कर दिया गया और ऐसे कितने मामले शेष हैं जहां अभी तक विलय किये गये विशेष वेतन को वेतन से अलग नहीं किया गया है; और

(घ) उन्हें अभी तक विशेष वेतन प्राप्त करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) गोपनीय पंजीकाओं के रखरखाव का कार्य संभालने के लिए 1-7-1984 से आज तक गृह मंत्रालय संवर्ग के सात कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया गया है। 7 व्यक्तियों में से केवल 2 व्यक्तियों को 3 वर्ष से अधिक विशेष वेतन दिया गया है। विशेष वेतन प्राप्त करते समय इनमें से किसी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की गई। इसलिये संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके विशेष वेतन के विलय करने का प्रश्न नहीं उठता।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड से पदोन्नत सहायकों को दिया गया विकल्प

3440. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के बहुत से सहायकों को जिन्हें उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड से दीर्घावधि आधार पर सहायक ग्रेड में पदोन्नत किया गया है, कार्मिक विभाग के 8 फरवरी, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 13/26/82-स्थापना पी० 1 के अनुसार अपना विकल्प चुनने का लाभ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड से दीर्घावधि आधार पर सहायक ग्रेड में पदोन्नत होने वाले कितने सहायकों को अपना विकल्प चुनने का लाभ देने से इंकार किया गया है; और

(घ) गृह मंत्रालय/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कुछ सहायकों को उक्त विकल्प का लाभ देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) गृह मन्त्रालय के कुछ उच्च श्रेणी लिपिकों को उनकी सहायक के रूप में दीर्घावधि आधार पर पदोन्नति होने पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 26.9.1981 के का० ज्ञा० सं० एफ 7/1/80-स्था०पी-1 और दिनांक 8-2-1983 के का० ज्ञा० सं० एफ० 13/26/82-स्था० पी-1 के अनुसार वेतन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए विकल्प का लाभ दिया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बाद में स्पष्ट किया कि उक्त ज्ञापन के अधीन विकल्प का लाभ चयन सूची में शामिल होने के बाद केवल नियमित नियुक्ति होने पर दिया जा सकता है तथा दीर्घावधि आधार पर नियुक्ति को नियमित नियुक्ति नहीं समझा जा सकता। यह स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर इस मन्त्रालय के दीर्घावधि पर नियुक्त किए गए सहायकों को दिया गया विकल्प का लाभ रोक दिया गया है और पिछले मामले जिनमें लाभ दिया गया था, की समीक्षा की जा रही है।

तंजावूर स्थित कला संग्रहालय का प्रबन्ध

3441. **श्री पी० चिदाम्बरम** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वाशिंगटन में होने वाले भारत महोत्सव में प्रदर्शित करने हेतु तांजावूर के कला संग्रहालय और तमिलनाडु के परिथियूर, अजहीपुर बकालैठूर स्थित मन्दिरों की मूल प्रतिमायें भेजने का है;

(ख) क्या तांजावूर स्थित कला संग्रहालय के प्रबन्धकों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की है; और

(ग) क्या इन प्रतिमाओं की प्रतिकृतियों को वाशिंगटन भेजने से उक्त प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) तांजावूर कला वीथी ने शुरू-शुरू में आपत्ति की थी। फिर भी तमिलनाडु सरकार ने तंजावूर कला वीथी सहित सभी संबंधितों से परामर्श करके मामले की समीक्षा की थी और कांसे भेजने के लिए अनुमति प्रदान की।

(ग) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त संग्रहालय इस प्रकार के कांसे की प्रतिकृतियों को महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में प्रदर्शित नहीं करेंगे।

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसी करने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

3442. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर के साम्बा सीमा क्षेत्र में पुलिस ने तस्करी के समान और दस्तावेजों सहित चार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी जासूसों का एक गिरोह पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कर्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) और (ग) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए मानदण्ड

3443. श्री चित्त महाता : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में अप्रैल, 1985 को कितने रिक्त स्थान थे;

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 1984 में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए क्या मानदण्ड प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या यह सच है कि विभागीय पदोन्नति सीमति द्वारा वर्ष 1984 में अपनाई गई प्रक्रिया कार्यविधि के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति ने नवम्बर, 1982 में भी भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए चयन सूची को अंतिम रूप दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 34 (चौंतीस)

(ख) से (ङ) भारतीय सांख्यिकीय सेवा ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए चयन सूची समय-समय पर संशोधित भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली 1961 के नियम 8 के उपबन्धों के

अनुसार समय समय पर तैयार की जाती है। उक्त नियम में भा० सां० से० के ग्रेड- IV में कम से कम 75 प्रतिशत रिक्त स्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने और अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्त स्थान सम्भरक पदधारियों की एकीकृत पात्रता सूची से चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। अगस्त, 1981 में इस नियमावली में 60 प्रतिशत पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 40 प्रतिशत पद सम्भरक पदधारियों की एकीकृत पात्रता सूची से चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरने की व्यवस्था करने हेतु संशोधन किया गया था। 63 अधिकारियों की (30.9.78 तक रिक्त स्थानों के लिए) नवम्बर, 1982 में तैयार और 34 अधिकारियों की (तब से रिक्त स्थानों के लिए) अप्रैल, 1984 में तैयार चयन सूचियां उस समय लागू उक्त नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

3444. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार लाख चौबीस हजार स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले उनके मंत्रालय में लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले 1985 के अन्त तक निपटा दिए जाएंगे; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) 1972 और 1980 की योजनाओं के अन्तर्गत अब तक प्राप्त कुल 4,30,414 आवेदन पत्रों में से 1,32,859 स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की गयी है। 31-3-85 को। 1,01,187 मामले रद्द किये विशेष मामले मुख्यतः राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्टों और/या आवेदकों से अपेक्षित सूचना के अभाव में लम्बित पड़े हैं। चूंकि मामलों पर अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर लिया जाता है, अतः सभी आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

तथापि लम्बित आवेदन पत्रो का तेजी से निपटाने करने के लिए हर-सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। तेजी से निपटान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे :—

(i) गृह मन्त्रालय से निर्देशों पर, राज्य सरकारों ने आवेदन पत्रों पर कार्रवाई के लिए विशेष एकक गठित किए हैं।

(ii) केन्द्र सरकार की सलाह पर, राज्य सरकारों ने, दोनों के सत्यापन और जांच के लिए सलाह देने के लिए जिला/राज्य स्तर की समितियां भी गठित की हैं।

(iii) सम्मान पेंशन योजना के कार्यान्वयन में मुख्य समस्याओं पर विचार करने और सरकार को सलाह देने के लिए सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर गैर-शासकीय सलाहकारी समिति भी गठित की है।

फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव

3445. श्री टी० बशीर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाई स्थित क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा बढ़ाकर उसे इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट कर देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संस्थान का योजना व्यय तथा गैर-योजना व्यय कितना कितना रहा और तत्संबंधी वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(घ) छठी योजना के दौरान, प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ङ) इस संस्थान में कौन-कौन से पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं; और

(च) छठी योजना के दौरान, प्रत्येक पाठ्यक्रम से कितने छात्र पास होकर निकले और तत्सम्बन्धी वर्षवार आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क), (ख) और (ङ) केरल सरकार से अल्वाई के भोजन कला संस्थान का एक होटल प्रबन्ध संस्थान के रूप में उन्नयन करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, वित्तीय और तकनीकी प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्रस्तावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया है। भोजन कला संस्थान (1) कुकरी (2) बेकरी और कन्फैक्शनरी (3) हाऊस कीपिंग (4) होटल रिसैप्शन और बुक कीपिंग, (5) रेस्तरां और काउंटर सेवा, (6) डिब्बाबंदी तथा भोजन संरक्षण, (7) औद्योगिक संस्थात्मक भोजन सेवा प्रबन्ध में एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। संस्थान गृह-स्वामिनियों तथा अन्यों के लिये कुछ तदर्थ, अल्पावधि पाठ्यक्रम भी चला रहा है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटिश फुटबाल टीम द्वारा भारत का अधिकृत दौरा

3446. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के निमन्त्रण पर एक ब्रिटिश फुटबाल टीम न्यू कासल अपोन टाइने कुछ मैच खेलने के लिये दिल्ली आई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दौरा अप्राधिकृत था और इस टीम में भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक थे;

(ग) क्या इस सम्पूर्ण मामले के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्यमंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) मामले को देखने पर पता चला है कि मुख्य तौर पर मूल उपमहाद्वीप के ब्रिटिश नागरिकों की एक फुटबाल टीम हाल ही में देश में आई थी, हालांकि लन्दन स्थित भारत उच्चायुक्त द्वारा टीम के मैनेजर को सूचित किया गया था कि उनका दौरा सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है और इसे स्थगित करना चाहिए। भारत में पहुंचने के बाद जब भारतीय खेल प्राधिकरण ने इनसे सम्पर्क किया तो टीम के मैनेजर ने स्वीकार किया कि उनके लन्दन छोड़ने से पहले उन्हें यह सूचना मिल गई थी कि उनका दौरा अस्वीकृत और स्थगित है, परन्तु उन्होंने अपने आप भारत आने का निर्णय लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी छुट्टियों का कार्यक्रम बना लिया था जो सम्भवतः दुबारा नहीं होता।

उड़ीसा के फुलबाणी जिले में दारिंगीबाड़ी को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना

3447. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फुलबाणी जिले में दारिंगीबाड़ी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान है ;

(ख) क्या उस स्थान की जलवायु और अन्य अनुकूल स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इसे राष्ट्रीय पर्यटक स्थान के रूप में घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उस स्थान का विकास करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और वर्ष 1985-86 के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) उड़ीसा के अन्तर्गत फुलवाणी जिले में दारिंगीबाड़ी, विभाग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य, केन्द्र व प्राइवेट सेक्टरों के मिले जुले संसाधनों से अवस्थाबद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित किए गए केन्द्रों/क्षेत्रों में शामिल नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार, फुलवाणी जिले में दारिंगीबाड़ी और अन्य पर्यटक अभिरुचि के स्थानों को पर्यटकों की सूचना के लिए ब्रोशर्ज प्रकाशित करते हुए, प्रचारित कर रही है। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार का इन स्थानों पर पर्यटन आधार संरचना-सुविधाओं का कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

स्काउटों और गाइडों के लिए अनुदान

3448. के० वी० अवियोडी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के स्काउटों और गाइडों के लिए कोई अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अनुदान की राशि को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां

(ख) भारत स्काउट्स और गाइडस् के राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली को 1.64 लाख रु० और अखिल भारतीय बाल स्काउटस एसोसिएशन, नई दिल्ली को 15,000 रू० के वार्षिक प्रशासनिक अनुदान के अतिरिक्त स्वीकृत वित्तीय पद्धति के अनुसार भारत स्काउटस और गाइडस को उनकी परियोजना के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान भी स्वीकृत किया जाता है।

(ग) और (घ) चूंकि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान स्वीकृत वित्तीय पद्धति के आधार पर ही स्वीकृत किया जाता है इसलिए अनुदान की राशि बढ़ाने का प्रश्न वर्तमान स्तर पर उनके द्वारा उस समय आयोजित किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक में रह रहे पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार

3449. श्री० एच० बी० रामुलु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक में रायचूर जिले के सिन्दनूर पुनर्वास

शिविर में कुछ अज्ञात पूर्वी बंगाल के शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) यदि हां तो वहां कितने अज्ञात शरणार्थी रह रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार विदेशों से आये हुए दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी नागरिकता देगी;

(घ) ऐसे कितने शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार अभी दिये जाने हैं; और

(ङ) उन्हें नागरिकता दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) इन परिवारों को सरकार द्वारा प्रवर्तन नहीं किया गया है इसलिए इन की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ग) से (ङ) इन परिवारों को नागरिकता देने में कोई आपत्ति नहीं है यदि वे उपयुक्त जिला प्राधिकारियों को आवेदन भेजते हैं और भारतीय नागरिकता अधिनियम में दी गयी शर्तों को पूरा करते हैं।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार

3450. **श्री जनक राज गुप्ता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1947 के दौरान पाकिस्तान से आये और जम्मू और कश्मीर के जम्मू और कटरा जिलों के सीमावर्ती गांवों में बसे बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अभी तक नागरिकता के अधिकार नहीं दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कुछ कदम उठायेगी जिससे इन शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों ने विभाजन के परिणामस्वरूप भारत में (जम्मू व कश्मीर राज्य समेत) प्रवास किया था, उनको संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन भारत के नागरिक माना गया था ।

पासपोर्ट हेतु आवेदनपत्रों की जाँच की प्रक्रिया

3451. **श्री लाल दुहोमा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम तथा नागालैंड के आवेदकों के मामलों में पासपोर्ट हेतु आवेदन-पत्रों की जांच में सामान्य प्रक्रिया की बजाय एक अत्यधिक पेचिदा प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप उन पर निर्णय में अवांछित विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पासपोर्ट जारी करने से पहले पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट आवेदन-पत्रों का सत्यापन करते हैं। गोहाटी स्थित पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण, जो नागालैंड और मिजोरम के आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी है, इस प्रावधान के अन्तर्गत यथोचित जांच-पड़ताल करता है। हमारे मूल्यांकन के अनुसार गोहाटी स्थित पासपोर्ट कार्यालय और देश के अन्य पासपोर्ट कार्यालयों के बीच पासपोर्ट जारी करने में लिये जाने वाले समय में आम तौर से कोई अन्तर नहीं होता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के लिए यूरेनियम का आयात

3452. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के लिए कौन से देश संवर्द्धित यूरेनियम की सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) क्या विगत में इसकी नियमित रूप से सप्लाई की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र को चालू करने के लिए संवर्द्धित यूरेनियम की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस मामले में क्या कदम उठाने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नवम्बर 1982 में भारत और फ्रांस के बीच हुए करार के अनुसरण में, तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई अमरीका के स्थान पर फ्रांस द्वारा 1963 के सरकार करार की सीमाओं में रहते हुए की जा रही है।

(ख) फ्रांस सप्लाई नियमित रूप से करता रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोवा विश्वविद्यालय विधेयक को अनुमति

3453. श्री ऐडूआर्डो फलीरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केन्द्र के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रस्तावित गोवा विश्वविद्यालय विधेयक को कब तक अनुमति दे दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) विधान सभा द्वारा यथा पारित और प्रकाशक द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित गोवा विश्वविद्यालय विधेयक को 28-11-84 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है ।

इलेक्ट्रोनिक अनुसंधान संस्थाओं को सुविधाएं

3454. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु विभिन्न संस्थाओं को, राज्य-वार क्या रियायतें दी जाती हैं;

(ख) इलेक्ट्रोनिक अनुसंधान संस्थान को क्या विशेष सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ग) कम्प्यूटर केन्द्रों में चल रहे अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) तथा (ख) स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग प्रौद्योगिकी विकास परिषद्/राष्ट्रीय रेडार परिषद कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों को धनराशि उपलब्ध कराता है । जिन संस्थानों को अब तक धनराशि उपलब्ध कराई गई है उनके राज्य-वार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रों में कम्प्यूटर संकलक (कम्पाईलर) विकास, प्रोग्रामन भाषा, कम्प्यूटर वास्तुकला, यन्त्रसामग्री (हार्डवेयर) विकास, देवनागरी कम्प्यूटर, पांचवे सोपान के कम्प्यूटर के विकास जैसे अनुसंधान विषयक विभिन्न कार्यकलाप किए जा रहे हैं ; टाटा मौलिक अनुसंधान, संस्थान, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर विकास तथा अभिकलन तकनीक केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, सी॰ एम॰ सी॰ लिमिटेड, भारतीय विज्ञान, जादवपुर विश्वविद्यालय ।

विवरण

प्रौद्योगिकी विकास परिषद (टी० डी० सी०)/राष्ट्रीय रेडार परिषद (एन० आर० सी०) के कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस संस्थानों को धन-राशि प्रदान की गई है, उनकी राज्यवार सूची।

आंध्र प्रदेश

1. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए० एस० सी० आई०), हैदराबाद।
2. सी. एम. सी. लिमिटेड, हैदराबाद।
3. भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद।
4. नागार्जुन विश्वविद्यालय।
5. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आर. ई.सी), वारं।
6. हैदराबाद विज्ञान संस्था (एच. एस. एस.) हैदराबाद।
7. ओसमानिया विश्वविद्यालय।
8. आंध्र विश्वविद्यालय।
9. रक्षा इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (डी. एल. आर. एल.), हैदराबाद।
10. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.) हैदराबाद।

बिहार

11. बिरला-प्रौद्योगिकी संस्थान (बी. आई. टी.) रांची।
12. केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान (सी. एम. पी. डी. आई.) रांची।
13. केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र (सी. एम. आर. एस.) धनबाद।
14. भारतीय खान स्कूल (आई. एस. एस.) धनबाद।

दिल्ली

15. आकाशवाणी (ए. आई. आर.) दिल्ली।
16. इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई. टी. एण्ड डी.) दिल्ली।

17. श्री राम औद्योगिक अनुसंधान (एस. आर. आई. आई. आर.), दिल्ली।

18. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई. आई. टी.) दिल्ली।

19. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन. पी. एल.), दिल्ली।

20. सी. ई. ई. आर. आई. एक्सटेंशन सेन्टर, दिल्ली।

21. समुचित स्वचालन संवर्धन प्रयोगशाला (ए. ए. पी. एल.), दिल्ली।

22. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली।

23. ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला (एस. एस. पी. एल.), दिल्ली।

24. यूनीवर्सल डिजिटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली।

25. सी. एम. सी. लिमिटेड, दिल्ली

26. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई. आई. एल.), दिल्ली।

27. दिल्ली विश्वविद्यालय

गुजरात

28. गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (जी. सी. ई. एल.) बडौदा

29. भौतिक प्रबन्ध संस्थान (आई. आई. एम.), अहमदाबाद।

30. भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (पी. आर. एल.), अहमदाबाद।

31. अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस. ए. सी.), अहमदाबाद।

32. प्रचालन अनुसंधान दल (ओ. आर. जी.), बडौदा।

33. अखिल भारतीय वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (ए. टी. आई. आर. ए.) अमदाबाद।

गोवा

34. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन. आई. ओ.), गोवा।

हरियाणा

35. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय।

जम्मू तथा कश्मीर

36. क्षेत्रीय इन्जिनियरिंग कालेज (आर. ई. सी.), श्रीनगर।

कर्नाटक

37. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी. ई. एल.) बंगलौर।

38. भारतीय विज्ञान संस्था (आई. आई. एस. सी.) बंगलौर।

39. भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई. टी. आई.), बंगलौर।

40. नेशनल ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एन. ए. एल.), बंगलौर।

41. रमन अनुसंधान संस्थान (आर. आर. आई.), बंगलौर।

42. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी. आइ. एल. एल.), मैसूर।

केरल

43. केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम (के. एस. ई. डी. सी.), त्रिवेन्द्रम।

44. केल्ट्रान क्रिस्टल लिमिटेड (के. सी. एल.) कन्नानोर।

45. इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई. आर. डी. सी.), त्रिवेन्द्रम।

उड़ीसा

46. उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल (ओ. एस. ई.) कटक।

महाराष्ट्र

47. भारती यप्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.), बम्बई।

48. प्रणाली अनुसंधान संस्थान (एस. आर. आई.), पुणे।

49. टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान (टी. एफ. आई. आर.) बम्बई।

50. बम्बई विश्वविद्यालय।

51. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी. ए. आर. सी.) बम्बई)।

52. फारसी बम्बई।

53. पूना विश्वविद्यालय।

54. फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन कम्यूनिटी हैल्थ (एफ. आर. सी. एच.), बम्बई।

55. सी. एम. सी. (लिमिटेड), बम्बई।

मध्य प्रदेश

56. दूरसंचार इंजीनियरी मिलिटरी कालेज (एम. सी. टी. ई.) म्हौ।

पंजाब

57. केन्द्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक संगठन (सी एस. आई. ओ.) चंडीगढ़।

58. शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी संस्थान (टी. आई. टी. टी.) चंडीगढ़।

59. पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिस लिमिटेड (पी. डी. डी. एल.) चंडीगढ़।

60. पंजाब सेमीकण्डक्टर डिवाइसिस लिमिटेड (पी. एस. डी. एल.) चंडीगढ़।

61. पंजाब वायरलैस सिटम्स लिमिटेड (पी, डब्ल्यू. एस. एल.) चंडीगढ़।

62. पंजाब बायोमेडिकल इक्विपमेंट लिमिटेड (ई. बी. ई. एल.) चंडीगढ़।

63. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।

64. सेमीकण्डक्टर कॉम्पलैक्स लिमिटेड (एस. सी. एल.), चंडीगढ़।

राजस्थान

65. बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बी. आई. टी. एस.) पिलानी।

66. सीरी, पिलानी।

तमिलनाडु

67. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास।

68. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, (एच. टी. एल) मद्रास।

69. मद्रास क्रिश्चयन कालेज (एम. सी. सी.), मद्रास।

70. सीरी एक्सटेंशन सेंटर, मद्रास।

71. मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान (एम. आई. टी). मद्रास।

उत्तर प्रदेश

72. केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड, (सी. ई. एल.) साहिबाबाद।

73. एच. बी. टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कानपुर

74. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।

75. नेशनल पेट्रोलियम एस्टाब्लिशमेंट, देहरादून।

76. जे. के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।

77. राष्ट्रीय चीनी संस्थान (एन. एस. आई.), कानपुर।

78. मदन मोहन क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद।

79. अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद।

80. अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ।

81. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

82. रुड़की विश्वविद्यालय।

83. भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (बी. ई. एल.) गाजियाबाद।

पश्चिमी बंगाल

84. बंगाल इन्जीनियरी (बी. ई. सी.), हावड़ा।

85. इलेक्ट्रो-मेडिकल एलाइड इण्डस्ट्री लिमिटेड (ई. एम. ए. आई. एल.), कलकत्ता।

86. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।

87. जादवपुर विश्वविद्यालय।

88. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

89. पश्चिमी बंगाल इलेक्ट्रानिकी औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यू.बी. ई. आई. डी. सी.) कलकत्ता।

90 वेस्टिंगहाऊस सेक्सबी फार्मेर (डब्ल्यू. एस. एफ.) लिमिटेड, कलकत्ता।

91. राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (एन. सी. ई.) (बंगाल), कलकत्ता।

92. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता।

93. वेबेल इलेक्ट्रानिक्स कम्यूनिकेशन सिस्टम्स लिमिटेड, कलकत्ता।

94. जूट टेक्नोलाजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (जे. टी. आर. एल.), कलकत्ता।

सहरोई अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मान्यता

3455. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, पोलिसेरियो फ्रन्ट, एक मुक्ति मोर्चा जो उस क्षेत्र के लोगों की न्यायोचित आकांक्षाओं के लिए कार्य करता है द्वारा घोषित पश्चिमी सहारा के सहरोई अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मान्यता देगी; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा सहरोई अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को पहले ही मान्यता दी जा चुकी है और वह उस संगठन का सदस्य है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सहरोई अरब लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

केन्द्रीय सरकार सेवाओं में स्काउटों और गाईडों हेतु नौकरियों की छूट

3456. डा० के० जी० अदियोडी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्काउटों और गाइडों को जिनका कार्यकरण राष्ट्रीय कैडेट कोर जैसा ही है केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में तथा सरकारी उपक्रमों में नौकरियों में छूट नहीं प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विसंगति को दूर करने और उन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर के समान स्तर पर लाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं होगा कि स्काउट्स और गाइडस का कार्य एन० सी० सी० के बराबर है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें युवा कार्यकलापों में भाग लिया है, को रोजगार में वैसे ही वरीयता देने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुछ उपकरणों की खरीद

3457. श्री राम भगत पासवान : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी और इसके संघटक एकक, कथक केन्द्र, नई दिल्ली ने प्रलेखन और फिल्मिंग प्रयोजनों के लिए कुछ उपकरण खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1980 से लेकर अब तक खरीदे गए प्रत्येक उपकरण का नाम, उनकी, कीमत मेक/माडल और खरीद की तारीख का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ उपकरणों की खरीद निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही की गई थी और नगद भुगतान पर भी की गई थी, यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके रख-रखाव और उपयोग के लिए अभी तक किसी उपयुक्त कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उक्त अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख) संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1980 से खरीदे गये उपकरणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं। कत्थक केन्द्र प्रलेखन तथा चित्रांकन से सम्बद्ध कोई भी योजना नहीं चला रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संगीत नाटक अकादमी के प्रलेखन एकक का प्रबन्ध योग्य तकनीकी कार्मिकों द्वारा, किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

संगीत नाटक अकादमी के प्रलेखन अनुभाग द्वारा वर्ष 1980-85 में खरीदे गये उपकरणों की सूची :—

खरीदने की तारीख	ब्यौरे	राशि (रुपये)
1	2	3
12-11-70	सोनी 3/4 यू-मैटिक कैसेट वडियो रिकार्डर, . कैमरे तथा मोनीटर, एडीटिंग, यूनिट, आदि सहित सहायक	7,40,965/- सीमा शुल्क सहित

1	2	3
	साधन। सोमी निगम जापान से आयात लाईसेंस द्वारा आयात किए गये।	
25-3-81	फिलिप्स ओ सि लो स्कोप तथा प्रोब सेट माडल-पी० पी०9012	69,400/-
27-3-81	एक्लेयरस ए० सी०एल०,16 एम० एम० मूवी कैमरा एक्लेयर इन्टर० नेशनल पेरिस से आयात लाइसेंस से खरीदे गये सहायक साधन सहित	1,27,009/. एफ एफ
21-11-81	डार्क रूम के लिये मार्किन्ग बोर्ड, फिल्म	766,0/-
13-1-82 16-12-83	क्लिप्स एस० एस०डेबल्पिन्ग टैंक्स आदि	
27-3-82	रोटरी प्रिन्ट ड्रायर	10,244/-
21-11-81 19-3-82 29-12-81	स्पूल्स तथा केस	7,200/-
29-8-81	मेल्ट्रान एल साईन टेप रिकार्डर तथा अन्य सहायक साधन, जैसे माइक्रोफोन्स, कैबल्स, बैटरी, पिस्टल ग्रिप, बैटरी चार्जर तथा स्पेयरस्	1,10,760/- 91,200/-
31-3-72	मेल्ट्रान कॉन्सोल टेपरिकार्डर बी० 67 मार्क-II	2,55,955/-
26-3-83	सर्वो कन्ट्रोल्ड नेल्को वोल्टेज स्टेबलाइजर माडल टी० ए० एल-2020	9,500/-
10-3-83	निकोन एफ 2 सिन्गल लेन्स रिफ्लेक्स 35 एम० एम० स्टिल कैमरा सहायक साधनों सहित	54,453/-

1	2	3
10-3-83	मेट्ज सी-टी-60 इलेक्ट्रानिक फ्लैश 2 नम्बरस	6,970/-प्रत्येक
31-3-83	सर्कुलर फ्लैश	2,985/-
28-3-83	वर्टिकल ट्रिम्मे	98/-
31-3-82 5-12-83 6-12-83	मूवी लाइट्स	16,070/-
18-11-83	स्लाइट प्रोजेक्टर के लिए जूम लेन्स	2,150/-
16-12-83	प्रोसेसिंग टाइमर	700/-
16-12-83	आर० सी० पी० 20 डर्सट् प्रिन्ट प्रोसेसर	25,000/-
31-3-83	पैटरशन एवरसन टाईप थर्मोमीटर	2,200/-
5-12-83	राउन्ड कार्नर कटर	850/-
31-3-83	वीडियो तथा फिल्म कैमरा के लिए मूवेबल वील्स सहित हैवी ड्यूटी स्टैन्ड	5,800/-
31-3-84	डर्स्ट क्लर एल०ई० डी० 18 सेफ लाईट	2,800/-
31-3-84	क्लर प्रिन्टस के लिए पेपर ड्रायर	2,200/-
30-8-84	फिलिप्स हेडफोन टर्न टेबल कैसट डेक सहित सुनने की व्यवस्था और सुनने के कक्ष के लिए हैडफोन।	23,125/-
7-2-84	नेशनल एन बी-100 पोर्ट टेबल वी एच एस रिकार्डर और साधन	25,985/- 8,740/-
14-2-84	20" सोनी क्लर दूरदर्शन	16,500/-

1	2	3
6-3-84	सोनी, जापान से सोनी-वेपी 7210 पी एस वीडियो प्रोजेक्शन व्यवस्था और कैसेट आयात	1,67,560/- (कस्टम ड्यूटी सहित)
10-3-83	क्रोमीका टिक-15 स्लेपत	1,29,742/-
31-3-83 16-4-83 और 31-3-83	120 एस एल आर कैमरा सहायक साधनों सहित	
5-12-83	डर्स्ट 650 कलर वर्धक	3,500/-
2-1-84	स्कीनर लेन्स 75 मि०मी०	650/-
3-12-83	डर्स्ट 605 कल वर्धक	13,300/-
5-12-83	विस्तार विलोस 35 मि० मी० स्लाइड का पियर सहित	8,600/-
2-1-84	विविटर 285 इलक्ट्रानिक फ्लैश	3,425/-
2-1-84	फिल्म और पेपर संसाधन के लिए ताप नियंत्रण टैंक	3,800/-
31-3-84 16-5-84 26-6-84	हैसलब्लैड 500 कैमरा 120 आकार साधनों सहित	1,59,692/-
31-3-84	सोलीगर डिजीटल मीटर	5,595/-
2-11-83	फोटोफोन 16 मि०मी० साउंड प्रोजेक्टर	17,075/-
18-11-83	सेलेक्स-50 प्लेन पेपर कापियर	79,255/-
31-3-84	फ्लैश मीटर डिजीटल	2,500/-

1	2	3
2-1-84	अंधेरे कक्ष (डार्क रूम) के लिए इलेक्ट्रानिक एक्पोइयर मीटर	1,200/-
31-3-84	डे लाईट स्क्रेच प्रूफ फिल्म लीडर	1,090/-
31-3-84	वीडियो के लिए डाली और ट्राली	4,770/-
5-12-83	वर्धको (इनलार्जर) के लिए लेंसिस	6,250/-
5-12-83	आटोमैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर	1,800/-
2-1-84	पैटरसन यूनीवर्सल टैंक	2,800/-
31-3-84	स्लाइड् प्रेक्षक	850/-
31-3-84	स्लाइड्स स्टोरज बाक्स	3,500/-
23-2-85	नैशनल एन बी-7500/- (वी एच एस) कैसेट रिकार्डर	27,985/-
7-6-84	सोनोडाइनी स्टीरियो कैसेट डेक-एवं एमप्लीफर माडल 2060 और स्पीकरों सहित टर्नटेबल आर० पी-4000	8,400/-
12-10-84	आयात लाइसैंस पर सोनी कार्पोरेशन जापान से आयातित वीडियो व्यवस्था के लिए स्पेयर्स आर कैसेटस	1,12,087/- (कस्टम ड्यूटी सहित)
13-3-85	"ओरसन" स्टीरियों कैसेट डेक टीसी एक एक्स-44 टू इन वन कैसेट रिकार्डर	7000/- 1,837/- 1,320/-
11-2-85	वाइंडिंग मोटर नीकोन एफ थ्री कैमरा	8,790/-
11-2-85	बेफार्ड फलैश मीटर	5,985/-
11-2-85	नाकोन एफ ई2-एस एल आर नीरमा लेंस	24,215/-

1	2	3
	डोटा बेक, वाइंडिंग मोटर सहित 35 मि० मी० स्टील कैमरा	
11-2-85	एट्टक स्लाईड कापिंग यूनिट विथ बिल्ट इनलाइटिंग सिस्टम	22000/-
11-2-85	एल्लिनक्रोमे 23 स्टडियो लाइट्स	5,400/-
11-2-85	डोली सहित वेलवान कैमरा स्टैन्ड	12,000/-
25-3-85	कोडक स्लाइड प्रोजेक्टर कराऊसल 2050 रीमोट नियंत्रण, जैमिनी दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम व प्रस्तुतीकरण, प्रक्षेपण एकक। सेनक्रो कंसट डिजाल्प यूनिट, वर्धन में निर्मित इत्यादि सहित्य पूरा	1,03,840/-
31-3-85	सोनी-50 पी एस डब्ल्यू कनडेन्सर माइक्रोफोन	11,200/-

वनवासियों का विकास करने की योजना

[हिन्दी]

3458. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वनवासी" योजनाबद्ध विकास के दायरे के बाहर रह गये हैं;

(ख) क्या जुलाई, 1984 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में वनवासियों के विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने का निर्णय किया गया था; और

(ग) क्या कमजोर वर्ग के इन आदिवासी समुदाओं के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी नहीं। योजनाबद्ध विकास में वनवासियों का विकास भी शामिल है।

(ख) बैठकों में आदिवासी विकास में प्रत्यक्ष प्रगति को सुनिश्चित करने के साधनोपायों पर विचार किया गया। इसमें आदिवासी शामिल हैं।

(ग) आदिवासी वनवासियों सहित आदिवासी विकास की कई योजनायें सरकार के ध्यान में हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति

3459. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने अधिकारियों को तदर्थ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में पदोन्नति किया गया है ; और

(ख) यदि कोई पदोन्नति नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) शून्य।

(ख) पिछले तीन वर्षों में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के जो दो पद पदोन्नति से तदर्थ. आधार पर भरे गये हैं उनके लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं था।

पंजाब को आवंटन का सर्वाधिक प्रतिशत

[अनुवाद]

3460. **श्री राम भगत पासवान** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को हर प्रकार से धनराशि आवंटन का सर्वाधिक प्रतिशत दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीका में भारतीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन

3061. **श्री टी० बाला गौड़** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष के अन्त में अमरीका में भारतीय सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने के लिये क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) इस प्रयोजन हेतु पृथक रूप से कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) अमरीका में समारोह में भेजने हेतु प्रतिष्ठित कलाकारों तथा सांस्कृतिक ग्रुपों के चयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) संयुक्त राज्य में भारतोत्सव जून, 1985 में वाशिंगटन डी० सी० में होना निश्चित हुआ है और यह वहां पर डेढ़ वर्ष की अवधि से अधिक समय तक चलाया जाएगा । इसमें संयुक्त राज्य के अत्याधिक गौरवपूर्ण संस्थानों द्वारा प्रायोजित अनेक प्रदर्शनियां, निष्पादन कलाओं, रंगमंच ग्रुपों, फिल्मों, कविता-पाठ संगोष्ठियों और सेमिनार आदि शामिल होंगे ।

(ख) भारत सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतोत्सव पर लगभग 515 लाख रुपये खर्च करने की सम्भावना है ।

(ग) भारत के विशिष्ट कलाकारों और ग्रुपों का भारतोत्सव की निष्पादन कला समिति जिसमें संगीत नाटक अकादमी और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के प्रतिनिधि शामिल हैं द्वारा योग्यता के आधार पर चयन किया जा रहा है ।

भारत तथा मिस्र के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध

3462. **श्री के० प्रधानी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और मिस्र के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कदम उठाये है तो वे क्या हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने तथा आदान प्रदान करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारत का मिस्र के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध है। दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक करार पर सितम्बर, में1985 हस्ताक्षर किये गए थे । इस करार के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए ठोस कार्यकलापों का उल्लेख करते हुए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों और दो देशों के बीच होने वाले विनिमयों को समय-समय पर तैयार किया गया है । इन कार्यक्रमों को सम्बन्धित सरकारी विभागों/संगठनों द्वारा कार्यान्वित

किया जाता है। नवीनतम कार्यक्रम में वर्ष 1984-1987 शामिल हैं और दोनों देशों की शैक्षिक संस्थानों के बीच शिक्षाविदों के आदान-प्रदान, शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुस्तकों, सम्बर्भों और प्रकाशनों के आदान-प्रदान छात्रवृत्तियां प्रदान करना, निष्पादन दलों और कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान, एक दूसरे के पुस्तक मेलों और अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेना, लघु फिल्मों और वृतचित्रों सहित आकाशवाणी और दूरदर्शन सम्बन्धी कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, जनशक्ति का विकास, समाज कल्यण, स्वास्थ्य और कृषि आदि के क्षेत्र में आदान-प्रदान की परिकल्पना है ।

(ग) विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों के सुधार के एक भाग के रूप में 71 देशों के साथ सांस्कृतिक करार हुए हैं ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० के० के० तिवारी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो के० के० तिवारी को अनुमति दी है। मैं बारी-बारी से बोलने की अनुमति दूंगा।

प्रो के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय उपसमिति·········(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मामला है। मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा । क्या मैंने आप पर रोक लगायी है ? मैंने प्रो० तिवारी को बोलने की अनुमति दे दी है और वह बोलने के लिए खड़े हुए है ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह अत्यन्त गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि समूचा सदन इस बात से सहमत होगा और हमारे आंतरिक मामलों में अमेरिका के हस्तक्षेप की एक स्वर से निंदा करेगा । अमेरिका सिनेट की उपसमिति ने सुनवाई की थी जिसमें खालिस्तान के उग्रवादी नेता और विदेश विभाग का प्रतिधित्व था। यह भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास है । यह हमारी एकता और स्वतन्त्रता के लिए खतरा पैदा करने का प्रयास है। इसलिए समूचे सदन को और सम्पूर्ण राष्ट्र को अमेरिका द्वारा भारत की एकता और स्वतन्त्रता में किए जा रहे इस हस्तक्षेप की एक स्वर से निन्दा करनी चाहिए। मैं इस पर चर्चा किए जाने की मांग करता हूं। सरकार को हमारे आन्तरिक मामलों में अमेरिका द्वारा लगातार किए जो रहे हस्तक्षेप के प्रति उपयुक्त उत्तर तैयार करना चाहिए।·········(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं इसकी गंभीरता को जानता हूं।

इस पर समूचा सदन एक है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और मैं भावनाओं को समझता हूं। अपने आंतरिक मामलों में हम किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। उन्हें पंजाब समस्या अथवा अन्य किसी बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह तिरस्कारणीय और निंदनीय बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कल मैं इस सन्दर्भ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। मैंने कह दिया है कि मैं आप सबकी बात को एक-एक करके सुनूंगा। तब आप इस तरह चिल्लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

श्री वासुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : राजेन्द्र सेठिया के मामले के बाद, केनरा बैंक में एक और धोखाधड़ी हुई है जिस पर मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।......

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। चिंता न करें।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा काफी अच्छी रहेगी।

श्रीमन् मैं एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। टाइम्स आफ इण्डिया ने एक समाचार दिया है कि सरकार सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों अर्थात गैस अथोरिटी आफ इण्डिया और इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड को हजारिया-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के निर्माण का कार्य देने के अपने पिछले वादे से मुकर गयी है। सरकार ने उस करार को रद्द कर दिया है और अब अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित कर रही है। यह सरकारी क्षेत्र को क्षति पहुंचाना है। यह एक गम्भीर मामला है। हमें इस पर चर्चा करनी है।

अध्यक्ष महोदय : इसका हमें पता करना है। यह उनका कार्य है। यदि आपके पास कोई जानकारी है तो आप लिख कर दे सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस पर हमें अवश्य चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित में यह दे सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने यह दे दिया है।.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में हल्ला-गुल्ला क्यों करते हैं ? मैंने आपको बता दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा। आप इस बारे में शोर क्यों करते हैं ? चीखने-चिल्लाने से आपको क्या लाभ मिलेगा ? मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि इस पर विचार करूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री कुलनदई वेलु (गोबिचेट्टिपालयम्) : श्री लंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं । कल और परसों.........

अध्यक्ष महोदय : इस पर जिस तरीके से आप चाहे चर्चा कर सकते हैं । हम अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे । इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है ।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है । सरकार गैस अथोरिटी आफ इंडिया और इंजिनियर्स इंडिया को पाइप लाइन के निर्माण का कार्य सौंपने के अपने पिछले वादे से मुकर गयी है और अब अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे हम देखेंगे । इस मामले को फिर उठाने का क्या अर्थ है । आप उसी बात को दोहरा रहे हैं । क्या आप इसमें कोई नई बात जोड़ रहे हैं । मैंने पहले ही कह दिया है कि मैंने इसका नोटिस ले लिया है । आप इस पर चर्चा कर सकते हैं । इसके बारे में आप शोरगुल क्यों करते हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : जिस तरीके से सरकार कभी-कभी वित्तीय मितव्ययता की व्याख्या करती है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । देश की प्रमुख बन्दरगाह-मारमागाओ बन्दरगाह इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रही है और वित्तीय आडम्बरहीनता के नाम पर श्रमिकों को कोई बोनस और कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है जबकि करोड़ों रुपया शताब्दी-समारोहों पर खर्च किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिखकर दें । मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, क्या आप यह समझते हैं कि इस पोर्ट ट्रस्ट समारोह को मनाने में श्रमिकों को कुछ भी न दिया जाए जबकि इस समारोह को मनाने में पूरे एक वर्ष के के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे है । इस मामले में आपके क्या विचार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं ।.........

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय मुझे यह नहीं मिला है । मुझे रिकार्ड के लिए यह चाहिए । इस सम्बन्ध में आपके विचार क्या हैं ? क्या श्रमिकों को कुछ नहीं मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका में काले और लाल भारतीयों (रेड इण्डियन्स) के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : तो आप सब सहमत हैं । अमरीकी सीनेट की मानव अधिकारों सम्बन्धी उप-समिति के वक्तव्य पर अब नियम 195 के अन्तर्गत चर्चा होगी ।

अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

12:07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की ब्योरेवार मांगें

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 718/85]

संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परिक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का विवरण

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन* तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 719/85]

इंस्टीच्यूट आफ मैथेमैटिकल साइन्सिज, मद्रास के वर्ष 1983-84 और इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षायें

विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, और अन्तरिक्ष इलेक्ट्रानिकस विभागों में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इन्स्टीच्यूट आफ मैथेमैटिकल साइन्सिज, मद्रास, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) इन्स्टीच्यूट आफ मैथेमैटिकल साइन्सिज, मद्रास, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 720/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम सीमिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

*वार्षिक प्रतिवेदन, 29 जनवरी, 1985 को सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम, सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-721/85]

12.08 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के०एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 16 अप्रैल, 1985 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 5 वें प्रतिवेदनस से हमत है।"

मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कल हम महिलाओं पर चर्चा के बजाय किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, महिलाओं पर चर्चा बाद में की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अतः हम इस संशोधन के साथ इसे स्वीकार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 अप्रैल, 1985 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 5 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.09 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सातवीं योजना में गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश में दूध पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में उद्योगों का अभाव होने के कारण बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर सुलभ नहीं हो रहा है। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण इस अंचल की तीन चौथाई आबादी जो अशिक्षित है, खेती में भी उसे रोजगार के अवसर सुलभ नहीं हैं। इस अंचल में गोरखपुर आदि स्थान जहां औद्योगीकरण की संभावनाएं हो सकती हैं, सरकारी स्तर पर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं नहीं हैं, इसलिये निजी क्षेत्र के उद्योगों की संभावनाएं नहीं के बराबर हैं। बेरोजगारी के कारण उक्त क्षेत्र में अपराधी वातावरण बनता जा रहा है।

इस सारी परिस्थिति में सुधार लाने हेतु यह आवश्यक है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स काम्पलेक्स की बड़े पैमाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वांचल के गोरखपुर आदि स्थानों पर स्थापना की जाये तथा इस अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्धशालाओं की बड़े पैमाने पर स्थापना निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में की जाये, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर हो सके।

अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर आशा करता हूं कि योजना आयोग उत्तर-प्रदेश के उक्त पूर्वांचल क्षेत्र के विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बड़ी इकाई गोरखपुर में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डेयरी उद्योग का समावेश सातवीं पंचवर्षीय योजना में करेगा।

12.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दो) विशाखापत्तनम का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : विशाखापत्तनम एक बहुत ही प्यारा घाटी शहर है, जिसमें मनोहारी हरी पहाड़ियां, बालू-तट वाला समुद्री तट, अप्रवाहीजल और प्राकृतिक बन्दरगाह है। इसके निकट ही सिम्हाचलम, श्री कुमंम और अन्नावर्कं जैसे प्राचीन, मूर्ति कलाओं से भरपूर तथा ऐतिहासिक मन्दिर हैं। विशाखापत्तनम और भी भूनिपत्तनम के बीच 'बीच रोड' विश्व की सबसे मनोरम समुद्रों में से एक है जिसके एक तरफ पहाड़ियां हैं तथा दूसरी तरफ समुद्र और बालू है और यह भगवान की देन है। प्राकृतिक बन्दरगाह, अप्रवाही जल और विशाल औद्योगिक कम्पलेक्स यहां के आकर्षण की अन्य चीजें हैं। समुद्र के साथ हरे वन में एक सुन्दर घाटी में विश्व का एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर यहां स्थित है। पूर्वी घाट में 4000 मीटर की ऊंचाई पर प्राकृत वन में स्थित अन्नतगिरि, अराकू, सिलेस, चिन्तापल्ली, मचकुंड जैसे स्थान वहां उपलब्ध वन्य जीवन, हरे और गहरे पेड़ पौधों, झरनों, पर्वतीय सरिताओं और विशाल पन बिजली परियोजनाएं देखने योग्य होने के कारण रोमांचकारी और देखने में बहुत ही अद्भुत है। अतः विशाखापत्तनम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना अत्यधिक उपयुक्त होगा और इससे विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 'विशाखापत्तनम बीच' का विकास 'कोवलय बीच' की तरह किया जाए। 'बीच रोड' सिम्हाचलम, अराकू, चितापली, मचकुंड में पर्यटक होटल का निर्माण भी शुरू किया जाए।

(तीन) वाराणसी और मुगलसराय के बीच स्थानीय रेल सेवा आरम्भ करने की मांग

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या में यात्री रेलगाड़ियां पकड़ने के लिए वाराणसी से मुगलसराय और मुगलसराय से वाराणसी जाते हैं। वाराणसी मुगलसराय के बीच में बसों, टैक्सियों और आटोरिक्शा के द्वारा यात्रा करते हैं। वाराणसी

[श्री जैनुल बशर]

मुगलसराय के बीच सड़क पर ट्रकों का प्राय: जाम लगा रहता है। इससे बड़ी संख्या में सेकड़ों लोगों की रेलगाड़ियां छूट जाती है।

वाराणसी के बीच में रेलगाड़ियों की संख्या बहुत कम है और दूर से आने वाली रेलगाड़ियां प्राय: समय पर नहीं आतीं। मेल और सुपरफास्ट गाड़ियों पर इतनी छोटी यात्रा के बन्धन लगे हुए हैं।

बहुत बड़ी संख्या में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि वाराणसी और मुगलसराय के बीच लोकल रेलगाड़ियां चलाई जायें। हर घंटे पर लोकल रेलगाड़ियां चलाए जाने से बहुत सुविधा बढ़ जायेगी। यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि रेलवे को इससे घाटा भी नहीं होगा।

अत: रेल मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे वाराणसी मुगलसराय के बीच लोकल रेलगाड़ियां चलाए जाने की तत्काल व्यवस्था करा दें।

(चार) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अभी हाल ही में डेसू ने जो बिजली की दरों में वृद्धि की है इसको लेकर जनता में काफी चर्चा है। इस वृद्धि के अनुसार बिजली की आपूर्ति की बढ़ी दर सभी वर्गों के लोगों एवं आर्थिक इकाइयों पर लागू होगी।

भारत एक उभरता हुआ मुख्यत: कृषि प्रधान एवं छोटी औद्योगिक इकाइयों एवं निम्न वर्ग के व्यापारियों का देश है। कृषि व अन्य छोटी औद्योगिक इकाइयों को पनपाना हमारी अर्थ नीति की विशेषता है। बिजली एक सामान्य ऊर्जा का स्रोत इन इकाइयों का है। खास तौर से उन बढ़ते हुए आबादी वाले बड़े शहरों में बिजली जैसे स्रोत का अत्यधिक महत्व इसलिए भी है कि इससे प्रदूषण की संभावनायें नगण्य है। अब बिजली की दरों में यकायक इतनी वृद्धि से वे सब आशायें धूमिल हो जाती हैं।

अभी हाल ही में पेट्रोल की बढ़ती हुई दरों से बाजारों में काफी तेजी आई है। बिजली की दरों में बढ़त कमजोर आदमी को दो तरफा मार देती है। एक तो उनको बढ़ती हुई दरों पर बिजली के बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरे इसके प्रभाव से बढ़ी हुई कीमतों का सामना।

इस वृद्धि का विशेष भार छोटी औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा जहां कि प्रति यूनिट बिजली अब 75 पैसे में मिलेगी। सरासर यह वृद्धि हमारी छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करने वाली औद्योगिक नीति के विपरीत सिद्ध होगी हमारे इलेक्ट्रानिक उद्योग को भी इस वृद्धि से उल्टा धक्का लगेगा, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में इस वृद्धि से कृषक वर्गों में उदासीनता बढ़ेगी।

मेरा माननीय ऊर्जा मन्त्री से अनुरोध है कि वे डेसू को इस बारे में हिदायत दें कि ये वृद्धि वास्तविक रूप में लागू की जायें, उपर्युक्त बातों पर गंभीरता से विचार करें।

(पांच) पटना के निकट जल्ला क्षेत्र में एक रेलवे फाटक तथा संपर्क सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : पटना के निकट जल्ला क्षेत्र बरसात के मौसम में तीन महीने तक प्रायः जलमग्न हो जाता है। उस क्षेत्र से बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता केवल एक सड़क है जो बांकाघाट रेलवे स्टेशन के समीप एक रेलवे पुल के नीचे से गुजरती है। रेलवे विभाग उस पुल पर नये खम्बे बनाकर उसे मजबूत करने जा रहा है। उससे वह सड़क लगभग पूरी तरह अनुपयुक्त हो जाएगी और इससे 40 गांवों के लगभग 30 हजार लोगों के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा।

वे भयंकर कठिनाइयों में घिर जायेंगे। यदि वहां एक रेलवे फाटक बनाया जाता है तो इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह रेलवे विभाग को वहां रेलवे फाटक बनाने हेतु निर्देश दे और राज्य सरकार को वहां सम्पर्क सड़कें बनाने के लिए कहा जाय।

(छः) गांवों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु सातवीं योजना में राज्यों को विशेष धनराशियां देने का प्रावधान

(हिन्दी)

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। आज 5,464 डाक्टरों के पद ग्रामीण अंचलों में रिक्त हैं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। जबकि 30 हजार मैदानी इलाकों व 20 हजार पहाड़ी इलाकों की जनसंख्या के ऊपर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। परिणाम यह होता है कि स्वास्थ्य सेवा के अभाव में व्यक्ति या तो मौत के मुंह में चले जाते हैं या फिर नीम-हकीमों के चक्कर में फंस जाते हैं। अतः सरकार से निवेदन करूंगी कि सातवीं योजना में चिकित्सा सुविधा के लिए राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करें जिससे 70 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रजातांत्रिक देश स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रह सके। नीम-हकीमों द्वारा चलाये जा रहे चिकित्सा केन्द्रों की कड़ाई से जांच होनी चाहिए।

(सात) विभिन्न भाषाओं को समझने की क्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु एक राष्ट्रीय अनुवाद और मौखिक भाषान्तरण संस्थान बनाने की मांग

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : हमारे प्रधान मन्त्री ने समय की पुकार का सही

[श्री चिन्ता मणि जेना]

मूल्यांकन किया है। उन्होंने कहा है कि इस समय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शिक्षा का तात्पर्य गुणात्मक विकास होना चाहिए न कि मात्र डिग्री प्राप्त करना। अन्य परिवर्तनों के अलावा नई शिक्षा प्रणाली के लिए हमें विभिन्न भाषाओं को समझने की क्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु अनुवाद तथा भाषान्तरण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान बनाना चाहिए जोकि हमारे देश की भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने में एक मात्र प्रभावकारी रास्ता है।

यह संस्थान राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अलावा वैज्ञानिक चिकित्सा, इन्जीनियरी और अन्य तकनीकी पुस्तकें अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में हैं। इसलिए यह संस्थान इन पुस्तकों और इनसे संबंधित साहित्य को अंग्रेजी से सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके आधुनिक विचारों तथा धारणाओं को हमारे देश के कोने-कोने में प्रसारित कर सकता है।

अतः मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक ऐसी योजना को लेकर आगे आयें ताकि उसे 1986 से पहले कार्यान्वित करने में हम समर्थ हों क्योंकि उस समय तक नई शिक्षा प्रणाली आरम्भ की जानी है। माननीय शिक्षा मंत्री इस विषय पर सदन में एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

(आठ) कर्नाटक में सूखा राहत कार्यक्रम के लिए और अधिक धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता

*श्री वी० वेंकटेश (कोलार) : सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य भयंकर सूखे की चपेट में है। पिछले वर्ष जिले कोलार, दावनागरे, बीजापुर और गुलबर्गा जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए है। इन जिलो में तथा कोप्पाला, हरापनाहल्ली, होसादुर्ग आदि जैसे स्थानों पर बहुत कम वर्षा हुई थी। वास्तव में उपरोक्त स्थानों में सूखे की स्थिति पैदा होना प्रायः हर साल की बात हो गई है। वहां न तो चारा उपलब्ध होता है और न ही पेयजल, बीजापुर तथा गुलबर्गा जिलों के अधिसंख्य श्रमिक रोजगार की खोज में दूर के स्थानों में चले गए हैं। सूखा राहत कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार के अध्ययन दल ने इसी महीने की 8 तथा 9 तारीख को कर्नाटक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था जिसकी रिपोर्ट वे शीघ्र ही देने वाले हैं।

बीजापुर तथा गुलबर्गा जिलों को पिछले वर्षों में सूखा राहत कार्यक्रम से सहायता मिली थी। किन्तु पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि से कड़वा अनुभव हुआ है। स्वीकृत राशि तथा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि में परस्पर सम्बन्ध नहीं है। सूखा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा दी गई वित्तीय सहायता बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। मैं भारत सरकार से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह कर्नाटक में सूखा राहत कार्यक्रम के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृति करे।

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

12.19 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) —1985-86

—जारी

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में मद 6 पर विचार किया जाएगा—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे की चर्चा तथा मतदान होगा।

मेरे पास उन बहुत सारे सदस्यों के नाम हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। लेकिन इस विषय पर चर्चा के लिए अब हमारे पास 2 घण्टे और 11 मिनट बाकी हैं। अतः यदि प्रत्येक सदस्य इस पर 5 से 6 मिनट तक बोलें तो मैं उन सभी सदस्यों को बोलने का मौका दे सकता हूं जिन्होंने मुझे अपने नाम दिए हैं। मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया मेरे साथ सहयोग करें और आप में से प्रत्येक सदस्य केवल 5 से 6 मिनट ही बोलें। कृपया पहले ही कही गई बातों को न दोहरायें। साथ ही मुद्दों को विस्तार में न ले जाइये। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहिये। अब श्री डी० पी० यादव अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने भाषण शुरू किया था किन्तु समयाभाव के कारण मुझसे अपना भाषण आज करने के लिए कहा गया था। महोदय, अब समय आ गया है जब हमें विगत की ओर झांकना और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योजना बनानी है, जब कभी हम हमारे देश की पानी के प्रबन्ध की भावी योजना पर विचार करते हैं, तो हम उससे विक्षुब्ध हो जाते हैं। किसी भी तरह से हम अपनी पानी सम्बन्धी नीति बनाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। हमारी अपनी औद्योगिक नीति है, शिक्षा नीति है, स्वास्थ्य नीति है किन्तु पानी के संबंध में कोई नीति नहीं है, जोकि हमारे अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है। हम पानी के संबंध में नीति निर्धारित करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। इस संबंध में मैं वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-एक के पैराग्राफ 3 का उल्लेख करना चाहूंगा।

> "संविधान के अन्तर्गत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित जल विकास राज्य के विषय हैं। इसलिए सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की मूल जिम्मेवारी राज्यों सरकारों की होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अधिक विकास क्षमता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने, राष्ट्रव्यापी प्रयासों का समन्वय करने, राज्य सरकारों को उच्चस्तरीय तकनीकी सहायता देने और राष्ट्रीय आधार पर महत्वपूर्ण मुख्य निष्कर्ष निकालने तथा अध्ययन करने एवं राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सियों की जानकारी में नया प्रौद्योगिकी परिवर्तन लाने में अनिवार्य उत्प्रेरक भूमिका अदा की है।"

[श्री डी० पी० यादव]

महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को हटाकर उसके स्थान पर एक नया पैराग्राफ पुरःस्थापित किया जाये, जो इस प्रकार हो—

"पानी केन्द्रीय विषय होने के नाते अथवा पानी के 'समवर्ती सूची' में होने के नाते, हम पानी के प्रबंध में सक्षम रूप से और बेहतर ढंग से नीतियां तथा कार्यक्रम निर्धारित करने में समर्थ होंगे।"

अब प्रश्न यह है कि पानी के सम्बन्ध में नीति क्यों होनी चाहिए ? मैं इसे विस्तार में नहीं बताना चाहता और एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच लम्बे वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। सारा राष्ट्र एक है। यदि कोई राज्य पेयजल के लिए तड़प रहा है तो दूसरा राज्य यह दावा करता है कि उसे सिंचाई प्रयोजन हेतु और अधिक पानी की जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस सभा के माननीय सदस्य कोई ठोस सुझाव लेकर आगे आयें और इसी सत्र में पानी के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति तय करने हेतु संकल्प पास करे। इस विषय पर हमारे पास बहुत अधिक सामग्री है। हमारे देश के लिए पानी सम्बन्धी नीति की आवश्यकता के लिये अधिक विस्तार में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पानी के विभिन्न जल उपयोगों में वरीयतायें निर्धारित करने हेतु कोई राष्ट्रीय नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है, यद्यपि यह जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक है। पन-बिजली और सिंचाई हेतु पानी के इस्तेमाल के लिए अनेक दावों के मामले हैं। पर्याप्त सूखा-प्रबल क्षेत्रों वाले कई राज्यों ने अपनी सिंचाई आवश्यकताओं की अपेक्षा पन बिजली के उत्पादन के लिए पानी इस्तेमाल करने हेतु वरीयता दी है। जब बिजली का उत्पादन अन्य विकल्पों से किया जा सकता है तो सिंचाई व घरेलू उपयोग के लिए पानी के स्थान पर कोई अन्य कारक काम में नहीं लाया जा सकता।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमें पानी का इस्तेमाल वैज्ञानिक ढंग से करना होगा न कि जीवन अमृत के रूप में, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट कृषि आयोग की रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय सिंचाई आयोग की रिपोर्ट आई हैं। ये सभी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई हैं और भारत में पानी के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने विस्तार से जांच की है। उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करता हूं कि संसद के इसी सत्र में पानी संबंधी एक उचित संकल्प पारित किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जल प्रबन्ध और इसके अनुरक्षण हेतु नीति के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। हमें इस तरह की कोई नीति अपनानी होगी कि सिंचाई के लिए तथा औद्योगिक एवं पेयजल प्रयोजनों के लिए पानी को किस तरह इसकी अधिकतम उपयोगिता तक प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि हम पाएंगे कि तीस चालीस वर्षों बाद एक समय ऐसा आएगा जब पानी एक दुर्लभ वस्तु बन जाएगा, पेट्रोल से भी अधिक दुर्लभ। इसलिए, हमें अनुकूल नीति अपनानी होगी। अनिवार्यतः जल प्रबंध हेतु एक बहु प्रयोजनीय योजना तैयार की जानी होगी। सर्वप्रथम तो नहर प्रबन्ध प्राधिकरणों, कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, कृषि विस्तार सेवाओं और किसानों के बीच कारगर और दीर्घकालीन सम्पर्क विकसित किए जाने

चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने मुझसे संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए कहा है, अतः मैं महत्वपूर्ण मुद्दों को सिर्फ गिनाउंगा।

गुजरात राज्य में यह कार्यक्रम पहले से ही प्रारम्भ कर दिया गया है। उसे जल प्रबन्ध कार्यक्रम और नीति के 'माडल' में रूप में अपनाया जा सकता है।

मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीरण में तेजी लाई जानी चाहिए। बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं। लेकिन वे इन सभी परियोजनाओं के लिए आधुनिकीकरण एक आवश्यकता है, क्योंकि पानी की अधिकता की अवधि के दौरान बहुत सा पानी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए, अन्ततोगत्वा हमें अत्यंत सुव्यस्थित और वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई प्रणाली की योजना तैयार करनी होगी, पाइप-प्रणाणी का भी विकास किया जाना है। सिंचाई की स्प्रिंकर तथा ड्रिप प्रणाली तथा अन्य प्रणालियां हैं। यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि आपने सारे पम्पों, पवन चक्कियों, हाइड्रम्स, जल टरबायन्स, मानव। पशु चालित पम्पों और स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के लिए कुछ राज-सहायता दी है।

पानी के आवागमन के लिए, पानी ले जाने के लिए आपको स्टील पाइपों, जस्ता चढ़े पाइपों अथवा रबड़ों के पाइपों के जरिए पाइप लाइन प्रणाली जैसी कोई नई पद्धति अपनानी होगा। तकनीकी दृष्टि से जो कुछ भी संभव हो, उसे यथाशीघ्र अपनाया जाना चाहिए ताकि हमारे जल का अधिकतम अनुरक्षण हो।

मैंने विगत पर दृष्टिपात करने और कोई योजना तैयार करने के बारे में कहा था। यदि हम आधारभूत आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि इस देश में सिंचाई की कुल क्षमता 113 मिलियन हेक्टेयर की है। इतनी भूमि की सिंचाई हमारे पास उपलब्ध जल से आराम से की जा सकती है। अब तक हमने 67.97 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और अभी 45.03 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई का लक्ष्य और प्राप्त करना है। यह सब उपलब्धि अब तक इस तथ्य के कारण है कि हमने उन योजनाओं को पहले ही शुरू कर दिया है जो आसान थीं। अब आपको केवल वे योजनाएं शुरू करनी हैं जो सामाजिक, राजनीतिक अथवा तकनीकी दृष्टि से जटिल हैं। युद्ध क्षेत्रों में आपको कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता हैं। इस सम्बन्ध में मैं संसद की लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने इस मामले में विस्तार से विचार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: वे सभी चीजें आप मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

श्री डी० पी० यादव: सिंचाई योजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के कारणों और सप्लाई किए गए आवश्यक आदानों पर विचार किया जाना होगा।

अंततः माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा पीन बांध बहुद्देशीय परियोजना के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा की गयी है।

[श्री डी० पी० यादव]

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह एक सम्पूर्ण तकनीकी-आर्थिक मूल्यनिर्धारण सर्वेक्षण लेकर आएं और पंजाब, राजस्थान, हरयाणा, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली के लोगों को इस बात से आश्वस्त करें कि यह योजना चार पांच वर्षों की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी। इसके लिए तकनीकी अथवा वित्तीय रूप, के अपेक्षित आदान, सरकार द्वारा योजना के समायोजन द्वारा अथवा इसे एक केन्द्रीय परियोजना मानकर उपलब्ध कराए जाने होंगे ? क्योंकि इसमें लम्बा समय लग चुका है। इस थीन बांध के बारे में आपको अपने प्रस्ताव पेश करने चाहिएं।

मेरा एक सुझाव और है कि देश के लिए पेय जल की रूपरेखा यथाशीघ्र तैयार की जानी चाहिए। यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है क्योंकि ऐसा न होने पर कठिन समय का सामना करना पड़ेगा।

अन्त में, मैं हमारी अपनी परियोजना के बारे में बोलना चाहूंगा। विद्युत उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं। विद्युत के सम्बन्ध में, राज्य क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन और उनकी उपलब्धियां निश्चय ही बेहतर हैं। जहां तक, विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है, यदि राज्य उत्पादित बिजली प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्यों में आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाना होगा। राज्यों की त्रुटियों के लिए केन्द्र को दोषी नहीं कहा जा सकता।

अन्त में, मैं हमारी अपनी योजना अर्थात् कहलगांव विद्युत परियोजना के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। हम मंत्री महोदय के आभारी हैं। संपूर्ण बिहार के लोग आपके आभारी हैं। लेकिन अब तक का कार्यकरण और उपलब्धियां नगण्य हैं। 3500 एकड़ की जो भूमि हमें अर्जित करनी है उसमें केवल सौ एकड़ भूमि है और वहां एक छोटा सा कार्यालय है। परियोजना आयोजन, रेल यातायात आधारभूत ढांचे के विकास आदि को यथाशीघ्र संक्रिय करना होगा। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि कहलगांव बिजली घर को एक प्राथमिकता वाली योजना के रूप में शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि बिहार के अन्य पिछले क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत आ जाएंगे और सिक्कम तक के क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत आ सकते हैं। इसलिए कहलगांव बिजलीघर यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं दोनों मंत्रियों को उनके सुयोग्य मार्ग निर्देशन के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि प्रधानता वाले देश में इन दो मंत्रालयों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे 70 प्रतिशत से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हैं। इसलिए, सिंचाई मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सिंचाई प्रणाली की रीढ़ है। बिजली क्षेत्र में और साथ ही सिंचाई क्षेत्र में भी, कार्यनिष्पादन उतना अच्छा बिल्कुल नहीं है जैसाकि दावा किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में यद्यपि कृषि और उद्योग दोनों में वाणिज्यिक ऊर्जा की कुल खपत में बिजली की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है ? बिजली के उत्पादन, परिजन और उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई प्रभावी अनुसंधान और विकास करने के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया है।

महोदय पहले मैं बिजली क्षेत्र की बात करता हूं। दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता को और अधिक बिजली देने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। कल, मन्त्री महोदय और पश्चिम बंगाल के एक भूतपूर्व मन्त्री ने वामपंथी मोर्चा सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। महोदय, उस समय आप पीठासीन थे। वे आरोप सच्चाई से कोसों दूर थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पश्चिम बंगाल में बिजली की समस्या है। लेकिन इससे पिछली सरकार ने क्या किया? यदि आप 1970-77 के दौरान के जब वे सत्तारोढ़ थे, तब के उनके कार्य निष्पादन पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उस समय केवल 75 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया।

वामपंथी मोर्चे की सरकार के शासन के दौरान.........

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उस समय संस्थापित क्षमता कितनी थी? (व्यवधान)

श्री अजित कुमार साहा : मैं बाद में उस बात पर बोलूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए। खड़े न होइए और इस तरह चिल्लाईए मत।

श्री अजित कुमार साहा : हमने 922 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम ग्रामीण विद्युतीकरण में पिछड़ रहे हैं। लेकिन इसमें दोष किसका है? वामपंथी मोर्चा सरकार के आठ वर्षों के दौरान, इसमें अकेले विद्युत क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यह उससे बहुत अधिक है जो वह अपने शासन के 30 वर्षों के दौरान खर्च करते रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में उन्होंने क्या किया है? हमें यह बताना है कि 1977 के पहले पश्चिम बंगाल के अनेक गांवों में एक या दो विद्युत खंभे लगाए गए थे एक या दो ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए थे, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं दिया गया था। और उनकी गलती के कारण ही, हमारी सरकार इन सभी चीजों को रखरखाव करने के प्रयास कर रही है। इसी कारण से हम ग्रामीण विद्युतीकरण में पिछड़ रहे हैं। जो भी हो, मैं इस मामले में किसी विवाद में नहीं जाना चाहता।

एक बात मैं अवश्य कहूंगा। यह कहा जाता है कि इख्तियारुद्दीन अख्तियार खिलजी ने 17 घुड़सवारों की मदद से बंगाल पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। मुझे नहीं पता कि यह कहानी कहां तक सच है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह एक तथ्य है कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी द्वारा लगाए गए 17,000 कारिन्दों ने पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को तबाह करने में मदद की।

विद्युत विभाग में राज्यमन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : श्रीमन, यह अत्यन्त अनुचित वक्तव्य है। राज्य बिजली बोर्डों से केन्द्रीय मंत्री को क्या करना है। पश्चिम बंगाल क्षमता उपयोग के क्षेत्र में देश में सबसे कम है।

श्री अजीत कुमार साहा : ऐसा आपके सौतेले व्यवहार के कारण है। (व्यवधान) जैसा कि मैंने पहले कहा, देश में बिजली के उत्पादन, परिक्षण और उपयोग के संबंध में कोई प्रभावी अनुसंधान और विकास करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया है। यदि यह सब किया गया होता अर्थात् ये उपाए किए होते तो हमने अकेले औद्योगिक क्षेत्र से कम से कम 20 प्रतिशत बिजली की बचत की होती। तथापि, मानकीकरण की कमी अभी भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि 'क्षेत्र' कुछ कठिनाइयों से गुजर रहा था और इस तरह के अनेक जनरेटरों को चालू ही नहीं किया जा सकता। हाल ही में 210 मेगावाट के सेटों का मानकीकरण किया गया है ताप बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में मूल कमजोरी को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि भारत ने लगभग 18 देशों से 25 मेगावाट से 500 मेगावाट के ताप बिजली उत्पादक उपकरण आयात किए हैं और इसका कुल परिणाम है मानकीकरण की सम्पूर्ण विफलता।

ताप बिजली के उत्पादन से अनेक समस्याएं जुड़ी है, जैसे कि सम्पर्क खानों अर्थात् उन खान विशेषों की घटती हुई संख्या जो ताप बिजली संयंत्र विशेष को कोयले की सप्लाई करती हैं। खासतौर पर उच्च वोल्टेज की लाइन में बिजली परिक्षण की समस्याएं हमारे सामने हैं। पन बिजली के क्षेत्र में हमें अधिकाधिक संख्या में किसी और माइक्रो पन-बिजली उत्पादक संयंत्र लगाने होंगे। फिर भी, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे न केवल उच्च विद्युत उत्पादन को फिर से सक्रिय और व्यवस्थित करने के मामले में कार्यवाही में अपितु क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए भी कदम उठाएं। इस संबंध में मैं पश्चिम बंगाल सरकार की आर्थिक समीक्षा (1984-85) से उद्धरण देना चाहता हूं। इसके पृष्ठ 49 पर लिखा हुआ है।

"यह स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि अतीत की भूलों और महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में परिणामतः पूर्व विद्यमान बाधाओं की पूरी जानकारी के बावजूद केन्द्र की छठी योजना में पश्चिम बंगाल को इन अन्य औद्योगिक राज्यों की तुलना में विद्युत आवंटन में अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गयी जैसा कि तालिका 8.6 में देखा जा सकता है।

छठी योजना के अन्त में महाराष्ट्र के संस्थापित क्षमता 6,196.30 मेगावाट की और योजना परिक्षण (1980-85) 2,157.00 करोड़ रुपए था, उत्तर प्रदेश के लिए संस्थापित क्षमता 5,311.76 मेगावाट थी और योजना परिव्यय 2,125 करोड़ रुपए 90 पैसे था; गुजरात के लिए यह 3,396.02 मेगावाट था और योजना परिव्यय 941.50 करोड़ रुपए था; पश्चिम बंगाल में यह 2,978.54 मेगावाट था और योजना परिव्यय 886.55 करोड़ रुपए था। धन-राशि के आवंटन के अन्तर को आप देख सकते हैं। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए। मैं बिजली से सम्बन्धित पश्चिम बंगाल की समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त क्षमता संस्थापित करने का अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया है। (1) बकरेस्वर 3×210 मेगावाट ताप परियोजना—पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को सातवीं योजना में शामिल किया जाना चाहिए। (2) कोलाघाट

3×210 मेगावाट स्टेट-II ताप बिजली परियोजन। (3) मेजिया 3×210 मेगावाट ताप बिजली परियोजन— इस परियोजन की अनुमानित लागत 567 करोड़ रुपए है। इसे अप्रैल, 1982 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। लेकिन, योजना आयोग ने अभी तक इसे अपनी मंजूरी नहीं दी है। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाएं। (4) 2×60 मेगावाट कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम का दक्षिणी बिजली उत्पादन केन्द्र (5) बांडेल और संतालडीह ताप बिजली घरों को फिर से तैयार करना। (6) कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम के पुराने ताप बिजलीघरों को फिर से ठीकठाक करना। (7) रम्मम: 4×12.5 मेगावाट पन बिजली परियोजन। (8) तीस्ता नहर प्रताप 67.5 मेगावाट और (9) उत्तर बंगाल में माइक्रो पन बिजली परियोजना। ये सभी परियोजनाएं लम्बे समय सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं आपसे इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेने हेतु अनुरोध करता हूं ताकि इस समय अनुभव की जा रही बिजली-समस्या को आगे और विलम्ब के बिना हल किया जा सके।

पूर्वी क्षेत्र में अभी तक कोई परमाणु बिजलीघर स्थापित नहीं किया गया है। मिदनापुर जिले में दत्तन में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के प्रस्ताव को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से पूर्वी क्षेत्र में भी एक परमाणु बिजली संयंत्र को मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

अब मैं सिंचाई मन्त्रालय की बात करता हूं। हम इस क्षेत्र पर दृष्टिपात करें। हर रोज सदन में तथा सदन से बाहर इस बात के दावे किए जाते हैं कि भारत सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय देश में सिंचाई की कुल क्षमता 22.67 मिलियन हेक्टेयर की थी। 1951 में योजना अवधि प्रारंभ होने से लेकर 1980 तक 106 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से केवल 36 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। 921 मझोली सिंचाई परियोजनाओं में से केवल 476 पूरी हुई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 11 परियोजनाएं प्रथम योजना अवधि से, 13 परियोजनाएं दूसरी योजना अवधि से, 24 परियोजनाएं तीसरी योजना अवधि से और 10 परियोजनाएं 1968-69 की वार्षिक योजना अवधि से अब तक लटकी हुई हैं। 1980 के आंकड़ों के आधार पर बोलते हुए कहूंगा कि गत 15 वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता में औसत वार्षिक वृद्धि 1 मिलियन हेक्टेयर है। हमारा लक्ष्य 130 मिलियन हेक्टेयर का है। इस अवधि के दौरान 59.57 हेक्टेयर के क्षमता-लक्ष्य में से हमारी उपलब्धि केवल 38.98 मिलियन हेक्टेयर तक की है। यदि बड़ी मझोली और छोटी सभी सिंचाई परियोजनाओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो .20 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है अथवा 33 प्रतिशत तक लैकलाम इकट्ठा हुआ है। इस कमी के क्या कारण हैं। वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार प्रति हेक्टेयर लागत 7000 रुपए है तो हम गणना करके देख सकते हैं कि लागत कितनी आती है। हमें 20 मिलियन हेक्टेयर के इस अन्तर को पूरा करना है। 1979 के मूल्यों के अनुसार इसकी लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपए होगी।

[श्री अजीत कुमार साहा]

आप घंटी बजा रहे हैं, मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

अब तक कारगर ढंग से बाढ़ नियन्त्रण अथवा सूखा नियन्त्रण नहीं किया गया है। सूखा राहत पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गयी है और हमारे देश के विभिन्न भागों में आयी बाढ़ों के कारण प्रतिवर्ष 395 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इसलिए कारगर बाढ़ और सूखा नियन्त्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सिंचाई राज्य का विषय है, नल भी राज्य के विषय है। लेकिन प्रारम्भ से अन्त तक जांच पड़ताल की अवस्था, मंजूरी और सभी मामलों में निगरानी, का काम योजना आयोग का है। शरीक है। राज्यों को निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल की समस्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

एक है, फरक्का में गंगा नदी के पानी का बंटवारा। भारत सरकार को कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने के लिए हुगली नदी के लिए 40,000 क्यूसेक पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी है। दूसरी बात है, तीस्ता नदी के कम पानी के समय के दौरान पानी का बंटवारा। तिस्ता नदी के पानी के बटवारे की मौजूदा तदर्थ व्यवस्था 1985 में समाप्त हो जाएगी। इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार से अपील की थी कि भावी व्यवस्थाओं में तीस्ता नदी के कम बहाव के शुष्क मौसम के दौरान कम से कम 80 प्रतिशत जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

तीसरी समस्या है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बांध के, नीचे के बहाव की ओर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कटाव निरोधी कार्य। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से स्वयं मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर इन कटाव-विरोधी योजनाओं के निष्पादन के लिए वित्त-व्यवस्था नहीं कर सकती।

चौथी बात, पश्चिम बंगाल की सुवर्णरेखा बांध परियोजना अभी स्वीकृत की जानी है। मैं बिना किसी और विलम्ब के परियोजना की स्वीकृति देने से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं क्योंकि यह योजना विश्व बैंक सहायता के लिए पहले से ही लगी हुई है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में कंकसाबती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण की योजना के बारे में 210 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की गई थी और इसे केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह योजना न केवल मूल कंकसाबती जलाशय परियोजना द्वारा सिंचाई क्षमता को स्थायी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है बल्कि हाल ही मंजूर की गई 'अपर कंकसाबती प्रोजेक्ट' को अधिक प्रभावशाली के लिए भी बनाने आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सिंचाई की मांगों पर बोलते हुए दो-तीन विशेष बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। खेती ही उनकी जीविका का मुख्य साधन है। लेकिन जब हम सिंचाई की व्यवस्था की ओर देखते हैं और उसके लिए जो उन्हें साधन उपलब्ध होने चाहिए, उनको देखते हैं तो इनमें भारी कमी दिखाई पड़ती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में सिंचित एरिए का प्रतिशत कम है जो कि बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जमीन है। वह देश के अन्य हिस्सों से ज्यादा उपजाऊ है। इस तरफ हमारे सिंचाई मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए।

एक चीज की ओर मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह यह है कि उत्तर प्रदेश में एक शारदा नहर बनाई गई है। वह लगभग दस वर्ष पहले बनाई गई थी। यह बहुत बड़ी नदी की तरह से है और वहां पांच जिले के बीच से होकर यह गई है। जिस दिन शारदा नदी का उद्‌घाटन करने के लिए हमारी स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी गई थीं तो हम सब बहुत खुश थे कि उत्तर प्रदेश के लगभग 11-12 जिलों की सिंचाई की समस्या हल होगी और उससे हजारों एकड़ की सिंचाई होगी और दो तरह की फसल हो पायेगी जहां पर की उस समय तक एक हो रही थी। रबी और खरीफ की फसल में भी तरक्की होगी।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मैं सीतापुर से चुनकर आती हूं। हमने पिछले पांच सालों में भी देखा और अभी इस इलेक्शन में भी देखा। मैं वहां घुटनों-घुटनों पानी के बीच में से गई हूं। किसानों के खेत डूबे हुए हैं, नहर के किनारे-किनारे हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है, किसान बर्बाद हो गये हैं, किसान आज भूखे मर रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है। उनकी जमीन के सामने से शारदा बहती हुई जा रही है लेकिन वे पानी नहीं ले सकते। सिंचाई से उनका कोई मतलब नहीं है। उनकी खेती और फसलें नष्ट हो गई वे मर चुकी है। अब वे क्या करें; उनके कुओं में जहां पानी बहुत नीचा रहा करता था अब वह बहुत ऊपर आ गया है। मैंने तीन-चार गांवों के अन्दर जा कर खुद देखा है। लोग कुएं से हाथ से लोटा डाल कर पानी निकाल रहे थे और कुल्ला कर रहे थे।

इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वहां पर सिल्टिंग का पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। यह पानी का सवाल केवल सीतापुर का ही नहीं है। इसके साथ-साथ यह सवाल सुल्तानपुर, रायबरेली, आदि जितने भी जिले वहां पड़ते हैं—जहां से कि यह शारदा नहर गई है वहां हर जगह पर यह हालत है। सीतापुर कांस्टीच्युन्सीज़ की ही नहीं बल्कि दूसरी कांस्टीच्युएन्सियों में भी परेशानी है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे एक केन्द्रीय टीम वहां भेजकर यह पता

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

लगवाएं कि यह एक गलती कैसे हो गई और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। उसको सुधारा जा सकता है। मुझे बताया गया है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इन्जीनियर्स वहां भेजे थे, उन सब लोगों ने जो अपनी राय बताई है वह यह है कि जब तक उस नहर की दीवार के दोनों तरफ पक्की लाइनिंग नहीं बनाई जाती, तब तक स्थायी रूप से यह मामला हल नहीं हो सकता है। अब सवाल यह है कि बगल से नाली बना दी जाती है तो वह टेंप्रेरी चीज होगी। मैं मांग करती हूं कि सेवंथ फाइव इयर प्लान में चाहे 200 करोड़ रुपया खर्च होता हो, चाहे 150 करोड़ रुपया खर्च होता हो, लेकिन स्टेजेज में उसके लिए व्यवस्था की जाए, उस नहर को पक्का बनाने के लिए वृहत् योजना फिर से बनानी चाहिए, जिससे कि आगे चलकर के आज जो जमीन खराब हो गई है, बरबाद हो गई है, उसको रीक्लेम किया जा सके और फिर से वह जमीन अच्छी बनाई जा सके। इस बीच में यूकेलेपिटस के पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, ट्यूबवैल्स बनाए जा सकते हैं, जिससे वाटर लेवल को नीचे लाया जा सकता है, यह सारी चीज है, इसको देखने की आवश्यकता है। सीपेज का जो सवाल है, यह सारे उत्तर प्रदेश के लिए मैं बोल रही हूं, जिन जिलों का नाम नहीं भी ले रही हूं, उन जिलों के किसानों की जो तबाही है, जो बरबादी है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और कर रही हूं।

दूसरा सवाल जो किसानों के लिए आता है वह है जल भराव का। जहां पर नीची जमीन होती है, वहां पानी भरा रहता है। मैंने दूर-दूर तक उत्तरप्रदेश का दौरा किया है और देखा है कि काफी उपजाऊ जमीन में पानी भरा रहने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पाता। इसके लिए योजना बननी चाहिए जिससे कि वे हिस्से, जहां पर जल भराव से दिक्कत हो, और जिन जगहों पर पानी की कमी के कारण दिक्कत हो, इन दोनों का आपस में समन्वय किया जाना चाहिए, जिससे दोनों तरह की जमीन को उपयोग में लाया जा सके। ये दो सवाल हैं।

ड्रेनेज के बारे में मैंने एक-दो जगह जाकर देखा है, पंजाब में मैंने देखा है कि ड्रेनेज की समस्या को उन लोगों ने काफी अच्छी तरह से हल करने की कोशिश की है। आज के युग में हम लोगों ने इतनी एडवांस चीजों का अविष्कार किया है, इस जल भराव की समस्या को हल करने से बहुत सी जमीन को निकाला जा सकता है। हमने क्राप इंश्योरेंस की बात भी इस बार बजट में की है, तो सरकार के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि और ज्यादा सिंचाई के मामले में इसकी व्यवस्था करे। जहां पर ड्राउट है और जहां नुकसान हो जाया करता है, अब उसका भार गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ने वाला है। इसलिए उससे पहले ही इन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे ड्राउट से उतना ज्यादा नुकसान न हो और लोगों को इंश्योरेंस का पैसा न देना पड़े।

उत्तर प्रदेश के बारे में एक और बात के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय का, वह है बिजली के मामले में। उत्तरप्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर हाइड्रो-पावर स्टेशंस तैयार करने के लिए काफी बड़ा स्रोत है। टिहरी डैम की बहुत बृहत

योजना है। मैं चाहती हूं कि उसको एक्सपोडाइट किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। हमारी गरीबी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों को वहां पर काम मिलना चाहिए। गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। थर्मल पावर स्टेशंस और बनाने की आवश्यकता है सेवन्थ फाइव इयर प्लान में जिससे बिजली की समस्या को हल किया जा सके इससे उत्तरप्रदेश में तरक्की होगी और उत्तर प्रदेश की तरक्की के साथ हम भारत की तरक्की को माप सकते हैं और गरीबी से जो हमारी लड़ाई है, उसको दूर करने में हम सफल हो सकेंगे।

मुझे आशा है, खास तौर से जिसके लिए मैं उठ खड़ी हुई हूं, वह सीपेज का मामला है, उसमें मन्त्री जी जवाब देते समय हमें कुछ आश्वासन देंगे, जिससे सेवंथ फाइव इयर प्लान में इसके लिए कुछ काम हो सके। धन्यवाद।

1.00 म० प०

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्री को बधाई दूंगा क्योंकि इस साल के बजट में सिंचाई और विद्युत के लिए जहां तक पैसे का सवाल था, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा लेने में कामयाबी हासिल की है। हमने इक्कीसवीं सदी शुरू होने तक 113 मिलियन हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने का एक व्यापक प्रोग्राम बनाया है। उसके तहत छठी पंचवर्षीय योजना में जो कामयाबी हासिल की है, उसकी रफ्तार को देखते हुए हम यह जरूर कहेंगे कि अभी बहुत लम्बा सफर बाकी है। सिर्फ 68 लाख मिलियन हैक्टेयर जमीन को ही हम सिंचाई योग्य बना सके हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक इन फीगर्स का सवाल है, कमाण्ड एरिया इनमें की बात आती है कि वह कमाण्ड एरिया के क्षेत्र हैं। किसान होने के नाते मैं यह जानता हूं कि अगर एक किसान के पास 12 एकड़ जमीन है और वह बारह की बारह की एकड़ जमीन सिंचित है तो वह कमाण्ड एरिया में आती है। लेकिन सही मायनों में उसकी सिंचाई सिर्फ छह या आठ एकड़ तक होती है। इसलिये सारे इस क्षेत्र को नापें तो अन्दाजा यह लगता है कि अभी तक 68 लाख मिलियन हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने में हमें कामयाबी मिली है। लेकिन, सही मायनों में जिसको हम एश्योर्ड इरीगेशन कहते हैं, वह आज 45 लाख हैक्टेयर में ही आ सकी है। मैं अपने राज्य की बात कहना चाहूंगा। पिछले सालों का पंजाब के साथ हरियाणा का पानी के बंटवारे का मामला हमारे सामने है। श्रीमती गांधी ने यह फैसला किया था कि 35 लाख एकड़ फीट पानी हरियाणा को सतलुज-यमुना लिंक से मिलेगा जो रावी और ब्यास का पानी है। हरियाणा ने अपने क्षेत्र के अंदर वह नहर, कैरियर चैनल बनानी थी। आज से सात साल पहले उसको कम्पलीट किया और सौ करोड़ रुपए के लगभग उस पर हमारे राज्य का खर्च हुआ। उसके बाद 117 किलो मीटर क्षेत्र में पंजाब के क्षेत्र में जो नहर बनानी थी, प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी ने 1982 में विधिवत तरीके से उसकी खुदाई के काम को शुरू करवाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो साल में जो काम कम्पलीट होना था, आज तक उस नहर पर

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

सिर्फ पांच किलो मीटर काम हुआ है, और हरियाणा सरकार ने 25 करोड़ रुपए के लगभग पंजाब सरकार को उस नहर को बनाने के लिये दिया जो कि हरियाणावासियों की मेहनत की कमाई थी। पंजाब के इंजीनियर्स ने और पंजाब की शासन व्यवस्था ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिस पर हम यह कह सकें कि हमें आशा बंधे कि हमारी नहर पूरे समय में तैयार होगी। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पास आंकड़े हैं कि अगर सतलुज-यमुना लिंक तैयार होती है तो एक तिहाई हरियाणा का क्षेत्र जो आज सूखा है, हिसार, भिवानी, जिंद, रोहतक और महेन्द्रगढ़ के जिले जो आज कैनाल इर्रीगेशन की फैसिलिटी को नहीं ले सकते, उन सभी क्षेत्रों को सिंचित किया जायेगा।

हमारे हरियाणा की आबादी इस समय लगभग एक करोड़ 35 लाख है और सतलुज यमुना लिंक नहर न होने की वजह से साल में एक व्यक्ति की जेब से लगभग 200 रुपया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में 1500 करोड़ रुपये का नुकसान इस नहर के न बनने के कारण हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि भारत सरकार के सिंचाई विभाग को इस विषय में गहराई से विचार करना चाहिए और पंजाब के साथ मिल कर इस बात का फैसला करना चाहिए कि यदि पंजाब एक निश्चित समय के भीतर इस नहर को खोदने का काम अपने हाथ में लेता है तो उनको यह काम सौंपा जाए अन्यथा इस नहर को खोदने का कार्य स्वयं भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके।

एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं। जहां तक फ्लड का सम्बन्ध है, 1953 में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर 40 लाख मिलियन हैक्टेयर जमीन को, जो फ्लड प्रोन थी, फ्लड अफैक्टिड थी, उसको प्रोटैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और अब तक 1770 करोड़ रुपया इस परियोजना के तहत फ्लडेड लैंड के बचाव पर भारत सरकार व्यय कर चुकी है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां-जहां फ्लड आते हैं, यदि वह फ्रैश फ्लड नहीं है तो वहां की जमीन कुछ सालों के अंदर रिपीटिड फ्लड आने की वजह से ऐसी हालत में पहुंच जाती है कि उसमें से एल्कलीन और सेलाइनिटी साल्टस ऊपर आ जाते हैं...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सत्ता पक्ष के सदस्य को 5 से 6 मिनट दूंगा। 50 सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार : (चिमूर) वे एक नये सदस्य हैं कृपया उन्हें अधिक समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां सब बराबर हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। मुझे इस बात के लिये खेद है क्योंकि अन्य लोगों को भी समय देना है। 50 सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। मुझे उन सब को समय देना है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : कृपया मुझे 10 मिनट दें अभी तो मैंने शुरू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मुझे अभी अपनी बात कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को अपनी बात लिखकर दे दें। बस

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : यदि मैं यहां किसी बात को रिपीट करता हूं, कुछ इररैलेवेंट बात करता हूं तो आप मुझे बेशक टोक दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात संगत है। मैं कैसे कह सकता हूं कि यह असंगत है। आप जो कुछ बोलते हैं, वही संगत है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां तक फ्लड प्रोटेक्शन का सम्बन्ध है, जहां रिपीटिड फ्लड आते हैं, वहां जमीन का साल्ट ऊपर आ जाता है और उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और वहां का किसान अपनी जमीन से एक तिनका तक पैदा नहीं कर सकता। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां हमें कम्पोजिट प्रोजेक्ट चलाने चाहिए जिसमे वाटरलौगिंग रिक्लेमेशन आफ लैंड तथा फ्लड प्रोटेक्शन तीनों चीजें शामिल हों। जब तक हम तीनों प्रोग्राम्स को मिलाकर एक कम्पोजिट के रूप में नहीं लेंगे तब तक उस इलाके के अन्दर फ्लड प्रोटेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक वाटर कमीशन ऑफ इण्डिया या ऐसी ही जितनी दूसरी एजेन्सियां हैं, उन सब का यह कहना है कि सैलाइन लैंड को रिक्लेम करने की अभी तक हमारे पास इतनी विकसित टेक्नौलोजी नहीं है जिससे कि हम बड़े पैमाने पर उस जमीन को रिक्लेम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां जहां हम फ्लड प्रोटेक्शन के लिए बड़े ड्रेन्स बनाते हैं यदि उन्हीं ड्रेन्स को थोड़ा और नीचे की ओर खोद दिया जाए, यदि किसी ड्रेन को हम दो फीट खोदते हैं, अगर उसी को चार फीट तक खोद दिया जाए तो इससे जमीन का साल्ट स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाएगा और इस तरह हम वाटर लौगिंग की समस्या को भी हल कर सकते हैं

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

और उसके साथ ही ड्रेन्स का उपयोग भी कर सकेंगे। यदि इस तरह के कम्पोजिट को हम फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत अपनायें तो जहां हम 40 मिलियन हैक्टेयर जमीन को फ्लड से छुटकारा दिला सकते हैं वहीं हमारे किसानों के सामने आने वाली तीनों समस्याएं भी हल हो जाएंगी।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हमारी सरकार ने हर किसान के खेत को पानी देने की घोषणा की है, नहरें बनाने की बात कही है, किसान के माइनर्स को, जिसे रजवाहा कहते हैं रजवाहा जिसको कहते हैं, उनको पक्का करने का इरादा आपके सामने रखा है तो दूसरी तरफ किसान के फील्ड चैनल की बात आती है वहां किसान से पैसा लिया जाता है।

अगर कोई आदमी अपने घर में बिजली का कनैक्सन भी लगवाता है तो मीटर तक की वायर का खर्च इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहन करता है, उसके बाद मालिक का खर्चा शुरू होता है। मन्त्री जी ने, मुझे मालूम है, एक फैसला भी लिया है कि हम किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए उसको पक्की खाल बनवाकर देंगे। मैं अपने स्टेट की बात कहता हूं, वहां पर रजवाहों से किसान के खेत तक जाने वाले पानी के चैनल को सरकार ने पक्का किया है और उसके सम्बन्ध में किसानों को 500 करोड़ रुपये की अदायगी सरकार को करनी है। अगर भारत सरकार इस नीति का निर्धारण करती है कि किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना सरकार का आबलीगेशन है, सरकार का दायित्व है तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म के खाले और नाले जो किसान के खेत तक पानी लेकर जाते हैं, उनके पैसों की अदायगी किसान से न ली जाये, बल्कि सरकार वहन करे। शायद भारत सरकार ने यह फैसला लिया भी है। अपने फीलड में जिस किस्म की नहर वह बनाना चाहे या अंडरग्राउन्ट बनवाये, उसके लिये चाहे बैंक से पैसा ले चाहे खुद वहन करे, उसमें किसान अपना खर्चा कर सकता है।

बिजली के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आज जहां हम ग्रीन रैव्यूलूशन से ग्रीनर रैव्यूलूशन की तरफ जा रहे हैं, वहां किसान के पास खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इन्पुट पानी है पानी भी एश्योर्ड इरिगेशन है, यह नहीं कि उसको 6 पानी मिलेंगे तो फसल में सिर्फ एक पानी मिले।

हमारे पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ग्रीन रैव्यूलूशन लाने में सबसे बड़ा योगदान टूयबैबल का है। वहां किसानों की खेती टयूबवैल पर निर्भर करती है।

सरकार आई डी बी आई से उद्योगपतियों को बड़े-बड़े जैनरेटर कैप्टिव प्लान्ट लगाने के लिए 50 परसैंट की सबसीडी देती है, उनको लोन देती है। उसका जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर आज विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों ने तैयार किया है ट्रांसमिशन का, एक गांव में अगर 40

ट्यूबवैल हैं तो वहां किसानों की एक को-आपरेटिव सोसाइटी बनाई जाये, और उनको उस कैपेसिटी का जनरेटर खरीदने के लिये फंड मुहैया किये जायें। 25 परसेंट तो वह उसकी अदायगी करें और 75 परसेंट सरकार उनको सबसीडी दे। उसका सिस्टम यह होना चाहिये।

मैं जब मन्त्री था अपने स्टेट में तो इस मामले से संबंधित बिजली बोर्डों से बात की, वह कहते हैं कि हमारा एग्जिटस्ग इन्फास्ट्रक्चर है, उस पर एलाऊ नहीं करेंगे। अगर किसानों को नई लाइन डालनी पड़े तो हजारों करोड़ का बजट का मामला बनता है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नवाड से या किसी दूसरे स्थान से गांव की पूरी रैवेन्यू स्टेट एज ए यूनिट लेकर, बिजली बोर्डों का जो एग्जिस्टिंग इन्फास्टक्चर है, किसानों को उससे बिजली दिलाने की कोशिश करें और उस पर जो एक्सपेंडीचर ज्यादा आयेगा, डीजल खर्च करने से, उस पर जो मार्केटिंग बोर्ड विभिन्न राज्यों में है, उनके पास जो फंडज हैं, जिन्हें वह खर्च नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मार्केटिंग यार्ड के बाहर पैसा खर्च नहीं हो सकता, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आर्डिनरी इलेक्ट्रिक चार्जेज तो किसान से लिए जाये और बाकी का खर्चा मार्केटिंग बोर्ड वहन करें।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 5 या 6 मिनट का समय बहुत ही कम है क्योंकि संबंधित विषय पर मैं पूरी बात कह नहीं पाऊंगा। परन्तु, जहां तक संभव होगा मैं संक्षिप्त में बोलूंगा और केवल उन्हीं बातों को उठाऊंगा जिन्हें मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

कुछ समय पहले मेरे मित्र श्री डी० पी० यादव ने सरकार से एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने का अनुरोध किया था। मैंने उनकी बातों का समर्थन किया था और मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई आयोग ने भी वर्ष 1982 में जल विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाने की बात कही थी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि हम विद्युत संसाधनों के विकास उद्योगों और शहरी विकास के लिए जल के बारे में मांग करते रहे हैं, मैं श्री डी० पी० यादव की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एक दिन जल संसाधन का अभाव हो जाएगा। अतः हमें इस ढंग से योजना बनानी है कि हम इसका अच्छा उपयोग कर सकें तथा हमें इसका अभाव न हो।

इस तथ्य के बावजूद कि हम उद्योग के विकास के लिए सिंचाई और विद्युत की महत्ता को स्वीकार करते हैं, दुर्भाग्यवश हम लम्बे अर्से से बंकित बड़ी परियोजनाएं शुरू कर रहे जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो गई है और क्षमता और उपयोग के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। जहां परियोजनाएं पूरी हो गई हैं वहां भी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है और

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

राजस्व की चोरी हो रही है तथा इच्छुक लाभार्थियों को जल के अभाव के कारण क्षति हो रही है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि हमने देखा है कि किसी भी सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत नहर के अंतिम छोर की ओर लाभार्थियों को पानी नहीं मिलता है परन्तु उन्हें राजस्व देना पड़ता है इससे वे बहुत ही असंतुष्ट हैं। अतः हमें स्थापित क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना पड़ेगा।

हम जानते हैं कि यह कमान् विकास क्षेत्र है और यदि इसे महत्व प्रदान किया जाए तो सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकता है। इसके साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं कि समन्वित रूप से कार्य करने का अभाव है। सिंचाई क्षमता का एक तरफ से तो फसल पद्धति और भूमि विकास तथा दूसरी तरफ उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग के और किसानों द्वारा खेती में नालियां बनाने के यिए ऋण देने के साथ समन्वय होना चाहिए। उन्हें खेतों में नालियां बनानी पड़ती हैं ताकि वे अधिक पैदावार वाली किस्में उगा सकें और इसके लिए उन्हें धन की आवश्कता होती है। यदि आप सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें उपलब्ध करानी होंगी। जब तक समन्वित रूप से कार्य नहीं होगा और इससे संबंधित योजना नहीं बनाई जाएंगी तब तक आप द्वारा स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सकता।

दुर्भाग्यवश, बिहार और उड़ीसा उन श्रेणियों में आते हैं जहां सिंचाई क्षमता का 35-40 प्रतिशत उपयोग होता है। पंजाब, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका उपयोग अच्छा है। परन्तु बिहार और उत्तर प्रदेश में क्षमता का उपयोग कम होता है।

नहरें सिंचाई की पुरानी पद्धति हैं। बिहार में पुरानी नहरें हैं। अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इन नहरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। आधुनिकीकरण योजना की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये है। और मैं समझता हूं कि इस लागत की अदायगी हमारे राज्य की क्षमता के बाहर है और इस संबंध में मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि आधुनिकीकरण योजना शुरू करने के लिए इस राज्य की सहायता करने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

समय पर परियोजनाओं को पूरा करने की क्षमता न होने के बावजूद परियोजनाओं को शुरू करने की प्रवृति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बिहार में इस समय 15 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और मन्त्री महोदय जानते हैं कि कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरु की गई थी और वे अब तक पूरी नहीं हुई है। उदाहरणतया: गंडक परियोजना की लागत 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई है। गंडक परियोजना की मूल अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये थी। अब यह 427 करोड़ रुपये हो गई है। और यह अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। उन्हें इसे पूरा करना है, परन्तु उस क्षेत्र के लोगों द्वारा आपत्ति उठाए जाने के कारण काम रुक गया है। इस नहर से रिसाव की आशंका है जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए एक और समस्या पैदा हो जाएगी। परन्तु इस पूरा करने के लिये और बड़ी धन राशि की आवश्यकता पड़ेगी।

इसके पश्चात् स्वर्ण रेखा परियोजना का उदाहरण है । यह एक अन्तर्राजीय परियोजना है । उस पर कार्य तेजी से हो रहा है परन्तु यह अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

इसी प्रकार नार्थ कियोल परियोजना है । इस पर बहुत पहले विचार किया गया था । बांध पूरा हो गया है और हमने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष कुछ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी । इससे औरंगाबाद के रहने वाले तथा बारह महीनें सूखा-प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा । परन्तु धन के अभाव के कारण उनके द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा नहीं होगा । नहर और नालियां वहीं खोदी गई हैं । और यह पता लगाने के लिए पूरी स्थिति की पुनरीक्षा करना आवश्यक हो गया है कि जिन क्षेत्रों को पानी की बहुत जरूरत है उन्हें वे कितना पानी उपलब्ध करा सकते हैं ।

सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि बिहार में इन सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाये । इन सब पर 7000 करोड़ रुपये खर्च होंगे । मैं अन्य योजनाओं की बात नहीं करना चाहता ।

परन्तु सुवर्ण रेखा, पश्चिम कोसी नहर, बागमती और उत्तर कोइल परियोजनाओं जैसी कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनाएँ भी हैं । इन सभी के लिए पर्याप्त धनराशि की जरूरत है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा कर पाने में असमर्थ है क्योंकि राज्य का वार्षिक परिव्यय केवल 150-160 करोड़ रुपये है ।

उत्तर कोइल परियोजना की मूल अनुमानित लागत राशि 157 करोड़ रुपये की थी अब यह राशि बढ़ कर 397 करोड़ रुपया तक हो गयी होगी । यह बार-बार पैदा होने वाली एक विकट समस्या है । किसी भी कार्य के पूरा होने में अत्यधिक बिलम्ब होता है । मेरे विचार से किसी काम को शुरू करने से पहले, उसकी समुचित योजना बना लेनी चाहिए । किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए, और सभी सामान पहले ही उपलब्ध करा लेने चाहिएं अन्यथा इस प्रकार होने वाले अत्यधिक विलम्ब का परिणाम लागत में वृद्धि होता है ।

अब मैं बिजली के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा । बिजली के बारे में मैं बता दूं कि राज्य के विद्युत केन्द्रों को अब तक कुल 700 करोड़ रुपयों का घाटा हो चुका है, मेरे विचार से इस घाटे को पूरा करना इनके लिए सम्भव नहीं है । राज्याध्यक्ष समिति की अपेक्षा यह थी कि राज्य बिजली बोर्डस पर किए गये पूंजीनिवेश की राशि पर 9 प्रतिशत लाभांश का भुगतान करेंगे, लेकिन उक्त बोर्डों को हुए घाटे को देखते हुए इस बारे में सोचना तो बहुत ही दूर की बात होगी। जहां तक मेरे अपने राज्य का सम्बन्ध है, वहां पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो गया है । वहां 55,000 कर्मचारी हैं । और इससे पहले कि हम राज्य बिजली बोर्डों को मुनाफा

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

कमाने और प्रभावी ढंग से काम करने योग्य बना सकें, उनकी पूरी छान-बीन करने की जरूरत है ।

आपको यह भी देखने को मिलेगा कि संयंत्र प्रभार कारक (प्लांट लोड फैक्टर) में भी अत्यधिक विभिन्नता है । इस सम्बन्ध में जहां गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आगे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल बहुत पीछे हैं ।

इन घाटों और राज्य बिजली बोर्डों की अकुशलता को आप कितने समय तक वहन करते रहेंगे ? उस दिन राज्य बिजली बोर्ड अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था तथा उस पर चर्चा हुई थी, उस समय मैंने यह सुझाव दिया था कि राज्य बिजली बोर्डों के प्रशासन को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिएं ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और इस स्थिति में हों कि कम से कम एक प्रतिशत मुनाफा कमा सकें ।

उसके बाद प्रेषण सम्बन्धी घाटा है जिसकी दर 12 से 25 प्रतिशत तक है । यदि प्रेषण में इतना भारी घाटा होता है तो क्या यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय नहीं है ? क्या प्रेषण में होने वाले इस प्रकार के घाटे का पता लगाने सम्बन्धी सारे मामले की जांच करने के लिए सरकार को कोई समिति नियुक्त नहीं करनी चाहिये । क्या इसका कारण प्रेषण लाइन बाद में बिछाना है अथवा चोरी के कारण यह घाटा होता है या यह घाटा इसलिए होता है कि यह कार्य समुचित ढंग से नहीं हो रहा है ?

इसके अलावा प्रेषण लाइनें समय से बहुत पीछे हैं । मैं यह सुझाव दूंगा कि हमारे पास प्रेषण लाइने बिछाने और उनके कार्य निष्पादन की देखरेख के लिए एक केन्द्रीय ग्रिड अथवा निगम की व्यवस्था हो । केवल तभी हम इसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं ।

छठी योजना में बिजली के उत्पादन में 6,000 मेगावाट की कमी आयी है; क्यों ? परियोजनाओं की स्थापना अथवा लक्ष्य प्राप्त करने में क्यों कमी आयी है । इस बारे में जांच की जरूरत है । सरकार द्वारा दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि परियोजनाओं को स्थापित करने में विलम्ब के कारण हुआ है कि सिविल कार्यों, परियोजनाओं के लिए इंजिनियरिंग की सामग्रियों को अन्तिम स्वरूप देने में होने वाले विलम्ब सहायक उपकरणों के क्रयादेशों अनुबन्धों को देने में होने वाले विलम्ब सहित भूमि अधिग्रहण, कार्य स्थल की अपर्याप्त जांच और परियोजना निवेश में विलम्ब होता है ।

महोदय, उसके बाद विभिन्न सप्लायरों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों की सप्लाई में होने वाला विलम्ब मुख्य निर्माण सामग्री की कमी, अप्रिय औद्योगिक सम्बन्ध और निधियों का अपर्याप्त प्रावधान होना है ।

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले

आपको इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है । ऐसा क्यों नहीं किया गया; मुझे नहीं मालूम। उक्त सभी परियोजनाओं को पूरा करने में ऐसी भारी भूलें हुई हैं ।

जैसाकि मैंने कहा है कि एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिये और परियोजना को शुरू करने से पूर्व सारे निवेश एकत्र किये जाने चाहिये। तभी हम लागत पर नियंत्रण रख सकते हैं। अन्यथा निर्माण कार्य और परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब से लागत में वृद्धि होती है अतः उक्त भार का उपभोक्ता पर पड़ना स्वाभाविक है ।

विद्युत बोर्डों के रखरखाव के सम्बन्ध में जर्मन विशेषज्ञ आये थे और उन्होंने देश का दौरा किया था और उन्होंने देखा था और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि रख रखाव के लिए मशीनों को कुछ समय के लिए रसायनिक रूप से बन्द कर देना जरूरी कर देना चाहिए और जहां पर ऐसा नहीं होता है वहां पर इसकी देखरेख के लिए उत्तरदायी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिये ।

फिर मैं यह सुझाव दूंगा चाहे 500 अथवा 1000 या 1300 मेगावाट यूनिटों का मामला हो सरकार को तुरन्त फैसला लेने की स्थिति में होना चाहिए । उस फैसले से भारत हैवी इलि-क्ट्रिकल्स लि० को अवगत कराना चाहिए ताकि उसे 'स्विच ओनर' के लिए आवश्यक तैयारी और उस किस्म के बायलर को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं ।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं ।

हमारे देश जिसे दूसरे विश्व युद्ध के तुरन्त बाद स्वतंत्रता मिली थी, भारी खाद्य समस्या का सामना करना पड़ा था । सिंचाई प्रणाली में सुधार होने के कारण आज हम खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं ।

स्वतंत्रता पूर्व भारत में कुल सिंचित क्षेत्र केवल 2.2 लाख हेक्टेयर था । स्वतंत्रता के बाद इसमें धीरे-धीरे प्रगति हुयी और 1963-1965 तक यह 3.1 लाख हेक्टेयर हो गया था। लेकिन आज 198 -1985 में यह 6.3 लाख हेक्टेयर है जो 19 वर्ष की अवधि के भीतर 100 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है ।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता से पहले हमारे सिंचाई के स्रोत मुख्य रूप से नदी जल सिंचाई और कुछ हद तक नदी नहर से बनी झील जल सिंचाई और कुछ बरसाती झील से होने वाली सिंचाई थी। लेकिन कूप-जल सिंचाई के क्षेत्र बहुत कम थे ।

बिजली का प्रयोग करने और कूप-जल सिंचाई विधियों के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के कारण आज हम खाद्यान्न-उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हैं ।

[श्री कोदम्बुर जनार्धन]

कठोर परिश्रम करने वाले कृषकों से प्राप्त सहयोग के फलस्वरूप इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर हमें गर्व है जिन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा दिए गये प्रोत्साहनों और प्रेरकों का पूरा-पूरा उपयोग किया है।

मेहनतकश किसानों ने सरकार द्वारा की गई संकर बीजों की उन्नत किस्मों और उर्वरकों तथा कीटनाशकों की पूर्ति का उचित उपयोग किया है।

कुंए से सिंचाई के पानी के लिए उन्हें बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पम्प सैटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन इन पम्प सैटों को बिजली की पूर्ति काफी कम है। तमिलनाडु में 1960 के दशक से ही साल में लगभग 9 महीने बिजली की कमी रहती है। हम स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व के पापनाशम, मेट्टूर और पेटियार के पन-बिजली घरों पर निर्भर थे और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात कुंडा, सोलायर आदि पन-बिजलीघरों पर। इनका निर्माण स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात किया गया। यदि 1895 में पेटियार बांध का निर्माण न होता तो सारा मदुरै जिला सूखा प्रवण क्षेत्र रामनाथपुरम जिले की तरह होता। 1895 में उन्होंने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर एक दीवार बनाई और उन्होंने पेटियार बांध का निर्माण किया जिसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु में इसका उपयोग सिंचाई के साथ-साथ बिजली के लिए भी होता हैं। अतः मेरा निवेदन है कि यह सदन पश्चिम की ओर बहने वाले पानी का उपयोग करने की काफी अर्से से लंबित पड़ी हमारी मांग अर्थात् उसका रुख तमिलनाडु की ओर मोड़े जाने पर विचार करे ताकि हमारे राज्य की सहायता हो सके और हम भारत के निर्माण में सहायक हों। इसलिए हमें ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। नेइवेली, तूतीकोरन और इन्दौर ताप विद्युत केन्द्रों का निर्माण किया गया। हमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम रामागुंडम से भी 275 मिलियन यूनिट के हमारे भाग में से 86 मिलियन यूनिट बिजली ही मिल रही है क्योंकि सीधी पारेषण लाइन अभी तैयार नहीं हुई है।

हालांकि तूतीकोरन ताप विद्युत केन्द्र की तीन यूनिटों का निर्माण किया गया है परन्तु अभी तक केवल दो यूनिटों ने ही काम करना प्रारम्भ किया है और वे एक दिन में 10 मिलियन यूनिट का ही उत्पादन कर रही हैं। इस समय तीसरी यूनिट में काम नहीं हो रहा है।

महोदय, इन ताप विद्युत केन्द्रों में उपयोग होने वाला कोयला बहुत घटिया किस्म का है। कोल इण्डिया बी० एंड जी० ग्रेड कोयले की बजाए एफ एण्ड जी० ग्रेड कोयले की सप्लाई कर रहा है जबकि उस केन्द्र के बायलर बी एंड जी ग्रेड कोयले के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस एफ एण्ड जी कोयले का ताप केवल 3800 किलो कैलोरी है जबकि उन बायलरों के लिए 5900 किलो कैलोरी ताप के किस्म निर्धारित हैं। घटिया किस्म के कोयले की पूर्ति के कारण उनमें 3000 टन कोयला प्रतिदिन की आवश्यकता होती है जबकि यदि निर्दिष्ट किस्म का कोयला उपलब्ध कराया जाए तो उनमें प्रतिदिन केवल 2000 टन कोयले की आवश्यकता होगी। अतः

माननीय मंत्री जी को कोयला विभाग पर कोयले की निर्दिष्ट किस्म की पूर्ति करने के लिए जोर डालना चाहिए। यदि कोयले की किस्म विशेष की सप्लाई करना सम्भव न हो तो राज्य सरकार को कृषकों के हित में और उसके साथ-साथ किसानों को अधिक बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोयले की इस किस्म को आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि हम इस विशिष्ट किस्म का आयात करें तो कम मात्रा की आवश्यकता होगी और इस प्रकार इसमें बचत भी कर सकेंगे। जहां तक तूतीकोरन का सम्बन्ध है वहां परिवहन केवल जहाजों के माध्यम से है। जैसा कि निर्दिष्ट किस्म से टनों में भी कमी आएगी अत: माल भाड़ा भी कम होगा।

महोदय, तमिलनाडु जैसे राज्य में पन-बिजली की कमी है और वहां ताप विद्युत का विस्तार करना होगा अत: हमारा निवेदन है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 210 मेगावाट क्षमता के दो और यूनिट आवंटित किए जाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि या तो आप हमें उक्त किस्म के देशी कोयले की पूर्ति करें अथवा हमें अपेक्षित कोयले का आयात करने की अनुमति दें ताकि हमारे ताप विद्युत केन्द्र बिना रुके काम कर सकें। अब समय आ गया कि केन्द्र सरकार आगे आए और बंगेमगल पनबिजली प्रणाली के जो कि 1200 मेगावाट क्षमता की है, निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाएं। इससे इतनी बिजली का उत्पादन हो सकता है कि कर्नाटक के साथ-साथ तमिलनाडु में भी बिजली की भारी कमी की समस्या काफी हद तक हल की जा सकती है। एक ऐसी पनबिजली योजना पर जिससे 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी काम प्रारम्भ नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने देश को प्राप्त किफायती प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने में भी असफल हैं।

वर्ष 1990 तक हमें कुंए के पानी से सिंचाई करने वाले कृषकों को कम से कम आठ घंटे लगातार बिजली की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। तभी हम सन 2000 तक एक नये भारत की बात कर सकते हैं। हमारे देश के पास विश्व की दूसरी बड़ी सिंचाई प्रणाली है। हमें आशा है कि भारत सरकार 2.5 एकड़ भूमि के स्वामित्व वाले गरीब किसान को नि:शुल्क विद्युत पूर्ति उपलब्ध कराने में तमिलनाडु सरकार को प्रोत्साहित करेगी। अब 1970 में डा० के० एल० राव द्वारा प्रस्तुत 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' (नेशनल वाटर ग्रिड) संकल्पना में गंगा-कावेरी जल सम्पर्क पर कार्यान्वयन का समय आ गया है। यदि इस संकल्पना का अब श्री राजीव गांधी के गतिशील शासन में कार्यान्वयन न हुआ तो यह राष्ट्रीय कवि भरथियर के स्वप्न की ही तरह केवल एक स्वप्न मात्र ही रह जायेगा। सूखे और बाढ़ की इस भयावहता को डा० के० एल० राव के 'नेशनल वाटर ग्रिड' की इस संकल्पना द्वारा ही दूर किया जा सकता है और इस प्रकार भारत की एकता और उन्नति में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होगी। यदि इस 'नेशनल वाटर ग्रिड' की संकल्पना का कार्यान्वयन हो जाता है तो भारत माता को विश्व का सबसे बड़ा देश होने का गौरव प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग की अनुदान मांगों

[श्रीमती कृष्णा साही]

का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। हमारा देश प्रति वर्ष दो तरह के प्राकृतिक प्रकोपों का शिकार होता है—बाढ़ और सूखा और इसके कारण हर साल अपरिमित धन और जन की हानि हमें उठानी पड़ती है। इसके समाधान के लिये वर्षों से अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनायें बनायी जाती रही हैं लेकिन ये योजनायें उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पाई हैं जिसके पीछे कारण यह है कि हम अभी तक अपनी सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं और इस तथ्य को हमारे योजना आयोग ने भी माना है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसकी आर्थिक समृद्धि सिंचाई की कालबद्ध, सुव्यवस्थित एवं समन्वित योजना पर ही निर्भर करती है। बाढ़, सूखा और तूफान आदि प्रकोपों से वर्ष 1982-83 में 14 अरब रुपयों की क्षति हुई, जबकि 1981 में इस क्षति का अनुमान 1132 करोड़ रुपये का लगाया गया था। वर्ष 1982-83 में, सिंचाई विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1953 से 1983 के बीच के काल में लगभग 365 करोड़ रुपये की औसत वार्षिक नुकसान हमारे देश में होता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश गरीब है और इस गरीब मुल्क की इतनी राशि इस तरह जाती रहे, प्रति वर्ष हमारा नुकसान होता रहे तो यह हमारे लिए बहुत ही गम्भीर स्थिति है, जिस के विषय में हमें गहराई से सोचना चाहिये। वर्ष 1984 में बाढ़ द्वारा हुई क्षति को देखते हुए एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके तहत बाढ़ नियंत्रण बोर्ड एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नदी आयोग की स्थापना की गई। इनका काम विशेष रूप से लम्बे तटबंधों जल निकासी नहरों का निर्माण एवं गांवों की सतह को ऊपर करना था और उसके लिये इनकी जवाबदेही थी लेकिन यह भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो सका।

1.42 म.प.

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपनी सिंचाई क्षमता का मैक्सिमम उपयोग नहीं कर पाये। देश में बहुत सी योजनायें पिछले 20-25 वर्षों से चली आ रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी के सामने एक-दो उदाहरण देना चाहती हूं। हमारे बिहार में मुकामा बड़ईया बाढ़ योजना जब से चली आ रही है, जब मैं 1972 में विधान सभा में गई तो वहां भी इसकी चर्चा की जाती थी, फिर 1977 में दोबारा गई तो भी इसकी चर्चा की गई, वर्ष 1980 में जब मैं संसद में आई तो उस समय भी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई और आज 1985 में भी मैं उसकी चर्चा कर रही हूं, जिस योजना पर भारत सरकार का करोड़ों रुपया लागत के रूप में लग चुका है परन्तु उसके बावजूद भी हमारे किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जो उन्हें मिलना चाहिए था।

हमारे सामने दूसरी समस्या कटाव की है, ईरोजन की है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों का इस समस्या के समाधान के लिये करोड़ों रुपया

प्रतिवर्ष खर्च होता है लेकिन उस अनुपात में हम लोगों के जान और माल की सुरक्षा नहीं हो पाती और हर साल गांव के गांव गंगा के गर्भ में जा रहे हैं। हम उनको बचा नहीं पाते हैं। 37 वर्षों की आजादी के बाद भी जल सम्पदा का जो उचित उपयोग हमको करना चाहिए, हम उसमें सफल नहीं हो सके हैं। यदि हमें सफलता प्राप्त हो गई होती और उसका उचित उपयोग कर पाते तो जहां हम सभी गांवो को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा पाते, हमारी सिंचाई योजनाओं में भी वृद्धि होती और बाढ़ नियंत्रण की हमारी जितनी योजनायें अधूरी रह गई हैं, वे भी पूरी हो गई होतीं। इसके साथ साथ हमारे जल-विद्युत उत्पादन में भी काफी वृद्धि हो गई होती। मेरा सुझाव है कि सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक नेशनल वाटर अथारिटी बननी चाहिए और इस बॉडी के पॉवर्स डिफाइन होने चाहिए और देश की तमाम बड़ी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किसी एक का होना चाहिये जो अब तक हो नहीं पाया है। जो हो नहीं पाता है, उस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

हमारे देश के लोग गांव में बसते हैं, भारत माता ग्रामवासिनी है। इसलिये किसानों के लिये मध्यम और लघु सिंचाई योजना के तहत स्टेट ट्यूबवैल कार्पोरेशन की बात मैं कहना चाहती हूं कि इसका कमांड एरिया 300 एकड़ तक होना चाहिए। इसमें भी हम क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। गांव में अगर देखेंगे तो स्टेट ट्यूबवैल की हालत दयनीय है, किसान उसका उपयोग नहीं कर पाते। इस कार्पोरेशन की व्यवस्था पर लाखों-लाख रुपया खर्च हो चुका है, इसके लिये अब एक मास्टर प्लान बनना बहुत जरूरी है। बड़ी-बड़ी योजनायें तो होती रहती हैं, लेकिन किसानों के लिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

कुओं के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि अगर छोटे स्तर पर ब्लाक लेबल पर कुओं के खुदवाने की बात हो जाये और पुराने कुओं की सफाई कर दी जाये तो लोगों को सिंचाई के लिये पानी मिल सकेगा और साथ ही साथ पीने का पानी भी मिल जायेगा।

कृषि और उद्योग के विकास के लिये विद्युत उत्पादन बहुत आवश्यक है। हमारे माननीय सदस्य श्री सत्येन्द्र बाबू कह रहे थे, मैं उनकी भावना के साथ सहमत हूं कि बिजली बोर्डों के कार्य-कलापों की ओर ध्यान देना चाहिये। भारत सरकार उनको टेक ओवर करे और कोई विद्युत उत्पादन की स्कीम बैठाये। इस स्थिति में अवश्य सुधार लाया जाना चाहिये जो कि दिनों दिन गिरती जा रही है। सभापति महोदय, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, आप जानते हैं, इसमें प्रशासनिक सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। पुराने यूनिटों का आधुनिकीकरण होना चाहिये।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय से कहूंगी कि बिहार में कांटी थर्मल पावर स्टेशन कब तक पूरा होगा, यह बतलाने की कृपा करें। कोयलाकारों की भी बात चली है। मैं चाहती हूं कि इन योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन होना चाहिये ताकि भारत के किसानों को लाभ पहुंचे और हम समृद्धि के रास्ते पर आगे चलें।

बिहार के पुराने यूनिटों का आधुनिकीकरण का एक मामला जारी है वहां थर्मल जैनरेशन

[श्री मती कृष्णा साही[

के उत्पादन का कष्ट बहुत बढ़ जाता है। विभाग के लिये बहुत जरूरी है कि जब सातवां प्लान बन रहा है तो इस मामले में ध्यान अवश्य दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों के लाभार्थ यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आजकल विद्युत उत्पादन का 84 प्रतिशत उत्पादन राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किया जाता है और 16 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र में। महोदय, पांचवीं और छठी योजना के बीच हमने अपनी क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की है और जब तक राज्यों में कार्यनिष्पति में सुधार नहीं होगा हम भविष्य में बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हमने मार्च के महीने में 55.5 प्रतिशत का 'प्लांट लोड फैक्टर' लक्ष्य प्राप्त किया है। यह सब इस तथ्य के बावजूद है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे सभी राज्य 40 प्रतिशत से नीचे उत्पादन कर रहे थे। अब, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस पर जोर दे रहे हैं कि जब तक राज्य विद्युत बोर्ड उचित लाभ प्राप्त करना प्रारम्भ नहीं करते, जब तक वे अपने कार्यक्रम में सुधार नहीं करते हैं, हमारे लिए उनकी अपेक्षित सहायता करना कठिन हो जाएगा। आज स्थिति यह है कि 470 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की कुल मांग में से समारा विद्युत उत्पादन 430 से 440 मिलियन यूनिट है। यदि हम 20 प्रतिशत की पारेषण-हानि को ध्यान में रखें तो हमारी कमी 70 मिलियन यूनिट की रह जाती है। यदि आप इसे क्षमता के रूप में लें तो यह कमी लगभग 5000 से 6000 मेगावाट की है। हमने कई कदम उठाए हैं, हम गैस टर्बाइन और गैस पर आधारित संयंत्र लगा रहे हैं 36 संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना निश्चित किया गया है। हम इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर 500 करोड़ रुपए व्यय करेंगे, परन्तु सभी जगह मूल बात यह है कि जब तक राज्य विद्युत बोर्ड अपनी प्रबंध प्रणाली में सुधार नहीं करते हैं, अपने प्रशासन में सुधार नहीं करते हैं, अपनी प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार नहीं करते हैं और ठीक तरह के लोग शामिल नहीं करते हैं, स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। वहां अधिकतम व्यय किया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय उन्हें हर संभव सहायता देगा परन्तु जब तक राज्यों में विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ेगा, हमारे लिए देश में बिजली की मांग की पूर्ति करना बहुत कठिन होगा।

कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं की जा रही हैं और यह सच भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? मूलरूप से यह इसलिए हो रहा है कि हम परियोजना तैयार करके पूरा वित्त प्रदान करते हैं लेकिन जब वहां कई गुना हानि होती है तो राज्यों के पास धन समाप्त हो जाता है। यदि आप 1983 के अंत में स्थिति पर गौर करें तो पाएंगे कि बिहार में 119 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 531 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 83 करोड़ रुपए और हरियाणा जो कि छोटा राज्य है 198 करोड़ रुपए की हानि हुई है। (व्यवधान)

कर्नाटक में फालतू बिजली है । यदि आप चाहें, तो मैं सभी आंकड़े दे सकता हूं । राजस्थान में भी हानियां हुई हैं ।

जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब तक राज्य बिजली बोर्डों का सुधार नहीं होता, वह मुनाफा नहीं कमाते, और यह आवश्यक नहीं है कि मुनाफा मूल्यों में वृद्धि करके ही हो, आप इन परियोजनाओं के लिए समय पर धन नहीं जुटा पाएंगे । जब हम यह कहते हैं कि आज हमारी उत्पादन क्षमता का 84 प्रतिशत राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों के पास है, तो यदि हम इस 84 प्रतिशत राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों के पास है, तो यदि हम इस 84 प्रतिशत में थोड़ा सुधार नहीं करते तो बाकी के 16 प्रतिशत द्वारा क्या किया जा सकता है ? आज भी केन्द्र और राष्ट्रीय औसत का क्षमता उपयोग का अन्तर पांच प्रतिशत है । पांच प्रतिशत विद्युत काफी होती है । यदि आप छठी योजना के अन्त में 41,000 मेगावाट की कुल क्षमता की बात करें और सातवीं और आठवीं योजना के बीच इसे दोगुना करने का हमारा प्रयत्न है - तो 5 प्रतिशत 2000 मेगावाट होता है । इस बात पर गौर करना होगा । हम अपनी ओर से सभी प्रयत्न कर रहे हैं और इस संबंध में मैं मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क बनाए हुए हूं । पश्चिम बंगाल से हमारे मित्र बहुत से विषयों को लेकर उत्तेजित हैं, मैं इसके पीछे राजनीति में नहीं जाना चाहता किन्तु हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल में भी संयंत्रों की उत्पादन दर बहुत कम है।

कई संयंत्रों के लिए मंजूरी दी गई है किन्तु उन्होंने अभी कार्य आरम्भ नहीं किया। और यह सब धन के अभाव के कारण हो रहा है । यदि राज्य बिजली बोर्डों को घाटा होता रहेगा, तो धन कहां से आएगा ? यदि आप हर किसी को मुफ्त बिजली देते रहे, तो किसी न किसी को तो उसकी अदायगी करनी होगी । हमारे पास इस चर्चा के लिए अभी 3-4 घंटे बचे हैं और मैं आभारी होऊंगा यदि इन मुद्दों पर विचार किया जा सके।

जहां तक ऊर्जा विभाग के लिए धन का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि सदस्य इसके लिए दबाव डाल सकते हैं । वित्त मंत्री वाशिंगटन गए हुए हैं किन्तु मुझे आशा है कि हमारी बात उन तक पहुंच जाएगी । हमें धन की बहुत आवश्यकता है। 36,000 मेगावाट से अधिक की योजनाओं को हम पहले ही मंजूरी दे चुके हैं किन्तु धन की कमी है और इसीलिए मैं इस बात पर लगातार जोर दे रहा हूं कि राज्य तथा केन्द्र दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र को अधिक धन जुटाना चाहिए । यदि हम परिणामों को देखें, पिछली प्रवृत्तियों को देखें, तो चार या पांच राज्यों जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, की स्थिति संयंत्र क्षमता और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर है । और इन्हीं राज्यों को भारी हानियां हुई हैं । इस प्रकार इन दो बातों के बीच निश्चित रूप से सम्बन्ध है, और मैं आभारी रहूंगा यदि इस मामले पर विचार किया जा सके ।

श्री सत्येन्द्र सिंह (औरंगाबाद) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य बिजली बोर्डों के कार्यचालन के सम्बन्ध में वह विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि केवल बातचीत द्वारा ही राज्य बिजली बोर्डों की कार्य कुशलता और

[श्री सत्येन्द्र सिंह]

कार्य-निष्पादन में सुधार हो जाएगा। अथवा क्या आप समझते हैं कि केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के कुछ प्रतिनिधियों को भी वहां पर होना चाहिए ?

श्री अरुण नेहरू : यह एक शालीनतापूर्ण कला है।

सभापति महोदय : वह और क्या कर सकते हैं ?

आप अपने सुझाव दीजिये······(**व्यवधान**) कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे पास बहुत कम समय है।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : जल तथा विद्युत, दोनों ही हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि हम पहले विद्युत को लें तो सभी देशों, विशेषकर अर्ध विकसित या विकासशील देशों के मामले में विद्युत अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है।

मैं पश्चिम बंगाल का मामला लेता हूं, जहां पर हमें विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें देखना होगा कि इसके कारण क्या हैं। हम तकलीफ क्यों उठा रहे हैं। यह सही है कि आधुनिक विश्व में हर कहीं बिद्युत संकट है। किन्तु, दुर्भाग्य से हमारे देश के कुछ पूर्वी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, विद्युत संकट से अधिक परेशान हैं।

हमें, दो विभिन्न स्रोतों से विद्युत प्राप्त हो रही है—एक केन्द्रीय परियोजनाओं से और दूसरे राज्य बिजली बोर्डों से। यदि हम केन्द्रीय परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की स्थिति को देखें, तो यह काफी संतोषजनक और अच्छी है। भविष्य में इसके और बेहतर होने की आशा है।

आखिरकार, हम इक्कीसवीं सदी की देहरी पर हैं और विद्युत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। किन्तु राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति क्या है जो हमारे लिए विद्युत के अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके लिये गहरी छानबीन की आवश्यकता है। क्यों केवल इसलिये, कि पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों के राज्य बिजली बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं, जिन्होंने उक्त स्थिति के सम्बन्ध में पहले ही तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं। स्थिति को स्वीकार कर लिया गया है। जबकि केन्द्रीय परियोजनाएं ठीक कार्य कर रही हैं। दुर्भाग्य से राज्य बिजली बोर्ड ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं। लगभग 84 प्रतिशत बिजली राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त होती है, जबकि 14 से 15 प्रतिशत केन्द्रीय परियोजनाओं से प्राप्त होती है। राज्य बिजली बोर्डों का कार्यचालन निश्चित रूप से घटिया स्तर का है। राज्य बिजली बोर्डों से बेहतर कार्य निष्पादन और बेहतर कार्यकरण की आशा की जा सकती है।

पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। राज्य बिजली बोर्ड में पी० एल० एफ० अर्थात् पावर लोड फैक्टरी केन्द्रीय परियोजनाओं की दर की तुलना में

काफी कम है। इसके क्या कारण हैं? राज्यों को परेशानी क्यों हो रही है। यह दर केन्द्रीय परियोजनाओं की दर से कम क्यों है। इसके कारण राजनैतिक हस्तक्षेप, राज्य बिजली बोर्ड में अनुशासन का अभाव तथा राज्य बिजली बोर्ड के प्रबन्धकों की सनकी नीतियों का होना है।

2.00 म० प०

इसलिए राज्य परियोजनाओं के लिए अधिक अनुदानों, अधिक धन और अधिक वित्त के लिए शोर मचाने से कोई लाभ नहीं। यदि राज्य परियोजनाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकती, यदि वह विद्युत उत्पादन में असफल रहती हैं, तो अधिक धन की मांग करने का क्या औचित्य है? (व्यवधान)

यहां पर इस बात का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि पश्चिमी बंगाल में कई रुग्ण उद्योग तथा बन्द एकक हैं। यदि इस मामले का अध्ययन किया जाए, तो पता चलेगा कि विद्युत संकट के कारण अधिकांश उद्योग रुग्ण हो रहे हैं। प्रत्यक्षतः मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत के उचित उत्पादन के अभाव में हमारे राज्य में बिजली की अत्याधिक कमी हो गई है। यदि यह मरता है तो, विद्युत के अभाव में वह स्वाभाविक मौत मरेगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य बिजली बोर्ड के अलावा कोई दूसरा नहीं।

मैं मंत्री महोदय को इस सुझाव के साथ कि ग्रामीण विद्युतीकरण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये, अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे देश में सिंचाई भी विद्युत पर अत्याधिक निर्भर करती है। इसलिये ग्रामीण विद्युतीकरण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अनुदानो की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जाफर शरीफ (बंगलौर-उत्तर) : सभापति महोदय, इस अति महत्वपूर्ण विषय अर्थात् सिंचाई और विद्युत पर कुछ शब्द बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। भाषण देने की बजाए मैं अपने आपको कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा ताकि सम्बन्धित मन्त्री तथा प्रशासन उस पर ध्यान दे सकें।

सिंचाई मन्त्रालय के अन्तर्गत "भूमिगत जल अन्वेषण विभाग" नामक एक विभाग है। इस विभाग को चाहिये कि वह नदी बेसिनों की बजाए सूखा प्रवण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करे। आखिरकार भू-जल के बारे में सभी को जानकारी है। जहां तक भूमिगत जल का सम्बन्ध है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जब तक यह विभाग, जो प्रयोजन के लिये बनाया गया है, उन क्षेत्रों में नहीं जाता जहां पर पानी की कमी है, तो इससे कोई प्रयोजन हल नहीं होता।

[श्री जाफर शरीफ]

भू-जल के बारे में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद लम्बित पड़े हैं। सिंचाई मन्त्री ने इस बारे में कई बार पड़ताल की है। इस मामले में कई बार दो मुख्य-मन्त्रियों के बीच द्वि पक्षीय वार्ता या संबंधित राज्यों के तीन मुख्य मंत्रियों के बीच वार्ता होती है।

मेरे विचार में इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या यह कार्य इसी तरह चलता रहेगा और इसमें विलम्ब होता रहेगा। स्वभावत: प्रत्येक राज्य की अपनी राजनैतिक समस्यायें हैं, हम उनकी कठिनाइयों को समझते हैं तथापि, इसमें जितना विलम्ब होगा परियोजना की लागत उतनी ही बढ़ती जायेगी, और इससे सम्बन्धित राज्य प्रभावित होंगे। मेरे अपने राज्य में कावेरी बेसिन की बहुत सी परियोजनायें केवल इसलिये कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं क्योंकि ये विवादग्रस्त हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने राज्य के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वह यथाशीघ्र इस मामले पर गौर करें। ठीक है कि तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री अस्वस्थ थे। उन्हें बड़ी सहानुभूति थी। अब वह विदेश से अपना उपचार कराके लौट आये हैं। अब वह कार्य करने लगे हैं। अब कर्नाटक के मुख्यमन्त्री को चाहिये कि वह इस मामले के सम्बन्ध में तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री से सम्पर्क करें और देखें कि कुछ न कुछ तो होगा अथवा किया जाना चाहिये, यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय मन्त्रियों की सलाह भी ली जानी चाहिये। दूसरे, मेरे राज्य में एक बिजली परियोजना है। यह क्षेत्र निरन्तर सूखे से ग्रस्त है और यहां की जनता को बिजली उत्पादन की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना का नाम अपर भद्रा परियोजना है। कर्नाटक सरकार ने पहले ही इसके सम्बन्ध में कहा है कि वे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका कार्य आरम्भ करेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या उसे योजना और सिंचाई मन्त्रालय के समक्ष विचार के लिये लाया गया है। यह परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं व्यक्तिगत रूप से राज्यों और केन्द्र, दोनों से अपील करता हूं कि इस परियोजना पर ध्यान दिया जाये और उसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये।

विद्युत मन्त्री ने अभी-अभी हमें बिजली की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य जिन्हें अपने मामलों के बेहतर प्रबन्ध की ओर ध्यान देना चाहिये, बिजली की कमी के लिये केन्द्र को जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी हाल ही में इसी सदन में विजयनगर इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में विवाद उठा। इस्पात, खान और कोयला मन्त्री ने कहा कि यदि कर्नाटक सरकार ने बिजली की सप्लाई का आश्वासन दिया तो हम परियोजना का कार्य आरम्भ कर देंगे; और कर्नाटक के मुख्यमन्त्री ने चुनौती दी कि हम बिजली देने को तैयार हैं। मन्त्री महोदय को परि-योजना आरम्भ करनी चाहिये। आज ही मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि मुख्यमन्त्री ने कहा है कि केन्द्रीय क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को बिजली के लिये अपना प्रबन्ध करना होगा, इस बयान पर ध्यान देते हुए, हम किसका विश्वास करें? न केवल मुख्यमन्त्री ही, अपितु हम सभी विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिए आग्रह कर रहे है, मैं आशा करता हूं कि मुख्यमन्त्री इस ढंग से बात नहीं करेंगे। यदि केन्द्र कर्नाटक की जनता और मुख्यमन्त्री सहित हम सभी की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और विजय नगर इस्पात संयंत्र का निर्माण करने का निर्णय करता है, तो

कर्नाटक के मुख्यमन्त्री में विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए और उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि वह इस परियोजना के लिए आवश्यक बिजली सप्लाई नहीं कर सकते।

विद्युत मन्त्री ने ठीक ही कहा है और मैं उनके दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं। दुर्भाग्य-वश वित्त मन्त्री इस समय यहां नहीं हैं। हम यहा कुछ भी कहें जब तक इन मुख्य क्षेत्रों के लिए उचित आवंटन नहीं किया जाता। हर काम में रुकावटें आयेंगी। देश भर में प्रत्येक राज्य में बिजली का गम्भीर संकट है। किसी भी मांग को पूरा करना मुश्किल होगा और हमें नुकसान होगा और उद्योग को भी हानि होगी, कृषि को नुकसान होगा, लोग दिक्कतें उठायेंगे और उत्पादकता की क्षति होगी। इसलिये वित्त मन्त्री को इस देश के समग्र औद्योगिक विकास पर ध्यान देना चाहिये कि वह बिजली के लिये धनराशि का उचित आवंटन करें जिससे क्षमताओं का सही उपयोग किया जा सके और इससे बिजली के उत्पादन में सुधार आयेगा तथा हम कृषि, उद्योग और जन-कल्याण हेतु आवश्यक बिजली की उपलब्धता में सुधार कर सकते हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं क्योंकि आपके समक्ष समस्या है कि जो अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं और समय अधिक नहीं है, मुझे यह अवसर देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब कर्नाटक से उत्तर प्राप्त होगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, कितना समय मिलेगा ?

सभापति महोदय : क्या आप अपने दल का पूरा समय लेना चाहेंगे ? दो नाम हैं और आप के दल को ग्यारह मिनट का समय दिया गया है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां करूंगा। ये दोनों विभाग वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। देश की समृद्धि इन दोनों विभागों की प्रगति पर निर्भर करती है। यद्यपि जल का प्रबन्ध करना और बाढ़ पर नियन्त्रण रखना भी राज्यों की जिम्मेदारी है, तथापि केन्द्र में सिंचाई विभाग ही जल के सम्बन्ध में नीति बनाता है और तकनीकी सलाह आदि देने में मदद करता है।

मैं इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश की सभी नदियां राष्ट्रीय संसाधन हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय अनेक अन्तर्राज्यीय विवाद हैं जिनका स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 साल बाद भी समाधान नहीं हो पाया है।

जहां तक हमारे राज्य का सम्बन्ध है, मेरे मित्र श्री जाफर शरीफ ने अभी-अभी बताया है, और मैं भी उनसे सहमत हूं कि सभी विवादों का समाधान दोनों राज्यों की सरकारों के बीच

[श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर]

द्विपक्षीय वार्ता से होना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसे प्रोत्साहित करे क्योंकि उन्हें किसी न्यायाधिकरण पर छोड़ने अथवा मध्यस्थ-निर्णय के लिए सौंपने से समस्या का समाधान नहीं होता। इससे कटुता बढ़ेगी, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे राज्य में इसका समाधान अवश्य हो जायेगा। गत वर्षों में कर्नाटक के मुख्यमन्त्री तैयार थे। परन्तु दुर्भाग्यवश पिछले आठ महीने तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री अस्वस्थ रहे। परन्तु अब वह स्वस्थ हैं। मुझे आशा है कि वे विचार-विमर्श जारी रखेंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे।

क्योंकि उपलब्ध समय बहुत ही कम है, मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा और हमारे राज्य में इस समय अनेक परियोजनायें कार्यान्वित होने वाली हैं।

महोदय, राज्य सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक परियोजनायें पूरी करनी हैं, बड़ी और मध्यम दोनो तरह की परियोजनायें सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 1,076 करोड़ रुपये परिव्यय है जिसमें से 746 करोड़ रुपये वार्षिक योजना के लिये हैं। मेरे मित्र श्री जाफर शरीफ ने भद्रा परियोजना का उल्लेख किया। उसे भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

एक माननीय सदस्य : राज्य सरकार ने केवल 2 करोड़ रुपयें की व्यवस्था की।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : परन्तु अपर कृष्णा स्टेट-1, घटप्रभा स्टेट-3 और मालाप्रभा जैसी बड़ी परियोजनायें हैं। इस वर्ष के लिए कमान क्षेत्र विकास हेतु 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे राज्य में बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक समस्या है। हमारे मालनन्द क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आती है उससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। अनेक जानें जाती हैं और मवेशियों का नुकसान होता है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है। मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित मन्त्री इस पर विचार करेंगे।

जहां तक हमारे राज्य का सम्बन्ध है, यहां समुद्री कटाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, विशेषकर इसलिये कि इसका तटवर्ती क्षेत्र बहुत बड़ा है। समुद्री कटाव रोकने हेतु कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। इसे रोकने हेतु स्थायी आधार पर उपाय किए जाने चाहिए। मैं भारत सरकार से उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

बिजली के सम्बन्ध में अभी-अभी मेरे मित्र श्री जाफर शरीफ ने ठीक ही कहा है कि कर्नाटक में बिजली की स्थिति अत्यन्त विकट है और हमारे यहां 60 से 80 प्रतिशत बिजली की कटौती हुई है मैंने इस्पात संयंत्र के बारें में अभी हाल में पूछा था और इस्पात मन्त्री ने कहा कि यदि बिजली की सप्लाई आश्वस्त हुई तो इस्पात संयंत्र अवश्य लगाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमन्त्री ने बिजली की उपलब्धता का आश्वासन दिया। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो गम्भीरता से दिया है। कर्नाटक की जनता इस्पात संयंत्र के लिए अपने सुख और आराम को त्याग

सकती है। मुख्यमन्त्री ने जो कुछ कहा है, वह मजाक नहीं था। मुख्यमन्त्री ने यह भी उल्लेख किया कि बिजली की सप्लाई की जाएगी। मैं केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक राज्य की बिजली परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया रायचुर ताप बिजली संयंत्र के तीसरे चरण को स्वीकृति देने की व्यवस्था करें। दूसरे चरण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

कर्नाटक सरकार ने जो दूसरी महत्त्वपूर्ण सिफारिश की है, वह मंगलोर, जो कि समुद्री तट पर स्थित है, में बहु-इंधन कोयला और तेल पर आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को मन्जूरी दी जाये।

राज्य सरकार मध्यम आकार के डीजल सेट और गैस टरबाइन जो कि बहुत कम अवधि में लगाये जा सकते हैं, की स्थापना को प्राथमिकता दे रही है। इससे राज्य में विद्युत की तात्कालीन कमी पूरी होगी।

राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध के बारे में निस्संदेह कर्नाटक कई अन्य राज्यों से बेहतर है, मेरी समझ में नहीं आता कि भारत जैसे देश में जहां स्वर्गीय सर एम० विश्वेश्वरैय्या जैसे विख्यात इन्जीनियर हुए हैं, पारेषण हानि लगभग 20 प्रतिशत क्यों है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मामले को देखें और इस सम्बन्ध में कुछ करें।

ऊर्जा की बचत करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। मैंने राज्याध्यक्ष समिति की रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ पढ़े हैं, जिनमें यह बताया गया है कि उद्योगों में उचित प्रबन्ध के द्वारा 20 प्रतिशत बिजली की बचत की जा सकती है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे, यदि आवश्यक हो, तो एक दूसरी समिति नियुक्त करें और यह देखें कि बिजली की बचत भी की जाये।

कर्नाटक के मुख्यमन्त्री ने रेल पहियों और एक्सल संयंत्र तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की मांग पूरी करने हेतु बंगलौर में रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का सुझाव दिया है। हमारे मुख्यमन्त्री ने इस सम्बन्ध में श्री जाफर शरीफ से भी बातचीत की थी जब वे रेल मंत्री थे, (व्यवधान) मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम सब इस बारे में एक मत हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली बहुत महत्त्वपूर्ण है। बिजली के बिना कोई भी देश और कोई भी राज्य प्रगति नहीं कर सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार से जो भी अनुरोध आते हैं, उन पर केन्द्रीय सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और उन सभी परियोजनाओं को मन्जूरी दे देनी चाहिए, जो मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खुजराहो) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई और ऊर्जा की मांगें, जो यहां प्रस्तुत की गई हैं, उनके समर्थन में खड़ी हुई हूं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि और उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे सिंचाई के संसाधन बढ़ें और ऊर्जा की शक्ति बढ़े।

हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिंचाई को प्राथमिकता दी अपने 20-सूत्री कार्यक्रमों में सिंचाई को प्रथम सूत्र में रखा था। हम जानते हैं कि कृषकों को अधिक से अधिक सिंचाई का पानी और उद्योगों को अधिक से अधिक पावर देकर ही हम उनको और अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

आपको विदित ही है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है और इसमें कृषि का रकबा 1090.3 मिलियन हैक्टर है। हमें दूसरे स्रोतों प्रदेश में सरकारी स्रोतों से जो सिंचाई मिल रही है, उसकी क्षमता केवल 25.16 लाख हैक्टर है। कुछ थोड़ी बहुत सिंचाई निजी क्षेत्र से भी हो जाती है, अगर सब को मिलाकर देखें तो इसका कुल प्रतिशत 14 प्रतिशत से भी कम हो जाता है, जब कि दूसरे प्रदेशों में जैसे गुजरात का प्रतिशत 16.5 और उत्तर प्रदेश का 23.24 प्रतिशत है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा इतना बड़ा कृषि का रकबा है, उसको देखते हुए हमें मध्यप्रदेश में सिंचाई के संसाधनों को ज्यादा बढ़ाना चाहिये और वहां की अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति देनी चाहिये।

मैं खुजराहो क्षेत्र से आती हूं। उसमें दो जिले हैं एक छतरपुर और दूसरा टीकमगढ़ है। अगर वहां की सिंचाई की प्रतिशत देखी जाये तो प्रदेश के लेवल पर एक या दो प्रतिशत है। अगर नेशनल आंकड़ों के आधार पर देखा जाये तो यह प्रतिशत आप जीरो ही पायेंगे।

वहां अधिकांश कुछ सिंचाई कुओं पर निर्भर है। आज कल उनका पानी का स्तर नीचे जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि पहले चंदेलों के बुन्देलखंड में कोई गांव नहीं था जहां बड़े-बड़े तलाब न हों। आज वह तलाब टूटे पड़े हैं, उनमें पानी की आमत् कम हो गई है। अगर उन पर थोड़ा बहुत खर्चा कर के सुधरवाया जाये तो उनसे हमारे कुओं के पानी का स्तर बढ़ जायेगा और रोजमर्रा के विस्तार हेतु पानी भी उपलब्ध होता रहेगा। मैं समझती हूं कि हम पर बहुत खर्चा नहीं होगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र में दो बहुद्देशीय सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं, उसमें हमारी एक केन सिंचाई परियोजना है। हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे प्रथम प्रधान-मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने हमेशा बहुद्देशीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही तथा यह हमारी नीति और आवश्यकता भी है।

केन्न बहु उद्देशीय योजना हेतु 1982 में 202 करोड़ की लागत का प्रस्ताव था, इसका सर्वे भी हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उसकी रिपोर्ट भी यहां सी० डब्लू० डी० में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के साथ बैठकर बातचीत से सहमति भी हो गई है, लेकिन इस को आज तक स्वीकृति नहीं मिल सकी।

इस परियोजना से हमारे छतरपुर में 2 लाख 19 हजार हैक्टर जमीन की सिंचाई में आयेगी और 25 हजार हैक्टर जमीन पन्ना जिले पर सींची जायेगी इसी तरह 40-45 हजार हैक्टर जमीन उत्तर प्रदेश के बांदा की सींचेंगी इससे 65 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जो हमारे देश की जरूरत को पूरा करेगा। इसी प्रकार टीकमगढ़ जिले में ओरछा की सिंचारी परियोजना का सर्वे हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी सन् 1983 में केन्द्रीय जल आयोग के पास आ चुकी है। इससे भी 1 लाख 63 हजार हैक्टेयर जमीन सींचेंगी और 80-85 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी जिसे आन्ध्र प्रदेश झांसी जिले व उसके आसपास के जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के अलावा और अन्य जिलों को काफी विद्युत मिल सकेगी। 3-4 साल हो गये हैं लेकिन मालूम नहीं सी० पी० डब्लू० डी० के कौन से ठंडे बस्ते में आज तक यह परियोजना पड़ी है कि जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आप इसको गम्भीरता से लें क्योंकि जितने ज्यादा दिन लगेंगे, उसकी लागत राशि में और वृद्धि होती चली जायेगी और हमें बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगी कि अगर यह दो परियोजनायें हमारे क्षेत्र की स्वीकृति कर दी जायें तो बहुत कुछ हमारे किसानों के लिये सिंचाई की और इंडस्ट्रीज के लिए विद्युत से फायदा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो और निवेदन करना चाहूंगी। एक तो जो हमारी बड़ी नदियां हैं, वह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम इन नदियों का एक लिंक जोड़ दिया जाए। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया यह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के साथ-साथ हमारी जो बड़ी-बड़ी क्षतियां होती रही हैं कहीं बाढ़ आ जाती है कहीं सूखा पड़ जाता है इनका आपस में लिंक होने की वजह से इन प्रकोपों से बचा जा सकता है, पानी की कमी पूरी हो सकती है, जहां बाढ़ आती हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे जो क्षति होती है, वह न रोकी जा सकती है और जहां सूखा हो वहां पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

अब मैं पावर के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हमारी बिजली की जरूरत बहुत बढ़ती चली जा रही है और मैं उसके प्रति उठाए गए कदमों हेतु अपने मन्त्री महोदय और उसके विभाग को धन्यवाद दूंगी कि इस ओर बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। हमने जब आजादी पाई उस समय हमारी विद्युत क्षमता केवल 1 हजार 352 मेगावाट थी जबकि अब 42.440 मेगावाट है और 1984-85 में हमारी 3 हजार 80 मेगावाट की वृद्धि हुई है जो छठी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक 14 हजार मेगावाट हो गया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम 1985-86 में जो 4 हजार 5 सौ मेगावाट की और बढ़ोतरी कर रहे हैं यह हमारे लिए एक शुभ लक्षण है। जैसा कि हमारे मन्त्री महोदय ने

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

बताया 50 प्रतिशत हमने अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाया है। लेकिन जैसा कि बताया है कि प्रदेशों में जो विद्युत निगम हैं, उन पर घाटा हो रहा है और उनको हमें दूर करना पड़ेगा। उनकी कार्य क्षमता बढ़ानी होगी।

हमारे यहां एन० टी० पी० सी० है, जिसने सराहनीय कार्य किया है। उसके लिये मैं बधाई देती हूं। कोरबा, सिंगरौली, रामागुण्डम इन सब परियोजनाओं को समय से पूर्व ही पूरा कर दिया है। इसमें हमारे यहां 3 हजार मेगावाट की क्षमता विद्युत उत्पादन हो रहा है।

मैं इन शब्दों के साथ मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो हमारे राज्य विद्युत निगम हैं उनमें जो घाटा हो रहा है और जो उनमें प्रशासनिक त्रुटियां हैं उन को दूर किया जाना चाहिए तथा उनकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहां पर खर्चा ज्यादा न होकर आमदनी ज्यादा हो सके।

मैं आशा करती हूं कि मैंने को अपने क्षेत्र की समस्यायें मन्त्री महोदय के समक्ष रखी हैं उनकी ओर वे अवश्य ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : माननीय महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि बहुत अधिक महत्व रखती है। देश की लगभग 65 प्रतिशत कामगार आबादी कृषि कार्यों में लगी है। किसी भी देश का सम्बन्ध हो—खाद्यान्न उत्पादन में उसका आत्म-निर्भर होना एक बुनियादी बात है। विगत में अपना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये हमने हर सम्भव प्रयास किये। इस प्रक्रिया में सिंचाई एवं बुनियादी बात है, पानी का इस्तेमाल किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को सारे विश्व में स्वीकार किया जाना है कि वर्षा के पानी पर निर्भर क्षेत्र की अपेक्षा सिंचित क्षेत्र अधिक उत्पादन शील होते हैं। मैं जानता हूं कि मुझे बोलने के लिये बहुत सीमित समय दिया गया है, इसलिये मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जा रहा हूं, किन्तु मैं इस सरकार तथा पिछली सरकारों को इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा कि भारत ने गत तीन दशकों के दौरान सिंचाई क्षमता में असाधारण प्रगति की है। अब मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के बजाय मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिये और मैं एक बात यह भी बता दूं कि यदि हम भू-जल से सिंचाई को महत्व दें, तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक सुधारने में सहायता मिलेगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, भू-जल को इस्तेमाल करने की ओर अधिक ध्यान दे और अधिक सावधानी बरते।

महोदय अब मैं अपने राज्य केरल की कुछ आवश्यकताओं के बारे में संक्षेप में कहूंगा क्योंकि समय कम है, मुझे इन आवश्यकताओं की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाने का

अवसर मिला है, सबसे पहले केरल के जिला त्रिवेन्द्रम के लोगों, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की काफी समय से एक मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये मांग करते रहे हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इस क्षेत्र की फसलें हैं—धान, नारियल, सुपारी, काली मिर्च आदि। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है। मैं कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका कृषि से कमाते हैं। किन्तु दुख की बात है कि कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में पानी और सिंचाई की कमी है। इसलिए विगत में भी और अब भी लोगों का यह सपना रहा है कि वामनापुरम सिंचाई परियोजना का निर्माण आरम्भ किया जाना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसान अब भी आशा लगाए बैठे हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 1983 में योजना आयोग ने उस परियोजना को मन्जूरी दे दी। जांच कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, वहां अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इंजीनियर नियुक्त किये जा चुके हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वहां निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु तथा वामनापुरम सिंचाई परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने हेतु तत्काल कदम उठाये।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को चालू परियोजनाओं को वरीयता के आधार पर पूरा करने हेतु कहा है। केरल में 13 चालू परियोजनाएं विभिन्न अवस्थाओं में हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने शीघ्र पूरा करने हेतु 7 चालू परियोजनाएं चुनी हैं तथा राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को बिना किसी विलम्ब के पूरा करने हेतु एक योजना व कार्यक्रम भी बनाया है। किन्तु समस्या वित्त की है। स्वयं राज्य सरकार के पास धन की कमी है। केरल एक गरीब राज्य है और इसकी कठिनाई धन सम्बन्धी ही है। केरल सरकार ने इन पुरानी चालू परियोजनाओं का काम पूरा करने हेतु 12.79 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मांगी है। किन्तु मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन परियोजनाओं को आगे बिना किसी विलम्ब के वरीयता के आधार पर पूरा करने हेतु मेरे राज्य के लिये विशेष सहायता स्वीकृत की जाये।

मेरे माननीय मित्र श्री जाफर शरीफ ने यहां कावेरी जल विवाद का मामला उठाया है जोकि लम्बे समय से लम्बित है। इसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है। इस सम्बन्ध में 1971 से प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु कोई समझौता नहीं हो पाया है। अतः मैं माननीय मन्त्री से अपेक्षा करता हूं कि वे लम्बे समय से लम्बित इस कावेरी जल विवाद को हल करने हेतु हस्तक्षेप करें और कदम उठायें। इससे लोगों को कावेरी जल का बेहतर इस्तेमाल होने से ज्यादा लाभ होगा।

अन्त में, केरल में समुद्री कटाव एक गम्भीर समस्या है। मैंने सिंचाई मंत्रालय की रिपोर्ट में पढ़ा है कि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि केरल में समुद्री कटाव एक गम्भीर समस्या है। कुल 560 कि०मी० की तटीय रेखा में से 320 कि०मी० नाजुक क्षेत्र के रूप में चुना गया है

[श्री टी० बशीर]

और वर्ष 1984 तक इसमें से 286 कि० मी० रक्षोपाय किये गये हैं। अत: मैं केरल राज्य को समुद्री कटाव से बचाने हेतु केन्द्रीय सरकार से आने वाले वर्षों में राज्य के लिए और अधिक धन-राशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, सिंचाई और ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

जहां तक सिंचाई और ऊर्जा, दोनों विभागों को एक साथ रखने का सम्बन्ध है, इन दोनों विभागों का एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। चूंकि मेरे पास बोलने के लिए समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं सिंचाई विकास के बारे में केवल कुछ बातें कहना चाहूंगी।

मैं तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र से आई हूं। मैंने उस क्षेत्र के किसानों की उचित कठिनाइयों के बारे में राज्य सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अभी भी बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं सरकार के विचारार्थ कुछ उपायों का सुझाव देना चाहूंगी।

नए 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने की बात पर ही बल दिया गया है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सिंचाई क्षेत्र और उसके लिए निर्धारित धनराशि, दोनों प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करके छठी पंचवर्षीय योजना में इस पर काफी जोर दिया गया है तथा अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए काफी धनराशि का प्रावधान किया गया है। केवल अधिक भूमि पर सिंचाई करना ही काफी नहीं है। परन्तु जल का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना भी बहुत आवश्यक है और इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रत्येक परियोजना का एक कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भूमि को नया रूप प्रदान करना, भूमि को समतल बनाना, सड़कों और खेतों में पानी की नालियों का निर्माण करना, समुचित जल प्रबन्ध की व्यवस्था करना, खेती करना और भूमि को कृषि योग्य बनाना आदि है। मुझे बताया गया है कि कुछ कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की गई और अधिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एक प्रकार से ये कार्यकारी निकाय बन गए हैं। देश में 103 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक में एक गैर-सरकारी व्यक्ति उसका अध्यक्ष है। परन्तु, मेरे राज्य में कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण केवल एक परामर्शदात्री निकाय है। मेरा सुझाव है कि इस निकाय को एक परामर्शदात्री निकाय की बजाए एक कार्यकारी प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए, जिसे अधिक अधिकार और अधिक जिम्मेवारियां सौंपी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करना स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए बहुत आवश्यक है।

अगली बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी वह लिफ्ट सिंचाई के बारे में है। अभी तक हमें नहरों के पानी को उठाकर अथवा किसी अन्य उपाय से उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है अब मुझे बताया गया है कि सरकार ने अपनी नीति में संशोधन किया है और वह नहरों अथवा जलवितरक नहरों के पानी का छिड़काव या पानी उठाकर (लिफ्टिंग) उपयोग करने की अनुमति दे रही है। कुछ राज्यों में अभी तक यह योजना लागू नहीं हुई है। इसलिए नहरों या जल वितरण नहरों के इस पानी का उपयोग करने के लिए पूरे देश में एकसमान नीति होनी चाहिए अर्थात या तो इसका उपयोग छिड़काव के द्वारा पानी उठाकर किया जाए अथवा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के द्वारा किया जाए। ऐसा करने से सिंचित क्षेत्र में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और उस पर लागत कम आएगी।

अन्य पहलू, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है भूमि को खेती योग्य बनाना, क्योंकि तुंगभद्रा क्षेत्र में भूमि में भी काफी लवणता है। प्रत्येक परियोजना में इस लवणता को दूर किया जाना चाहिए। भूमि को खेती योग्य बनाने के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि हम इसकी उपेक्षा करते हैं, तो मेरे विचार से हम और अधिक भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते तथा फसलें उगाने के लिए पानी का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक परियोजना में नालियां खोदने और भूमि की लवणता को जोकि पानी के अत्यधिक प्रयोग और अनधिकृत कृषि के कारण वहां बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जल प्रबंध। इसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। जहां तक जल प्रबंध का सम्बन्ध है, इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञ होने चाहिए। उन्हें जल प्रबंध के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जोकि अभी हमने नहीं दिया है। यदि ऐसा किया जाता है, तो मेरे विचार से जहां तक लवणता, रिसाव, अनधिकृत कृषि, अधिक जल का उपयोग करने का सम्बन्ध है, इस बारे में काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा यदि हमारे किसानों और इंजिनियरों को जल प्रबंध के बारे में उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं से बचा जा सकता है।

मैं उस क्षेत्र से आई हूं जहां कि विश्व बैंक ने अपर कृष्णा परियोजना के निर्माण के लिए सहायता दी है। अब मैं सरकार से इस परियोजना का दूसरा चरण भी शुरू करने की विनती करती हूं जिससे इस क्षेत्र को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा।

जहां कहीं भी हमने इन विशाल परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया है, हमने पाया है कि वहां कार्य का स्तर बहुत निम्न रहा है। इन कार्यों का बड़े अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जांच की जानी चाहिए ताकि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कोई गड़बड़ न हो।

तुंगभद्रा नहर परियोजना काफी समय पहले पूरी कर ली गई थी। परन्तु इसकी मुख्य नहर से पानी का रिसाव हो रहा है। यह अधिक टिकाउ नहीं रही है। हर बार भारत सरकार इसके लिए काफी धनराशि प्रदान करती है। कभी-कभी यह रिसाव कमजोर स्तर का निर्माण किए जाने

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

के कारण होता है। कभी वे कहते हैं कि परियोजना का निर्माण ढांचा सुदृढ किया जा रहा है। परन्तु फिर भी दरारें पड़ रही हैं। इस वर्ष ही एक दरार पड़ चुकी है और किसानों को काफी हानि उठानी पड़ी है उन्हें दो महीनों तक पानी नहीं मिल सका। इस प्रकार इस पर आई पूरी लागत बिल्कुल बेकार चली गई। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक दल ने नहरों की लाइनिंग तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इस कमान क्षेत्र तुंगभद्रा परियोजना का निरीक्षण किया है। भूमि को कृषि योग्य बनाने से सम्बन्धित नीदरलैंड के एक दल ने तथा भू-सुधार और भू-विकास संस्थान ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया है और उसके बाद क्या हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है। नहरों की लाइनिंग का कार्य तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश नहरें काली मिट्टी क्षेत्र से होकर गुजरती है।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण विद्युतिकरण के कार्य के त्वरित कार्यान्वयन के पूरे लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए 1984-85 के दौरान 23,105 गांवों और 3.86 लाख पम्प सैटों को बिजली देने के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 1985 तक केवल 13,231 गांवों और 2.65 पम्प सैटों को ही बिजली दी गई है।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जानी चाहिए तथा पम्प सैटों को बिना किसी लक्ष्य की पाबन्दी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

देश में बहुत सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें सूक्ष्म, लघु और छोटी पन-बिजली परियोजनाएं शामिल हैं।

माइक्रो, मिनी और छोटी पनबिजली परियोजनाओं के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 476 मेगावाट की कुल क्षमता की 184 योजनायें जांच के अधीन हैं जो कि इस समय चालू उन योजनाओं से तीन गुना अधिक क्षमता की है। इसलिए इन योजनाओं की तेजी से और सर्वांगीण जांच और फिर इनके कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि कोई योजना केन्द्रीय योजना है अथवा राज्य की योजना, माइक्रो मिनी और छोटी पनबिजली परियोजनाओं को महत्व दिया जाना है।

रायचूर ताप बिजलीघर का पहला चरण पूरा होने को है। दूसरे और तीसरे चरण को भी एक साथ शुरू किया जाना चाहिए और यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उन दोनों चरणों के पूरा होने के बाद कर्नाटक की बिजली की स्थिति में निश्चित ही सुधार होगा।

इस समय कर्नाटक में बिजली की स्थिति अत्यन्त खराब है। मौजूदा बिजली की कटौती 80 प्रतिशत के लगभग है जो कि और बढ़ने की सम्भावना है। कर्नाटक पूरी तरह पनबिजली पर निर्भर है। अब तक पनबिजली क्षमता के केवल 2/5 भाग को ही उपयोग में लाया गया है। पन-

बिजली बहुत कुछ मानसून पर निर्भर करती है। राज्य के संतुलित विकास और समुचित औद्योगीकरण के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाने की आवश्यकता है।

सातवीं योजना के दौरान दो-तीन हजार मेगावाट पनबिजली का और विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो।

रायचूर ताप बिजलीघर के सभी चरणों को पूरा करके पर्याप्त ताप बिजली का विकास करना और नेवेली लिगनायट के उपयोग द्वारा कर्नाटक के लिए पर्याप्त भाग को सुनिश्चित करते हुए अधिकतम ताप बिजली उत्पादन करना।

राज्य में बिजली संकट का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय बिजली परियोजनाओं से मिलने वाले कर्नाटक के हिस्से को बढ़ाया जाना चाहिए और पड़ोसी इस राज्य को पर्याप्त बिजली सप्लाई करने हेतु राज्यों को पारेषण लाइनें स्थापित करने के ि ए राजी किया जाना चाहिए। जैसी कि आज स्थिति है, कि पारेषण लाइनों की कमी के कारण पड़ोसी राज्यों खास तौर पर आंध्र प्रदेश से कर्नाटक को उतनी बिजली भी नहीं पहुच रही है जितनी बिजली का वह केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से लेने का हकदार है।

मंत्री महोदय ने यह कहा था कि जहां तक समान बिजली दरों और समान बिजली कटौती का सम्बन्ध है हमें इस सम्बन्ध में अनेक बातों पर विचार करना होगा है। निर्णायक विश्लेषण में महाराष्ट्र सहित सभी दक्षिणी राज्यों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली की कटौती और बिजली की दरें सभी राज्यों में कमोवेश एक समान हैं और कि इस क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई असंतुलित विकास और वर्जनीय संकट और असन्तुलन न हो, बिजली के उत्पादन और समान वितरण के लिए समान क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए।

मौजूदा असन्तुलित स्थिति से हो रही राष्ट्रीय हानि और गम्भीर क्षति का मूल्यांकन करने के लिए तत्काल एक कार्यकारी दल का गठन किया जाना चाहिए ताकि सभी सम्बद्ध राज्य साथ-साथ बैठ सकें और किसी न्यायसंगत समाधान पर पहुंच सके जो कि उन मौलिक लक्ष्यों के आधार पर केन्द्र सरकार के तत्वाधान में किसी उपयुक्त अन्तर्राज्यीय तंत्र के गठन के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक स्थायी व्यवस्था के रूप में विकसित हो सके कि सम्पूर्ण क्षेत्र में बिजली की दरें और बिजली की कटौती कमोवेश एक समान हों सभी राज्य नियोजित विकास की एक जैसी प्रक्रिया का भाग है।

इसलिए देश के अन्य सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय व्यवस्थाएं की जा सके व जिससे अन्ततः राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड और नीति बन सके।

राज्य में सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण एकाय इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैय्या आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अनुभव की जा रही समस्या कर्नाटक में इस समय मौजूद स्थिति की अत्यधिक

[श्री टी॰ बशीर]

विसंगति और कठोरता को दर्शाती है। विश्वेशरैय्या आयरन एंड स्टील लिमिटेड को गत दो-तीन वर्षों के दौरान बिजली की बहुत ही अपर्याप्त सप्लाई के कारण करोड़ों रुपए की हानि हुई है। बिजली की दरों में अचानक वृद्धि और बिजली की अत्याधिक कटौती द्वारा पैदा की हुई स्थिति इतनी विवशता पैदा कर देने वाली है कि विश्वेशरैय्या आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड बिजली के अपने बिलों; 20 से 30 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे में वहां नए एकक स्थापित करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है जबकि मौजूदा एकक की क्षमता से कम कार्य करने के लिए बाध्य हैं और बन्द करने के कगार पर है जिसके कारण देश में जहां पूंजी का अभाव है और रोजगार अत्यन्त महत्वपूर्ण है, निवेश और रोजगार की अपूरणीय क्षति हो रही है।

इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय से सम्बद्ध अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : सभापति महोदय, सिंचाई और बिजली सचमुच में देश का प्राण है और देश की तरक्की इसी पर निर्भर करती है लेकिन अफसोस की बात है कि कागजों पर जो उपलब्धियां दिखाई गई हैं, वास्तविकता यह है कि वे उपलब्धियां लोगों के सामने नजर नहीं आती हैं। हर साल बजट के समय जो आर्थिक समीक्षा हम लोगों को दी जाती है, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो जिस साल पैदावार ज्यादा होती है । उसका श्रेय सरकार अपने ऊपर लेती है और जिस साल पैदावार कम हो जाती है तो इसके लिए प्रकृति और मानसून को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इससे स्पष्ट होता कि सिंचाई के मामले में हम जिन उपलब्धियों का दावा करते हैं, वह वास्तविकता नहीं है।

छठी पंचसाला योजना का समय खत्म हो गया है, इसके अन्तर्गत भी हमने सिंचाई क्षमता में वृद्धि का जो दावा किया था, वहां तक हम नही पहुंच सके हैं। बिजली पैदा करने के जो टार-गैट्स हमने फिक्स किये थे, उसमें भी 25 फीसदी कीकमी - रही है । हमारे यहां जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है और उसका बोझ बढ़ रहा है, मैं नहीं कहता कि आजादी बाद देश में सिंचाई और बिजली के मामले में तरक्की नहीं हुई, इसमें निश्चित तौर से तरक्की हुई है, लेकिन हमारे देश में जिस गति से तरक्की की आवश्यकता है, वह अभी हम लोगों ने हासिल नही की है । यही वजह है कि देश के पैमाने पर कृषि योग्य भूमि में से शायद एक-चौथाई भाग में ही एश्योर्ड सिंचाई की व्यवस्था की जा सकी है।

बिजली के मामले में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो क्राइसेस से न गुजर रहा हो। चाहे सिंचाई की बात हो या बिजली की बात हो, हमारा बिहार स्टेट ही इस मामले में काफी पीछे है। ऐसी

बात नहीं है कि हमारे यहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, बड़ी-बड़ी नदियां नहीं हैं; या बिजली उत्पादन के लिए जो हाइड्रो जैनरेशन के लिए जरुरत है या थर्मल पावर प्लान के लिए जरूरत है, उन सारी चीजों की उपलब्धता हमारे स्टेट में नहीं है, लेकिन मंत्री महोदय ने अभी कहा कि 84 परसेंट बिजली उत्पादन की जिम्मेदारी स्टेट के जिम्मे है और 15 परसेंट सेंट्रल सैक्टर में पैदा होती है।

अभी हाल में बिहार स्टेट में मंत्री महोदय रांची गये थे । वहां फरवरी में किसी तारीख को उन्होंने कहा था कि 60 दिनों में बिहार और यू० पी० का पावर क्राइसेस खत्म हो जाना चाहिए। 60 दिन गुजर गये हैं, यू० पी० और बिहार की हालत नाजुक है । इस मामले में अभी अखबारों में जो कटिंग पढ़ने को मिली तो पता लगा कि कोई स्टेट ऐसी नहीं है, जहां पावर का क्राइसेस न हो। ऐसी हालत में सिंचाई और बिजली की पूरी जिम्मेदारी स्टेट पर डाल देने से यह मामला सोल्व नहीं हो सकता।

हमारे देश में केन्द्र और राज्य की लड़ाई लम्बे अर्से से चल रही है । राज्यों के पास जो सीमित साधन हैं, उसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज्य तभी उठा पायेंगे जब केन्द्र बड़े पैमाने पर उनकी आर्थिक तौर पर मदद करे। सिंचाई के मामले में जिस तरह स्कीम का संचालन होता है। ज्यादा पैसा स्टेट में खर्च होता है, उसको ज्यादा पैसा चाहिये। जब तक यह नहीं होगा सिंचाई की क्षमता में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते हैं । इन कामों के लिए जब तक बड़ी-बड़ी योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं और केन्द्र की सीधे तौर पर निगरानी नहीं रहती है तो जिस तरह हम सिंचाई के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, वह तरक्की हम नहीं कर सकते हैं।

मैं अपनी स्टेट और खासतौर से अपनी कांस्टीट्युएंसी के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे राज्य में बहुत सारी सिंचाई योजनाएं 20, 25 वर्षों से चल रही हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही हैं इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को लेनी चाहिए और इस मामले में हस्तक्षेप कराकर पूरा कराने की कोशिश करनी चाहिये।

3.00 म० प०

हमारी कांस्टीच्यूयेंसी के बगल से गंगा नदी पार होती है और बरसात के मौके पर काफी पानी उसके अन्दर चला जाता है । इसलिए मैं सरकार से यह चाहता हूं कि कम से कम गंगा नदी से नहर निकाल कर बिहार के कई जिलों जैसे नालन्दा, गया और जहानाबाद इस तरह के जिलों में बड़े वार्टर रिजर्वर बनाये जाएं । राजगीर पहाड़ी के तलहटी में पानी का खजाना है वहीं इसको बनाया जा सकता है जिससे ऐसे मौके पर जब पानी की कमी होती हो उसको स्टोर किया जा सकता हैं।

इसी तरह से सोन नदी का पानी चला जाता है । सोन नदी से नहर निकाल कर उसके

[श्री विजय कुमार यादव]

अगल-बगल के जिलों में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं । बरसाती पानी को जमा रखने के लिए एक वृहत योजना चाहिए, जिसमें बाद के दिनों में उनको इस्तेमाल किया जा सके और जो अंडर-ग्राउंड वाटर है हमारे यहां बिहार में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार पर अभी बात चल रही है । उत्तरी बिहार, उत्तरी हिन्दुस्तान और दक्षिण हिन्दुस्तान के नदियों के मामले में इसको किया जाये और इस तरह से पूरे देश के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था की जाये । यह सुझाव अच्छा है, लेकिन खुद हमारी स्टेट में, जो हमारा दक्षिण का हिस्सा है, जो सूखा इलाका है, उत्तरी इलाका है, वहां काफी पानी आता है । हमारी अपनी स्टेट के अंदर उत्तर और दक्षिण नदियां को मिलाकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं । यह जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए । सिंचाई, बिजली आदि का मामला स्टेट के ऊपर डाल दिया जाता है ।

बिहार में भी अगर उत्तरी बिहार को दक्षिण बिहार से मिला दिया जाये तो सिंचाई के मामले में काफी आगे तरक्की की जा सकती है ।

बिजली और सिंचाई के मामले में गया जिले का जो घोसी प्रखंड है, उसमें केन्द्र ने काफी पैसा दिया है । पिताम्बरपुर सिंचाई स्कीम है, वह करोड़ों रुपये की स्कीम है; लाखों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है । आज बंगाल के बारे में कहा गया । वैस्ट बंगाल की लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बातें की गई और कहा कि बंगाल बिजली के मामले में बिल्कुल पीछे है । यह मामला केवल बंगाल का नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर भी बिजली की कमी है । मैं कहना चाहता हूं कि पिताम्बरपुर सिंचाई परियोजना जो लम्बे अर्से से मंजूर है, पैसे देने के बाद भी वहां काम नहीं हो रहा है उसको जल्दी पूरा किया जाये ।

महाने डैम जो 20 वर्षों से पड़ा है, इसको हाथ में लिया जाए और इसके भी काम को आगे बढ़ाया जाए ।

अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा । कहलगांव और कोलकारो दो बिजली केन्द्र बनाने की योजना 20-22 वर्षों से पड़ी है । वह अभी तक पूरी नहीं हो पायी है । हमारे यहां बिहार में एक घंटा बिजली भी रोजाना नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में जब वहां स्कीमें मंजूर हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, इस ओर सोचना चाहिए ।

बिहार में कोसी, गंडक और दूसरी नदियों से हाइड्रो इलेक्ट्रीक पावर की स्कीमें बनायी जा सकती हैं जिससे दूसरी स्टेट की भी मदद की जा सकती है इसलिए वह बनायी जायें, लेकिन हर स्टेट के अन्दर 2-3 जिलों को यूनिट मान कर एडवांस प्लैनिंग 15-20 सालों में उन जिलों में कितनी बिजली की खपत होगी, उसके आधार पर थर्मल या हाइड्रो इलेक्ट्रीक पावर प्लांट उपलब्ध हो जाये और उसको यूनिट मान कर अगर वहां थर्मल पावर या हाइड्रो पावर प्लांट बनाये

जायें, तो मैं समझता हूं कि इससे वह पूरे हो सकते हैं और बिहार में कोयले की कमी नहीं है।

वहां सारी चीजें मौजूद हैं, मेरी मांग है कि नालन्दा और पटना जिले को यूनिट मान कर बख्तयारपुर या फतुआ में इस तरह के थर्मल पावर प्लांट बनाये जायें।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : जानाबेवाला, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी घंटी बजने से पहले ही मैं खत्म करदूं। इस हाउस में आबपाशी और बिजली पर बहस चल रही है। जहां तक बिजली का ताल्लुक है; आपको हाइडल के जितने भी सोर्सेज हैं उनको टेप करना चाहिए। ये सोर्सेज या तो नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं। इस वक्त हमारे यहां चुनाव पर दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं-एक सलाल प्रोजेक्ट है और दूसरा दुलहस्ती प्रोजेक्ट है। सलाल प्रोजेक्ट का इन्वेस्टिगेशन पहले पूरा नहीं हुआ था उसकी वजह से और कुछ दूसरी बातों की वजह से उसमें देर हो गई लेकिन अब पूरी कोशिश होनी चाहिए। आफिसर्स भी कोशिश कर रहे हैं, जो नये चेयरमैन, ओबराय साहब हैं वे भी पूरी तवज्जह देंगे और हम मिनिस्टर साहब से भी अर्ज करना चाहेंगे कि वे भी इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा दिलचस्पी लें ताकि कम से कम सलाल प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। नये शेड्यूल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मिल हो जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने पर नार्दर्न इंडिया में इस समय बिजली का जो लोड है वह कम हो जायेगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को भी फायदा पहुंचेगा।

जहां तक दुलहस्ती प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, वह भी जल्दी ही कंप्लीट किया जा सकता है और उसका भी फायदा जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ-साथ दूसरी स्टेटस को भी पहुंचेगा। मेरा तीसरा प्वाइंट यह है कि सबलकोट हाइडल प्रोजेक्ट जो कि सलाल प्रोजेक्ट से थोड़ा-सा इधर है, उसमें रास तक लेक बनेगी जिससे बिजली के साथ-साथ दूसरे फायदे भी पहुंच सकेंगे। वहां पर आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं जबकि आजकल बिजली की बहुत जरूरत है और बिना बिजली के हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इस तरह से जो पानी बहकर समुन्द्र में जा रहा हो उसको इस्तेमाल करने के बजाए जो हमारे थर्मल रिसोर्सेज हैं, फ्यूचर जेनरेशन का जो ट्रस्ट हमारे पास है उसी को खराब करते जायें तो यह दुरुस्त नहीं होगी। बल्कि वह बैड प्लानिंग होगी। प्लानर्स को इसकी तरफ तवज्जह देनी चाहिए और इरीगेशन मिनिस्ट्री को ज्यादा फंड्स मिलने चाहिएं ताकि नये प्रोजेक्टस हाथ में लेकर मुकम्मल किए जा सकें पूरे फंड न मिलने की वजह से जेस्टेशन पीरियड बढ़ता है और फाइनेंशली भी यह गलत बात है क्यों कास्ट बढ़ती जाती है और लगे हुए पैसे का जल्दी कोई रिटर्न नहीं मिल पाता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं हमारे प्लानर्स का जो रवैया है वह मुल्क के मफाद के मुनाफी है। उनको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। थीन डैम के मुताल्लिक प्राइम मिनिस्टर ने एलान किया है और इसका फायदा पांच स्टेट्स को मिलेगा। हिमाचल जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ-साथ और स्टेट्स को भी फायदा पहुंचेगा। थीन डैम को मुकम्मिल करना बहुत जरूरी है। इरीगेशन की कमी की वजह

[गिरधारी लाल डोगरा]

से आज जम्मू प्राविन्स बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस डैम के जरिए से बहुत बड़े एरिया को इरीगेट कर करते हैं और आइन्दा के लिए सूखे का कोई खतरा नहीं रह जायेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसकी तरफ सरकार को पूरी तवज्जह देनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि इस सिलसिले में जो कन्सर्न्ड स्टेट्स हैं उनमें पहले फैसला हो जाना चाहिए, उनके हिस्से को तय कर देना चाहिए कि कितना-कितना पानी और बिजली मिलेगी, कितनी-कितनी सर्विस होगी और वहां के लोग कहां जाकर आबाद किये जायेंगे—इन बातों का फैसला हो जाना चाहिये।

इसी सिलसिले में एक बात और कहना चाहूंगा। थीन डैम मुकम्मिल करने का जो फैसला हुआ था उस वक्त बादल साहब की मिनिस्ट्री ने तय किया था कि मसूली में उसके लिए एक सीमेंन्ट फैक्टरी लग सकती है और वहीं से सीमेन्ट ली जाए ताकि डैम का काम रुकने न पाए। तो इस बात की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से बड़ी के पास तीन स्टेजेज का एक प्रोजेक्ट है जहां पर 200 मेगावाट बिजली तैयार हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को आप इंजीनियर्स ने लो प्रायर्टी पर रखा है। मैं चाहूंगा कि जो टेक्निकल और एक्सपर्ट लोग हैं उनको जा कर इस योजना को एग्जामिन करना चाहिए। आपने रुपया तो दिया है लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्टस को हाथ में लिया जाए जिनसे जल्दी फायदा पहुंचे और जो एकोनामिकली साउन्ड भी हों।

इर्रीगेशन प्रोजेक्टस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो पानी बहकर पाकिस्तान की तरफ चला जा रहा है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि पानी जाया न जाए। इस बात पर पूरी तवज्जह जानी चाहिए कि चनाब, झेलम और रावी का पानी कैसे इस्तेमाल हो सकता है। आज पानी होते हुए भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ पकिस्तान अपनी एटामिक एनर्जी को बढ़ाता चला जा रहा है। एग्रीमेन्टस के खिलाफ पाकिस्तान काम करता जा रहा और हमारे यहां रिसोर्सेज हैं, चनाब, झेलम और रावी का पानी मौजूद है लेकिन हम उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए इस बात को देखना चाहिए कि किस तरह से उसका फायदा उठाया जा सकता।

अण्डर-ग्राउन्ड वाटर के मोहकमे को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। वे काफी सर्वे कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। मेरा मिनिस्टर सहाब को यह सुझाव है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स की तरफ वे ध्यान दें, बिजली के काम को वे आगे बढ़ायें और इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फायदा हरियाणा और राजस्थान को भी सकता है उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए।

[अनुवाद]

*श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा (शिमोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदान मांगों के समर्थन में और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विद्युत और सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी।

आज हम अपने देश में जनसंख्या विस्फोट की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए विकास और योजनाओं को एक साथ मिलाना और यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि विद्युत और सिंचाई विभाग कुशलतापूर्वक कार्य करें। सभी राज्यों को इसमें गहरी रुचि लेनी होगी और आधुनिकता तकनीक का प्रयोग करने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उन्हें सुरक्षा उपयोग के सम्बन्ध में भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

देश में अनेक पुराने बांध हैं। भद्रा परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की गयी थी। लेकिन आज वहां उपर्युक्त नहरें नहीं हैं। पानी का वितरण बिल्कुल ठीक नहीं है। स्थिति अत्यंत गम्भीर है। निर्माण कार्य में कुछ अच्छा विकास हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पानी का वितरण किया जाता है वह सही नहीं है। इस सारी जिम्मेदारी की निगरानी करने के लिए मात्र एक अधिकारी है। इस परियोजना के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 40 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जानी थी। लेकिन पर्याप्त मात्रा में कुछ नहीं किया गया। यू० के० बैंक और विश्व बैंक की सहायता के बावजूद यह परियोजना संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं की गयी है। विश्व बैंक के साथ हुई संविदा भी समाप्त होने को है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और विश्व बैंक के साथ हुई संविदा को जारी रखने के लिए कर्नाटक राज्य की सहायता करें।

महोदय, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद एक पुराना मुद्दा है। इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय नहीं किया गया है। इस समस्या को यथाशीघ्र हल करने के लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय घाटप्रभा परियोजना क्षेत्र के हैं और परियोजना के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह बात नोट की जानी चाहिए कि जब कोई बांध बनाया जाता है तो समुचित नहरें खोदी जाती हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार छोटी सिंचाई सुविधाओं और इसके आधुनिकीकरण तथा विस्तार की ओर विशेष ध्यान दे। विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में अनुसंधान आवश्यक है।

*कन्नड़ में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री टी० वी चन्द्रशेखरप्पा]

नई प्रौद्योगिकी अपनानी होगी और अधिकतम सीमा तक उपग्रह का प्रयोग करना होगा । हमारे देश से गरीबी समाप्त करने का यही एकमात्र उपाय है।

अब, मैं विद्युत परियोजनाओं के बारे में बोलूंगा। विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री विश्वरैय्या के समय से लेकर अब तक वैसी ही स्थितियां हैं। हम पनबिजली उत्पादन पर निर्भर हो रहे हैं । कर्नाटक में ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिए कच्चे माल का अभाव है। एक जमाना था जब कर्नाटक बिजली का अतिरिक्त उत्पादन कर रहा था । वहां एक सरकारी क्षेत्र की और अनेक अन्य छोटी परियोजनाएं हैं। वहां 'एच० एम० टी०,' भेल, केट्टे मुख आदि जैसे अन्य प्रतिष्ठान है। इसके अतिरिक्त हमने अन्य राज्यों को सहायता दी है। लेकिन आज हम संकट में हैं। केन्द्र के समक्ष अनेक परियोजनाएं हैं जिन्हें यथाशीघ्र स्वीकृत किया जाना है। कर्नाटक के लिए परमाणु बिजलीघरों की मंजूरी देने के समय अनेक बाधाएं थीं । तथापि हमारे बिजली संयंत्र हैं और कर्नाटक की जनता की ओर से मैं भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

3:17 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुई)

श्रावती परियोजना एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है । इसके लिए केन्द्रीय सहायता और विदेशी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी है और परियोजना को अत्यन्त शीघ्र पूरा किया जाना है।

रामागुंडम बिजली संयंत्र साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व पूरा हो गया था । लेकिन राष्ट्रीय तापबिजली निगम ने रामागुंडम से बंगलौर तक बिजली की कोई लाइन नहीं डाली है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उक्त संयंत्र से हमारा हिस्सा दें।

रायचूर बिजली संयंत्र को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई किया जाए और रायचूर संयंत्र के दूसरे और तीसरे एकक यथा संभव शीघ्र पूरे किए जाएं। बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम हैं। इसलिए वहां 120 मेगावाट की गैस टरबाइन क्षेत्र स्थापित किया जाना है।

कर्नाटक में 85 प्रतिशत बिजली कटौती होती है हमें तमिलनाडु परमाणु बिजलीघर से भी बिजली नहीं मिल रही है केन्द्र ने इस संयंत्र से बिजली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। महोदय मैं केन्द्र को इस मामले में विचार करने और बिजली प्राप्त करने में कर्नाटक की सहायता करने की याद दिलाता हूं।

मैं मंगलौर में 210 मेगावाट की क्षमता के दो बड़ ताप बिजली संयंत्रों की स्थापना

की मांग करता हूं । यह प्रस्ताव केन्द्र के समक्ष आया है और कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है । यह परियोजना 800 करोड़ रुपये की है । सातवीं योजना में इसे शामिल किया गया है और यह प्रस्ताव स्वीकृत हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष आता है । मैं केन्द्र से इस सम्बन्ध में गहरी रुचि लेने और इसे यथा सम्भव शीघ्र स्वीकृति देने हेतु अनुरोध करता हूं ।

कर्नाटक में बिजली की कटौती के कारण छोटे उद्योग पर भी अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । वहां गरीब किसानों की सहायता के लिए कोई व्यापक परियोजना तैयार की जानी चाहिए । इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि छोटी और मंझोली परियोजना का तत्काल आधुनिकीरण किया जाना चाहिए ताकि वे गरीब किसानों की सहायता कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदया, मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए मात्र वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते । हमें सर्वोत्तम सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कृषि के लिए आदान सुनिश्चित किया जा सके । अन्य देशों ने नदियों के बहाव-मार्ग को बदलने का तरीका अपनाया है; उससे उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्रों को हरे-भरे खेतों में तब्दील कर दिया है । यही रास्ता भारत में भी अपनाया जा सकता है । विभिन्न राज्यों में नदियों को परस्पर जोड़ा जा सकता है और उसी तरह विभिन्न राज्यों में नदी घाटियों का भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे जल संसाधन क्या है, हमें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का पता करना चाहिए । अन्यथा, हम परियोजनाएं तो शुरू कर सकते हैं लेकिन वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं होंगी और उनकी लागत में वृद्धि होगी, इससे उन्हें पूरा करने में कठिनाई हो सकती है ।

बिजली देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए आधार भूत ढांचा बनाती है । बिजली की कमी से कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भारी हानि हो रही । इसलिए आगामी कुछ दशकों के दौरान देश में बिजली उत्पादन में तेजी से वृद्धि अत्यंत आवश्यक है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में बिजली पहुंची है । बिजली मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी है । हमारी उत्पादन क्षमता 40,000 मैगावाट के लगभग है । इस शताब्दी के अंत तक यह क्षमता 1,10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी । यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 1,10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का यह लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए । इसमें असफल रहने पर बिजली की कमी जारी रहेगी और उद्योगों तथा कृषि के विकास को क्षति उठानी पड़ेगी ।

[श्री सोमनाथ रथ]

इसी तरह, इस शताब्दी के अंत तक 113 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का हमारा लक्ष्य है—और 40 मिलियन हेक्टेयर भूमिगत जल दोहन द्वारा सिंचाई का लक्ष्य है। कमांड क्षेत्र विकास का प्रावधान है। मैं कहूंगा कि उड़ीसा के गंजाम जिले में किसान बड़े मेहनती लोग हैं और उन्हें उड़ीसा में सर्वोतम काश्तकार माना जाता है। यदि उन्हें एक बाल्टी पानी दे दिया जाता है तो वे उससे बाल्टी भर तरकारी अथवा खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं। उड़ीसा सरकार ने गंजम जिले में कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत ऋषि कला सिंचाई परियोंजना को शामिल करने का सुझाव दिया था। इस ओर केन्द्र द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

कमान क्षेत्र विकास के लिए परियोजनाओं का चयन करते समय हमें केवल बड़ी सिंचाई परियोजनाओं तक अपने को सीमित नहीं कर लेना चाहिए, । हमें इस प्रयोजन के लिये छोटी सिंचाई प्रयोजनाओं, मंझोली सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं पर भी विचार करना चाहिए। अन्यथा राज्य भर विकास नहीं होगा, किसी क्षेत्र विशेष में विकास होगा।

उड़ीसा में गरीबी बहुत है। हमारे पास जल संसाधन हैं, हमारे पास खानें और कोयला खानें हैं लेकिन वहां अभी भी गरीबी है। उड़ीसा राज्य में भूमिगत जल 80 प्रतिशत खेती योग्य भूमि की सिंचाई कर सकता है, लेकिन अभी यह 18 प्रतिशत है और पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, और समुद्र संकट पैदा कर रहा है, नदी किनारों को तोड़ देता है और रेत की बहुतायत हो जाती है और इससे लोगों की परेशानियों की कोई सीमा नहीं रहती है। इसलिए, केन्द्र सरकार को व्यापक रूप से कार्यवाही करनी चाहिए और मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए और नई सिंचाई परियोजनाएं, बड़ी, छोटी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाए शुरू करने के अवसर देने चाहिए।

इसी तरह बिजली के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से यह देखने का अनुरोध किया है कि तलचेर स्थित सुपर ताप बिजली संयंत्र को सातवीं योजना में शामिल किया जाये। इसी तरह प्रोजेक्ट वेली पावर जनरेशन को भी हमारे मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है और विद्युत तथा सिंचाई मन्त्री से भी सम्पर्क किया है। मैं समझता किसी समय हमारा राज्य बिजली का अतिरिक्त उत्पादन करता था और उसने आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों की सहायता की थी। लेकिन इस समय उड़ीसा राज्य बिजली की जबर्दस्त कमी का सामना कर रहा है। इसलिए, इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि गंजम जिले में दरमंगी परियोजना और बन्धुआ परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पर्याप्त धन राशि आवंटित की जानी चाहिए, इसी तरह लांदई, बिल्लूमोरे और नांगलई के लिए भी।

इसलिए, मैं कहूंगा कि इन सिंचाई परियोजनाओं पर विचार करते समय वैज्ञानिक जल प्रबंधन पर बल देना चाहिए।

फसल उगाने की पद्धति को सिंचाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। भारत में केवल 26 प्रतिशत भूमि की ही दो फसलों के लिए 2 बार सिंचाई दो पानी दे और यदि इस फसल लगाने की पद्धति को सिंचाई के साथ जोड़ा जाए तो हम उसी भूमि से और भी दो या तीन फसलें प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के पश्चात भी भूमि में बाकी बची नमी से कुछ और फसलें प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए इस सिंचाई प्रणाली के साथ-साथ वैज्ञानिक प्रबन्ध करने आवश्यक है। मेरा विचार है कि हम अपने प्रधान मन्त्री तथा सिंचाई और ऊर्जा मन्त्री के गतिशील नेतृत्व में 2000 ई० के अन्त तक जैसी कि परिकल्पना की गई है, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमती डी० के० भण्डारी (सिक्किम) : सभापति महोदय, सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं, आपकी आभारी हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है इस पुनीत सदन में यह मेरा पहला भाषण है।

मैं सिक्किम की रहने वाली हूं और यह हमारी सीमा पर हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है। कई नदियां नाले और तेजी से बहने वाले नाले हिमालय से निकलते हैं और सिक्किम से बहते हैं। इसलिए इस राज्य में विद्युत उत्पादन की विशाल संभावनाएं है। इन तेजी से बहने वाली नदियों, विशेष कर तीस्ता और रणगिट का विद्युत उत्पादन के लिए लाभप्रद इस्तेमाल किया जा सकता है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सिक्किम देश अत्यन्त पिछड़ा राज्य है और यहां पर कोई उद्योग नहीं है। इस प्रकार का पिछड़ा हुआ राज्य तब तक विकास की आशा नहीं कर सकता जब तक, इसकी आर्थिक तरक्की के लिए इसकी क्षमता का दोहन नहीं किया जाता। जो कि वर्तमान में नहीं यह देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। किसी भी उद्योग के लिए विद्युत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, अन्वेषण की तो बात ही क्या इसकी क्षमता का सर्वेक्षण भी नहीं किया गया। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि सिक्किम की पन-बिजली क्षमता का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी दल सिक्किम भेजें। जैसा कि सब जानते हैं, कि सिक्किम में न तो कोयला क्षेत्र हैं और न ही गैस का नामोनिशान है। किसी भी प्रकार के विकास के लिए राज्य को पूर्णतया पन-बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है। कोयला तक भी दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। इसमें परिवहन तथा अन्य कई समस्याएं होती है। सबसे सस्ता साधन पन-बिजली है और इसे राज्य के प्रत्येक ग्राम में पहुंचाया जा सकता है।

सिक्किम न केवल औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है बल्कि यहां राज्य राजस्व का भी कोई साधन नहीं है। विद्युत ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राजस्व प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। विद्युत उत्पादन में राज्य न केवल आत्म निर्भर होने की आशा कर सकता है बल्कि, यदि इसे राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे पड़ोसी राज्य और उत्तर प्रदेश तक को बिजली सप्लाई कर सकता है। यह सब केन्द्र के सक्रिय योगदान से

[श्रीमती डी० के० भण्डारी]

ही संभव हो सकेगा। यह राज्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसका अपने राजस्व के कोई साधन नहीं हैं। सिक्किम ने इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए कई पन-बिजली परियोजनाए आरम्भ करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है।

यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जब हमारे पास विद्युत की सप्लाई होगी हम तभी राज्य में लघु उद्योग लगाने की बात कर सकते हैं। जब तक उद्योग नहीं होंगे लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ-साथ उद्योगों के बिना हम राज्य में बढ़ती बेरोजगारी का सामना नहीं कर पाएंगे। समय के साथ साथ यह समस्या गम्भीर होती जाएगी।

अन्य बात जो मैं कहना चाहती हूं, वह वन सम्पदा की कटाई के बारे में है। हमारे लोग इस समय अपनी ईंधन संबंधी आवश्यकताओ के लिए पूर्णतया लकड़ी पर आश्रित है। यदि यही स्थिति जारी रही तो एक ऐसा समय आएगा जब वन सम्पदा का बिल्कुल नाश हो जाएगा और इसके कारण कई समस्या पैदा होंगी पहली समस्या जलपूर्ति की होगी, इससे परिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा, जिससे न केवल वनस्पति, जिसके लिए सिक्किम प्रसिद्ध है, और जीव जन्तुओं को हानि होगी, बल्कि राज्य की तमाम अर्थ व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। हमारी यह इच्छा है कि पेशतर इसके कि अत्याधिक विलम्ब हो, इस राज्य में पन-बिजली का दोहन करे और समय रहते इस स्थिति से बच सकें।

हमारे राज्य में भूस्खलन बहुत होते हैं और भूस्खलन को रोकने के लिए वनों की रक्षा आवश्यक है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम प्रदूषण की काफी सीमा तक समाप्त कर सकते हैं। जो बात मैं कह रही हूं वह हिमालय पर्वतमाला पर आने वाले अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होती है। मुझे विश्वास है कि इन राज्यों की सरकारों का भी यही विचार होगा मैं अनुभव करती हूं कि तकनीकी दल को इन सभी क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और इस क्षेत्र की विद्युत सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। इसी क्षेत्र के अन्य राज्यों में तो राजस्व और रोजगार पैदा करने के लिए कुछ उद्योग हैं, किन्तु सिक्किम के पास तो कुछ भी नहीं।

सदन को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम केवल नौ वर्ष पूर्व ही राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा है। इसलिए इसे बाकी देश के बाराबर आने में अभी काफी दूरी तय करनी है। इसलिए मैं केन्द्र से अनुरोध करती हूं कि सिक्किम के विकास के लिए अतिरिक्त ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि सिक्किम के लोगों के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति के लिए सम्पूर्ण सदन मुझसे सहमत होगा क्योंकि इस सदन के अन्य राज्यों से मेरे सहयोगी जबकि सातवी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, सिक्किम की यह केवल दूसरी पंचवर्षीय योजना है। पन-बिजली उत्पादन

एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें केन्द्र न केवल इस राज्य, बल्कि तमाम देश के विकास के लिए बड़े पैमाने पर मदद कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले हमारे होनहार प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने सिंचाई और बिजली जैसे दो महत्वपूर्ण विभागों, जिनसे आने वाले दिनों में हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, को एक कर दिया है, इनमें को-आरडिनेशन कर दिया है और इस विभाग में अनुभवी और कुशल मंत्री रखे है जो कि इन्हें चला रहे हैं।

हमारा जो नियोजित लक्ष्य है उसके प्रति मैं बड़ा आशावादी हूं। यहां इस विषय पर आज जो भाषण हुए उनमें कई माननीय सदस्यो ने हमारे नियोजित प्रकल्प में इर्रीगेशन के प्रोजेक्टों के पूरा न होने की बात कही और उन्होंने एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के रेफ्रेंसिज भी दिये। लेकिन जब मैं इस विषय को देख रहा था तो कुछ तथ्य मेरे सामने आये। अभी जो हमारी पांच योजनायें पूरी हुई हैं उन पांच योजनाओं में सिंचाई पर हमने 12,500 करोड़ रुपया खर्च किया था लेकिन जब छठी योजना बनी जो कि 1980 में शुरू हुई जिसमें कि एक बीस सूत्री कार्यक्रम भी सामने आया उसमें सिंचाई को बहुत अधिक प्रायोरिटी दी गई। जितना पैसा सिंचाई पर हमने पहली पांच योजनाओं में खर्च किया था उतना पैसा हमने अकेले एक छठी पंचवर्षीय में खर्च किया। यानी छठी योजना में हमने सिंचाई के लिए 12.600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। हम देख भी रहे हैं कि इन पांच सालों में इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है।

कई सदस्यों ने एक बात कही कि जो बड़े-बड़े प्रकल्प होते हैं उनमें तेजी से काम न होने के कारण हम नियोजित लक्ष्य की तरफ तेजी से नहीं जा सकते हैं। यह एक विवाद का मुद्दा है। इस देश में भी एक चर्चा चल रही है और हाल ही में यू० एन० ओ० की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं उन्हें छोटे और मध्यम प्रकल्पों को लेना चाहिए और उसी तरह की लाईन को हमारे यहां के सदस्यों ने भी इस सदन में रखा और अपने तथ्यों को देते हुए उन्होंने कहा कि बड़े प्रकल्पों में देरी लगती है। लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करता।

हमने देखा है कि हमारे देश में सिंचाई का जो मामला था, वह भाखड़ा नांगल बनने से पहले कुछ भी नहीं था। उसके बल पर आज हम देश में अनाज के विशाल उत्पादन की बात करते हैं। आजकल हमारे देश में अनाज का उत्पादन 15 करोड़ टन है। हमारे अनाज के उत्पादन का जो उद्देश्य है वह हम पूरा करते जा रहे हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने में हम पंजाब और हरियाणा की भी बात करते हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें वहां जो बड़े-बड़े प्रोजेक्टस हैं उनकी याद आती है। अगर हमें कम-से-कम समय में अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा करना है तो हमें बड़े-बड़े प्रकल्पों का समर्थन करना चाहिए।

[श्री विलास मुत्तेमवार]

साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें इण्टर स्टेट विवाद की बात नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आपस में समन्वय होना चाहिए।

श्री विलास मुत्तेमवार : हां, समन्वय होना चाहिए।

[हिन्दी]

दूसरी बातें हैं। चूंकि कई सदस्य उन चीजों को कह गये हैं इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा। हमारे जो बड़े और छोटे थरमल पावर स्टेशन हैं उनमें एक बात देखने में आ रही है। हमारे यहां सब राज्यों में सब तरफ से यह मांग हो रही है कि विकास के लिए उन्हें अधिक बिजली मिले। हर क्षेत्र और हर जिले में यह तड़प है कि उसमें औद्योगिक विकास हो सके क्योंकि अभी भी हमारी 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, पानी पर निर्भर करती है, बिजली पर निर्भर करती है। इस दिशा में हम बिजली और पानी दोनों का समन्वय करके आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं।

एक हमारा फोरेस्ट प्रिजरवेशन एक्ट है। इस एक्ट के अन्तर्गत बड़ी-बड़ी योजनाएं राज्य सरकारों की तरफ से शुरू की गई हैं। यह फॉरेस्ट एक्ट आने वाले दिनों में ठंडे बस्ते में न पड़ा रहे इसके लिए हम ध्यान रखें।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कई जगह हमारे देश में काम शुरू हुआ है इस पर करोड़ों रुपये भी खर्च हुए हैं। लेकिन यह जो हमारा फारेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट है इसके आने की वजह से कई योजना ठंडे बस्ते में पड़ रही है। मैं आपको बताता हूं कि करोड़ों रुपये की एक योजना 1978 में शुरू हुई थी जिसको मान्यता भी दी गई थी लेकिन 1980 में यह कायदा आने के बाद इस काम को रोक दिया गया। उस पर काफी पैसा खर्च हो गया। इस तरह मैं माननीय मंत्री जी से बिनती करूंगा कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जंगलों को बचाने के लिए और इकोलोजिकल बैलेंस को बराबर रखने के लिए जो एक जंगल की नीति की घोषणा की है, उस घोषणा या नीति के नियम बनने से पहले सिंचाई मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें और प्रधान मंत्री जी को बताएं कि इर्रीगेशन और पावर इन दो चीजों के जो प्रोजेक्टस हैं उनके बनने में यह फारेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट का कायदा आड़े न आये।

मैं एक और उदाहरण अरुण जी को बताऊंगा। यह जो जंगल का कायदा आपने राज्य सरकारों को बताया है और राज्य सरकारें इसे चला रही हैं। लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह 400 के० वी० लाइंस डाली जा रही है। नांदेड

जिले में 25 किलोमीटर के० वी० लाईन वहां की बिजली कारपोरेशन को डालनी है। चूंकि आपका जंगल का कायदा बीच में आता है इसलिए उसे दूसरी जगह से वह लाईन डालने में 9 लाख रुपये का खर्च होता है। वहां के अधिकारी कन्वींस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बात को माना जाता नहीं है।

इस दृष्टि से मैं दोनों मंत्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि जब हम आत्म-निर्भरता की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो जो पंचवर्षीय योजना का हमारा एप्रोच पेपर बना है जिसमें विशिष्ट क्षेत्र के विकास करने की बात कही गई है, मैं चाहूंगा कि हम इन मुद्दों पर अगर विचार नहीं करते हैं तो जो हमारीं योजनाएं हैं वे सही मायनों में पूरी नहीं होगी। क्योंकि हम रुपयों का प्रावधान करेंगे और रुपये खर्च भी करेंगे लेकिन रिजल्ट हमारे सामने आयेंगे कि योजना पूरी नहीं हुई। इसलिए योजनाओं को पूरा करने में हमारे सामने जो दिक्कतें है उन्हें हमें दूर करना है।

मैं इरीगेशन प्रोजेक्ट को बात आपसे कहूंगा। जब हमारे यहां सिंचाई या विकास नहीं हुआ था और बड़ी परियोजनायें नहीं थीं तब भी हमारे यहां खेती हुआ करती थी, क्योंकि हमारा खेती प्रधान देश है और हमारे यहां के लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, लेकिन तब हमारे यहां सिंचाई के परम्परागत स्रोत कएं और तलाब थे, लेकिन हमारे यहां महाराष्ट्र में कुछ साल पहले पानशेत धरण की दीवार टूट गई और तब से महाराष्ट्र के जो तलाब हैं, उनको बनाने का काम सरकार ने बन्द कर दिया। पिछली बार उस तलाब से खेती होती थी और अब तलाब न होने की वजह से और बरसात का पानी रोकने की कोई योजना न होने की वजह से ग्रीष्म के दिनों में उस पानी का उपयोग नहीं होता। मैं चाहूंगा कि जो छोटे तलाब हैं, उनको और भी ध्यान देना चाहिए।

हमारे यहां महाराष्ट्र में (वैनगंगा) नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। इंटरस्टेट का मामला हमेशा उठाया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार के पास वैनगंगा नदी से पानी का उपयोग करने की कोई योजना नहीं है जिसका असर हमारे महाराष्ट्र में होता है और हमें हमेशा बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वहां एक गोसीखुर्द योजना है, जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है करीब 5 लाख एकड़ जमीन को वहां से पानी मिलने वाला है, लेकिन यह योजना सेंटर वाटर कमीशन के पास आई उन्होंने कमेंटस के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भेजा है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट धीरे-धीरे अपने कमेंटस दे रही है और इस चीज को करीबन 4 साल लग गए हैं। एक जमाने में यह 268 करोड़ रुपए की योजना थी जो आज 468 करोड़ की हो गई है। जब काम शुरू होगा और पूरा होगा तब तक 7-8 सो करोड़ तक पहुंच जाएगी और फिर बड़ी योजनाओं को स्वीकृति न देने की बात की जाएगी। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र से भण्डारा चन्द्रपुर और गढ़चिरोली जिले हैं, वह पेडी प्रोक्योर एरिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े जिलों को उठाने की और उनके विकास की बात कही गई है और पैडी प्रोन एरियाज हैं, उनको अधिक पैसा देने की बात कही गई है। इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि हमारे भण्डारा चन्द्रपुर और गढ़चिरोली जिलों में जो बहुत-सी योजनाएं हैं

[श्री विलास मुत्तेमवार]

उनको शीघ्र पूरा करवाने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मैंने आपसे व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार भी किया है, इस ओर ध्यान देना चाहिए और अगर ये योजनाएं पूरी होंगी तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों को भी चावल दे सकता है, इतनी हमारी पोटेंशिलिटी हो सकती है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : आपने योजनाओं का उल्लेख नहीं किया है।

श्री विलास मुत्तेमवार : ऐसे अनेक नाम हैं।

श्री अरुण कुमार नेहरू (विद्युत मन्त्रालय में राज्य मंत्री) : आप नामों का उल्लेख करें और आपको जवाब मिलेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : इन्हें नामों का उल्लेख करने के लिए दो मिनट और दीजिये।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : भण्डारा, चन्द्रपुर और गढ़चिरोली जिलों में गोलीखुर्द, तुलतुली डुमन, बावनथड़ी, कालीमाटी, कालीसरार प्रतापगढ़, बन्दरचूहा आदि योजनाएं है। मुझे सबके नाम पता है और भी कई योजनाएं हैं।

अत: मेरा अनुरोध है कि जो जंगल से सम्बन्धित कानून हैं इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जंगल ने हम लोगों को जिंदा रखने का काम किया है पानी ने भी जिंदा रखने का काम किया है पंच सहाभूत की शक्ति ने हमें जिंदा रखने का काम किया है लेकिन इन पंचभूतों के लिए पर्याप्त नियोजन न होने की वजह से हमारे क्षेत्र के लोग दुविधा का सामना कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जंगल से सम्बन्धित जो कानून हैं, उसकी ओर ध्यान दें। महाराष्ट्र के इन तीन जिलों में चार बार सूखा पड़ा है। गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र, जब से वह बनी है तब से 25 सालों में करीबन 25 सौ करोड़ रुपया पीने के पानी के लिए खर्च कर चुकी है और अभी तक कोई स्थायी योजना नहीं बनी है। सब अस्थायी योजनाएं बनी हैं। हर वर्ष दो सौ करोड़ रुपए एडहाक बेसिस पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए खर्च होते हैं।

मैं समझता हूं कि इन योजनाओं की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ड्रिंकिंग वाटर और फ्लड का मसला हल हो सकता है। इकोलाजिकल बैलेंस के लिए 33 परसेंट जंगल की आवश्यकता होती है। उससे ज्यादा हमारे तीनों जिलों में हैं। एक तरफ तो जंगल की कटाई हो रही है और दूसरी तरफ इरीगेशन प्रोजेक्ट के काम को रोक दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पर ध्यान दें और लोगों को जिंदा रखने का काम करें। मुझे आशा है कि इसके लिए आप पहल करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदया, मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। उनका समर्थन करते हुए मैं माननीय सिंचाई और विद्युत मंत्री को और आज के पंपों, पवन चक्कियों, 'हाईड्राम्स', सिंचाई की छिड़काव की पद्धति (स्प्रिंकलर सिस्टम) के माध्यम से सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं पर जोर डालने के लिए बधाई देता हूं। परन्तु इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1985-86 के लिए आबंटन बहुत कम है। यह केवल 1.5 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं के कार्यान्वियन से छोटे और सीमांत किसानों को जो कि अपने खेतों में अधिक व्यय किये बिना सिंचाई कर सकते हैं अधिक सहायता मिलेगी।

सिंचाई, हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री स्व० इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक बीस सूत्री कार्यक्रम की पहली मद है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के गरीब और दलित वर्ग की गरीबी दूर करना है, अत: केन्द्रीय सरकार को यह कहकर अपनी जिम्मेवारी नहीं टालनी चाहिये कि सिंचाई राज्य का विषय है, और इस हेतु इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम जानते हैं कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य कुछ ऐसे राज्य हैं जहां हरिजन और आदिवासी लोगों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। आदिवासी लोग केवल कृषि और वनों पर निर्भर हैं। परन्तु हम उनके लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके हैं। अत: हमें उड़ीसा जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में सिंचाई की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए। इस संबंध में मैं उड़ीसा राज्य का एक उदाहरण दे रहा हूं जहां यह अपेक्षा की जाती है कि छठी योजनावधि के अंत तक उत्थित सिंचाई सहित और छोटे जैसे सभी सिंचाई स्त्रोतों से 17.34 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह राज्य की कुल खेती वाले क्षेत्र का 26.27 प्रतिशत है जो कि 56 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

महोदया, आप यह जानकर आश्चर्य करेंगी कि राज्य के कुल क्षेत्र में केवल आदिवासी क्षेत्र ही 41 प्रतिशत है। जब तक हम उन राज्यों को जहां आदिवासी जनसंख्या और क्षेत्र बहुत अधिक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता नहीं देंगे, बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे।

उड़ीसा राज्य में वहां की कुल जनसंख्या की 75 प्रतिशत कार्यशक्ति पूर्णतया कृषि पर आधारित है और यह राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अत:, कृषि उत्पादन में वृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने की हमारी नीति भी सही मायनों में कार्यान्वित होगी। परन्तु वास्तविक क्षेत्र में क्या हुआ है? वहां इसका पालन नहीं किया जा रहा। जब तक केन्द्र उड़ीसा राज्य में कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आगे नहीं आयेगा और जब तक केन्द्र इस राज्य की सहायता नहीं करेगा तब तक यह राज्य सिंचाई क्षमताओं के सृजन के मामले में पिछड़ा ही रहेगा।

[श्री चिंतामणि जैना]

4.00 म० प०

राष्ट्रीय विकास परिषद को पिछली बैठक में उड़ीसा के मुख्यमन्त्री ने उड़ीसा की रेंगाली, सुवर्ण रेखा और अपर कोलाले सिंचाई परियोजनाओं जैसी चालू परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिए जाने पर जोर दिया गया था। इन सभी परियोजनाओं से मुख्यतः उड़ीसा के क्योंझर, मयूरगंज, ढेंकानाल और कटक जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई होगी।

महोदया, मैं सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजनाओं के बारे में एक उदाहरण दे रहा हूं कि उसके 93,000 हेक्टेयर सी० सी० ए० में से 89,000 हेक्टेयर क्षेत्र मयूरगंज जिले की आदिवासी उप-योजना में है। इस परियोजना के पूरा होने से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी। सातवीं योजना में 135 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है और उससे 7,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता उत्पन्न होगी। अतः मन्त्री महोदय और योजना आयोग से भी मेरा निवेदन है कि सातवीं योजनावधि में इस सुवर्णरेखा परियोजना को पूरा करने के लिये प्राथमिकता दी जाये। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि इसके पूरा होने के पश्चात इससे उड़ीसा पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य भी लाभान्वित होंगे। मैं मन्त्री महोदय और उनके मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को पूरा करने पर अधिक ध्यान और इसे प्राथमिकता दी जाए।

उड़ीसा राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 860 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय प्रस्तावित किया है जो कि इस हेतु कम से कम आवश्यकता है, क्योंकि रेंगाली, सुवर्ण रेखा और कोलाला जैसी निर्माणाधीन तीन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 388 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। योजना आयोग के कार्यदल ने केवल 580 करोड़ रुपये की सिफारिश की है जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा।

इसी प्रकार, उत्थित सिंचाई के मामले में है, उत्थित सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की वृहत सभावनाएं हैं। परन्तु यहां भी केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेवारी राज्यों पर डाल रही है। मैं इस विषय में एक उदाहरण उद्धृत कर रहा हूं। उड़ीसा राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार प्रतिवर्ष की दर पर पांच हजार उत्थित सिंचाई (एल० आई०) परियोजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव किया है और उन्होंने तदनेसार इन 5,000 उत्थित सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने और सातवी पंचवर्षीय परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है। परन्तु खेद का विषय है कि योजना आयोग राज्य सरकार द्वारा मांगे गये 150 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 25 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है। योजना आयोग का विचार है कि रख-रखाव और राज सहायता आदि पर व्यय सातवीं योजना के लिए राज्य के गैर-योजना बजट में से किया जाना चाहिए। परन्तु राज्य का गैर-योजना भिन्न बजट काफी कम है। अतः मैं योजना आयोग और सिंचाई मंत्री से निवेदन

करूंगा कि इस मामले पर ध्यान दें और इस पहलू पर जोर डालें। जब हमने सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध हैं तो हमें व्यवहारिक परियोजनाओं, चाहे वे मध्यम हों अथवा बड़ी ही हैं प्रथमिकता देनी चाहिए इस संबंध में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूंगा। वहां एक बुढ़ा बलंग नाम की व्यवहार्य परियोजना है जिस पर केन्द्र को ध्यान देना चाहिए।

विद्युत के बारे में बोलते हुये मैं माननीय विद्युत मंत्री को गैर-पारस्परिक ऊर्जा उत्पादन पर अधिक ध्यान देने और उसे प्राथमिकता देने के लिए बधाई देता हूं। देश के औद्योगिकरण के कारण देश की मांग की पूर्ति हेतु अधिकाधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इस संबंध में, मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री तथा उनके मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं जो गैर-पारस्परिक ऊर्जा के अधिकाधिक उत्पादन के लिए गम्भीरता से कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करूंगा कि कच्छ खाड़ी में ज्वार-भाटा से ऊर्जा के उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन और जांच कार्य में तेजी लायें।

इसी प्रकार, सौर ऊर्जा को भी उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। गहन निराशा के साथ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हालांकि अधिक से अधिक ऊर्जा के उत्पादन की आवश्यकता है लेकिन गांवों में गोबर गैस संयंत्र अपेक्षानुसार लोकप्रिय नहीं हो पाये हैं। गोबर गैस संयंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में गायें और भैंसे उपलब्ध हैं अधिक से अधिक उपयोग हेतु लोकप्रिय बनाना चाहिये।

राज्य विद्युत बोर्डों की बात करते हुये, माननीय विद्युत मंत्री ने आज चर्चा के बीच बोलते हुये राज्य विद्युत बोर्डों की खराब हालत का जिक्र किया था। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि खराब हालत में और हानि में चल रहे राज्य विद्युत बोर्डों को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेने पर गम्भीरता से विचार करें और उन्हें स्वयं चलाए।

पांच वर्ष पूर्व मेरा राज्य उड़ीसा बिजली के मामले में आवश्यकता से अधिक उत्पादन वाला राज्य समझा जाता था। बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार के कारण, राज्य में पिछले पांच वर्षों में बिजली की खपत में तीन गुना वृद्धि हुई है। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तलचर में प्रारम्भ की जाने वाली उच्च ताप विद्युत परियोजना जितनी जल्दी सम्भव हो कार्यान्वित करवायें। महोदया, आपको यह जानकर खेद होगा कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के माध्यम से प्रारम्भ होने वाली ऐसी छह परियोजनाओं में से सभी पांच परियोजनाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं जबकि तलचर परियोजना हमारे और उड़ीसा की जनता के दुर्भाग्य के कारण प्रारम्भ नहीं हुई है। अतः, मैं मन्त्री महोदय और योजना आयोग से सविनय निवेदन करूंगा कि सातवीं योजना के पहले वर्ष में अर्थात् 1985-86 में कम से कम 27 करोड़ रुपये और सातवीं योजनावधि में 425 करोड़ रुपये आवंटित करें।

इसी प्रकार उड़ीसा सरकार ने इब घाटी में एक अन्य उच्च तापीय बिजली परियोजना की योजना बनाई है, जिसके लिए राज्य सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संस्थागत

[श्री पीयूष तिरकी]

वित्त उपलब्ध कराया जाये। परन्तु योजना आयोग इससे सहमत नहीं है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल कोलार घाट में एक इसी प्रकार की परियोजना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 50 : 50 के आधार पर वित्तीय सहायता दी गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भी इसे 50 : 50 के आधार पर आरम्भ करना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कृपया इसकी व्यवस्था की जाये ताकि उड़ीसा सरकार विश्व बैंक या अन्य किसी देश से ऋण प्राप्त कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर) : सभा पति महोदय, सबसे पहले मैं उस बैठक की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मन्त्री महोदय की पश्चिम बंगाल के सदस्यों के साथ हुई थी। मुझे भी बैठक में भाग लेने का अवसर मिला था। इस विषय पर चर्चा में मैंने भाग नहीं लिया था। उनके सभी विशेषज्ञ यहां उपस्थित थे उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। परन्तु मैं उनको केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी तीस्ता परियोजना के लिए उन्होंने सहानुभूति दिखाई थी, उस समय चर्चा के दौरान उन्होंने हमें बताया था कि तीस्ता परियोजना, जो आधी पूरी होने वाली है, के लिए धन की समस्या नहीं होगी। यह सीमा क्षेत्र राज्य है।

उत्तरी बंगाल की तीस्ता परियोजना उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरी बंगाल बहुत ही सुन्दर स्थान है। मैं आप दोनों का वहां आने का निमंत्रण देता हूं। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि तीस्ता परियोजना के इस सुन्दर स्थान का वे दौरा करें। भूटान और सिक्किम भी उसके निकट हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सिंचाई परियोजना के बारे में बहुत गंभीर है।

वर्ष 1977 से पहले पश्चिम बंगाल एक आश्रित राज्य था। यहां चावल और अन्य खाद्य सामग्री बाहर से आती थी। परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में खाद्य सामग्री की खपत से भी अधिक पैदावार होती है। हम पश्चिम बंगाल के लिए पर्याप्त मात्रा में पैदावार कर सकते हैं और अन्य राज्यों को भी भेज सकते हैं। पश्चिम बंगाल सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के मामले में बहुत गंभीर है। पश्चिम बंगाल के कुछ सदस्य कुछ और ही बात कहते हैं। उन्हें नहीं पता कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लिए कितना अच्छा कार्य किया है। कुटीर और लघु उद्योग के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। बिना बिजली के यह राज्य सबसे आगे है। बिना बिजली के यह राज्य सबसे आगे नहीं हो सकता है। उसके पास पर्याप्त बिजली है। इस सम्बन्ध में आप अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य सरकार कितना अधिक कार्य कर रही है। केवल एक ही समस्या है कि कई बार राज्य को दी जाने वाली धनराशि में विलम्ब किया जाता है। कभी इसकी

तेजी से चल रहा है कि यदि धनराशि देने में एक महीने का विलम्ब कर दिया जाता है तो काम रुक जाता है।

तिस्ता परियोजना पर राज्य सरकार पहले ही 19 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह धनराशि अभी भी देय है और केन्द्र सरकार समय पर धनराशि देने में असमर्थ है अत: उस समय काम में रुकावट आई थी।

अपने कटौती प्रस्ताव की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य वश इसमें कटौती कर दी जाएगी या इसे पूर्णतया स्वीकृत कर दी जाएगी। परन्तु प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। मैं अपना कटौती प्रस्ताव रख चुका हू और सभी नाम दे दिए हैं विशेषकर तीस्ता परियोजना का नाम भूटान भी निकट है और चूका विद्युत परियोजना शुरु हो गई है इसका एक भाग चालू होना है। यह परियोजना बहुत अच्छी तरह चल रही है। जैसाकि माननीय महिला सदस्य ने कहा है कि चूका परियोजना बहुत अच्छी तरह चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्र सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है। मैं आशा करता हूं कि चूका परियोजना के यथा सम्भव पूरा होना में धन की कमी नहीं होगी।

भूटान में परियोजनाओं के विकास के लिए आपने सभी कार्य शुरु कर दिए हैं। संकोस रायडक, दीमा, जयन्ती, तुर्सा। पगली तुर्सा कल्याणी और अनेक छोटी नदियां तथा सरिताएं भूटान क्षेत्र से आती हैं और भूमि का काटव उस क्षेत्र में निरंतर एक समस्या है।

जब तक भूमि के कटाव के रोकने के लिए परियोजनाएं स्थापित करने हेतु भूटान सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्रयास नहीं किए जाते सिंचाई संभव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि भूटान सरकार के साथ मिल कर कटाव रोकने के लिए परियोजनाएं बनाने हेतु प्रबन्ध किए जाएं। उस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं और इस प्रकार पूरे उत्तरी बंगाल में कटाव रुक जाएगा। समय इस धान की बुआई की भूमि का नुकसान हो रहा है उत्तरी बंगाल की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। यदि आप समय पर परियोजना समाप्त कर सकते हैं तो उत्तरी बंगाल के कुछ भाग को पोषण करने में पर्याप्त होंगे। अत: यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस बात पर बल देता हूं कि परियोजना को निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया जाए।

चाय बागान को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हमारे पास 200 से 300 तक चाय बागान हैं और चाय बागान बहुत आवश्यक हैं क्योंकि उनसे हमें 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। चाय कम्पनियों के प्रबन्धक सिंचाई और बिजली की मांग करते हैं। हमें उनकी बात से सहमत होना चाहिए और इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि चाय बगानों को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाए।

अब मैं फरक्का बीफ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कलकत्ता बन्दरगाह के लिए 40,000 क्यूबिक जल की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल सरकार को बंग्लादेश सरकार से

[श्री पीयूष तिरकी[
बातचीत करने का अधिकार नहीं है; केवल केन्द्र सरकार उनसे बात चीत कर सकती है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि नौवहन के लिए फरक्का से कलकत्ता बन्दरगाह हेतु 40,000 क्यूजिक जल की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त फरक्का से बहने वाला 1500 क्यूजिक जल सिंचाई के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। अत: कुल मिलाकर 40000 क्यूजिक जल जमा 1500 क्यूजिक जल की आवश्यकता है। बंगाला देश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जाने से पहले उक्त तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए अन्यथा हमें नुकसान होगा।

तीस्ता परियोजना के बारे में बंगला देश आवश्यकता से अधिक चाहता है। बंगलादेश ब्रह्मपुत्र के जल का प्रयोग कर सकता है। तीस्ता परियोजना का पूरा पानी उत्तरी बंगाल के पांच जिलों को दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो तो हम प्रतिवर्ष 200 लाख टन तक अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने में समर्थ हो जाएंगे।

मैं यहां मंत्री महोदय की पश्चिम बंगाल के श्री नानी भट्टाचार्य के साथ हुई मैत्रीपूर्ण बैठक की याद दिलाना चाहता हूं। उन्हें दिये गए आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिए।
[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदया, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां बारिश की कमी के कारण और समय-समय पर पानी रहने के बावजूद भी अकाल की पीड़ा से जनता पीड़ित रहती है। मध्य प्रदेश इस मामले में तो गौरवशाली है कि अनेक नदियां वहां से निकलती हैं और अन्य प्रान्तों को वे अपने जल से प्लावित करती है किन्तु सूखा उसके भाग्य में खेवा के लिये लिखी हुई एक लकीर है। महानदी, नर्मदा आदि नदियां मध्य प्रदेश से ही निकलती है फिर भी आप देखेंगे कि वहां की जो एक-चौथाई आबादी है वह अकाल से पीड़ित है। इस सम्बन्ध में मुझे कबीर की वह पंक्ति याद आती है : जल बिच मीन पियासी, मोहे लागत हांसी। मैं समझता हूं यदि आज कबीर होते तो शायद वे हंसते नहीं बल्कि रोते। आज हमारा वह क्षेत्र हरिजन आदिवासी बहुल है और उसको विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। किसान के जीवन के लिये, कृषि आवश्यक है और कृषि का जीवन है पानी। किसान बिना पानी ओर बिजली के जी नहीं सकता है। किसान जो आज भुखमरी का जीवन बिता रहा है वह इनसे वंचित होने के कारण बिता रहा है।

हमारे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में इन दोनों चीजों का बाहुल्य है। पानी वहां है लेकिन उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रहा है। बड़ी योजनाएं भी वहां पर है— महानदी; बोधघाट, अपा, गंगड़ी और हस्ती बागो। लेकिन इन योजनाओं को पूरा करने में जितना समय लग रहा है उससे लोगों के जीवन में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं।

मेरा कहना यह है कि बड़ी योजनाएं अवश्य बनाई जाएं लेकिन वे ऐसे स्थानों पर पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं होतीं जिन स्थानों से नदियों का उद्गम होता है। ऊंचे स्थानों पर उनके पानी

का उपयोग नहीं हो पाता। वह क्षेत्र उससे सिंचित नहीं हो पाता। जब बड़ी योजनाएं बनाई जायें तो उसके साथ-साथ पूरक योजनायें भी बनाई जायें। बड़ी योजनाओं के पूरा होने पर वहां के किसानों को लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिये पूरक योजनाओं के रूप में कुछ योजनाएं वहां बनाई जायें। उस क्षेत्र के सभी नदी, नालों का सर्वे किया जा चुका है और वहां पर छोटी योजनायें शुरू की जा सकती हैं। इसके साथ-साथ लिफ्ट इरीगेशन भी वहाँ आवश्यक है। ये तीनों योजनायें वहां के लिये जरूरी हैं और इन्हें वहां लागू किया जाए। तारबान योजना बनाकर, छोटे तालाब उद्वहन सिंचाई योजना बना कर भी इस काम को किया जा सकता है। इन सबको एकीकरण कर योजनायें बनाई जाएं और इसके लिये आर्थिक मदद दी जाये। ताकि वहां का जल्दी से जल्दी विकास हो सके। इन योजनाओं के माध्यम से ही वहां के लोगों को लाभ मिल सकता है। अन्यथा स्थिति आप देख रहे हैं वहां से जयादा से जयादा लोग अपने जीवन-यापन के लिये सारे देश के अन्दर पहुंचे हुए हैं।

अब मैं ऊर्जा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश का मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उस क्षेत्र के लोगों को जो ऋण दिया जाता है उस ऋण की जो ब्याज दर है वह कम होनी चाहिए। कम से कम ब्याज पर लोगों को ऋण दिया जाए ताकि वे लोग अच्छी तरह से ऋण का भुगतान कर सकें और वहां क्षेत्र का विकास कर सकें।

जिस तरह से कृषि की बिजली पर निर्भरता है, बिजली की पानी पर निर्भरता है, कोयले पर निर्भरता है। हमें बिजली या ऊर्जा प्राप्त करने के लिये दूसरे प्राकृतिक साधनों का भी पूरा उपयोग करना चाहिये। गर्मी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग हो जैसा कि बहुत जगह हो रहा है। दूसरे गोबर गैस प्लांट का उपयोग भी पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिये। अगर किसानों को इसकी पूरी सुविधा मिले तो उनका जीवन सुखी होगा और साथ ही साथ गांव भी स्वावलंबी होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि गोबर गैस प्लांट के लिए आप ग्रामीणों को जयादा से जयादा छूट दें। हरिजन, आदिवासियों को आप यह छूट 76 प्रतिशत तक दें और अन्य किसानों को 25 प्रतिशत तक छूट दे।

अभी मंत्री जी ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसकी ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के लिये बिजली और पानी औद्योगिक आधार पर मिलनी चाहिए। जिस तरह से उद्योग लगाने पर उन्हें सुविधा दी जाती है। कम से कम लाभ लेकर उन्हें बिजली और पानी दिया जाता है उसी तरह से किसानों को भी बिजली और पानी बिना लाभ के दें। उसको देते हुए यह न देखें कि आपका कितनी लाभ या हानि हो रही है। जब आप सस्ता पानी और बिजली उन्हें देंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे और इससे किसानों की जिन्दगी को भी मजबूत बना सकेंगे।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री जी० एस० बसवराज (तुमकुर) : सभापति महोदया, मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय

*कन्नड़ में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री जी० एस० बसवराज]

की अनुदानों की मांगों का स्वागत करने और उनका समर्थन करने में सौभाग्य समझता हूं। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि हमारे देश की समूची प्रगति विद्युत और सिंचाई को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करती है। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अभी बहुत कुछ किया जाना है। हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी किसान है। इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में अत्यन्त तेज गति से प्रगति होनी चाहिए।

गंगा को कावेरी में मिलाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को मात्र एक स्वप्न ही नहीं रहना चाहिए। देश में सूखा और बाढ़ों को रोकने का यही एकमात्र तरीका है।

अब मैं केवल कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में बोलना चाहूंगा। आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब हमें धन की कमी के कारण राज्य में अनेक परियोजनाओं को छोड़ना पड़ सकता है। छोटी मंगरोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के व्यापक उपयोग का समय अब आ गया है। देश में वर्षा साल-दर-साल घटती जा रही है। इसलिए, हम वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए, पानी को नष्ट नहीं किया जा सकता अपितु इसका समुचित रूप से उपयोग किया जाता है। चाहे हम उद्योग में 25 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो केवल कुछ ही लोंगो को आंकड़ों के अनुसार ही रोजगार दे सकते हैं लेकिन यदि उसी धनराशि को सिंचाई हेतु निवेश किया जाता है तो एक हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। सिंचाई के माध्यम से कृषि को प्रोत्साहित किया जाना है। मैं कर्नाटक के किसानों की स्थिति की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे राज्य में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से 12 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है। लेकिन पड़ोसी राज्यों में 60 से 70 प्रतिशत भूमि सिंचाई के अन्तर्गत है।

इस तथ्य के बावजूद कि कृष्णा, तुंगभद्रा और गोदावरी नदियां राज्य में बहती हैं, सूखे की स्थिति विद्यमान है। यदि समुचित सिंचाई परियोजनाएं शुरू नहीं की जाती तो गरीब किसानों की स्थिति अत्यन्त बिगड़ जाएगी। गत वर्ष मेरे राज्य में केवल 6 से 8 इंच तक वर्षा हुई थी।

ऊपरी भद्रा और ऊपरी तुंग योजनायें शीघ्र शुरू किये जाने की आवश्यकता है। यदि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सभी उपयोगी नदियों का रुख पूर्व की ओर कर दिया जाता है तो कर्नाटक में लगभग 35 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जा सकती है। यदि सातवीं योजना में इस परियोजना को प्रारम्भ कर दिया जाता है तो हमें सिर्फ 10 वर्षों में इसके सुखद परिणाम मिल सकते हैं। इस परियोजना के लिये दो से ढाई करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हम आशातीत प्रगति कर सकते हैं और भारी मुनाफा कमा सकते हैं। दो वर्ष की अवधि के भीतर अतिरिक्त कृषि उत्पादन के रूप में निवेश की समूची राशि वसूल हो सकती है।

कर्नाटक में अनेक क्षेत्र भयंकर सूखा के शिकार हैं। टुमकुर, तिपतुर, चिक्कनायकहल्ली,

गुब्बी, तुरुवेकरे, कुनिगल, कोरटागेरे; मधुगिरि, पावगडा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी और बीजापुर जिले और अन्य अनेक स्थान इससे प्रभावित है। गांव के तालाबों के जल केवल दो महीने के लिये पर्याप्त होगा। किसानों को भी इस समस्या की गंभीरता की पूरी तरह जानकारी नहीं है। इसलिए पानी का समुचित ढंग से उपयोग करने के लिये किसानों को बताया जाना चाहिए और उनके लिए पोलीथिन की पाइप लाइनों और नहरों में सीमेंट या पलस्तर करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां शक्तिशाली किसानों ने गरीब किसानों की कीमत पर पानी का बहुत बड़ा भाग प्राप्त किया है। इसलिए किसानों को पानी देने के लिये मीटर प्रणाली को अपनाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसमें समय लग सकता है लेकिन यह दीर्घावधि में अत्यन्त उपयोगी होगी।

कृषि के सुधार में छिड़काव सिंचाई और ड्रिप सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र टुमकुर में ड्रिप सिंचाई की व्यापक सम्भावना है। लेकिन यदि इसके लिए 80 या 80 लाख रुपए मंजूर किए जाते है तो यह राशि पर्याप्त नहीं है। ड्रिप सिंचाई प्रयोजन हेतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए मंजूर किये जाने होंगे। टुमकुर नारियल, सुपारी जैसा तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों की पैदावार के लिए आदर्श स्थल है।

किसी समय हमारे राज्य को सम्पूर्ण देश में अधिक बिजली उत्पादन करने का गौरव प्राप्त था। लेकिन आज राज्य में अनेक बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं। बंगलौर उसके उपनाम उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान बन गए हैं। इसलिए हमारे राज्य में और अधिक बिजली पैदा करने की भारी आवश्यकता है। मैं धारवार क्षेत्र में एक परमाणु बिजली घर संयंत्र की स्वीकृति देने के लिए अपने युवा प्रधानमन्त्री का कृतज्ञ हूं। इसी तरह शरवती घाटी क्षेत्र में एक और संयंत्र मंजूर किया जाना है। मैं सरकार से मंगलौर के लिए एक और बिजली संयंत्र मंजूर करने हेतु अनुरोध करता हूं। कनकपुरा तालुक में मेकेडट पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए एक और उपयुक्त स्थल है। इस परियोजना से पानी की भारी बरबादी से बचा जा सकेगा। निर्माता तकनीशियनों ने अनुभव किया है कि मेकेडट में काली नदी परियोजना की तुलना में डेढ़ गुना अधिक बिजली पैदा की जा सकती है लेकिन दुर्भाग्य से इस समय इस स्थान पर जल अनुपयुक्त हुआ है। मेकेडट बिजली परियोजना का विचार 40 वर्ष पुराना है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र इस परियोजना पर बिना किसी विलम्ब के विचार करेगा और बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भरता में राज्य की सहायता करेगा।

वराही और चक्रा नदियों में बह रहे अधिकतर जल को पनबिजली परियोजनाओं में उपयोग करने का विचार है -यदि इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है तो लगभग 7.50 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई होती है। अनेक तरीकों से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है लेकिन हम पानी नहीं पैदा कर सकते। इसलिए सिंचाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

मेरे राज्य में किसानों को पानी और बिजली उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जब भी

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

गुण्डूराव मुख्यमन्त्री थे तो हम 50 रुपया प्रति एच० पी० प्रति वर्ष की समान दर से किसानों को पानी प्रदान कर रहे थे। वास्तव में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे गरीब किसानों को निःशुल्क पानी और बिजली देने की व्यवस्था करें। किसान हमारे देश का आधार हैं। उनके कार्यों में हर सम्भव तरीके से उन की सहायता करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं पुनः माननीय मन्त्री महोदय से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। महोदया इस सम्मानमीय सदन में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, सिंचाई और बिजली मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और राजस्थान की समस्याओं पर ही केन्द्रीभूत रहूंगा क्योंकि समय की कमी है। इस समय विश्व की सबसे लम्बी नहर राजस्थान में बनाई जा रही है, जिसका पहले नाम राजस्थान नहर था लेकिन कुछ समय पहले राजस्थान सरका ने एक निर्णय करके उसका नाम बदल कर इंदिरा नहर कर दिया है। इस नहर की लम्बाई 650 किलोमीटर है और इस पर अब तक लगभग 450 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। यद्यपि जब यह योजना बनी थी, 1957 में इसका अनुमान 66 करोड़ रुपये का था, उसके बाद 1970 में जब मैं वहां गया तो उसका अनुमान बढ़कर 207 करोड़ रुपये का हो गया और अब तक उस नहर के निर्माण कार्य में 450 रुपये खर्च हो चुके हैं परन्तु अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है.। अभी उसमें 5 लिफ्ट कैनाल बननी शेष हैं और सैकेंड फेस का कार्य करना है । इसके साथ साथ कमाण्ड एरिया का भी कार्य लेना है। यदि इन सब कार्यों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगायें तो वह कम से कम 1500 करोड़ रुपये आयेगा और 1500 करोड़ रुपये व्यय करने की राजस्थान सरकार के पास क्षमता नहीं है। यह नहर रेगिस्तानी और सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरती है और इसके साथ साथ यह इक्कोलोगिल नहर का भी काम करेगी तथा राजस्थान के बैकवर्ड एरियाज और डैजर्ट एरियाज के गरीब लोगों की समस्याओं को भी हल करेगी तथा इससे देश के उत्पादन को बढ़ाने में भी काफी सहायता मिलेगी इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार हिली एरियाज डैवलपमैंट प्रोग्राम के लिए 90 प्रतिशत ग्रान्ट देती है और 10 प्रतिशत एसिस्टेंस देती है, उसी तरह से डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम को भी उसके समकक्ष मानते हुए इस योजना के लिए 90 प्रतिशत ग्रान्ट केन्द्रीय सरकार स्वीकृत करे और 10 परसेंट लोन राजस्थान सरकार और दे तभी इस इंदिरा नहर का कार्य सातवीं पंच वर्षीय योजना में पूरा हो सकता है। मेरा आग्रहपूर्वक निवेदद है कि इस नहर को पंचवर्षीय योजना पूरा हो सकता है । मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस नहर को सातवीं पंच वर्षीय योजना में कम्पलीट कर दिया जाना चाहिए । यदि इस कार्य को और आगे बढ़ाया गया, इसके निर्माण की अवधि को आगे बढ़ाया गया तो यह कार्य बीस वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाएगा

और इस तरह से डेजर्ट एरिया का विकास रुक जाएगा। सबसे पहली मेरी यही मांग है।

दूसरी मांग मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ जितने इन्टर-डिस्प्यूटस हैं, जैसे रिवर डिस्प्यूटस हैं उनको हल करने में बराबर विलम्ब किया जा रहा है। इस विषय पर अपने विचार आपके समक्ष रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान और गुजरात प्रान्तों के बीच 1966 में एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंतर्गत कडाणा बांध का निर्माण गुजरात में हुआ और बजाज सागर डैम का निर्माण हमारे यहां राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में हुआ। इसके अनुसार माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेड़ा। जिले में पहुंचा और खेड़ा जिला उससे लाभान्वित हुआ। उस समय शर्त यह थी कि नर्मदा नदी का जब डेवलपमेंट होगा तब जाकर यह स्थिति पैदा होगी कि माही नदी का पानी जो गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच रहा है, वह नर्मदा के पानी से लभांवित होगा और फिर वह हमारे राजस्थान के बाड़मेर और जालोर रेगिस्तानी क्षेत्रों को लाभान्वि करेगा। उस एग्रीमेंट को क्रियान्विन करने के बारे में यद्यपि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दोनों स्टेटस के चीफ मिनिस्टर्स की भी बैठक बुलाई थी, इरीगेशन मिनिस्टर्स की भी बैठक बुलाई थी, मेरा यह निवेदन है कि इस एग्रीमेंट के तहत हमारा काफी एरिया सिंचित हो जाएगी, डेजर्ट एरिया सिंचित हो जाएगा, यदि प्रधान मन्त्री जी दोनों स्टेटस के चीफ मिनिस्टर्स की एक मिटिंग बुलायें और चूंकि दोनों ही स्टेटस में इस समय कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए मैं समझता हूं दोनों मुख्य मंत्रियों के विचार-विमर्श से इस डिस्प्यूट को हल करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इस तरह जल्दी ही यह रेगिस्तानी क्षेत्र सिंचित हो सकेगा, इसकी 6.5 लाख एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी और हमें उसका काफी लाभ मिल सकेगा।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। पंजाब रि-ऑर्गेनाइझेशन एक्ट, 1960 लोक-सभा में एक्ट बना, उसके अन्तर्गत निर्णय हुआ कि रावी व्यास और सतलुज का पानी और उनके हैड-वर्क्स का इंतजाम भाखड़ा-व्यास मैनेजमैंट बोर्ड के जो हैड वर्क्स है—फिरोजपुर, हरीके तथा रूपड़ उनका कंट्रोल उसको नहीं दिया गया है, वह पंजाब गवर्नमैंट हमारी सिंचाई के पानी का हिस्सा बराबर नहीं देती है। मेरा निवेदन है कि फिरोजपुर, हरीके और रूपड़ का कंट्रोल भाखड़ा-व्यास मैनेजमैंट बोर्ड को दिया जाये।

बिजली के मामले में राजस्थान बहुत भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। सिंगरौली का जो हमारा हिस्सा है, वह हमें मई, 1984 से नहीं मिल रहा है। इससे 9.6 लाख पर-यूनिट का हमें बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। स्थिति यह है कि हम बिजली के संकट में हैं, हमें जो सिंगरौली का हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है, वह मिलना चाहिये ?

सिंगरौली में जो सैंट्रेल रिजर्व में आपका हिस्सा है, उस रिजर्व में से हमें बिजली दी जाये ताकि हम इस संकट को दूर कर सकें।

हमारा एटामिक पावर प्लान्ट नं० 13 वर्षों से खराब था, वह अभी ठीक हुआ है।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

दूसरा एटामिक पावर प्लांट सितम्बर, 1984 से खराब चल रहा है। महीने में 20 दिन आउटेज होता है और 10 दिन काम ठीक रहता है। इन दोनों प्लांटों को ठीक कराया जाये ताकि बिजली की स्थिति में सुधार हो सके।

सतपुरा में जो हमारा हिस्सा है, वह भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। वहां से भी बिजली का हिस्सा हमें प्राप्त होना चाहिए।

सिंचाई के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है, उसमें हमारा 20 परसेंट क्षेत्र ही सिंचाई से लाभान्वित हो रहा है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने 20-सूत्री कार्यक्रम हाथ में लिये हैं और हम इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान नहर जो कि रेगिस्तानी नहर है, 7 वीं पंचसाला योजना में विशेष सहायता देकर इसे कम्पलीट कराना है। जो इन-कम्पलीट वर्क्स हैं, सातवीं योजना में उनको प्रायर्टी देकर काम करना है ताकि यह कैनाल कंपलीट हो सके और हमारे इन क्षेत्रों की तरक्की हो सके।

इन शब्दों के सिंचाई और बिजली की मांगों को मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : सभापति महदोय, आप इस बात से सहमत होने कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग है और 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और कृषि को दी खाद्य उपलब्ध कराना होता है और उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति करनी होती है। वास्तव में रूई, जूट गन्ना, मूंगफली आदि और अन्य अनेक वस्तुएं कृषि क्षेत्र से आती हैं और इन वस्तुओं बिना के उद्योग जीवित नहीं रह सकते। समृद्ध नहीं हो सकते। कृषि के विकास और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सिंचाई सुनिश्चित करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में लागत लाभ अनुपात उत्साहजनक है। 120 वर्ष पूर्व भी सर आर्थर काटन ब्रिटिश सरकार को इसबात से सहमत करा सके थे कि सिंचाई में निवेश करना एकदम लाभकारी प्रस्ताव रहेगा। जिस समय वे हमारे देश पर शासन कर रहे थे तब वह गोदावरी एनीकर, कृष्णा एनीकर शुरू करने में सफल हुए थे और मात्र तीन वर्षों के समय में वह गोदावरी नदी पर राजामुंद्री में एक बड़ा एनीकर पूरा कर सके थे। लेकिन, दुर्भाग्यवश से इस समय समस्त आननिक प्रौद्योगिकी और परिवहन उपकरणों के साथ जो कि हमारे नियंत्रण में है। हमें सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में दस वर्ष पन्द्रह वर्षों में कुछ मामलों में बीस वर्ष भी लग रहे हैं। यह अत्यंत खेद जनक स्थिति है। जब हम अन्ततोगत्वा 113 मिलियन हेक्टयर सिंचाई क्षमता का उपयोग कर सकते

हैं वहां अब तक केवल 68 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता अब तक निर्मित की गई है और उसमें से भी 22.6 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता हमारी योजनाएं प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यमान थी। इसका अर्थ है कि हम अपनी सिंचाई क्षमता में केवल दो गुणा वृद्धि कर सके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि हमारी जनसंख्या दुगनी से भी अधिक हो गई है। योजना आवंटनों में सिंचाई को उसका उचित हिस्सा नहीं दिया गया। वास्तव में दूसरी पंचवर्षीय योजना से अब तक सिंचाई के लिए किये गए आवंटन में काफी कमी आयी है। जबकि पहली योजना में सिंचाई और विद्युत हेतु आवंटन 22 प्रतिशत के लगभग था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह आवंटन केवल 9.2 प्रतिशत था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल 7.8 प्रतिशत था और वार्षिक योजनाओं में 7.1 प्रतिशत था। चौथी और पांचवीं, पंचवर्षीय योजनाओं में यह क्रमशः 8 : 1 प्रतिशत और 9 : 4 प्रतिशत था। अब हमारी सरकार यह कहती है कि उसने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12,758 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लेकिन इसमें आवंटन का कितना भाग है ? कुल 1,10,000 करोड़ रुपये में से परिव्यय कितना है ? यह केवल 10.8 प्रतिशत के लगभग बैठता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सारी बातें उसी दिशा में नहीं चल सकतीं जिस दिशा में अब तक चली आ रही थीं। इसमें निश्चिय ही परिवर्तन होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की झूठी प्रतिष्ठा बाधक नहीं होनी चाहिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि इस समय तैयार की जा रही है, यह आवंटन अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए। सैकड़ों परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इन चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और छोटी सिंचाई योजनाओं को पहली प्रथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इनको न्यूनतम संसाधनों से यथा सम्भव कम समय में पूरा किया जा सकता है और इसके परिणाम किसानों तथा देश के हित में होंगे और हम लाखों टन खाद्यान्न भंडार तथा अपने उद्योगों के लिये आवश्यक अन्य कृषि सम्बद्ध कच्चे माल का उत्पादन कर सकेंगे।

ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जा सकता है। और सरकार को इस बारे में सभी प्रचार करना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पर्याप्त आर्थिक सज सहायता दी जा रही है और इस अपेक्षाकृत अधिक आवंटन से इन प्रणालियों से हमें अपनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी और जल की समिति मात्रा से हम अपेक्षाकृत अधिक एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत ला सकेंगे।

पर्यावरण और वन विभाग सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधक बन रहा है। इस पर सरकार ने उस समय मौन धारण किए रही जब वन भूमि का कटाव हो रहा था और उन पर बड़े जमींदारों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया। इन सब वर्षों में वे चुप रही। अब अचानक उन्हें ध्यान आया है और वे इन परियोजनाओं के रास्ते में आ रहे हैं। उक्त विभाग अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा है और उसके कारण कई राज्यों में अनेकों सिंचाई परियोजनाओं को बाधा पहुंच रही है। उदाहरण के रूप में मैं आन्ध्र प्रदेश की तेलुगू गंगा परियोयना को उद्धृत करूंगा जिससे कि खासतौर पर बार-बार सूखे से प्रभावित होने वाले

[श्री सोमनाद्रीसवरा राव[

रायल सीमा क्षेत्र को सहायता मिलेगी। प्रत्येक पांच साला अवधि में वहां तीन वर्ष सूखा पड़ता है। सभापति महोदय, आप रायल सीमा के ठीक दूसरी ओर हैं और आप वहा की समस्या की गंभीरता को समझती हैं। हाल ही में, एक केन्द्रीय दल ने उस स्थान का दौरा किया है और मैं सरकार से इसे तत्काल स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

इसी तरह हमारे राज्य की एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना पोलावरम परियोजना है। क्योंकि पोलावरम राइट नहर के माध्यम से इस पोलावरम परियोजना से लगभग 80 प्रतिशत टी०एस० सी० जल कृष्णा नदी में लाया जा सकता है अर्थात् पानी को गोदावरी नदी से कृष्णा नदी की ओर मोड़ा जा सकता है। कृष्णा नदी की जल क्षमता का पहले ही महराष्ट्र और कर्नाटक में उपयोग किया जाता है। सम्भावना केवल गोदावरी नदी में हैं और इसके 80 टी० एम० सी० जल को कृष्णा नदी की ओर मोड़कर हम इसका कर्नाटक और महाराष्ट्र के जल-आवश्यकता वाले क्षेत्रों में लगभग 35 टी० एम०सी० तक का उपयोग कर सकते हैं। और 45 टी० एम०मी० जल तो हमारे रायल सीमा क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए मैं इसे यथा सम्भव शीघ्र स्वीकृत करने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं।

पहले से ही स्थापित सिचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाने चाहिएं। अनेक माललों में बांध का निर्माण कर दिया जाता है और फील्ड चेनलों की खुदाई पूरी न होने के कारण पानी को खेतों में नहीं ले जाया जा सकता। मैं एक उदाहरण दूंगा जहां मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 7900 हैक्टेयर भूमि की सिचाई नहीं की जा सकी अर्थात् इन पर्यावरण और वन विभागों द्वारा ककारला बड़ी नहर तथा अन्य छोटी नहरों का निर्माण किया जा रहा है मैं इसके लिए मंत्री महोदय को अर्द्ध शासकीय पत्र भेजूंगा। मैं इस सम्बन्ध में समय नहीं लूंग क्योंकि समय पहले ही सीमित है।

अब मैं बाराबंदी प्रणाली के बारे में बोलूंगा। यह एक अत्यन्त अच्छी बात है। इसके सफलतापूर्ण कार्यान्वियन से अपेक्षाकृत अधिक एकड़ क्षेत्र में पानी पहुंचाया जा सकेगा।

मैं सरकार से गंगा कावेरी लिंक परियोजना शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूं। सरकार का इसे एक गौरवपूर्ण योजना के रूप में शुरु करना चाहिए। चीन और रुस में इस तरह की योजनाएं शुरु की थीं और उन्हें युवकों को प्रेरित करके कार्यान्वित किया गया था। हमारे युवा प्रधान मंत्री भी युवकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और वे लाखों बेरोजगार युवकों को इसमें शामिल कर सकते हैं और इस योजना में रोजगार दे सकते हैं और गंगा तथा कावेरी को जोड़ सकते हैं। इससे आप कई राज्यों की सिचाइ तथा खाद्य समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

गंगा ईश्वरीय देन है इस नदी में बारह महीने पानी रहता है । इसमे कई राज्यों की अर्थात् लाखों गांवों की पेयजल अवश्यकताएं एक बहुत बड़ी सीमा तक पूरी हो जाएंगी ।

अब मैं बंसधारा के दूसरे चरण के बारे में बोलना चाहूंगा । इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमन्त्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है । इसी तरह बहुउद्देश्णीय श्याम पल्ली परियोजना है जिसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री को पहल करनी चाहिए और इस समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए ।

सोमाशिला परियोजना के लिए भी सरकार द्वारा सहायता की जानी चाहिए । कृष्णा नदी की 120 वर्ष पुरानी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक योजना है । जिसमें आयकट क्षेत्र का दस लाख एकड़ क्षेत्र आता है । परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली गयी है और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए ।

विद्युत के बारे में मेरा कहना है कि इसकी योजना बनाने वाले असफल रहे हैं । गलत योजना और विद्युत के अभाव के कारण —मुझे इसको दोहराने की आवश्कता नही है— अनेक राज्यों में इस समय 10 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तक बिजली की कटौती की जा रही है । इसके कारण सैकड़ों करोड़ रुपये का उत्पादन नहीं हो रहा है और लोगों को ऐसी आधारभूत वस्तुओं से वंचित किया जा रहा है जिनको उत्पादन बिजली उपलब्ध कराने से किया जा सकता है । संस्थापित क्षमता अधिक है । और हम इसका केवल 50 प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जहां कोयला-क्षेत्र हैं उनसे दूर आप उच्च बिजली घरों की स्थापना क्यों करते हैं ? कोयले की ढुलाई एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इसकी ढुलाई अपर्याप्त मात्रा में होती है । इसका रेलवे पर दबाव पड़ रहा है और रेलवे द्वारा आवश्यक वैगन उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं । पिछले बजट में भी वे वैगनों के लिये आवश्यक धनराशि का केवल 20 प्रतिशत ही उपलब्ध करा सके ।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि मानुगुरु उच्च तापीय बिजलीघर की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि यह कोयला क्षेत्र के मुंहाने पर है और वहां उसे कोयला की स्वतः ही सप्लाई हो जाएगी ।

इसी प्रकार पन बिजली का मामला है । बिजली उत्पादन का यह सस्ता तरीका है । मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं । हमारी श्री सेलम पन बिजली परियोजना में चार यूनिटें चल रही हैं । और केवल सात महीने में इसने हमारे विद्युत बोर्ड को 100 करोड़ रुपये का राजस्व दिया है । सरकार से मेरा अनुरोध है कि मानसून के मौसम के दौरान, जब पानी फालतू होता है, यदि

[श्री सोमनाद्रीसवरा राव]

सरकार अतिरिक्त टरबाइन उपलब्ध कराये तो हम अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो अन्य राज्यों को भी अपनी फालतू बिजली दे सकते हैं।

इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा के बारे में स्थल चयन समिति ने नागार्जुन सागर बांध के निकट स्थल की सिफारिश की है। वह एक बहुत ही उचित स्थान है और मेरी सूचना के अनुसार समिति ने वहां 500 मेगावाट का बिजली घर स्थापित करने की सिफारिश की है। मेरा अनुरोध है कि वहां 500 मेगावाट का बिजली घर स्थापित किया जाये क्योंकि यह बहुत ही उपयुक्त स्थान है।

जहां उच्च ताप बिजली के घरों कार्य निष्पादन में सुधार करने का प्रश्न है मुझे प्रसन्नता है कि इनके आधुनिकीकरण और नवीकरण की एक योजना बनाई है। काठगोदाम उच्च ताप बिजली घर के साथ किये गये अन्याय के बारे में मैंने सदन का ध्यान एक विशेष प्रस्ताव के जरिये आकर्षित किया है। इसके बारे में मैंने जो कुछ कहा है मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी तरफ से पक्षपात रहित होना चाहिए और इस उच्च ताप बिजलीघर के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए धन देने से इन्कार नहीं करना चाहिए। वास्तव में हम इस समय राउरकेला जैसे दूरवर्ती स्थानों को भी बिजली दे रहे हैं।

श्री अरुण नेहरू : क्या आप उन्हें बिजली दे रहे हैं।

व्यवधान

श्री सोमनाद्रीसवरा राव : कुछ विद्युत संयंत्रों को आप ज्यादा दे रहे हैं और कुछ को कम जो कि न्यायोचित नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसे ठीक किया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्ष बाद और स्वशासन के बावजूद भी हम केवल 5? प्रतिशत गांवों को बिजली दे पाए हैं। शहरों में बिना किसी रुकावट के बिजली की सप्लाई की जाती है परन्तु गांवों की अधिक अनदेखी की जा रही है। सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि ग्रामीण लोग अब अपनी मांगों के बारे में अधिक जागृत हैं और वे अपनी मांगों के लिए जोर दे रहे हैं। वे इसे सहन नहीं करेंगे। वर्ष 1984-85 का लक्ष्य 23,105 गांव था परन्तु उपलब्धि केवल 13,2?1 गांव है। सरकार से अनुरोध है कि गांवों के साथ किए जा रहे इस अन्याय को बन्द करे और यह महसूस करे कि वहां रहने वाले लोग भी आखिर इन्सान हैं। जब शहरों में हम सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं—आप शहरों को सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं—तो आप गांवों को न्यूनतम सुविधाएं भी देने से क्यों इन्कार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

बिजली की दरें एक समान होनी चाहिएं और सरकार को राजाधाट समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : मैं इरीगेशन, पावर पर जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सही बात है कि हर पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की सुविधायें बढ़ी है। नलकूपों से बढ़ी है, नहर से बढ़ी है। दिल्ली में सिंचाई जोहड़ों से होती है, नहर से होती है और नलकूपों से भी होती है। नदरों का बांध बांधकर भी सिंचाई होती है।

जब से बैंक नेशनेलाइज हुए हैं तब से किसानों ने बैंकों की मदद से काफी ट्यूबवेल लगाये हैं। इन ट्यूबवेलों से भी सिंचाई बढ़ी है।

मैं कहूंगा कि दिल्ली में जिन हरिजनों और भूमिहीनों के पास जमीन नहीं थी उनको बीस सूत्री कार्यक्रम में जमीन दी गई। एक-एक एकड़ में चूंकि गरीब आदमी ट्यूबवेल नहीं लगा सकते इसलिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए सरकारी ट्यूबवेल लगाये गये और इस तरह से जगह-जगह सिंचाई बढ़ाई गई।

सरकारी ट्यूबवेल काफी मिकदार में लगाये गये हैं लेकिन उनमें कोई-कोई ट्यूबवेल खराब रहता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे उनको ठीक कराएं ताकि गरीब लोग भी सिंचाई कर सकें और खेती की पैदावार को बढ़ा सकें।

पहले हरियाणा से नहर का पानी दिल्ली में आता था। वह आजकल बहुत कम आता है जिससे सिंचाई कम हो गयी है। पानी कम आने से किसानों ने अपने-अपने ट्यूबवेल लगाये हैं। लेकिन उन ट्यूबवेलों के लिए पावर की दिक्कत है। उन ट्यूबवेलों को जल्दी से जल्दी पावर मिलनी चाहिए जिससे कि वे सिंचाई कर के पैदावार बढ़ा सकें।

आपको पता है कि पहले बिजली के कनेक्शन थे। अब ट्यूबवेल लग गये हैं। देहात में हर जगह एक-एक, दो-दो ट्यूबवेल लगे हुए हैं। बिजली थोड़ी सी देर में मिलती है। उसके लिए किसान को 15-20 रोज तक चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए उसको पावर मिलनी चाहिए। जितनी जल्दी पावर मिलेगी, उतनी ज्यादा सिंचाई होगी और ज्यादा सिंचाई होगी तो खेती की

5.00 म. प.

पैदावार बढ़ेगी। बीस सूत्री कार्यक्रम में ढाई एकड़ तक के किसान को ट्यूबवेल लगाने में हर तरह से मदद मिलती है और बीज तथा खाद आदि में भी मदद मिलती है, मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस सीमा को बढ़ाकर 5 एकड़ कर देना चाहिए, जिससे दिल्ली देहात के किसानों को फायदा हो सके।

सभापति महोदय, अभी एक सप्लीमेंट्री ड्रेन जो दिल्ली से निकाल रहे हैं, उससे किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान होगा। उससे काफी जमीन बेकार हो जायगी और कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस सप्लीमेंट्री ड्रेन की योजना को शुरू न किया जाए।

[श्री भरत सिंह]

इस पैसे को किसी और अच्छे सिंचाई के काम में लगाया जाए, जिससे प्रत्येक किसान को फायदा हो सके। सप्लीमेंट्री ड्रेन कई करोड़ों का काम है और उसके बनने से किसान एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकेंगे। इसलिए उससे काफी नुकसान होगा। उस पानी को झील से ऊंचे पर ले जा रहे हैं, अगर वह बीच से टूट गया तो सारे दिल्ली के देहात में तबाही हो जाएगी और फ्लड आ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस पैसे को किसी सिंचाई के और काम में लगा दिया जाए, जिससे हर जगह सिंचाई उपलब्ध हो सके और दिल्ली को फायदा हो। अभी दिल्ली के आसपास ज्यादा सिंचाई होती है और लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बाकी असिंचित जमीन है, उसको भी अगर सिंचित कर दिया जाए तो उससे काफी फायदा होगा। जो किसान सब्जी पैदा करते हैं, उनके पास कोई ज्यादा जमीन नहीं है और सप्लीमेंट्री ड्रेन से उनको फायदा नहीं होगा। किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन चाहे मकान, सड़क के लिए चाहे ले ली जाए, लेकिन ड्रेन से कोई फायदा नहीं होगा। उसके ऊपर कोई ब्रिज भी नहीं बनेगा, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

5.03 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय, बिजली और सिंचाई पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बात सही है कि बिजली और सिंचाई देश की तरक्की के लिए बहुत ही आवश्यक है और 1980 में जनता शासन के बाद जिस जरजर अर्थव्यवस्था को हमारी पार्टी ने सत्तारूढ़ होने के बाद प्राप्त किया, उसमें हमने इस कीसेक्टर में ज्यादा खर्चा किया। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि छटी पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य रखे गए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि शुरू में 19666 मेगावाट की योजना रखी गई थी, लेकिन फिर मध्यकालीन मूल्यांकन के समय इसको 14500 मेगावाट कर दिया गया, जिसको हम लोग एचीव करने जा रहे हैं। इसलिए यह कहना कि एचोवमेंट नहीं हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितना बिजली इन पांच वर्षों में बनी, वह पिछली उपलब्धता से दुगनी है। इसलिए मैं मन्त्रालय के अधिकारियों और मन्त्रिगणों को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं और खासकर जो सेंट्रल सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी है, इसने जो काम किया है देश में, खासकर परियोजनायें तैयार करने में, वह बहुत खुशी की बात है। आज हमको इन्होंने बहुत सी परियोजनाओं को टेक्नीकली एग्जामिन करके दिया है, जिनको हमें शुरू करना चाहिए। यही नहीं इसे हिमालयन रेंज में, जो अभी बात हो रही थी, चाहे माइक्रो हो, स्माल हो, हर किस्म की, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, उन्होंने करीब 2000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टस हैं, इनको सेंट्रल सेक्टर में ले और एन. एच. पी.

सी. से कहें कि जो राज्य संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर है, उत्तरप्रदेश है, बिहार, वेस्ट बंगाल है, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको सेन्ट्रल सेक्टर मिलना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 'स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। इसका कारण यह है कि स्टेट गवर्नमेंटस अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है फाइनेंस और स्पेयर पार्टस का इन्तजाम भी नहीं हो पा रहा है और जो कोल मिलता है उसमें एश-कण्टेंट चालीस परसेंट से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात लेबर मैनेजमेंट की है। सारी जगहों पर अनुशासनहीनता फैली हुई है। उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंटस को इस बारे में कदम उठाने चाहिए। वेस्ट बंगाल की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी ने जो एडवाइज दी है, उसको उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया है।······ (व्यवधान) आज स्थिति यह है कि अनुशासनहीनता तो है ही। मैं, मन्त्री जी से मांग करना चाहता हूं कि पावर इन्जीनियर्स का एक कैडर हिंदुस्तान में बनाइए। एन०टी०पी०सी० और डी०वी०सी० का उत्पादन अच्छा है। उन्होंने एक सिस्टम इवाल्व किया है जिससे अनुसार वे इन्जीनियर्स जूनियर इंजीनियर्स और दूसरे स्टाफ को वेतन देते हैं। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में संशोधन कीजिए और ऐसी परिषदों को सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी को सुपुर्द कीजिए। जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनका प्रबन्ध सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी को दे दिया जाए। कई राज्यों को रूरल इलैक्ट्रिपिकेशन के लिए आपने पैसा दिया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। किसी और जगह पर उसका प्रयोग कर दिया जाता है। उसका फायदा जो गांव में मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कई प्रोजेक्टस हैं जैसे अनपरा का प्रोजेक्ट है। जापान से समझौता हो गया है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी के अनुसार अनपरा का बायलर लग गया है। मुझे पता लगा है कि अभी दो वर्ष लगेंगे। खड़िया प्रोजेक्ट भी १स साल सैंक्शन हुआ है। जहां से कोल-लिंकेज है, उस परियोजना का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इस तरह से आपस में को-आर्डिनेशन न होने से काफी दिक्कत हो रही है। स्टेट गवर्नमेंटस को यह कह दिया कि जो पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनायें ली गई थी, उनको पहले पूरा किया जाए। जब तक वह पूरी नहीं होगी तब तक नयी योजनाओं के लिए पैसा नहीं मिलेगा। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने मेरे जनपद जो कि ड्राट-प्रोन एरिया है, का दौरा किया था। सोन लिफ्ट, बखहर बेलन तथा कई परियोजनाओं मुख्यमन्त्री जी द्वारा शिलान्यास भी किया गया है। कई स्कीम्स वहां पर चालू हैं। कई योजनाओं में 75 प्रतिशत खर्च भी हो चुका है। उनका काम बन्द कर दिया गया है जब तक वह योजनायें पूरी न हो तब तक नयी योजनाओं के लिए पैसा न दिया जाए इरीगेशन में जो कमाण्ड एरिया है, वह क्रियेट नहीं कर रहे हैं। कमाण्ड एरिया के पास ट्यूबवेल और बंधा बना लिए है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कमाण्ड एरिया तैयार करें। गुले खराब हैं, ट्रांसफारमर्स भी नहीं है और बिजली जो समय से मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पा रही है। छोटे-मोटे कामों से इरीगेशन की सुविधाए बढ़ सकती हैं। जो हमारे एन० टी० पी० सी० के प्रोजेक्टस हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि और जो बड़े-बड़े प्रोजेक्टस आ रहे हैं, उनका निर्माण भी एन० टी० पी० सी० के द्वारा ही कराया जाए। लेकिन इसमें जहां आप जमीन

[श्री राम प्यारे पनिका]

लेते हैं, वहीं आपको थोड़ा सा ध्यान वहां के लोकल आदमियों की तरफ भी देना होगा । हमारे क्षेत्र में एन० टी० पी० सी० के दो प्रोजैक्ट आये और हमने बड़ी सहूलियत से उनको जमीन दिलवा दी जब कि दूसरी, स्टेटस में जमीन नहीं मिल पाती । आपने जो इस विषय में एक एकड़ की सीमा नौकरी देने के लिए रखी है, तो उसमें हरिजन और ट्राइबल्स कहां जाएं क्योंकि उनके पास तो इतनी जमीनें होती नहीं हैं । जो कुछ होती हैं यदि वे प्रोजैक्ट में चली जायें तो उनको कैसे नौकरी मिलपाएगी । इसके अतिरिक्त वहां जो दुकानें बन रही हैं, अन्य कार्य-क्रम बन रहे हैं, मेरे सारे प्रयासों के बावजूद एन● टी० पी० सी● के अधिकारी न जाने क्यों कोई रुचि ही नहीं लेते कि लोकल आदमियों को वे दुकानें दी जायें या दूसरे कार्यक्रमों में उनको शामिल किया जाए, उन्हें और कोई धंधा दिया जाए बल्कि वे कुछ वेस्टिड इंटरैस्टस का ही साथ देते हैं ···(व्यवधान) इसलिये आज एन० टी० पी० सी० के कारण वहां जिस तरह का वातावरण बन गया है, उसमें यह जरूरी है कि हर स्टैप हमें सोच समझकर उठाना चाहिये। (घण्टी) मान्यवर, अभी तो मुझे कुछ और निवेदन करना है, मैं तो बहुत अच्छे सुझाव देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों का सहर्ष समर्थन करता हूं । महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के तेजी से विकास से इसका सीधा संबंध है । मैं मंत्रालय और मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सिंचाई और विद्युत क्षेत्र में इतने अधिक कार्यक्रमों को लागू किया है यद्यपि, स्वतन्त्रता के बाद इन क्षेत्रों में काफी कुछ किया गया है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि तीव्र गति से प्रगति के बावजूद भी समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है । ब्रिटिश शासन के दौरान लार्ड कर्जन की यह भविष्यवाणी कि भारतीय कृषि मानसून के मौसम में एक जुआ है, अभी तक जुआ ही बना हुआ है । हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की खुशहाली कृषि क्षेत्र में प्रगति पर निर्भर करती है । स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में हम पूरे देश में केवल 25 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई करने में ही सफल हो पाए हैं । ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं । परन्तु उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में देश में होने वाली 26 या 27 प्रतिशत सिंचाई की तुलना में केवल 19 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई होती है । उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में सिंचाई का प्रतिशत 20 है । ये आंकड़े वर्ष 1980 के हैं । इन चार-पांच वर्षों में इस प्रतिशत में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है । मैं समझता हूं कि उड़ीसा में सिंचाई का प्रतिशत 26 तक हो गई है जबकि राष्ट्रीय आंकड़े 30 प्रतिशत हैं । हमारा एक राष्ट्रीय उद्देश्य है कि 2000 ई० तक देश की पूरी कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई होनी चाहिए । अतः महोदय, कितना अन्तर है । यह अन्तर 15 वर्ष की अल्पावधि में कैसे पूरा होगा ? इसका मतलब है कि सिंचाई के क्षेत्र में हमें अपनी उपलब्धि, अपनी प्रगति को तेज करना होगा । अतः अब यह अनिवार्य हो गया है कि लघु सिंचाई और लिट सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त सभी प्रमुख नदियों पर बांध बनाने होंगे जिससे अनेक उद्देश्य पूरे हो जायेंगे । इन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से

सिंचाई होती है, बाढ़ पर नियन्त्रण होता है और बिजली भी उत्पन्न की जाती है। इस संदर्भ में मैं सिंचाई मन्त्री का ध्यान विशाल हीराकुण्ड बांध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि सर्वप्रथम बहुउद्देश्य बांध परियोजना है, जिसका शिलान्यास पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 में किया गया था और जिसका उद्घाटन पण्डित जी द्वारा वर्ष 1957 में किया गया था। इसका उपयोग करते हुए तीन दशक बीत चुके हैं परन्तु अब तक इसके आधुनिकीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जो कि समय की आवश्यकता है।

हीराकुंड कमान क्षेत्र विकास एजेंसी नामक एक संस्था है परन्तु मेरे विचार में यह निष्फल है क्योंकि पर्याप्त धन राशि के अभाव में यह कोई कार्य नहीं कर सकती। केवल कुछ अधिकारी हैं और उन्हें उनका वेतन दिया जा रहा है।

हीराकुंड बांध परियोजना जो कि विशेषकर देश के लिए और सामान्यतौर यह विश्व के लिए एक गौरव है, को खतरा पैदा हो गया है। इसमें तेजी से गाद जमा हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट 'अपस्ट्रीम' में एक बांध बनाया जा रहा है। मेरे विचार में इस परियोजना के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार से परामर्श नहीं किया गया है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस बांध के निर्माण का हीराकुंड बांध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बांध के निर्माण का विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु इस ढंग से योजना बनाई जानी चाहिए कि विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध परियोजना पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए।

अब मैं रंगली सिंचाई पद्धति के बारे में बोलना चाहता हूं। यद्यपि, प्रकृति ने उड़ीसा को प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन दिए है, फिर भी यह राज्य गरीब है। पूरे देश का 10 प्रतिशत जल बहकर उड़ीसा राज्य के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाता है। रंगली सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। स्वर्ण रेखा और अपर कोलाब परियोजनाओं के लिए भी बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। इन्द्रावती एक विश्व प्रायोजित परियोजना है। हमारे पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है परन्तु इस परियोजना को पूरा करने का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए। टेंडर आदि को अंतिम रूप देने में विलम्ब की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जानी चाहिए और इसके कार्य को तेजी से किया जाना चाहिए। इस परियोजना तथा सातवीं परियोजना में किए गए आबंटन के अतिरिक्त तीन परियोजनाओं—रंगली, स्वर्ण रेखा और अपर कोलाब के लिए 388 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उड़ीसा जैसे राज्य का पिछड़ापन दूर करने के लिए और अधिक सिंचाई सुविधाएं देनी पड़ेंगी।

अब मैं विद्युत के बारे में बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं कि विद्युत पिछड़ापन दूर करने तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को सुधारने का एक साधन है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य चीज है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

[श्री वल्लभ पाणिग्रही]

ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले उड़ीसा का दौरा किया था। इस समय देवगढ़, जिसके निकट रंगली बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है, का दौरा किया था। इस परियोजना से जिन लोगों को डूबने का खतरा है उन्होंने श्रीमती गांधी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वायदा किया था कि उनकी पुनर्वास की समस्याओं पर पूरी सहानुभूति से ध्यान दिया जायगा। परन्तु मुझ खेद है कि अभी तक वह नहीं हो पाया है। जब कोई बड़ी परियोजना प्रारम्भ होती है तब वहां निश्चय ही जलप्लावन और निवासित होने की समस्याए उत्पन्न होती हैं। अतः उनके पुनर्वास की समस्याओं पर मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं उच्च ताप विद्युत संयंत्रों की ओर आता हूं। उड़ीसा में आजकल विद्युत संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां लगभग 200 मेगावाट विद्युत की कमी है। अभी दो वर्ष पूर्व तक उड़ीसा आवश्यकता से अधिक विद्युत उत्पादन वाला राज्य था परन्तु अब क्योंकि वहां पर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है तो राज्य में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। यदि तलचर उच्च ताप विद्युत परियोजना और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जाए तो उड़ीसा में बिजली की कमी की कोई समस्या नहीं रह जायगी। हालांकि मेरे पास तलचर में उच्च ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना का औचित्य सिद्ध करने के लिए आंकड़े हैं परन्तु मेरे पास समय की कमी के कारण में उनको प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। मैं माननीय ऊर्जा मैं मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने तलचर परियोजना को मंजूरी देकर उसका कार्य, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपा है परन्तु निवेश के बारे में निर्णय न होने से इस मामले में अनिश्चितता बनी हुई है। उसमें जितना जल्दी संभव हो निवेश किया जाना है परन्तु इस विषय में योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय की ओर से अड़चनें डाली जा रही हैं। मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री के पूर्णतया सहमत हूं जिन्होंने पहले चर्चा के दौरान कहा था कि इस मामले में ऊर्जा मन्त्रालय ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग दोनों ने स्थिति पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया है। यह स्थिति है और इसलिए सारे सदन को योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय से सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय को धन आबंटित करने में उदारता बरतने कोकहना चाहिए क्योंकि सिंचाई के क्षेत्र में क्षमता उत्पन्न किए बिना और विद्युत के विकास के बिना भारत उन्नति नहीं कर सकता। और अब तो सभी कुछ सिंचाई और बिजली पर निर्भर है। जहां तक उड़ीसा का संबंध है, तलचर उच्च ताप विद्युत केन्द्र और इब ताप विद्युत संयंत्र की वहां स्थापना होनी चाहिए। इब विद्युत सयत्र के बारे मे उड़ीसा सरकार ने एक निगम की स्थापना की है और उसके लिए एक पूर्व उदाहरण भी है कि पश्चिम बंगाल में कोलाघाट में राज्य सरकार ने अपने संस्थागत वित्त से एक ताप विद्युत परियोजना स्थापित की है। इब ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में उड़ीसा को भी यह सुविधा उपलब्ध में कराई जानी चाहिए। सातवीं योजना में तलचर उच्च ताप विद्युत परियोजना के महत्व की समझते हुए उसका यह अवश्य कार्यान्वियन करना चाहिए।

(व्यवधान)

फिर सौर विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं. इस सदन में इस पर चर्चा हुई कि बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से हमें बढ़ते हुए पारिस्थितिकीय असंतुलन पर गहरी चिंता है और हमारी ईंधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और हम ईंधन की आवश्यकता पूर्ति में असफल रहे हैं। जैसा कि सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी में और अन्य यूरोपीय देशों में किया गया है हमें भी खाना पकाने के लिए ऊर्जा पर निर्भर रहना है। सौर ऊर्जा जो कि काफी मात्रा में उपलब्ध होगी उसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। परन्तु यह सामान्य लोगों की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। हमारे लोग बहुत गरीब हैं। जब तक वे उसकी अदायगी करने योग्य नहीं होंगे तब तक उन्हें उसका लाभ नहीं होगा और हम इस उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। अतः सौर उर्जा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इन शब्दों के साथ, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि सिंचाई और बिजली नीति इस प्रकार बनाई जाए कि इससे देश के सर्वतोमुखी विकास के अतिरिक्त क्षेत्रीय असंतुलन भी दूर हो और उड़ीसा के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

इस क्षेत्र में उचित और प्रभावी कार्य हेतु उड़ीसा में एक जल विज्ञान संबंधी और बाढ़ की पूर्वसूचना देने वाला केन्द्र भी खोला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चंगाराज को बुलाता हूं। अब श्री पाणिग्रही जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही वृत्तांत में शमिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

***श्री एस चंगाराज** (पेरम्बलूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1985-86 के लिए सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर के कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

जैसा कि आन्ध्र प्रदेश के मेरे माननीय मित्र ने कहा कि हमारे पास 113 मिलियन हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता है। 1951 के पश्चात के 33 वर्षों में हमने तब विद्यमान

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया।

*तमिल के दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री एस० थंगराज]

22.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के अलावा 45.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाए हैं। इस रफ्तार से हमें शेष 45 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए 33 वर्ष और लगेंगे। सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में असमान्य विलम्ब के कारण व्यय में वृद्धि हो जाती हैं। इस समय 16 राज्यों में 65 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वयना-धीन हैं। उन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उनमें से 50 सिचाई परियोजनाओं का एक विशेषज्ञ दल द्वारा दौरा किया गया है और इसने विलम्ब के कारण बताते हुए और इस प्रकार के विलम्ब से बचने के लिए सिफारिशें करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मेरा सुझाव है कि मन्त्री महोदय इन सिफारिशों पर ध्यान दें और इन यथाशीघ्र कार्यान्वयन करें ताकि सिंचाई परियोजनायें प्राक्कलित निवेश में ही पूरी हो जायें।

मैं अन्तर्राज्यीय नदी-जल विवादों के हल में विलम्ब की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इससे कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारी दिवंगत प्रधान-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बहुत समय पूर्व नर्मदा जल विवाद पर अपना फैसला दे दिया था। परन्तु अभी भी यह विवाद दोनों राज्यों के बीच सद्भाव पूर्वक हल नहीं हुआ है। कावेरी जल विवाद के हल में विलम्ब के कारण, होगेनेकल विद्युत परियोजना कार्यान्वित नहीं हो सकी है। यदि यह विद्युत परियोजना प्रारम्भ हो जाए तो तमिलनाडु का बिजली संकट दूर हो जाएगा। मैं इस अवसर पर मांग करता हूं कि हमारे देश की बारहमासी नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो भारत के संविधान में इस सम्बन्ध में संशोधन करना चाहिए। लंबित पड़े सभी अन्तर्राष्ट्रीय नदी-जल विवादों को हल करने का केवल यही एक तरीका है।

विद्युत के विषय में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार विद्युत के पारेषण और वितरण में 20.88 प्रतिशत की हानि होती है। आप मुझ से सहमत होंगे कि यह भारी अपव्यय है और इसे अवश्य कम किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री परिषण और वितरण में इस प्रकार के अपव्यय को कम करने के लिए उचित कदम उठायें।

महोदय, ताप विद्युत संयन्त्रों द्वारा 60 प्रतिशत, पन बिजली घरों द्वारा 35 प्रतिशत और परमाणु विद्युत केन्द्रों द्वारा 5 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन होता है। लेकि खेद की विषय है कि एक तिहाई ताप विद्युत केन्द्र पुराने पड़ गये हैं और उनकी मशीनें भी खराब हो गई हैं। जब तक उनका नवीकरण और आधुनिकीकरण नहीं किया जाता विद्युत उत्पादन में अड़चनें आती रहेंगी। मुझे खुशी है कि सरकार ने ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकी-करण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के कोयले में राख की मात्रा बहुत होती है और इसका ताप विद्युत केन्द्रों की मशीनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमारे पास इन मशीनों की मरम्मत के लिए कोई कार्यशाला (वर्कशाप) नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष मन्त्रालय ने ताप विद्युत केन्द्रों की मशीनों की मरम्मत के प्रयोजन से नागपुर में एक कार्यशाला स्थापित करने के लिए 5 करोड़

रुपए आवंटित किए हैं।

कोयले की घटिया किस्म, इसकी पूर्ति में विलम्ब और उसके बढ़ते हुए मूल्यों के कारण बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है। बार-बार काम रुकने के कारण उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के बारे में मुझे विस्तार के कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने आस्ट्रेलिया से है एक लाख टन अच्छी किस्म का कोयला आयात करने की अनुमति मांगी है जो कि सस्ता भी पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया से इस कोयले का आयात करने की अनुमति दे दी है और यह आयात किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने एक लाख टन अच्छी किस्म का कोयला आयात करने की अनुमति मांगी है। जो कि सस्ता भी मैं निवेदन करता हूं पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया से इस कोयले का आयात किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने एक लाख टन कोयला और आयात करने की अनुमति मांगी है। कि विद्युत के अधिक उत्पादन के हित में हमारे विद्युत में भी अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए तमिलनाडु को यह अनुमति दें।

हमें लगातार वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में काफी धन व्यय करना पड़ता है। हम उनके लिए धन व्यय कर पाने में असमर्थ हैं। केन्द्रीय सरकार को लघु पनबिजली परियोजनायें स्थापित करनी चाहिए जिनमें कम धन लगता है। चीन ने लघु पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से काफी विद्युत उत्पादन करने में सफलता पाई है। भारत सरकार को देश के विभिन्न भागों में लघु पनबिजली परियोजनायें स्थापित करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। इससे कम लागत में और कम समय में अधिक विद्युत उत्पादन के दो उद्देश्य पूरे होंगे।

में पुनः तमिलनाडु में लगातार बिजली की कमी की बात कहना चाहता हूं। बिजली की कमी के कारण कृषि उत्पादन और राज्य के औद्योगिक विकास में अड़चनें आती हैं। मैं चाहता हूं कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयन्त्र में होने वाले विद्युत उत्पादन की 6 प्लाई विशेष रूप से केवल तमिलनाडु को ही की जाए।

तूतीकोरन में केन्द्रीय सरकार का गुरू जल संयंत्र है। इस गुरु जल की परमाणु विद्युत के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तरीय समिति ने तूतीकोरन के निकट कूडानकुलम नामक स्थान को एक परमाणु विद्युत संयन्त्र की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान पाया है। इसी प्रकार धर्मपुरी जिले में अंजन्ती नामक स्थान भी परमाणु विद्युत सयन्त्र की स्थापना हेतु उपयुक्त पाया गया है। मैं माननीय विद्युत मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करके इन दोनों में से किसी एक स्थान पर परमाणु विद्युत संयन्त्र की स्थापना करें इससे तमिलनाडु के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। हमारे देश में लगभग 5.6 लाख गांव हैं। 50 प्रतिशत गांवों में विद्युतिकरण हो गया है।

यदि बाकी बचे 50 प्रतिशत गांव का विद्युतीकरण किया जाना है तो देश भर वापो-गेस

[श्री एस० थंगराज]

संयन्त्र लगाए जाने चाहिएं। बायो-गैस संयन्त्रों में माध्यम से हम विद्युत उत्पादन कर पायेंगे और देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण होगा और कृषि कार्यों के लिए भी बिजली की सप्लाई हो सकेगी।

औद्योगिक कार्यों की सहायता के लिए हमारे यहां केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में वित्तीय संस्थान हैं। फिल्मों के लिए भी फिल्म वित्त निगम है। कृषि कार्यों की सहायता के लिये हमारे यहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। दुर्भाग्य से विद्युत क्षेत्र के लिए, जिसके बिना औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी कार्य रुक जायेंगे, कोई भी वित्तीय संस्थान नहीं हैं, मेरा सुझाव है कि भविष्य में एक विद्युत वित्त निगम का गठन किया जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की यह काफी लम्बे अर्से से लम्बित पड़ी मांग हैं। मैं चाहती हूं कि मन्त्री महोदय, चर्चा के अपने जवाब में विद्युत वित्त निगम के गठन की घोषणा करें।

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में हर वर्ष दो सूखा पड़ता है। तिरुनलवेली जिले भी पर्वत श्रृंखला से कई नदियां निकलती है जो केरल राज्य से होती हुई अरब सागर में जा मिलती हैं। केरल द्वारा इस जल का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि केरल में पर्याप्त जल उपलब्ध है। यदि तिरुनेलवेली जिले के कुछ भागों और रामनाथपुरम जिले में हर वर्ष पड़ने वाले सूखे को समाप्त करना है तो उसका यही हल है कि पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदियों के पानी को पूर्व की ओर जोड़ा जाए। 1972 के सिंचाई आयोग ने भी पश्चिम की ओर बेकार बह कर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल को इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी। मैं सिंचाई मन्त्री से अनुरोध करता हूं वह इस मामले पर विचार करें तथा तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के लोगों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[हिन्दी]

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : उपाध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग की मांगों पर बोलने के लिए जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार मानता हूं।

उपाध्यक्ष जी, छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में 68 मिलियन हेक्टेअर में अब सिंचाई की व्यवस्था है। सन दो हजार तक पूरे देश में 113 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई व्यवस्था करने का हमने लक्ष्य बनाया है।

सन 1980 के बाद से, बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई का इतना अधिक काम हुआ है जितना कि पहली पांच योजनाओं में नहीं हुआ था। अकेले छठी योजना में सिंचाई का इतना काम हुआ है कि जितना पांच योजनाओं में नहीं हुआ था।

अब मैं महाराष्ट्र राज्य की सिंचाई योजनाओं की तरफ आता हूं। वहां ऐसी कई योज-

नाएं हैं जो कि केन्द्रीय जल आयोग के पास वर्षों से मंजूरी के लिए पड़ी हुई हैं। उदाहरणात गोभी खुर्दबा बन पड़ी। ये योजनायें केन्द्रीय जल आयोग और प्लानिंग कमीशन के पास वर्षों से मंजूरी के लिए पड़ी हैं। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करता हू कि वे इन योजनाओं पर ध्यान दें जिससे कि ये योजनायें चालू होकर शीघ्र पूरी हो सकें।

उपाध्यक्ष जी बावनगढ़ी एक अन्तर्राज्यीय योजना है। इस योजना के बारे में मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 1974 में एग्रीमेंट हुआ था उस पर काम चालू होना था। लेकिन वह चालू नहीं हुआ। लेकिन बाद में बीच जनता पार्टी की सरकार के आने की वजह से वह काम आगे नहीं बढ़ सका। 1980 के बाद फिर से उस पर काम शुरू हुआ है। आगे नहरों का काम दोनों राज्य अपना-अपना करेंगे और बांध का काम मध्य प्रदेश सरकार को करना था। नहरों का काम दोनों राज्यों ने शुरू किया था, बांध के काम को मध्य प्रदेश सरकार को चालू रखना था। फारेस्ट अमेंडमेंट बिल लागू होने की वजह से इस योजना का काम रोक दिया गया। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बिना जंगल डुबाए हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो सकती, जैसा कि हमारे भाई मुत्तेमवार ने भी बताया, विदर्भ में बिना जंगल डुबाए सिंचाई योजनाएं पूरा नहीं हो सकतीं। वहां पर यदि 33 प्रतिशत जंगल की बात कहेंगे तो भण्डारा, चन्द्रपुर और गढ़चिरोली जिले ऐसे हैं जहां पर आधे से ज्यादा जंगल हैं। जब दूसरे कामों के लिए जंगल काटे जाते हैं तो सिंचाई के कामों के लिए इसमें रुकावट डाली जाती है, यह समझ में नहीं आता, जबकि सिंचाई की वजह से उत्पादन बढ़ता है। आपने देखा होगा कि 1980 तक और 1984 तक जो भी देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है, वह सिंचाई की वजह से ही बढ़ा है। पहले हम दूसरे देशों से अनाज मंगाकर खाते थे, आज सिंचाई योजनाएं पूरा होने की वजह से और जल्दी पूरी होने की वजह से हमको अनाज का आयात नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं समझता हूं कि 113 मिलियन हैक्टर का जो हमारा लक्ष्य है, उसको अगर हम पूरा करें तो हम दूसरे देशों को भी अनाज का निर्यात कर सकते हैं। बावनथड़ी योजना पर 1974 में काम शुरु हुआ था, लेकिन 1980 में फारेस्ट अमेंडमेंट बिल आने की वजह से यह काम रुक गया। मध्यप्रदेश की तरफ का बांध की जगह का जंगल कट गया था, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ का नहीं कटा था, जिसकी वजह से उस योजना का काम बन्द पड़ा हुआ है। जब योजना का सर्वे हुआ था उस वक्त यह 12 करोड़ की थी, जब काम शुरू हुआ, उस वक्त की 37 करोड़ की हो गई। इसकी लागत बढ़ती जा रही है और आज यह योजना सौ करोड़ से भी ऊपर की हो चुकी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह आम बात है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी यही समस्या उठ खड़ी हुई है। कई सिंचाई परियोजनायें मंजूरी के इन्तजार में पड़ी है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय को यह बात नोट करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री केशव राव पारधी : मैं प्रार्थना करूंगा कि सिंचाई योजनाओं को जंगल विभाग की

[श्री केशव राव पारधी]

ओर से छूट दी जानी चाहिए। भण्डारा जिले में बहुत छोटे-छोटे तालाब थे, नदियां है बैन गंगा नदी है, व्यास नदी है, सावनथड़ी नदी है। ऐसी बड़ी-बड़ी नदियां हैं जो मध्यप्रदेश से आती हैं और यहां पर बहकर चली जाती हैं। बावनथड़ी योजना का पानी सूखाग्रस्त इलाके के किसानों को मिलने वाला था, इसलिए इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। मैं केन्द्र सरकार से और वन विभाग से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य को जल्दी पूरा किया जाए। सिंचाई और विद्युतीकरण के लिए जो पैसा दिया गया है छटी पंचवर्षीय योजना में और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में, उसके बारे में प्लानिंग कमीशन से और माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसमें इस विभाग को ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। उत्पादन की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, खेती और उद्योग की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। इसी के जरिए हम तरक्की कर सकते हैं और आज तक भी देश ने जो तरक्की की है वह इसी की वजह से की है। इसलिए सिंचाई और बिजली के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध कराना चाहिए। यह मेरी सरकार से प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली जो किसानों को दी जाती थी, एक समय था कि बिजली बहुत कम दी जाती थी, आज भी कम है, लेकिन जो भी बिजली दी जाती है वह अनियमित रूप से दी जाती है। इससे किसानों को परेशानी होती है। मेरी प्रार्थना है कि किसानों को नियमित बिजली दी जाए। मन्त्री जी ने बताया कि राज्य सरकारों के इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसे इलेक्ट्रीसिटी बोर्डस को केन्द्र सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सिंचाई योजनाओं को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए, इससे पैसा कम देने से काम समय पर होता नहीं है और देर होने से लागत बढ़ जाती है। उसको जब पूरा करना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए की लागत बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण से इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अगर विश्व बैंक से भी कर्जा लेना पड़े तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर इनको जल्दी से पूरा करना चाहिए। इसी तरह से जंगल विभाग की बात भी मैं कहना चाहूंगा। हमारे जिले में बन्दरखुहा, बेवर टोला, सातबहनी, सुन्दरी, इस्टर्नबाग, रानीडोह सोनकुंड और काला माटी आदि योजनायें हैं जिनसे काफी सिंचाई हो सकती हैं। ये सभी योजनायें आदिवासी क्षेत्र में हैं। इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी क्लीयर करायें ताकि आदिवासियों को लाभ मिल सके। इन शब्दों के साथ में सिंचाई और बिजली विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका आभार मानता हूं।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहाण्डी) : महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। आज लक्ष्य यह है कि 2000 ई० तक कुल 113 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाए। इस शताब्दी के अन्त तक भारत की 68.4 करोड़ की आबादी के 100 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है। इतनी विशाल आबादी को खिलाने के

लिए लगभग 23 करोड़ टन खाद्य उत्पादों की आवश्यकता होगी जो उत्पादन के वर्तमान स्तर से लगभग दो गुना है। चूंकि कृषि योग्य तमाम 18.9 करोड़ हेक्टेयर पर खेती की जा रही है, इसलिए इसे बढ़ाने की कोई संम्भावना नहीं है। इसलिए कृषि उत्पादन में वृद्धि कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार, सघन तथा व्यापक सिंचाई प्रणाली तथा जल के कुशल उपयोग द्वारा हो सकती है। इसलिए क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है।

मध्यम वर्ज की कृषि प्रौद्योगिकी के साथ स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसी उन्नत सिंचाई प्रौद्योगिकी अपनायी जानी चाहिए।

जहां तक सूखे वाले क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार का संबंध है क्योंकि जब स्रोत और वित्तीय साधन सीमित हैं, हमें यह निर्णय करते समय कि किस-किस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करानी है, समझदारी से काम लेना होगा।

छठी योजना के अन्त तक उड़ीसा राज्य में 50 लाख एकड़ सिंचाई योग्य क्षेत्र की तुलना, में केवल 17.34 लाख हेक्टयर की ही सिंचाई हो सकी। राष्ट्रीय कृषि आयोग, 1976 के घटे हुए लक्ष्यों के अनुसार भी 2000 ई० तक 30 लाख हेक्टयर की सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। इसके लिए लगभग 3800 करोड़ रुपए के विदेश की आवश्यकता होगी, जो मौजूदा मूल्यों के अनुसार आ गयी तो पंचवर्षीय योजना में औसत लगभग 1265 करोड़ रुपए होगी। तदनुसार, राज्य द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत 860 रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है और सातवीं योजना के दौरान तीन बड़ी परियोजनाओं (1) रेंगाली (2) अपर कोट लाभ (3) सुवर्ण रेखा के लिए केन्द्र द्वारा लगभग 390 करोड़ रुपए दिए जाने की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए और मंत्री महोदय को चाहिए कि वह तदनुसार आबंटन करने के लिए योजना आयोग से आग्रह करें।

उड़ीसा राज्य में, विश्व बैंक, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा प्रायोजित इन्द्रावती नामक एक बड़ी परियोजना है। किन्तु केन्द्रीय जल आयोग (सी० डब्ल्यू० सी० में निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण परियोजना को आरम्भ करने में देरी हो रही है। निविदाओं को यथा समय अन्तिम रूप देने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए।

मैं सूखे वाले क्षेत्रों में सिंचाई के पर्यावर्णीय प्रभाव की ओर भी आपका ध्याण आकर्षित करना चाहता हूं। इस संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए और परिस्थिति की सन्तुलन को बनाए रखने के संबंध में परियोजना रिपोर्ट में उल्लेख होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में बहुत सी चालू परियोजनाओं जैसे, बदनाला और अपर जोंक के मामले में कृषि विभाग से अब तक मंजूरी न मिलने के कारण निर्माण-कार्य में विलम्ब हो रह है।

इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि दोनों ही विभागों के अधिकारियों के दल को स्थल का दौरा

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

कर के नदी पर अन्तिम निर्माण ले लेना चाहिए ताकि लागत में अवाश्यक वृद्धि न हो।

विद्युत के संबंध में हमारी मांग यह है कि सातवीं योजना के प्रस्तुवित उच्च ताप विद्युत संयंत्र लगाए जाए -500-500 मेगावाट की क्षमता वाले 2 यूनिट और आई.बी. वैली ताप विद्युत संयंत्र, जिसमें, 210 मेगावाट प्रति यूनिट की क्षमता वाले 4 यूनिट होंगे, जो 840 मेगा-वाट के बराबर है और जिसका लागत-अनुदान 840 करोड़ रुपए है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 550 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

इसके साथ-साथ तलचर संयंत्र के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य भी जल्द आरम्भ किया जाना चाहिए और 20-सूत्री कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी) को विशेष दर जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों और हरिजन वस्तियों में अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए, ताकि यह अपने लक्ष्यों और कार्यक्रम को पूरा कर सके।

इन्हीं के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हमने मन्त्री महोदय, के उत्तर के लिए 6.15 का समय निश्चित किया है। क्या आप उत्तर दे सकते है ?

एक माननीय सदस्य : क्या वह 45 मिनट में अपनी बात पूरी कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : 6 वक्तव्य अभी और है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति केवल 5 मिनट का समय ले। 4 मिनट के पश्चात मैं घण्टी बजाऊंगा और पांचवे मिनट में उन्हें अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए। तभी मंत्री महोदय उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो काफी समय लगेगा।

कुछ माननीय सदस्य : वह कल जवाब दे सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह कार्य आज ही समाप्त करना चाहिए। अन्य मन्त्रालयों पर भी विचार करना है। हमें आज उद्योग मन्त्रालय पर भी विचार करना था किन्तु आज हमने इसे नहीं लिया। कार्य मन्त्रणा समिति में हमने यह निर्णय लिया था कि सारा काम आज ही समाप्त हो जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल के लिए हमारे पास और भी कार्य हैं, केवल यही नहीं है। मैं एक घंटा समय बढ़ा दूंगा। हम सात बजे तक कार्य कर सकते हैं और 7 बजे तक यह समाप्त हो जाना चाहिए। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अपने भाषण 5 मिनट के भीतर समाप्त करें। तभी मन्त्री महोदय आधा घंटा ले सकते हैं—

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : (कुरनूल) मन्त्री महोदय कोई मशीन तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें 45 मिनट दूंगा।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : यदि वह कल के लिए तैयार हैं। तो हमें प्रसन्नता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से विचार विमर्श करूंगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

सिचाई, कृषि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अवयव है। संतोष की बात है कि छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान 115 लाख हैक्टर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। हालांकि हम प्रगति की ओर तथा सिंचाई क्षमता के विकास की ओर अग्रसर है किन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना है क्योंकि अभी भी बहुत सा पानी बिना किसी उपयोग के समुद्र में जा मिलता है।

यह विडम्बना है कि सिंचाई की एक बड़ी या मध्यम परियोजना मंजूर और चालू करने के लिए हमारे पास साधनों की कमी है और जब साधन होते हैं तो निर्माण काल इतना लम्बा होता है कि लागत बढ़ जाती है। इसलिए, किसी न किसी प्रकार से परियोजना को मन्जूरी और उसके पूरा होने में साधनों की कमी बनी रहती है। साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निवेश में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि पहले से किए गए निवेश का जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जा सके। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें हम पाते हैं क जलाशय तो तैयार कर लिया गया किन्तु धन के अभाव में कारण वितरण प्रणाली के कार्य में प्रगति नहीं हो रही है। मैं उड़ीसा के दो उदारण दे सकती हूं। एक रेंगाली परियोजना है तथा दूसरी अपर कोला परियोजना है। इसके लिये वरियता धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को इस्तेमाल में लाया जा सके।

प्राथमिकता के अधार पर धन देने से मेरा मतलब अनुदानों और ऋण द्वारा सहायता करने से है क्योंकि उड़ीसा राष्ट्रीय औसत से नीचे है। जब तक अनुदानों और ऋणों के रूप में प्राथमिकता के आधार पर धन देकर मदद नहीं की जाएगी उड़ीसा प्रगति नही कर सकता है। नई परियोजनाओं के मामले में आदिवासी क्षेत्रों और सूखा पीड़त क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो बाढ़ से बचाव में सहायक हैं यहां मैं उड़ीसा में सुवर्णरेखा परियोजना का उल्लेख करना चाहूंगी। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीन राज्यों को लाभ होगा। इन तीनों राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में में इस इस मामले को सिंचाई मन्त्री के समक्ष उठाया था कि पहली परियोजनाओं की तरह यह का मामला केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों, विशेषकर वे राज्य जिन्हें आठवें वित्त आयोग ने राजस्व की कमी वाले राज्य पाया है, को सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनकी राज्य योजना के अलावा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनमें राष्ट्रीय औसत और देश के उन्नत राज्यों के बराबर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सके। सिंचाई में रिसने की समस्या सबसे बड़ी है। रिसने की समया को हल करने के लिए हमें निकासी का प्रबंध करना होगा, नलकूप और बागान लगाने होंगे। रिसने के कारण काफी पानी बर्बाद हो जाता है और इस समस्या की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अब मैं बिजली की समस्या पर आती हूं। बिजली देश की उन्नति की कुंजी है। यदि हम देश में बिजली की स्थिति पर गौर करें तो हम पाएंगे कि छठी योजना के अन्त तक स्थापित क्षमता 14000 मेगावाट थी। पहले 19,500 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु अब हमें पता चला है कि लक्ष्य 14,500 मेगावाट का है। मन्त्री जी कह सकते हैं कि 1979 के अन्त में विद्यमान क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हमने 50 प्रतिशत मांग पूरी कर दी है क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जगह बिजली की कमी है और बिजली की सप्लाई में कटौती की जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि योजना आयोग मांग और लक्ष्य किन पहलुओं और आधारों का विचार करके निर्धारित करता है। मैं यह समय पाने में असमर्थ हूं कि हम लक्ष्य को अथवा मांग को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि एक समतावादी राज्य में बिजली की मांग में वृद्धि होते रहना अनिवार्य है। बिजली की कमी के कारण उद्योगों की स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारी राष्ट्रीय हानि हो रही है। अतः विद्युत की क्षमता में वृद्धि करनी होगी और वह भी शीघ्र इस उद्देश्य से हमें विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों का अधिकतम उपयोग करना होगा और यह बेहतर प्रबंध व्यवस्था और आधुनिकीकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

अब, मैं उच्च ताप विद्युत संयंत्रों का उल्लेख करती हूं। पन बिजली परियोजनाओं को पूरा होने में बहुत समय लगता है। जहां कोयला उपलब्ध है वहां हमें ताप विद्यु संयंत्र लगाने चाहिए। यहां मैं तलचर में उच्च ताप विद्युत संयंत्र का उल्लेख करना चाहूंगी। उड़ीसा इस तलचर उच्च ताप विद्युत संयंत्र के बारे में लगातार जोर देता रहा है। इसके बारे में पांचवी योजना में निर्णय लिया गया था। तलचर, उच्च ताप विद्युत संयंत्र के लिए चयन किए गए छह स्थानों में से एक है। दुर्भाग्य से अन्य सभी पांच स्थानों पर परियोजनाएं चालू हो गई हैं। परन्तु तलचर में नहीं। मेरा कहना है कि यह सर्वाधिक व्यवहार्य प्रस्ताव है। वहां काफी जल उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन भी है। कोयला भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन सबके बावजूद मैं नहीं जानती इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं इसके लिए विद्युत मंत्री को दोषी नहीं मानती, वह इस विषय में काफी गंभीर हैं। परन्तु वित्त मंत्रालय और योजना आयोग धन उपलब्ध कराने पर सहमत नहीं हैं। मैं विद्युत मंत्री से निवेदन करती हूं कि वह योजना आयोग पर दबाव डालें कि वह हमारी मांग का भी आकलन करें और धन उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार बराबर बिजली की आवश्यक-

ताओं के बारे में कहती रही है। उसने केन्द्र सरकार को कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य को 1000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस दृष्टि से विद्युत मंत्री को योजना मंत्री और वित्त मंत्री पर अधिक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में जोर देना चाहिए।

पिछली लोक सभा में हमें आश्वासन दिया गया था कि 500 मेगावाट के दो यूनिट बन रहे हैं। विद्युत मंत्री इस पर ध्यान दें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कम से कम 500 मेगावाट का एक यूनिट कार्य करना प्रारम्भ कर दे।

महोदय, उड़ीसा राज्य सरकार ने इब घाटी कोयला क्षेत्र में भी राज्य क्षेत्र में एक ताप विद्युत संयंत्र के लिए कहा है। इसे भी इन्हीं आधारों पर मंजूरी नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई) से संस्थागत धन हेतु मंजूरी देने को कहा है। जब तक इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाएगा, राज्य की उन्नति नहीं होगी।

महोदय, केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु विद्युत क्षमता के विस्तार की आवश्यकता है। हमें इन परियोजनाओं के लिए सहायता और मंजूरी के लिए उदार नीति अपनानी चाहिए। अन्यथा बड़े पूंजीपति व्यय की आवश्यकता वाली यह प्रौद्योगिकी परियोजनाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। उड़ीसा सरकार द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव आया है और मुझे आशा है कि अन्य राज्यों से भी ऐसे ही प्रस्ताव आएं होंगे। प्रस्ताव यह है कि उद्योगों का एक समूह प्रत्येक उद्योग की एक निजी परियोजना के बजाए संयुक्त रूप से एक रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। यह एक समझदारी पूर्ण प्रस्ताव है। इनसे लागत पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा ; इससे राज्य ग्रिड के विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलेगी और विद्युत बोर्डों पर दबाव भी बहुत कम हो जाएगा। माननीय मन्त्री जी, से आग्रह करूंगी कि हमारे राष्ट्रीय हित में इस प्रकार की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक नीति निर्णय लेना चाहिए। सभी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुस्पष्ट और प्रगतिशील नीति की आवश्यकता है।

इसके बाद मैं उद्योगों में ऊर्जा की बचत पर जोर देती हूं। कई उद्योगों को अपने संयंत्रों और उपकरणों में सुधार करना चाहिए। जो एक उद्योग लगाये जा रहे हैं उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकी का चयन करना चाहिए जिसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग हो।

मैं यह भी कहूंगी कि पारेषण और वितरण पहलुओं को कम प्राथमिता दी गई है। उन्हें परिषण और वितरण तथा राष्ट्रीय ग्रिड के भी बारे में राजाध्यक्ष समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : केवल एक बात और एक मैं विद्युत सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिशों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इसमें कहा गया है :

"विद्युत सम्बन्धी कार्यदल ने सातवीं योजना के दौरान 30,595 मेगावाट के विद्युत कार्यक्रम के लिए 67,500 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है।"

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ने इसे नोट कर लिया है। कृपया बैठ जाइए।

अब माननीय मन्त्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : उड़ीसा में उच्च ताप विद्युत संयंत्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। मैं माननीय मन्त्री से इस पर विचार करने का निवेदन करती हूं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए। मन्त्री जी कल उत्तर देंगे। सूची में ऐसे कई सदस्य हैं, जिन्हें अभी बोलना है अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय डेढ़ बजे तक बढ़ा दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी अपना उत्तर कब देंगे ?

श्री गुलाब नबी आजाद : कल।

प्रो० एन.जी.रंगा (गुंटूर) : हमें कुछ राज्यों के सदस्यों को बोलने का कोई अवसर नहीं मिला है। एक ही राज्य से 4 अथवा 5 सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाती है। अन्य राज्यों के उन सदस्यों को जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, अवसर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार बुलाता हूं। सूची इस प्रकार है, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं आज सदन का समय बढ़ाने का क्या औचित्य है जब कि मन्त्री जी अपना उत्तर कल ही देंगे ? जिन सदस्यों को अभी बोलना है और जिनका नाम सूची में, है वे भी कल बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

***श्री एस.एम.गुरड्डी (बीजापुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय के लिए अनुदान मांगों पर बोलते हुए मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

*कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह और भी अच्छा होता यदि केन्द्र ने अन्तर्राज्यीय नदियों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली होती। हम अपने-अपने राज्यों के लिए मांगे रख रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्य केन्द्र के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं वे अलग परियोजनाओं का निवेदन कर रहे हैं। अतः, यह अधिक उपयोगी और उचित होगा यदि केन्द्र यह फैसला कर सके कि प्रत्येक परियोजना कहां स्थापित की जी जाए।

महाराष्ट्र ने कृष्णा नदी पर एक परियोजना का निर्माण किया है। यह कोयला बिजली परियोजना है। हालांकि यह विद्युत परियोजना है, अधिकतर पानी समुद्र की ओर वह जाता है। मैं यह महसूस करता हूं कि पानी की भारी मांगों में इस बर्बादी के लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार है। यदि उचित योजना बनाई गई होती, तो महाराष्ट्र को बिजली के अतिरिक्त उसका पानी कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश को दिया जा सकता था। सभी राज्यों में पानी की कमी है। अतः केन्द्र को इस संबंध में शीघ्र कदम उठाने चाहिए और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को पानी उपलब्ध कराना चाहिए।

मेरे राज्य के बारे में मुझे यह कहना है कि कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी सबसे बड़ी नदी है। भारत में, गंगा और यमुना के बाद कृष्णा नदी हर सबसे बड़ी नदी है। यह सुस्पष्ट है कि यदि कृष्णा और कावेरी नदी घाटी का उचित उपयोग किया जाए तो दक्षिण भारत में बिल्कुल भी सूखा नहीं पड़ेगा। कृष्णा नदी घाटी में कुछ परियोजनाएं हैं। उदाहरणार्थ, मालाप्रभा परियोजना, घाटप्रभा और तुंगभद्र परियोजनाएं। उनमें से यह महत्वपूर्ण हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण धन की कमी है। केन्द्र राज्य सरकारों पर जल का उपयोग न करने और प्रारम्भ परियोजनाओं को पूरा न करने का आरोप लगाता है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऊपर कृष्णा परियोजना की नींव रखी थी उस समय इसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए थी। श्री शास्त्री ने उस अवसर पर कहा कि परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का लाभ होगा। परन्तु अब इसकी लागत इतनी बढ़ गई है कि यदि हम अब 2000 करोड़ रुपए भी व्यय करें, तो भी यह परियोजना पूरी नहीं होगी। जब राज्य असहाय स्थिति में हो, तो यह स्पष्ट है कि वे केन्द्र सरकार से कहेंगे। यदि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती हैं, बाद में उन्हें पूरा करना बहुत महंगा पड़ेगा और अन्ततोगत्वा यह सारे देश की हानि होगी। मेरे राज्य के अधिकतर जिलों में प्रति वर्ष सूखे की स्थिति उत्पन्न होना आम बात हो गई है। सूखे के इस प्रकोप के स्थायी हल के लिए सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। यदि आप कहें कि आपके पास धन नहीं है, तो कृपया विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रबंध करें।

उत्तर में दामोदर घाटी परियोजना है। इसी प्रकार कृष्णा घाटी निगम भी स्थापित किया जा सकता है। इस निगम के माध्यम से, सिंचाई के अतिरिक्त भूमि को समतल बनाने का काम प्रारम्भ किया जा सकता है। मैं, माननीय मन्त्री जी से कृष्णा नदी घाटी निगम और कावेरी नदी घाटी निगम की भी स्थापना करने का आग्रह करता हूं।

श्री एम० एम० गुरड्डी]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीजापुर में पांच वर्षों में तीन-बार सूखा पड़ा। अकाल राहत कार्यक्रमों पर भारी राशि व्यय की जा रही है यदि अपर कृष्णा परियोजना पर धन व्यय किया जाए, तो समस्त बीजापुर जिले को कृष्णा नदी का जल प्राप्त हो सकेगा। इस परियोजना पर व्यय की गई सारी राशि दस वर्ष की अवधि के भीतर वसूल की जा सकती है।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस समय जब कि सारा बीजापुर जिला भीषण अकाल से पीड़ित था, वहां का दौरा किया था। उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर रखा था। बीजापुर के लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को सोने से तोला था और राष्ट्र के लिए सोना दान किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी अकाल के कारण बीजापुर के लोगों की दयनीय दशा देखकर अत्यधिक द्रवित हुई थी। उन्होंने कहा था कि बीजापुर को पानी उपलब्ध कराकर इसे एक उन्नत जिला बनाया जाना चाहिए। मैं वर्तमान सरकार से अपील करता हूं कि वह हमारी दिवगंत नेता के स्वप्नों को पूरा करे। कर्नाटक में पर्याप्त उद्योग लगाए हैं। मेरे राज्य में उद्योग अभी भी लगाए जा रहे हैं। बंगलौर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में कई उद्योग हैं। मैं इस पर प्रसन्न हूं और इसके लिए केन्द्रीय सरकार का आभारी हूं। लेकिन उनके लिए बिजली कहां है? बिजली की पूर्ति के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? रायचूर ताप विद्युत परियोजना यूनिट एक मंजूर की गई है। परन्तु कृपया यूनिट दो और यूनिट तीन भी शीघ्र मंजूर कीजिए और कर्नाटक में बिजली का संकट दूर कीजिए।

बीजापुर जिले में पांच नदियां हैं। बीजापुर को दक्षिण पंजाब होना चाहिए था। यह हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था न कि मैं कह रहा हूं। कृपया इन पांचों नदियों का पूर्ण उपयोग करने का प्रबंध कीजिए। इन सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का आवंटन करने का प्रबंध करें। यदि आप इन सभी परियोजनाओं के लिए पूरा धन नहीं दे सकते हैं, कृपया विश्व बैंक से सहायता लेने का कष्ट करें। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राय (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं। इस क्रम में सर्वप्रथम में अपने स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई एवं विद्युत को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए प्रथम स्थान प्रदान किया था और यही कारण है कि हम 1980 से लेकर आज तक अपनी सिंचाई क्षमता में इतनी वृद्धि कर सके हैं और अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। अन्न के मामले में हमारा आंदोलन बहुत पुराना है। छठी पंचवर्षीय योजना के काल में भारत के किसान और खेतीहर मजदूर के

परिश्रम से हमारे भण्डार भरे पड़े हैं और यह सब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की वजह से है। मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज बहुत मुश्किल से हमारा किसान यहां तक पहुंच सका है, लेकिन आज भी उसे उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज वर्षा और बाढ़ से वहां आक्रांत हो जाता है, अगर इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें तो निःसंदेह हम लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके अभाव में हम लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में और सुधार की आवश्यकता है। लक्ष्य के समय पर पूरा न होने की यही मुख्य वजह है। ऐसे राज्यों में जहां किसान वर्षा और बाढ़ से आक्रांत रहता है, वहां से हमारी यह मुख्य समस्या है। खासकर बिहार में बाढ़ और वर्षा से हमारा किसान परेशान रहता है, ये दोनों किसान की दुश्मन हैं। कभी वर्षा हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी ओलों के पत्थर पड़ जाते हैं। बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिये हम तरह-तरह का स्कीम्स लागू करते हैं, लेकिन वे स्कीम्स समय पर पूरी नहीं हो पाती। हमारी योजना समय पर पूरी हो पाती, इस वजह से आज किसानों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम योजना को समय पर पूरा कर लें तो लागत में भी कमी आएगी और समय पर काम भी पूरा हो जाएगा और हम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। इसके अभाव में हम इन तीनों चीजों से वंचित रह जाते हैं। जो पदाधिकारी हैं, चाहे वे सेंटर वाटर कमीशन के पदाधिकारी हों या गंगा फ्लड कंट्रोल के पदाधिकारी हों, चाहे राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति हो, ही भी स्कीम समय पर पूरी नहीं हो पाती। यही मुख्य वजह है कि समय के अंदर बाढ़ नियन्त्रण का काम पूरा नहीं कर पाते। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी गाइड लाइन्स के जरिए, जो राज्यों को दी गई हैं, निर्धारित समय के अन्दर इनको पूरा करने की हिदायत दें और जहां तक केन्द्र का सवाल है, यहां भी जो स्कीम्स लंबित पड़ी हुई हैं वर्षों से उनको भी कार्यान्वित करवाने की दिशा में पहल करें। समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहना चाहता, मूल समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाढ़ नियन्त्रण का काम समय पर पूरा होना चाहिए। जब बाढ़ आती है उस समय आप पत्थर का ढेर लगवा देते हैं। उस वक्त पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन पहले कुछ नहीं किया जाता। जब जून में बाढ़ आती है तो उस वक्त बाढ़ को रोकने का काम शुरू किया जाता है। जनवरी से यह काम क्यों नहीं शुरू किया जाता। जब अन्य कार्यों के लिए पैसा दिया जाता है तो फिर इस कार्य के लिए समय पर पैसा उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता। हमें यह सुनने में आया है कि बाढ़ नियन्त्रण का काम बाढ़ के समय में रोक दिया गया। बाढ़ आने से गांवों में क्षति हो रही है और सारी जमीन कट रही है। वहां पर रख-रखाव करने के लिए आदेश नहीं दिए जाते हैं। इसका नतीजा क्या होगा। सारे गांव खत्म हो जायेंगे और सारी जमीन फसलें नष्ट हो जायेंगी। आखिर इन योजनाओं को लागू करने से क्या लाभ हो सकता है। बिहार और असम की स्थिति से आप अवगत होंगे। यहां पर बाढ़ और कटाव से काफी आक्रांत होते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कटाव रोकने के लिए हमारी स्कीमें समय पर पूरी होनी चाहिए। इससे जनता और सरकार को लाभ होगा तथा अपना टारगेट भी हम पूरा कर सकेंगे। जल-निस्सरण की भी आज हमारी मुख्य समस्या है। आज क्या होता है कि बिहार में वर्षा से नदियां

[श्री रामदेव राय]

भर जाती हैं। हमारे बिहार में दस-दस नदियां बहुती हैं। इनका कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनका उपयोग करें तो दोहरा लाभ होगा। एक लाभ तो यह होगा कि नदियों के पानी के ज्यादा उर्जा प्राप्त कर सकते हैं।······(व्यवधान) बहुती, बलान, करेह, नोन, गंगा, बाया, कोसी और बूढ़ी गण्डक हमारे यहां नदियां हैं। इनमें से बहुती, बलान और करेह तो पहले ही सूख जाती है। ऐसी नदियों को यदि गाढ़ा कर दें तो पानी का अभाव होगा और निकासी का पानी नदियों में डालने से किसानों को लाभ पहुंचेगा। लिफ्ट इर्रीगेशन के जरिए से इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। नदियों के पानी से ज्यादा लाभ पहुंचता है। आज क्या होता है। कि नदियां और जोहड़ भर जाते हैं। इस कारण से हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। हम लोग सोचकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिये जल-निसरण की हमारी मुख्य समस्या है। इसको रोकना आवश्यक है। हमारे सारे माननीय सदस्य और मन्त्री जी भी स्टेट टयूबवैल्स के बारे में अवगत होंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अस्सी फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। मेहनत करके उपजाते हैं लेकिन पानी के लिए मुहताज हैं। आज टयूबवैल खराब पड़े रहते हैं, बिजली नहीं मिलती है। उसके रख-रखाव के मद में पैसा नहीं होता है। नाले खराब हो जाते हैं। जब खर्च किया है तो पानी के उपयोग की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में हिदायत दी जानी चाहिए। हमारा किसान हमारे देश का मेरुदण्ड है। जब तक हमारा मेरुदण्ड सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज हमारे यहां अन्न का भण्डार भरा पड़ा है। श्रीमती गांधी के कार्यक्रमों को हमारे किसानों ने पूरा किया है।············(व्यवधान) बिजली के बारे में बोलना चाहता हूं। पांच सौ करोड़ रुपया बिजली के आधुनिकीकरण में खर्च करने जा रहे हैं। बरौनी और पतरा थर्मल पावर स्टेशन की छठी, सातवीं और नवीं तथा दसवी इकाई देख लीजिए।······(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, आप विद्युत पर किसी अन्य अवसर पर बोल सकते हैं। श्री कृष्ण राव, अब आप बोलें। श्री राय, आप से अगले वक्ता सदस्य बोलने के लिए खड़े हो चुके हैं। जो भी आप कहेंगे, वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। श्री राव, आप शुरू कीजिए। अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नही होगा। (व्यवधान)**

*श्री वी० कृष्णाराव (चिकबल्लापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय को अनुदान मांगों का पूरा समर्थन करता हूं। इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय पर बोलते हुए मैं कुछ मूल्यवान सुझाव देना चाहता हूं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर.

पिछले कई वर्षों में हमारे देश को विदेशों के खाद्यान्न आयात करना पड़ा। परन्तु आज हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और हमें उसे निर्यात करने पर गर्व है। हमारे राष्ट्र के अन्य कई क्षेत्रों में भी प्राप्ति हासिल की है। यह हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरु को अथक सेवाओं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की समर्पित सेवाओं और दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधीके कुशल प्रशासन और बलिदान का परिणाम है कि हमारे देश को ऐसी उन्नति प्राप्त हो सकी। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले मैं अपने युवा और उत्साही प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह को वर्ष 1985-86 के लिए प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। मैं अपने मन्त्री श्री बी० शंकरानन्द और श्री अरूण नेहरू को सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए गहन रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं।

हमारे देश में कई महत्वपूर्ण सिंचाई और विद्युत परियोजनायें रुक गई हैं। हमारी सरकार की यह इच्छा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन सभी परियोजनाओं के कार्य को प्रारम्भ किया जाए। यह जानकर हर्ष होता है कि आगामी सातवीं योजनायें कई नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

अपने राज्य कर्नाटक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां सिंचाई की स्थिति अत्यधिक खराब है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के पास केवल 10 प्रतिशत सिंचित भूमि थी। आज यह 60 प्रतिशत और उससे अधिक है। लेकिन कर्नाटक में यह 12 प्रतिशत से बढ़कर केवल 20 प्रतिशत हुई है। मैं इस खराब स्थिति का उल्लेख करते हुए खेद व्यक्त करता हूं। यदि इस असंतुलन को समाप्त करना है और एक समान स्थिति बनानी है, तो कर्नाटक में काफी राशि व्यय करनी होगी। हमारे देश में केवल 15 से 20 इंच वर्षा होती है और मेरे राज्य में 10 से 22 जिले सूखा प्रवण क्षेत्र हैं। सरकार का शुष्क भूमि खेती योजनाओं पर लगभग दो हजार करोड़ रूपए का निवेश करने का विचार है। शुष्क भूमि खेती परियोजनाओं और सूखा राहत कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रूपए व्यय करने की बजाए यह उचित होगा कि यह धन सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय किया जाए। कई पुरानी सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। यदि सरकार सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक निवेश करे, तो मुझे विश्वास है कि कर्नाटक उत्तर में पंजाब से किसी भी प्रकार पीछे नहीं रहेगा। कर्नाटक में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अपर भाद्र एक बहुत पुरानी परियोजना है। इस संबंध में कई आन्दोलन हो चुके हैं। इस परियोजना की सभी योजनाओं और आकलनों पर सरकारी कार्यालयों में धूल जम रही है। कर्नाटक में हमारे माननीय श्री निजलिंगप्पा के मुख्य मंत्रित्व काल से, यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास रहते आया और यह अनिर्णीत पड़ा। है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह खेद का विषय है कि कर्नाटक पिछड़ रहा है जबकि पड़ोसी राज्य बड़ी तेजी से उन्नति कर रहे हैं। यह वास्तव में एक दयनीय स्थिति है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यदि अपर (भाद्र परियोजना)

[श्री वी० कृष्णाराव]

पूरी हो जाय, तो 10 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ सकती है। यदि अपर तुंग परियोजना पूरी हो जाए तो 2.75 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। यदि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का रुख पूर्व की ओर मोड़ दिया जाए, तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो सकती हैं। ये हैं। नेत्रवत परियोजना, अगिनाशिनी परियोजना, बेड़ती परियोजना बेरीपोल परियोजना और महादायी परियोजना। यदि उपर्युक्त सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएं, तो कुल 30.25 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ सकती है। केवल आकलन तैयार किए हैं और कुछ भी नहीं किया गया है। उपर्युक्त परियोजनाओं का कुल आकलन 2640 करोड़ रुपए का है। हमारा राज्य हरित क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और हमारे पड़ोसी राज्यों की तरह प्रगति कर सकता है परन्तु यह तभी हो सकता है, जब सूखा राहत कार्यक्रम और शुष्क भूमि खेतों योजनाओं पर धन व्यय करने की बजाए इसे सिंचाई पर व्यय किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं सविनय निवेदन करता हूं कि इन सभी परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाए।

मैं आपके ध्यान में एक और महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। कोलार जिले के गोरीबिम्बदन में एक बड़ा सहकारी चीनी कारखाना है। यहां पानी की सुविधाओं के अभाव में 800 से अधिक परिवार कठिनाई का कामना कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों से कारखाना बंद पड़ा है। इस प्रकार लगभग छह लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। हमारी सरकार ने इस कारखाने पर सात करोड़ भूमि बेकार पड़ी है। हमारी सरकार इस कारखाने पर सात करोड़ रुपया खर्च किया है। परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। आपको किसानों को ऋण देकर भूमिगत जल को कुंए खोदकर प्राप्त करने में मदद देनी होगी। तब इससे न केवल सहकारी चीनी कारखाने को कार्य प्रारम्भ करने में मदद मिलेगी वरन् करोड़ों रुपए का लाभ भी अर्जित होगा। इस समय इस कारखाने की स्थिति बहुत खराब है और यहां कार्य बंद पड़ा है। मैं सरकार के इस मामले को शीघ्र अपने हाथ में लेने और कारखाने में कार्य पुनः प्रारम्भ करने वाले का आग्रह करता हूं।

मैं अपने राज्य कर्नाटक में एक परमाणु विद्युत यूनिट मंजूर करने का स्वागत करता हूं। परन्तु यह भी हमारे राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप कर्नाटक से सूखे को पूरी तरह के समाप्त करना चाहते हैं और अधिक बिजली उपलब्ध कराना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मेरा राज्य प्रगति और खुशहाली के एक नए युग में प्रवेश कर, तो कृपया दो और विद्युत यूनिट मंजूर कीजिए। उनमें के एक मेकेदात (कनकपुर तालुक) में और दूसरा शरावती मे स्थापित किया जा सकता है। मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पावर सैक्टर में इस वर्ष जितना हमारा

लक्ष्य था, उसको हमने प्राप्त किया है और उसी के आधार पर हमने 1985-86 का 4500 का लक्ष्य रखा है। मैं इस प्रकार के उत्साहजनक परिणाम दिखाने के लिए माननीय विद्युत मंत्री और उनके मंत्रालय के सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं।

थर्मल पावर प्लान्ट्स की इंस्टाल्ड कैपेसिटी का अभी तक 40 परसेंट भी हम स्वीच नहीं कर सके। बराबर टाइमली मानिटरिंग के द्वारा, कोयला उपलब्ध कराने के कारण उसमें सुधार हुआ है। अब उनकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी का 50 प्रतिशत उत्पादन थर्मल पावर प्लान्ट्स में हो रहा है। बाकी जो 50 प्रतिशत उत्पादन रह गया है, उसका कारण यह है कि जहां से रिपेयर पार्ट्स मिलने हैं, वह समय पर नहीं मिल रहे हैं और काफी कठिनाई उनके रास्ते में है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ इस मामले को लेकर बी० एच० ई० एल० के० लोगों से कहें कि वह समय पर ठीक पार्ट्स की आपूर्ति करें।

थर्मल पावर सैक्टर में या एन० एच० पी० सी० के सैक्टर में सुधार केन्द्रीय मंत्रालय के हाथ में है, मगर पावर जैनरेशन का मुख्य काम राज्यों के पावर बोर्डों के पास है, और राज्य के पावर बोर्डों की वित्तीय हालत बड़ी सोचनीय है। एक राज्य हो, अधिकांश राज्य ऐसे हैं और पावर जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ट्रांसमिशन की है, मैं समझता हूं कि उसको जिस कैजुअल मैनर में हमारी राज्य सरकारें ले रही हैं, वह चिन्ता का विषय है।

माननीय मंत्री महोदय को राज्य के विद्युत मंत्रियों के साथ इस मामले को लेना चाहिये और उनसे बात कर के कहना चाहिये कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वह अपने पावर बोर्डों में सुधार लायें और एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त करें।

थर्मल पावर प्लांट्स में तो समय अभी लगेगा, लेकिन एन० एच० पी० सी०, जिसके साथ हमारी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, वह समय पर अप प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में चाहे सिंगरा, कारबा या रामागुंडम का हो, उसको समय पर पूरा किया है, उसी प्रकार समय पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करें।

मैं यहां पर एक बात रामागुंडम के बारे में कहना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश की जो रामागुंडम परियोजना है, वह सारी पावर को लेती है क्योंकि वहां कोई नेशनल ग्रिड न होने की वजह से मगर कर्नाटक में बिजली की कमी है, उसको वह दे। यहां दोनों जगह विरोधी दलों की सरकारें हैं। मैं अपने तेलगू देशम के मित्रों से निवेदन करूंगा कि वह राज्य सरकार को कहें कि जितनी उनके पास एक्स्ट्रा पावर हो उसको कर्नाटक को देने में किसी प्रकार की दिक्कत न करें। इससे एक प्रश्न पैदा होता है कि हम नेशनल ग्रिड नहीं बना रहे हैं।

(व्यवधान)

[श्री हरीश रावत]

जितने हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, उन सब को मिलाना चाहिए जिससे जो कमी वाले राज्य है, उनकी समय पर आपूर्ति की जा सके। जब अचानक कमी पैदा होती है तो उसकी आपूर्ति की जा सके। इस विषय में कई बार मामला उठा है, सदन के अन्दर और बाहर दोनों जगह इसको उठाया गया है। प्लैनिंग कमीशन ने इस पर जोर दिया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जितनी पैसे की जरूरत हो, उसके लिए वह जोर दें।

एन० एच० पी० सी० ने तेजी से काम करना शुरू किया है, मगर इसमें एन० एच० पी० सी० के सेक्टर में बहुत कम बजट रखा गया है। इससे जो योजनायें उनके हाथ में हैं, उन्हीं को वह ले पायेंगे। वैसे इन्वेस्टीगेशन पूरी हो चुकी हैं और वह प्लैनिंग मिनिस्ट्री को सौंपी भी जा चुकी हैं।

महोदय, उत्तर प्रदेश की शारदा वैली है, इसकी अपार विद्युत पैदा करने की क्षमता है। यह इतना विद्युत पैदा कर सकती हैं कि नार्दन इण्डिया की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को कोल की जो जरूरत होती है वह एक निर्धारित मात्रा के अन्दर होती है। इसी प्रकार से हिमालय से निकलने वाली हिमानी नदियां हैं, इनमें भी जल विद्युत पैदा करने की अपार क्षमता है। उन्हें गर्मी के दिनों में लगातार पानी मिल सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो धौली गंगा का प्रोजेक्ट है उनमें निर्माण कार्य शुरु करें।

अब मैं सी० डब्लयू० सी० की वर्किंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमने अपनी जनसंख्या को खिलाने के लिये दो हजार ए० डी० तक 200 मिलियन टन अनाज पैदा करना है और इस समय जो उसके लिये हमको चाहिए 113 मिलियन हैक्टर भूमि को सिंचित करना होगा, मगर जिस प्रकार से सी० डब्लयू० सी० का काम चल रहा है, मैं नहीं कहता खराब काम किया है, उसने बहुत सेवा की है, लेकिन जिस प्रकार की हमारी एपेक्स बाडी है, जितनी उम्मीदें थी कि वह नई टेक्नालजी निकालेंगे, और एन०एच०पी० सी० और दूसरे संगठनों को देंगे, वह नहीं दे पा रहे हैं। जिन योजनाओं पर निर्माण कार्य दूसरी योजना और तीसरी योजना में प्रारम्भ हुआ था वह आज पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कास्ट लगातार बढ़ते जा रही है और उनसे जो फायदा होना चाहिए, फायदा नहीं हो रहा है।

जो अन्तर्राज्यीय जल विवाद हैं, उसके बारे में अनुरोध करूंगा। कई बार मामले उठ चुके हैं, लेकिन सुलझ नहीं पाये हैं। उसमें आपको मशिवरा करके सुलझाना होगा। आपको कोई रास्ता निकालना होगा जिससे राज्य अपने झगड़ों को कम करें।

जो हाई लैंड हैं, जो केवल वर्षा पर निर्भर करते हैं और नदियां वहां बहुत नीचे बहती हैं। वह सारे देश को सिंचित करने के लिये पानी देने का काम करती हैं, लेकिन वहां की जमीन सूखी रह जाती है। वहां वर्षा ऋतु में काफी पानी बरसता है। उसको स्टोर करने के लिए कोई प्रबन्ध होना चाहिए ताकि उन इलाकों में जो पानी वर्षा ऋतु में स्टोर किया जाये। उसका उपयोग

जाड़ों में और गर्मी में सिंचाई के लिए, विशेष कर सब्जी पैदा करने के लिए किया जा सके-इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इसके साथ ही मुझे यह भी निवेदन करना है कि सिल्टिंग की भी प्राब्लम है वह भी ऐसी है कि जिससे सारे रेजर्वायर्स की लाइफ खत्म होती जा रही हैं—वह चाहे भाखड़ा नंगल हो या दूसरे रेजर्वायर्स हों । सिल्टिंग को रोकने के लिए स्टेटस के जो फ्लड कन्ट्रोल वार्ड्स हैं उनसे कहा जाना चाहिए कि जहां से नदियां निकलती है जहां उनका उद्गम है, वहीं से फ्लड कन्ट्रोल मेजर्स आरम्भ होने चाहिए । फारेस्ट डिपार्टमेन्ट वाले इस काम को कुछ कर रहे हैं लेकिन उस उद्देश्य से नहीं करते हैं जिस उद्देश्य से आपको करना चाहिए । इसका सबसे बड़ा नुकसान रेजवीयर्स को होता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है । तो इसकी ओर मन्त्री जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, हर देश के संविधान में हर खेत के लिए पानी और खाद देने का प्रावधान होना चाहिए । स्वतंत्रता के पहले इस देश में 22.9 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था थी और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हम 60 परसेन्ट भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कर सके हैं । इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 40 परसेन्ट भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था बढ़ी है । 113 मिलियन हेक्टर भूमि पर सिंचाई का प्रबंध करने की योजनायें हमारे पास हैं परन्तु अभी तक हम केवल 60 परसेन्ट भूमि में ही सिंचाई की व्यवस्था कर सके हैं इसका कारण यह कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद हर पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित राशि घटती चली गई और उसी के फलस्वरूप आज सिंचाई का प्रबंध इतनी कम मात्रा में है। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी रहा है कि सिंचाई की योजनाओं को समय से पूरा नहीं किया गया और फलस्वरूप उनकी कास्ट बढ़ती चली गई । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नागार्जुन सागर की ओरीजिनल कास्ट 91 करोड़ थी जो कि बढ़कर 850 करोड़ तक पहुंच गई है । इसी प्रकार से तुंगभद्रा प्रोजेक्ट की ओरीजिनल कास्ट 11.95 करोड़ थी जो बनकर 111.70 करोड़ हो गई । विभिन्न प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में आपने जो उत्तर दिया था उससे मालूम होता है कि इन प्रोजेक्ट्स की कास्ट कई गुना बढ़ गई है क्योंकि आप उनको समय पर पूरा नहीं कर सके । सीमेन्ट, लोहा और लेबर की कई गुना कास्ट बढ़ जाने के कारण आप उन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर सके ।

अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि राज्यों के बीच में जल विवाद चल रहे हैं । यह जो पानी है वह तो भगवान की देन है । हवा के लिए तो हम नहीं लड़ रहे हैं लेकिन पानी के लिए लड़ते हैं । मैं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जितनी भी बड़ी-बड़ी नदियां हैं उनको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में डिक्लेयर किया जाना चाहिए जैसे कि आपने भाखड़ा नंगल को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है, नागार्जुन सागर को, पोचमपाड़ और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया । विभिन्न राज्यों में आपस में जो जल विवाद चल रहे हैं उनको रोकने और

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इन प्रोजेक्ट्स को अपने कन्ट्रोल में लेकर स्वयं उनको पूरा करे ताकि राज्यों के बीच में झगड़े न होने पायें। यह केवल दो-एक राज्यों के झगड़े की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निजाम सरकार ने बहुत साल पहले गोदावरी पर एक मल्टी परपज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का प्लान बनाया था। इतने वर्ष पहले यह प्लान बनाया गया था लेकिन अभी तक यह साकार रूप में नहीं आया है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण है कि आंध्र प्रदेश में डेम बनने वाला है और उड़ीसा और मध्यप्रदेश में जमीन डूबने वाली है। ये जो मल्टी परपज प्रोजेक्ट होते हैं इनसे विद्युत उत्पन्न होती है और देश को लाभ मिलता है। लेकिन 35 साल के बाद भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हमको रुपया नहीं मिले तो क्या कहा जाए। यही कहा जाएगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य का पानी का झगड़ा है जिस पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं केन्द्र से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी भी बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जो सौ करोड़ से ज्यादा की होती हैं उनका राष्ट्रीकरण करके वह उन्हें अपने हाथ में ले ले। यह जरूरी है। नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में फिर उनको पूरा करे जिससे नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है।

अभी आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कुंचो में एक प्रोजेक्ट की बात केन्द्रीय सरकार से चल रही है। ऐसे और भी कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हैं और करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार बैठ गई है, उनको मंजूर नहीं करती है। हमें उनके लिए भारत की क्लीयरेंस चाहिए। अगर उनसे पानी मिलता है तो सारे भारत को लाभ मिलता है। मगर केन्द्रीय सरकार से 10,20,30, साल तक अगर क्लीयरेंस नहीं मिले तो उन प्रोजेक्ट्स में बहुत रुकावट पड़ जाती है और उनको पूरा करने की कीमत भी बढ़ती जाती है। राज्य सरकार को रुपये की दिक्कत होती है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को प्रोजेक्ट्स को क्लीयरेंस देने में देर नहीं करनी चाहिए।

मैं एन० टी० पी० सी० के बारे में भी एक बात बोलना चाहता हूं। जहां पर कोल मिलता है वहां पर थरमल पावर प्रोजेक्ट बनने चाहिए। थरमल पावर प्रोजेक्ट रायचुर में बनायें जहां कि कोयला नहीं है तो यह ठीक नहीं है। कोयला गोदावरी और रामगुण्डम से आना है। मेरा कहना है कि जहां कोयला मिलता है वहां ही ये प्रोजेक्टस बनाये जाने चाहिए। इसी तरह से कोयले के टेरिफ रेट में भी कमी लानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि कोयले के उत्पादन क्षेत्र में जहां से कोयला मिलता है और पावर स्टेशन तक कोयले के आने का टेरिफ रेट कम होना चाहिए। इससे कंज्युमर को लाभ होगा।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि केन्द्र के पास आंध्र की जो प्रोजेक्टस हैं उनको जल्दी-जल्दी से पूरा करें हमारा आन्ध्रप्रदेश एक अन्नपूर्णा है। आंध्र में देश का 36 प्रतिशत चावल उत्पन्न

होता है। इसलिए अनुरोध है कि आंध्र के प्रोजेक्ट्स को जल्दी से स्वीकृति दें। आशा है आप मेरे सुझावों को मानेंगे।

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो मांगें पेश की गई हैं उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये काफी स्वागत योग्य मांगें हैं और इनका मैं समर्थन करता हूं।

मैं उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी से आता हूं। वहां एक बागमती योजना के रूप में सिंचाई योजना चलाई जा रही है। मैं देख रहा हूं कि पिछले दस वर्षों से करोड़ों की लागत से यह योजना चल रही है। काश्तकारों की सैंकड़ों एकड़ जमीन इसमें डूब चुकी है। करोड़ों रुपये का मुआवजा भी दिया गया है लेकिन उसकी पूर्ति अभी तक सरकार की ओर से इस मायने में नहीं हो पाई है कि वहां सिंचाई का काम होता और लोगों को बाढ़ से संरक्षण मिलता।

गत साल यह खबर मिली कि नेपाल कोई नुनथर बांध रिजरवायर बना रही है। अगर हमारी भारत सरकार का नेपाल सरकार से इसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है तो उसका पानी, मेरी समझ से, हमारी बागमती योजना में आने से रुकेगा और बागमती में पानी नेपाल सरकार की मर्जी से मिलेगा या जिससे सिंचाई कार्य ठप्प पड़ जायेगा। इस तरह योजना की सारी लागत बेकार चली जायेगी। हमारा खजाना खाली हो रहा है। पिछले साल एक उच्चस्तरीय इन्जीनियरिंग और अन्य तकनीकी विभागों की, फ्लड कंट्रोल विभाग की टीम वहां गई थी, उसकी मीटिंग हुई थी। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पता नहीं उसने क्या सिफारिश की, वह रिपोर्ट सरकार के पास हैं। अगर कोई रिपोर्ट सरकार के पास है, जिसमें नेपाल सरकार से बात हुई है और उससे कहा गया है कि यह बांध बनाया जाए और रिजरवायर बनाने के बाद रिजरवायर्ड डिस्चार्ज दिया जाए तो यह प्रोजेक्ट चलता रहे, नहीं तो इसको बन्द कर देना चाहिए। इसका आर्थिक भार सरकार पर बढ़ता चला जा रहा है। मेरी राय यह है कि इस तरह की परियोजना को बन्द कर देना चाहिए। इसमें सैंकड़ों एकड़ जमीन काश्तकारों की फंसी हुई है, उसको फ्री कर देना चाहिए और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको दूसरी जगह पर काम पर लगाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : कौन सा प्रोजेक्ट है ?

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर : बागमती परियोजना जो सीतामढ़ी से लेकर समस्तीपुर और दरभंगा तक जाता है। इसका जिक्र पहले भी किया था कि बागमती परियोजना पर जो खर्चा किया जा रहा है, दस साल के बाद भी आज तक कोई यूटीलिटी इसकी नही हो पायी है। दस साल के बाद भी आज तक कोई यूटीलिटी इसकी नहीं हो पाई है। अगर बांध बनाने से, रिजरवायर बनाने से नेपाल सरकार डिस्चार्ज नहीं देती है पानी का तो बागमती योजना को बन्द कर देना चाहिए। इससे करोड़ों रुपए का भार सरकार पर पड़ा है, जो बेकार गया है। इसके लिए सरकार नेपाल सरकार से बात करे, अगर वह तैयार होते हैं। तो बागमती परियोजना चलती रहे, नहीं तो इसको

[श्री राम श्रेष्ठ खिरहर]

बाइण्डअप कर दिया जाए। यह सुना गया है कि टेक्नीशियंस ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बताया है कि अगर पानी का डिस्चार्ज नेपाल देने के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो टयूबेवल लगा कर नाले में पानी देकर सिंचाई करवाई जाए। मेरी समझ में यह बात नहीं आती, इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इससे जमीन फंसी रह जायगी। टयूबवेल लगाकर तो वैसे भी सिंचाई योजना चलाई जा सकती है। इसलिए मेरी राय में यह ठीक नहीं होगा। मन्त्री महोदय बागमती परियोजना पर अवश्य ध्यान दें और मेरे कथन को एक माह में केन्द्र जांच कर कार्यवाही करें।

दूसरा मैं विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहता हूं खासकर बिहार की बात बताना चाहता हूं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता कहती है कि आपसे तो भेंट हो जाती है, लेकिन बिजली से भेंट नहीं होती है। (व्यवधान) मेरी प्रार्थना है कि हमारे इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले। होता यह है कि जिस गांव में दस खंभे पड़े होते हैं, चाहे लाइन भी न दी गई हो, यह बता दिया जाता है कि यहां का विद्युतीकरण हो चुका है। इस तरह के कई मामले देखने आए हैं, इनकी इन्क्वारी होनी चाहिए। बिहार में, खास करके नार्थ बिहार में ऐसी बात है। यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत दोनों बातों की ओर ध्यान देंगे और इन्क्वारी करायेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सरफराज अहमद (गिरीडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और साथ-साथ यह भी कहता हूं, जैसे हमारे साथी ने कहा कि बिहार की जनता कहती है कि आपसे तो भेंट हो जाती है, लेकिन बिजली से नहीं भेंट होती, यह बात बिल्कुल सही है। मेरा भी यही अनुभव है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के विकास के लिए बिजली और सिंचाई का बहुत अहम रोल रहता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड अपनी जिम्मेंदारियों को नहीं निभा रहे हैं और यही वजह है कि आज गांवों के अन्दर जो बिजली पहुंचनी चाहिए थी, कंज्यूमर्स को जो बिजली पहुंचनी चाहिए थी, वह नहीं पहुंच पा रही है। मैं कहना चाहता हू कि इसमें भारत सरकार को स्ट्रीम-लाइन करना पड़ेगा, राज्य की जो विद्युत बोर्ड परिषद है, उसको मैं आज बड़ी गम्भीर स्थिति है। मैं अपने प्रदेश की बात आपसे कहना चाहता हूं। आर० ई० सी० का जो मामला है, प्रखण्डों के इलेक्ट्रीफिकेशन के अंतर्गत किसी भी प्रखण्ड में आज तक काम नही हुआ है।

पांच वर्ष की योजना होते हुए भी उसे फिर तीन वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसी तरह से यह एक्सटेंशन प्रोग्राम चलता रहता है। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो यह पता

चलेगा कि गावों में विद्युतीकरण हो गया है। लेकिन सही रूप में विद्युतीकरण नहीं हो पाता है। एन०टी०पी०सी० का कहलगाम, मुजफ्फरपुर में काटी थर्मल पावर स्टेशन और कोयल कारो प्रोजेक्ट की वही स्थिति है। बिहार सरकार को जो इन्टरेस्ट लेना चाहिए था, वह नहीं ले पा रही है। जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो पाया है। अभी बिहार के अन्दर 800 ट्रांसफारमर्स की आवश्यकता है। कभी ट्रांसफारमर आ भी गए तो उनको सही मायनों में नहीं लगाया जाता है। उनको लगाने में बारगेनिंग होती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिजली की तारों की भी चोरी होती है। मीलों मील तक तार काट दिए जाते हैं। यह पता नहीं लगता कि गांवों और शहरों के अन्दर उन तारों की पूर्ति कब की जायेगी। मैं आपका ध्यान छोटा नागपुर संथाल परगना की ओर ले जाना चाहता हूं। सिचाई के साधनों की कमी होने के कारण खेती करने में लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। कहीं-कहीं पर तो बिजली ही नहीं है। एक साल में एक वर्षा होती है और उसी पर उस क्षेत्र की कृषि निर्भर करती है। आर०ई०सी० की बात मैंने आपको बता दी है। हमारे जिले गिरिडीह के अन्तर्गत डी०वी०सी का चंद्रपुरा और बोकारो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उनके अगल-बगल के गांवों में बिजली, सड़कों और स्कूल की जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, वह नहीं दी गई हैं। जिस जिले में थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो और उसमें बिजली की कमी रहे तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही वे कुछ करेंगे क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इसकी मांग की है।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद : जब तक सरकार स्थिति नहीं सुधारेगी तब तक गांवों में यही जवाब मिलता रहेगा कि आपके दर्शन तो हो जाते हैं लेकिन बिजली के नहीं होते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें सिंचाई और विद्युत प्रमुख चीजें हैं। हमारी कृषि दोनों चीजों से अछूती हमारे देश में ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होते हैं जिनसे देश को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसको रोकने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं बनाई गई हैं। इसके बावजूद भी इस पर काबू नहीं पा सके हैं। इसी विभाग की रिपोर्ट है कि हमारे देश में जो दोनों प्राकृतिक प्रकोपों से नुकसान होता है, वह चार सौ करोड़ के करीब बैठता है। आर्थिक मामले में इतना बड़ा नुकसान होगा तो इससे बेकारी और गरीबी ही बढ़ेगी। इसके लिए कौन दोषी है ?

मैं यहां आपके ध्यान में चीन का उदाहरण लाना चाहता हूं जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त देश रहा, वहां एक समय इतनी दरिद्रता बढ़ चुकी थी और उसकी दरिद्रता का कारण वहां की यांगसीक्यांग नदी थी जो उसकी प्रगति में बाधक बन गई थी, चीन के लिए अभिशाप बन गई थी और उसके कारण सारा देश कंगाल हो गया था. परन्तु वहां की सरकार ने उस पर काबू पाने के लिए एक योजना बनाई और उसको निर्धारित समय में पूरा किया । इसके कारण चीन में समृद्धि आई और आज वही चीन हर मामले में हमसे आगे है जब कि वह हमारे बाद आजाद हुआ था । इसलिए आपको इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए । हमारे देश में बहुत सी ऐसी योजनाएं है जो पिछले 20 सालों से केन्द्र में अटकी हुई हैं । जैसे बिहार की मुहाना डैम परियोजना है, जिसके बन जाने से वहां के पांच जिलों को लाभ मिलने वाला है—गया, पटना, हजारीबाग, नवादा ओर नालन्दा—और इन क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी लेकिन वह योजना 20 साल से यहां पर लटकी हुई है । दूसरे सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जो भी छोटी या बड़ी योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं का काम कभी समय पर पूरा नहीं होता और हर साल है उनका लागत का खर्च बढ़ता ही चला जाता है । जब हमारी योजनाओं का लागत खर्चबढ़ता जाता है तो हमारे सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है और हम उन योजनाओं को पूराकरने के लिए साधन नहीं जुटा पाते और हमारे सारे कार्यक्रम पिछड़ते चले जाते हैं । किसी भी देश में जब तक योजनाएं समय से पूरी नहीं की जाएंगी तब तक उस देश को सफलता नहीं मिल सकती; वह प्रगति नहीं कर सकता और आर्थिक मामलों में मजबूती उसमें नहीं आ सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय की बहुत कमी है इसलिए में अब कुछ बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । वैसे तो बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने इस विषय में कहा है और यह बात सही भी है कि देहातों में बिजली के सम्बन्ध में लोग कहते हैं कि वह तो आंखमिचौनी करती है । बिजली के बारे में पटना और दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाले लोग तो समझते हैं क्योंकि उन्हें पूरी बिजली मिलती है और यही कारण है कि आज शहरों की तरफ लोग देहातों से भाग रहे हैं । देहातों से उठकर वे लोग शहरों में रहना पसन्द करते हैं क्योंकि शहरों में उन्हें बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा । बिजली की कमी के कारण गांवों में कृषकों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है ।

बिजली के सम्बन्ध में मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं । जितने हमारे बिजली के पुराने यूनिट्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें सुधार किया जाए और अधिक बिजली उत्पादन के लिए नए-नए यूनिटस खोले जाएं । इसके साथ-साथ आपने काफी खर्च करके कुछ अभियन्ताओं को विदेशों में ट्रेनिंग दिलवाई है परन्तु विदेशों से आने के बाद आपने उनको उस लाइन में न डालकर दूसरी तरफ लगा दिया है और इस तरह वे जिस तरह की ट्रेनिंग लेकर यहां आए हैं, उसका आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता ।

श्री अनन्त प्रकाश सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों मांगों का समर्थन करता हूं ।

सातवीं योजना में कृषि विकास की मुख्य नीति खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना और उपयोग के उच्च स्तर में आत्म निर्भरता प्राप्त करना है। यह कुशल जल प्रबन्ध और सिंचित तथा वर्षा वाले क्षेत्रों दोनों में जल स्रोतों के अधिकतम उपयोग से ही व्यवहार्य है।

नए बीस सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है । मैं कुल 113 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाए जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। केवल सिंचाई क्षमता का सृजन ही काफी नहीं है। मैं सिंचाई और विद्युत मन्त्री का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि भूमि को ठीक करके, उसे समतल बनाकर, फील्ड चैनल्स का निर्माण करके कमान क्षेत्रों के विकास पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए ताकि अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

भू-जल के विकास पर, जिस पर अधिकतर लघु सिंचाई कार्यक्रम आधारित हैं बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की ही तरह समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। भू-जल योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई के सतत और विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों को वित्तीय ससाधनों से व्यक्तिगत और सहकारी प्रयासों द्वारा प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि इससे सहकारी खजाने पर भी अधिक भार नहीं पड़ता है।

7.00 म० प०

कमान क्षेत्र विकास (सी० ए० डी०) क्षेत्रों में किसानों के संगठन और सिंचाई सहकारिता समितियां बनाकर जल प्रबन्ध में किसानों को भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें अधिकाधिक शामिल किया जाना चाहिए। इस समय, उड़ीसा राज्य में तीन बहु राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएं अर्थात अपर कोलाले, इन्द्रावती और सुवर्ण रेखा, विद्युत उत्पादन सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के प्रयोजन से निर्माणाधीन हैं। इन्हें शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करने की ओर दिलाना चाहता हूं।

हमारे राज्य में बाढ़ बिन बुलाए मेहमान की तरह लगातार आती है। लगभग प्रत्येक वर्ष मानव जीवन और सम्पत्ति की अबाध हानि होती है। राहत कार्यों के लिए केन्द्र द्वारा भारी धनराशि व्यय की जा रही है। उड़ीसा में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए अभी तक केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत कोई भी एकीकृत जल विभाजक प्रबंध परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई है।

हमारे राज्य में सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ की बारम्बारता को दृष्टि से उपर्युक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्य

सरकार ने इस विषय पर एक विस्तृत योजना पहले ही प्रस्तुत की है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि सातवीं योजना के दौरान कम से कम चार एकीकृत जल विभाजक प्रबंध परियोजनाओं को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में शामिल करें और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन मंजूर करें।

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में एक तरफ तेजी से बाढ़ आती है और इसी इलाके में जहां पर बड़ी-बड़ी नदियां हैं—गंगा, घाघरा, गंडक, यमुना, गोमती—इनके किनारे बड़ी ऊबड़-खाबड़ जमीन है। अगर इनके ऊंचे स्थानों पर सरकारी ट्यूबवैल बना दिये जायें तो इस ऊबड़-खाबड़ इलाके में भी कुछ हरियाली आ सकती है। इस इलाके में बड़ी भुखमरी की समस्या है और काफी परेशानी है।

हमारे उत्तरप्रदेश में शारदा सहायक नहर के फीडर कैनाल बन जाने से एक पुरानी जो शारदा नहर थी, उसे रद्द कर दिया गया। इसलिये सीतापुर में जो फैजाबाद कमिश्नरी सिंचाई करती थी, इस नहर के रद्द हो जाने से जहां पर फीडर कैनाल मिलती है, उसके किनारे पर पूरी समस्या है। वहां पर सिंचाई नहीं हो पाती है। उस गांव में पूरी तरह भुखमरी है। एक तरफ हम चाहते हैं कि इन ऊबड़-खाबड़ इलाकों में खेती हो, तमाम उत्तर प्रदेश में जो रेगिस्तान है, ऊसर है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर इन तमाम क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़नी चाहियें, तभी इसका उपयोग हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा खेती हो सकती है।

एक और समस्या है जल फैलाव की। इन नहरों के किनारे तमाम सीपेज हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी प्राब्लम है जो तमाम झील है इनका पानी निकालकर अगर नदी में पहुंचा दिया जाये सिंचाई विभाग के जिम्मे आपने यह काम लगाया था, लेकिन यह काम पूरा नहीं हो रहा है, इसका तमाम पैसा बर्बाद हो रहा है।

इसी तरह राम गंगा परियोजना, बूढ़ी गंडक परियोजना और तमाम जो परियोजनाएं हैं, जो चालू की गई थीं, इन गांव तक नाली बनाने का काम भी सौंपा गया था, लेकिन वह नालियां बनाने के बाद ही खत्म गई।

उपाध्यक्ष महोदय, इन मांगों का समर्थन करते हुए, आपने मुझे 3 मिनट का ही समय दिया, है, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

7.04 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 18 अप्रैल, 1985/28 चैत्र 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज नई दिल्ली-2